दशम माला, खंड 46, अंक 13

बुधवार, 13 दिसम्बर, 1995
22 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 55 (3)
Date 19-8-96

पन्द्रहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्र. नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	19	पेट्रोलियम	पेट्रोलियम
31	नीचे से 8	(क) और (ख)	(क) और (ख)
51 *	11	श्रीमति	श्रीमती
68	17	प्रतिरोपण	प्रत्यारोपण
70	नीचे से 15	अपभोक्ता	उपभोक्ता
213	3	श्रीमती चन्द्रा प्रभा अर्स	श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स

* जहां कहीं भी श्रीमति हो उसे श्रीमती पढ़ा जाए ।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 46, पंद्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 13, बुधवार, 13 दिसंबर, 1995/22 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	221 से 240 (12.12.95) और 123*	1—31
	241 से 260 (13.12.95)	31—68
अतारांकित प्रश्न संख्या	2355 से 2498 (12.12.95)	69—253
	2499 से 2706 (13.12.95)	253—440
सभा पटल पर रखे गए पत्र		441—456
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
सैंतालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		456
कार्य मंत्रणा समिति		
सत्तावनवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		456
संचार संबंधी स्थायी समिति		
पच्चीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		456
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
इक्कीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		456-457
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		
सोलहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		457
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
तैंतीसवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया		458

* 5.12. 1995 से स्थगित।

लोक सभा

बुधवार, 13 दिसम्बर, 1995/22, अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11.00 म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, दूरसंचार घोटाले के बारे में जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन का क्या हुआ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त/नियंत्रणमुक्त करना

***221. श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य मंत्रालय ने चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त/नियंत्रणमुक्त करने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस मुद्दे के गुण-दोषों पर विचार किया है;

(ग) क्या इस संबध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (च). चीनी उद्योग को विनियंत्रित एवं लाइसेंस मुक्त करने का प्रश्न सरकार के पास क्रियात्मक रूप से विचाराधीन है। इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाए, संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रक्षिप्त सभी सही तथा गलत पहलुओं पर स्वभावतः विचार किया जाएगा। निर्णय लिए जाने की कोई एक तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

***222. श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिये जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई;

(ग) वित्तीय सहायता दिये जाने की शर्तें क्या हैं; और

(घ) राज्यों को अब तक राज्यवार तथा वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना वर्ष 1962 में आरंभ की गई थी।

(ग) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपने प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजते हैं। सहायता अनुदान समिति में इन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जो प्रस्ताव अनुमोदित होते हैं, वे शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

(घ) वर्ष 1987-88 से वर्ष 1995-96 तक की अवधि का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु. लाखों में)

	वर्ष								
	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. गुजरात	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–
2. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	3.60
3. केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	3.60
4. उड़ीसा	–	–	1.64	–	–	–	–	–	–
5. उत्तर प्रदेश	0.24	–	0.39	–	–	–	–	1.27	3.47
	0.44	–	2.03	–	–	–	–	1.27	10.67

खाद्य तेल

*223. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों में अभी तक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में अन्तर है;

(घ) चालू वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु कोई दीर्घावधि अथवा अल्पावधि योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। हमारे देश में तिलहनों के कम उत्पादन और उत्पादकता के अनेक कारण हैं। केवल 20 प्रतिशत तिलहन फसलों की सिंचाई होती है। अतः, वर्षा के परिमाण और विस्तार की तिलहनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तिलहन फसलों के तहत क्षेत्र में एक सीमित वृद्धि हुई है क्योंकि इनके स्थान पर मोटे अनाजों और खाद्यान्नों जैसी फसलें उगाई जा सकती है। संकर/अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं क्योंकि उपलब्ध अपेक्षित गुणवत्ता के बीजों से कुल आवश्यकताओं की केवल 10 प्रतिशत की पूर्ति हो सकती है। तिलहन नाशिकीटों और अन्य रोगों से भी जल्द प्रभावित होते हैं। देश में विस्तार प्रबंध में तिलहनों के उत्पादन को अभी भी वांछित प्राथमिकता नहीं दी गई है। इन सीमाओं के बावजूद, तिलहनों का उत्पादन 1989-90 के 169.2 लाख मी. टन से बढ़कर 1994-95 में लगभग 220 लाख मी. टन हो गया है। वर्ष 1995-96 के लिए तिलहन उत्पादन का अनुमान लगभग 225 लाख मी.टन आंकलित किया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में खाद्य तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच अनुमानित अन्तर 7 से 8 लाख मी. टन होने की संभावना है।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.5 लाख मी. टन खाद्य तेल की सम्पूर्ण मात्रा का आयात पहले ही कर लिया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आयात की मात्रा के संबंध में अभी तक कोई निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और निजी अभिकरणों द्वारा छः लाख मी. टन मात्रा का और आयात किये जाने की सूचना है।

(ङ) और (च). खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नवत हैं :—

(1) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण तथा आधार-ढांचे की स्थापना करना;

(2) तेल ताड़ उत्पादकों को बीजों, निवेशों तथा ड्रिप सिंचाई के लिए राजसहायता के रूप में सहायता मुहैया कराई जा रही है। इस स्कीम के तहत तेल ताड़ उत्पादकों को आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में स्थापित बागानों और साथ ही केरल में केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.ए.आर) पलोड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तेल ताड़ के विकास हेतु आधार ढांचा बनाया गया है जिसमें बीज उद्यान नर्सरी की स्थापना, अग्रणी प्रदर्शन, प्रसंस्करण इकाई, पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला तथा एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि शामिल है। 1994-95 के अंत तक तेल ताड़ के तहत लगभग 16,100 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। चालू वर्ष (1995-96) के लिये 23,700 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य नियत किया गया है।

(3) मुख्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण द्वारा किसानों को बेहतर प्रोत्साहन देना;

(4) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, अर्थात तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के विशेष संदर्भ में, क्वालिटी बीजों के उत्पादन तथा वितरण, पौध संरक्षण उपायों, जिसमें पौध संरक्षण रसायन उपकरणों की आपूर्ति शामिल है तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है।

(5) सर्वोत्तम उत्पादन प्रसंस्करण तथा प्रबंधकीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया;

(6) अधिक क्षेत्र में सोयाबीन तथा सूरजमुखी गैर जैसी पारम्परिक फसलें लगाना, वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का दोहन करना।

(7) आधुनिकीकरण तथा खाद्य तेलों और वसाओं की लागत में कमी करने के लिये आवश्यक समझे जाने वाले कुछ उपकरणों पर रियायती दर पर सीमा शुल्क लेना;

(8) मुख्य रूप से गैर-पारम्परिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन।

[हिन्दी]

पुनर्गठित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम

*224. **श्री वृजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1995 तथा 1996 तक कितने लोगों को साक्षर बना दिये जाने की संभावना है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 4.10 लाख निरक्षरों को सम्मिलित करने के लिए सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम राज्यों में वर्ष 1994-95 से पुनर्गठित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि वाली सभी 56 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्रों को अनुमति दी गई है और प्रत्येक केन्द्र में 25-30 निरक्षरों को नामांकित किया जा सकता है। चूंकि इन परियोजनाओं को वर्ष 1994-1995 के अन्त में संस्वीकृत किया गया था, अतएव उसके बाद ही इन्हें शुरू किया गया, इसलिए ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या परियोजना अवधि पूरी होने पर ही आंकी जा सकती है।

(ख) पुनर्गठित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का विस्तार केवल ऐसे क्षेत्रों और भूभागों में ही किया गया है जहां अभियान दृष्टिकोण को कार्यान्वित करना कठिन होता है। इस समय यह योजना सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा राजस्थान और दादरा नगर हवेली के सीमावर्ती जिलों तक ही सीमित है। केवल इन्हीं राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, और उन क्षेत्रों जहां ये राज्य ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर सकने का निर्णय लेते हैं, में पुनर्गठित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान पर व्यय

*225. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि अनुसंधान पर कुल परिव्यय और सकल घरेलू उत्पाद के व्यय का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि अनुसंधान में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है; और

(ग) सातवीं और आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की मुख्य उपलब्धि क्या रही है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को चौथी पंचवर्षीय योजना से योजना के सीमा क्षेत्र में लाया गया। चौथी योजना के बाद से भारत सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान पर किया गया कुल परिव्यय का प्रतिशत तथा कुल घरेलू उत्पादों का प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है।

विवरण-I

योजना अवधि के दौरान कृषि अनुसंधान पर किए गए कुल परिव्यय के प्रतिशत के रूप में निवेश तथा कुल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत

योजना	कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में डेयर/भा.कृ.अ.प. का परिव्यय (सार्वजनिक क्षेत्र)	वर्तमान मूल्यों पर कुल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में डेयर/भ.कृ.अ.प. का परिव्यय
IV योजना (1969-74)	0.535	0.035
V योजना (1974-78)	0.391	0.046
VI योजना (1980-85)	0.349	0.037
VII योजना (1985-90)	0.236	0.026
VIII योजना (1992-97)	0.299	0.034

विवरण-II

कृषि के वे क्षेत्र जिस पर सातवीं योजना में अनुसंधान के लिए अधिक जोर दिया जाना है।

- पौधों, पशुओं, मात्स्यकी के जर्मप्लाज्मों के संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग ताकि सुधार के आधार को व्यापक बनाया जा सके। फसलों/पशुओं की नई किस्मों/नस्लों के विकास द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। अनेक प्रकार के कीड़ों और रोगों, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों तथा सूखा एवं रोधी किस्मों का विकास।
- जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के निवेश, उपयोग, क्षमता और खरपतवार के नियंत्रण द्वारा पोषण प्रबन्ध पद्धति में सुधार लाना। दूरवर्ती संवेदनशील और अन्य उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक संसाधनों की सूची तैयार करना।

- बारानी कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार लाना – जिसमें मौसम और फसल के बीच उपयुक्त संबंध का विकास किया जाएगा। इसमें विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों तथा क्षेत्रों पर जल संरक्षण एवं प्रबन्ध के अन्तर्गत वृक्ष और पशु आवश्यक अंग के रूप में होंगे।
- कृषि में ऊर्जा प्रबन्ध, कटाई के बाद की टेक्नोलाजी जिसमें कृषि उत्पादकों का खेतों पर भंडारण, संसाधन और विपणन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- सूचना एवं संचार पद्धति में सुधार लाना, अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों को उत्कृष्ट बनाना, मानव संसाधन विकास जिसमें गरीब तबका के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कृषि के वे क्षेत्र जिस पर आठवीं योजना में अनुसंधान के लिए अधिक जोर दिया जाएगा।

- कम, मध्यम और अधिक मात्रा में निवेशों के अन्तर्गत रोग-रोधी तथा अधिक उत्पादकता वाली किस्मों के विकास द्वारा फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना।
- तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- बागानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और उसकी निर्यात क्षमता का उपयोग करना।
- टिकाऊ कृषि के लिए समेकित कृषि पद्धति का विकास।
- ईंधन, चारा और छोटी लकड़ी के लिए बायोमास का उत्पादन बढ़ाना।
- पशुओं के आनुवंशिक सुधार तथा पशु रोगों से मुकाबला हेतु आनुवंशिक क्षमता पैदा करने के लिए भ्रूण हस्तांतरण टेक्नोलाजी का उपयोग-खारा जल, शीतल जल और मीठा जल में मछली पालन की पद्धति में मछली उत्पादन में सुधार लाना।

विवरण-III

सातवीं योजना में कृषि क्षेत्र में किए गये अनुसंधान की मुख्य उपलब्धियां

परिषद ने सातवीं योजना में 170 प्लान योजनाओं को कार्यान्वित किया। इनमें से 149 योजनाएं छठी योजना से सातवीं योजना में ले जायी गईं, जबकि 21 नई योजनाएं शुरू की गईं। सातवीं योजना में कृषि क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

1. फसल विज्ञान

- जर्मप्लाज्मों का संग्रह, संरक्षण और आदान-प्रदान।
- राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना।
- जल्दी पकने वाली, सुखा सहने वाली धान की किस्मों, रोग-रोधी गेहूं की किस्में, मेज के संकरों और संघटकों, बाजरे की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों, गौण अनाजों की आशाजनक किस्मों, मूंग, चना और अरहर आदि की जल्द तैयार होने वाली और रोगरोधी किस्मों का विकास करना। अनुसंधान के फलस्वरूप अधिक पैदावार देने वाली तथा विभिन्न संकर किस्मों का विकास किया गया तथा उन्हें जारी किया गया। इनमें 120 अनाज वाली किस्में, 64 तिलहन, 48 दालें, 28 व्यावसायिक फसलें थीं।
- देशी कपास की अंतर्विशिष्ट संकरों का उत्पादन, मूंगफली, नई अरंडी और सूरजमुखी और अलसी की अधिक पैदावार देने वाली एवं कीट रोधी किस्मों का विकास तथा चावल, कपास, दालों और गन्ने के प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबन्ध नीति।
- फसलों के कीड़ों विशेष करके कपास, तम्बाकू, नारियल, गन्ना और जलीय खरपतवार के जैविक नियंत्रण पर बल देना।
- कृषि उत्पादों में कीटनाशी अवशिष्टों की निगरानी।
- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में इटालियन मधुमक्खियों को पालना।
- तिलहनों, दालों, अनाजों और मोटे अनाजों के प्रजनक बीजों में बढ़ोत्तरी करना। इस तरह तिलहनों के 19,575 क्विंटल, दालों के 10,900 क्विंटल, अनाजों के 18,830 क्विंटल और मोटे अनाजों के 917 क्विंटल प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया।
- तोरिया की फसल में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी का विकास और उसका अन्य फसलों में इस्तेमाल।

2. बागवानी

- आम की दो आशाजनक संकरों, अंगूर की अनेक संकर किस्मों, बेर की रोगरोधी किस्मों, अनाज की उन्नत किस्मों, पपीते की नई किस्मों तथा खजूर की टिश्यू कल्चर तकनीक का विकास किया गया।
- 16 सब्जी वाली फसलों की 119 उन्नत और रोगरोधी किस्मों का विकास, सब्जी और फलों की कृषि टैकनोलाजी का विकास, सब्जी फसलों के प्रजनक बीज का उत्पादन, नई खाने वाली खुम्भी, आलू की 27 किस्मों का विकास, पौध संरक्षण तकनीकों, आलू के पिछेती अंगमारी रोग के बारे में पूर्वानुमान की घोषणा, कंद फसलों की सात किस्मों, नारियल की सात अधिक पैदावार वाली किस्मों, काजू के 9 उन्नत कल्टीवर्स तथा अदरक, अलसी, जीरा, मेथी आदि प्रत्येक के लिए एक कल्टीवर्स का विकास, इलायची और काली मिर्च के लिए अधिक उत्पादन वाली तकनीकी, गुलाब की 16 किस्मों, ग्लेडिलस की 29 किस्मों, कार्नेशन की 3 किस्मों, क्राईसेन्थीमस की कुछ किस्मों, बागों के दो संकरों तथा बागानी फसलों के लिए कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया ताकि उत्पादन और गुण में वृद्धि हो सके।

3. मृदा, सस्य विज्ञान तथा कृषि वानिकी

संसाधन की सूची तैयार करना, विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों में मृदा मानचित्र, मृदा सर्वेक्षण, फसल प्रणाली प्रबन्ध, फसल योजना के लिए गुण विश्लेषण तथा प्राचलों का उपयोग, खरपतवार प्रबन्ध तकनीक, दियारा भूमियों के लिए उपयुक्त किस्में, प्रमुख पेड़ प्रजातियां तथा कृषि वानिकी प्रणाली, कृषि बागवानी तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए वन चारागाह प्रणाली, अपधारित भूमियों के प्रबन्ध के लिए सस्य विज्ञान, जैव तथा यांत्रिक उपाय, खेत पर जल प्रबन्ध की तकनीकें, ड्रिप का उपयोग स्प्रिंकलर विधियां (मूल्यवान फसलों के लिए), अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बहकर बेकार हो जाने वाले पानी के नियंत्रण की विधियां, पानी का मिला-जुला उपयोग, सूक्ष्म जीव प्रबंध तथा कारगर जैव उर्वरकों का विकास।

4. कृषि इंजीनियरी

कई खेती संबंधी औजारों का विकास, परीक्षण तथा प्रोटोटाइप उत्पादन, कटाई के बाद की इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, कृषि मे प्लास्टिक का उपयोग, कारगर ऊर्जा प्रबन्ध, पवन शक्ति का उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग, बायोगैस प्रौद्योगिकी, उच्च क्षमता वाले निम्न लिफ्ट प्रोपेलर पम्प, वाट लिफ्टों में सुधार, खराब ट्यूबवैलों की मरम्मत तथा जमीनी जल की मॉडलिंग।

5. पशु विज्ञान

पशु आनुवंशिकी तथा संसाधन संरक्षण, मवेशियों की उच्च नस्लों का विकास, भेड़ों, बकरियों की उन्नत नस्लों का विकास, जर्मप्लाज्म अदल-बदल, अनेक प्रजनक तकनीकें, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा वर्तमान चारों में पोषण गुणों में सुधार, नई दूध प्रसंस्करण तकनीकों का विकास, मांस उत्पादों का विकास, पशु रेशे का मूल्यांकन, उत्पादों के उपयोग में विविधीकरण, उत्पादन का परीक्षण तथा मुर्गियों में बेहतर रोगरोधी तकनीकों का उपयोग, टीका उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कोशिका संवर्धन।

6. मछली पालन

जलजीव पालन को भरोसेमन्द ग्रामीण उद्योग बनाना, तालाबों में मछलियों की उत्पादकता बढ़ाना, झींगा पालन को बढ़ाना तथा मोती वाले सीप के पालन की तकनीक, खाने योग्य शक्ति (आयस्टर) को पालना, मछली पकड़ने के पातों की नयी डिजाइन, मछली पकड़ने के बाद की तकनीकों में सुधार, मछली पालन संबंधी प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करना, कम लागत वाली अधिक पैदावार देने वाली टैकनोलाजी का विकास, झींगे के जीरे के उत्पादन के लिए छोटे पैमाने पर हैचरी टैकनालाजी का विकास, धान के खेतों में मछली पालन, ठंडे जल में मछली पालन तथा प्रजनन की तकनीकें तैयार करना, संसाधन मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण, मछलियों की साज-संभाल, प्रसंस्करण, परिरक्षण आदि के लिए मछली पकड़ने के बाद की तकनीकों का विकास, उप-उत्पाद तथा गुणवत्ता नियंत्रण, मछली आनुवंशिकी संसाधन के लिए मैनुअल तैयार करना, जीनोटाइप में बिना अन्तर लाये स्थायी लिंग परिवर्तन, बम्बई स्थित केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान को "विश्वविद्यालय का दर्जा देना"।

7. कृषि अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी

देश के विविध कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों में कृषि नीति विश्लेषण के लिए कृषि अर्थशास्त्र, नीति अनुसंधान तथा नियोजन पर राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना, नमूना सर्वेक्षणों में अनुसंधान के लिए सांख्यिकी को लागू करने से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाविधि का विकास, प्रयोगों की डिजाइन तैयार करना, फसल उपज की भविष्यवाणी, पौध तथा पशुपालन की डिजाइन तैयार करना, फसल पैदावारों के अनुमान की क्रियाविधि का विकास, कृषि के क्षेत्र में कम्प्यूटर के उपयोग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि।

8. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना तथा कृषि प्रसार

देश के 120 कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रणाली के द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली को स्टाफ तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से सबल बनाया गया है। नवीनतम फसल उत्पादन की टैक्नोलाजी पर राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिनमें दालों, तिलहनों तथा अनाजों पर विशेष जोर दिया गया है और देश के सभी कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कृषि तथा संबंधित टैक्नोलॉजी के लिए कम लागत वाले पैकेज को लागू करने के लिए प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अंतर्गत किसान परिवारों को अपनाना, 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, कीटनाशियों के उपयोग पर परिचालनीय अनुसंधान प्रायोजना, वाटरशेडों में समस्याग्रस्त मिट्टियों का संसाधन प्रबंध और अनुसूचित जातियों व आदिवासियों के लिए प्रसार कार्यक्रम।

9. कृषि शिक्षा

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विकास में सहायता, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना, यू.एन.डी.पी. की सहायता से प्रगत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, व्यावसायिक पीठों की स्थापना के द्वारा शिक्षा का स्तर सुधारना, विशिष्ट

प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों, सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों को पुरस्कृत करके, श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्ति देकर, ग्रीष्म कार्यक्रम प्रशिक्षण आदि से शिक्षा का स्तर सुधारना।

10. प्रकाशन तथा सूचना

कृषि अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित 182 शीर्षकों का प्रकाशन, टैक्नोलॉजी बुलेटनों का प्रकाशन, "इंडियन नेशनल एग्रीकल्चरल बिब्लियोग्राफी" नामक पुस्तक का प्रकाशन, कृषि अनुसंधान सूचना केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण, इंडियन फार्मिंग, खेती आदि के विशेष संस्करण निकालना, देश के विभिन्न भागों में आयोजित प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेना आदि।

विवरण IV

आठवीं योजना में कृषि क्षेत्र में किए गये अनुसंधान की प्रमुख उपलब्धियां।

1. फसल विज्ञान

- दीर्घ/मध्यम अवधि की भण्डारण सुविधा वाले एक राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना।
- राष्ट्रीय जीन बैंक में 1,45,000/- प्रविष्टियों का भण्डारण।
- जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा फसलों के आनुवंशिक आधार को व्यापक बनाना।
- चावल की चार संकर किस्मों को जारी किया गया; भारत की मक्के की पहली एकल प्रजनित संकर, ज्वार की पहली रबी मौसम में उगायी जाने वाली संकर किस्म, बाजरे की दो संकर किस्म, तोरिया की पहली संकर किस्म, अरंडी की दो नई संकरण, अरहर की दो संकर किस्मों, उत्तर-पश्चिमी भारत के लिए मध्यम रेशे वाली कपास की तीन संकर किस्में, दाल की सात नई किस्मों, ज्वार, बाजरा और मक्काई की चारे वाली नई फसलों का विकास किया गया।
- पौध संरक्षण के लिए जैव नियंत्रक एजेंटों तथा नीम जैसे पौधों से प्राप्त होने वाले कीटनाशकों को प्रोत्साहित करना।
- डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग से संबंधित नये अनुसंधान केन्द्र की स्थापना तथा फसल विज्ञान के लिए जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र।
- कृषि विभाग की मांग को अच्छी तरह पूरा करने के लिए प्रजनक बीज का उत्पादन।

2. बागवानी

- आम की 4 आशाजनक संकर किस्मों, अंगूर की 6 किस्मों, बैंगन की दो किस्मों, प्याज की 4 किस्मों, बंदगोभी और फूलगोभी तथा बैंगन की संकर किस्मों, खुम्भी की अधिक पैदावार वाली किस्मों, आलू की 3 संकर किस्मों तथा अनेक किस्मों और गुलाब की दो संकर किस्मों, निर्यात के लिए ग्लेडिलस की 1 संकर किस्म, काजू की 4 किस्मों, मसाले की उन्नत किस्मों, "असगंद" स्पीयरमिन्ट, पिपटी, लेमन घास, पान आदि की नई किस्मों को जारी किया गया।
- उत्पादन प्रौद्योगिकी में 23 उन्नत कृषि तकनीकों का मानकीकरण किया गया।

3. मृदा, सस्य विज्ञान तथा कृषि वानिकी

- जल गुणवत्ता मार्गदर्शन का विकास तथा कृषि में खारे पानी के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी।
- 1:250,000 स्केल पर 11 राज्यों के लिए मृदा संसाधन मानचित्र तैयार किये गये हैं - अन्य छापे जा रहे हैं।
- 1:4:5 मिलियन स्केल पर कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र का भारत का मानचित्र तैयार किया गया है। भारत में मृदा अपघटन का मानचित्र तैयार किया गया है।
- देश में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के क्षेत्र जिसमें फसल उत्पादन की सीमा को रेखांकित किया गया है।
- बैल से चलाया जाने वाला एक त्रिपंक्ति ड्रिल हल विकसित किया गया है जो खेत में बीज तथा उर्वरकों को दक्षता से डालने में सहायक है।
- बीजों तथा उर्वरकों को एकरूपता तथा उचित ढंग से खेत में डालने के लिए, एक बीज तथा उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है जिसकी लागत कम होती है तथा जो स्थानीय उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है।

4. कृषि अभियांत्रिकी

- उन्नत कृषि औजारों, बैन्ड टूल्स तथा उपकरणों का विकास जिसमें पशुओं से चलने वाले हैरो, लम्बी फसलों के लिए उपयुक्त स्प्रेयर, मूंगफली छीलने के यंत्र, बहुफसली थ्रेसर आदि शामिल हैं।
- फलस के कटाई के बाद की तकनीकें/उपकरण/प्रक्रिया विकसित की गई है जिसमें फसल काटने वाला यन्त्र, आटा अलग करने वाला यन्त्र, पैर से चलने वाला यन्त्र, कपास की ओटाई मशीन शामिल है।
- पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के उपयोग हेतु तकनीकों का मूल्यांकन जिसमें वान-भूमी पर आधारित जैसीफायर्स, सौर ड्रायर्स, बायोगैस जो इंजन आदि चलाता है, शामिल है।

5. पशु विज्ञान

- मवेशी के एरिथ्रोसाइटिक प्रतिजन के विरूद्ध एन्टीसेरा उत्पन्न करने हेतु सेरा बैंक का विकास।
- मवेशी पर प्रायोजना निदेशालय, मेरठ में वीर्य प्रशीतन प्रयोगशाला की स्थापना।

- भेड़ के एक नयी जैनोटाइप "केरी" का विकास।
- मुर्गी पालन के 10 व्हाइट लेग हार्न प्रभेदों में सुधार।
- "मुर्रा" तथा "नील रावी" सांड़ो का जननद्रव्य बैंक स्थापित करना।
- शीघ्र आनुवंशिक सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी का उपयोग।

6. मात्स्यिकी

- अभिग्रहण मात्स्यिकी तथा मात्स्यिकी पूर्वानुमान के वैज्ञानिक प्रबन्ध हेतू समुद्री दूरवर्ती संवेदन सूचना का उपयोग।
- फसल तथा पशुओं आदि के साथ कार्य कल्चर, कार्य के मल्टीपल स्पाउनिंग, मीठे पानी का झींगा पालन, मीठे पानी का मोती उत्पादन, समेकित जलजंतु-पालन हेतु प्रौद्योगिकियों के पैकेज का विकास।
- प्रजनन, ज़ीरा उत्पादन तथा "ट्राउट" तथा "मशीर" जैसी ठण्डे जल की मछलियों का पालन की प्रौद्योगिकियां।
- समुद्री मछली प्रौद्योगिकी तथा मोती शुक्ति तथा मोती उत्पादन का विकास।
- 4 ब्लेड वाले तथा ईंधन-कुशल मछली पोत के डिज़ाइन का विकास और उसका व्यावसायीकरण मछली के गट्स से तैयार किए जाने वाले शल्य क्रिया के दौरान स्वतः फूल जाने वाले टांकों के धागों का विकास तथा व्यावसायीकरण।

7. कृषि अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी

- कृषि अर्थशास्त्र तथा नीति अनुसंधान पर एक नये अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
- योजना के लिए नये डिजाइन तथा कृषि परीक्षणों का विश्लेषण।

8. सहायता सेवाएं

- खेत पर परीक्षण हेतु 75 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना। प्रमुख फसलों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अग्रगामी पंक्ति प्रदर्शन।
- राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रायोजना के तहत 343 केन्द्रों सहित 120 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना/तथा उसका सबलीकरण।
- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कृषि मानव संसाधन विकास प्रायोजना चलाना।
- प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, सुधार तथा स्थानान्तरण हेतु संस्थान - गांव सम्पर्क कार्यक्रम चलाना।
- भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में बेहतर कार्य-प्रणाली के लिए कई सुधार।

स्वच्छ-जल में बड़े आकार की झींगा मछलियां

***226. श्री राम कापसे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वच्छ-जल मत्स्य पालन संस्थान, भुवनेश्वर और केन्द्रीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर के वैज्ञानिकों ने बताया है कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर झींगा-मछली पालन के कारण उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर व्यापारी समुदाय को "पारिस्थितिकी अनुकूल" स्वच्छ-जल में बड़े आकार की झींगा मछलियां, जिन्हें "स्कैप्पी" भी कहा जाता है, के पालन के लिए प्रोत्साहित करके नियंत्रण पाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

फलों के लिये विपणन सुविधाएं

***227. श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में फलों तथा सब्जियों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) क्या विपणन सुविधाओं के अभाव में दलालों द्वारा उत्पादकों का शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में इन उत्पादकों के लिये विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) "ट्राइफेड" द्वारा राज्य में अब तक क्या भूमिका निभाई गई है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) अब तक राज्यों में फूलों और सब्जियों के विपणन के क्षेत्र में ट्राइफेड ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभायी है।

विवरण

अरुणाचल प्रदेश सहित क्षेत्र के सभी पहाड़ी राज्यों में किसानों द्वारा या तो सड़क के किनारे की दुकानों या स्थानीय बाजारों में सीधे ही फूलों और सब्जियों का विपणन किया जाता है; तथा साथ ही टर्मिनल मंडियों में बेचा जाता है, जो बारी आने पर क्षेत्र के बाहर या अंदर भेजे जाने के लिए व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है। पहले मामले

में लाभ बहुत अधिक होता है, जबकि दूसरे मामले में प्रचलित असंगठित विपणन प्रणाली और लम्बी दूरी और अधिक परिवहन लागत के कारण उत्पाद कम कीमत पर बेचा जाता है।

(घ) 1. कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए कटाई पश्चात संभाल तथा इन वस्तुओं के विपणन हेतु अवसंरचना स्थापित करने के लिए सरकारी/गैर सरकारी एककों को आसान ऋण की सुविधा देने के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

2. मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों ने फलों और सब्जियों की मंडियों को विनियमित करने तथा उनका प्रबंध करने के लिए विनियमित मंडी समितियों की स्थापना के लिए मंडी विनियमन अधिनियम बनाए हैं।

3. पूर्वोत्तर परिषद ने 1902 ई. में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन निगम स्थापित किया है। इसका मूल उद्देश्य मुख्य कृषि और बागवानी उत्पादों और संसाधित उत्पादों के विपणन को संगठित करना है तथा इसका प्रवर्धन करना है। निगम ने इस फल की खपत को बढ़ाने, अदरक, हल्दी जैसी फसलों, अनन्नास के रस सान्द्रण और अन्य फल उत्पादों के विपणन के लिए त्रिपुरा में अनन्नास रस के सान्द्रण का एक बड़ा संयंत्र तथा विभिन्न नगरों में जूस बिक्री मशीनें लगाई हैं।

4. पूर्वोत्तर परिषद कृषि और बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु अवसंरचना का विकास करने के लिए इस क्षेत्र के राज्यों की सहायता भी कर रही है।

मोटा अनाज

***228. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार विशेषकर निर्धनों के लिए मोटे अनाज के महत्व के प्रति जागरूक है और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन द्वारा उच्च उत्पादकता स्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को मोटे अनाज की उत्पादकता में किस सीमा तक वृद्धि कर लेने की आशा है; और

(ग) मोटे अनाज की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार, समाज के गरीब वर्गों सहित विभिन्न वर्गों के लिए मोटे अनाजों के महत्व के बारे में सजग है। इसके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है तथा अब मोटे अनाजों, चावल तथा गेहूं पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है, जिनके जरिए मोटे अनाजों, चावल और गेहूं नामक अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिय सहायता दी जाती है।

सम्भावना है कि उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से मोटे अनाजों की उत्पादकता और अधिक बढ़ेगी।

(ग) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कई घटकों के लिए सहायता दी जाती है, अर्थात, बीज वितरण, अभिनिश्चित कृषि उपस्करणों और छिड़काव यंत्रों पर तथा साथ ही इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंडों में उत्पादकता पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन अभिनिश्चित प्रखण्डों की उत्पादकता राष्ट्रीय/राज्य के औसत उत्पादकता स्तर से कम है उनके लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण के दो अतिरिक्त घटक भी सुलभ हैं।

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ क्षेत्र को छोड़कर), महाराष्ट्र, राजस्थान (गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर) तथा सिक्किम।

पैट्रोलियम का उत्पादन/आपूर्ति

***229. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के लिए पैट्रोलियम की पर्याप्त आपूर्ति और इसके उत्पादन हेतु इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम और भारत पैट्रोलियम के सहयोग से जुलाई, 1994 में कोई कार्यकारी योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

जवाहर नवोदय विद्यालय

***230. श्री सुधीर सावन्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख). किसी विशेष वित्तीय वर्ष में संस्वीकृत किए गए नवोदय विद्यालय अगले वित्तीय वर्ष दौरान तभी स्थापित किए जाते हैं, जब राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त-अवसंरचना अस्थायी स्थल पर उपलब्ध करा दी जाती है। कुछ मामलों में, नवोदय विद्यालयों को उनकी संस्वीकृति के बाद खोलने में विलम्ब, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि/पर्याप्त अस्थायी आवास उपलब्ध कराने में देरी के कारण हुआ है।

(ग) सरकार देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की इच्छुक है बशर्ते कि समिति के मानदंडों के अनुसार उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हों जिसमें 30 एकड़ निःशुल्क स्थायी भूमि, और उपयुक्त अस्थायी आवास शामिल है तथा नवोदय विद्यालय समिति इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सतत रूप से उठा रही है।

पुष्पोत्पादन

***231. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पुरानी प्रौद्योगिकी और अवास्तविक उत्पादकों के कारण फूलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो देश में फूलों के उत्पादन में वृद्धि करने और पुष्पोत्पाद हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में फूलों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) कृषि मंत्रालय चालू योजना में सभी 32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय में वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अधीन क्वालिटी पौध रोपण सामग्री के बहुलन और वितरण, उत्पादन हेतु अवसंरचना के सृजन कटाई पश्च प्रबंध और किसानों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

(2) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित एक अन्य योजना में क्वालिटी पुष्पों के उत्पादन के लिए उपयोगी पाद्प घरों, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग आदि के लिए सरकार सहायता दे रही है।

(3) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आसान ऋण में सहभागिता पर अपनी योजना के जरिए पुष्प फसलों के उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंध हेतु समेकित परियोजनाओं के लिए सहायता देती है।

(4) सरकार ने पुष्प फसलों के बीज/पौध रोपण सामग्री की बड़ी मात्रा में आयात के लिए प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बना दिया है। बिना किसी आयात परमिट के अथवा शुल्क का संदाय किए बिना इनका आयात किया जा सकता है।

(5) वाणिज्य मंत्रालय अवसंरचना के सृजन, बाजार प्रवर्धन तथा हवाई माल भाड़ा राजसहायता के लिए अपनी योजना के जरिए पुष्पों के निर्यात प्रवर्धन हेतु सहायता दे रही है।

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न पुष्प फसलों की नई किस्मों को विकसित करने तथा कृषि तकनीकी को बनाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को मजबूत बनाया है।

[हिन्दी]

स्क्रैप के व्यापार पर प्रतिबंध

***232. कुमारी उमा भारती :**
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः प्रयोज्य बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक और विषैले अपशिष्ट पदार्थों के आयात में 1991-92 के बाद हाल ही के वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष इसका कितनी मात्रा में आयात हुआ;

(ग) स्क्रैप अथवा अपशिष्ट पदार्थों के व्यापार पर बासल कन्वेंशन द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष कितना घाटा होने की संभावना है;

(घ) क्या भारत ने अपशिष्ट पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन में कुछ पहलुओं पर अपनी असहमति प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). उपलब्ध प्रकाशित सूचना से संकेत मिलता है कि तांबा, सीसा और जस्ता के आयात में कमी हुई है जबकि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक अपशिष्टों का आयात बढ़ा है।

1991 से 1995 तक इस प्रकार के आयात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

अपशिष्ट की किस्म	आयातित अपशिष्टों की मात्रा (टन में)			
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
एल्यूमिनियम	582.50	727.25	5433.49	6625.35
तांबा	13796.47	8265.09	8242.19	7476.00
सीसा	16389.40	8234.84	13575.47	13509.15
जस्ता	27724.06	34189.45	33530.78	23145.28
प्लास्टिक	9008.59	20182.46	53934.04	344991.79

(ग) से (ङ). परिसंकटमय अपशिष्टों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के अन्तर्गत लगाया जाने वाला प्रतिबंध केवल उन्हीं अपशिष्टों से संबंधित है जिन्हें "परिसंकटमय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें स्क्रैप जैसी पुनः प्रयोज्य तथा गैर परिसंकटमय अपशिष्टों को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। बेसल कन्वेंशन के तकनीकी कार्यदल को बेसल कन्वेंशन के अधीन "परिसंकट वर्गीकरण" का कार्य दिया गया है। दल ने इस कार्य को पहले ही शुरू कर दिया है।

भारत ने कन्वेंशन के निर्णयों पर असहमति प्रकट नहीं की तथा उन पक्षकार देशों तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यूरोपीय समुदाय एवं लीचटेन्सटियन के सदस्य अन्य राष्ट्रों से परिसंकटमय पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कन्वेंशन के पक्षकारों द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों का समर्थन किया ताकि भारत सहित उन गैर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में परिसंकटमय अपशिष्टों को जमा करने को रोका जा सके। भारत ने स्क्रैप तथा अन्य पुनः प्रयोज्य सामग्रियों को इस प्रतिबंध से अलग रखने का भी समर्थन किया। तथापि, बेसल कन्वेंशन के अन्तर्गत "परिसंकटमय" के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली मदें इस प्रतिबंध की परिधि में आएंगी और बेसल कन्वेंशन के एक पक्षकार के रूप में इस तरह के निर्णयों का पालन करना भारत के लिए बाध्यकर है।

"पर्यावरण" (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 के नियम 11 के अनुसार, जमा करने और निपटान के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। तथापि, प्रत्येक मामले के गुणदोष पर विचार करने के बाद इस तरह के अपशिष्टों के आयात की रिसाईक्लिंग प्रयोग और पुनः प्रयोग के लिए अनुमति दी जाती है।

व्यावसायिक समूहों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

*233. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अभिनय कलाओं संबंधी परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है तथा अनुमोदित परियोजनाओं के चयन हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) व्यक्तियों अथवा व्यावसायिक समूहों को अनुदान की कितनी अधिकतम राशि दी जा सकती है;

(घ) प्रत्येक राज्य के सांस्कृतिक संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत, नाट्य समूहों, थियेटर समूहों, संगीत मंडलियों, वाद्यवृन्द समूहों, बाल थियेटर, कठपुतली थियेटर, एकल कलाकारों और प्रदर्शनकारी कलाओं की सभी शैलियों को अनावर्ती और तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्यतः, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों अथवा राज्य अकादेमियों की अनुशंसा के साथ प्राप्त होने वाले आवेदनों पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा अनुदान प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर मंजूर किया जाता है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत एक व्यक्ति अथवा एक व्यावसायिक समूह को दी जाने अधिकतम राशि 50,000/-रुपये है।

(घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रदर्शनकारी कला से संबंधित परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों और सांस्कृतिक संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों तथा अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम	2	1	–
2.	आंध्र प्रदेश	36	2	17
3.	बिहार	100	12	9
4.	दिल्ली	44	23	6
5.	गुजरात	5	1	4
6.	गोवा	1	–	1
7.	हरियाणा	3	1	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	–	3
10.	कर्नाटक	52	20	13
11.	केरल	16	7	5
12.	महाराष्ट्र	16	5	1
13.	मणिपुर	90	2	47
14.	मध्य प्रदेश	10	3	4
15.	उड़ीसा	10	3	5
16.	पंजाब	10	–	10
17.	राजस्थान	4	1	3
18.	तमिलनाडु	13	4	5
19.	उत्तर प्रदेश	29	5	18
20.	पश्चिम बंगाल	18	11	2
21.	चंडीगढ़	3	2	–
22.	पांडिचेरी	5	–	5
	कुल :	472	104	161

लंबित 161 आवेदनों पर विचार, माह दिसंबर, 1995 और जनवरी, 1996 में विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण

*234. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात वकीलों एवं विधिवेताओं ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की समीक्षा करने का आह्वान किया है तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों की परिधि में न आने वाले क्षेत्रों को भी शामिल करने हेतु इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करने की संस्तुति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रकृति हेतु विश्वव्यापी कोष के पर्यावरण कानून संबंधी केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की नई कार्यशाला की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यशाला में क्या-क्या मुख्य संस्तुतियां की गई; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). पर्यावरणीय विधि केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 17.6.95 को आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की सिफारिशें की हैं। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). पर्यावरणीय विधि केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 17.6.95 को आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की सिफारिशें की हैं। निम्नलिखित सिफारिशें की गई :—

— "दुर्घटना" शब्द को हटा कर अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि "परिसंकटमय पदार्थों के हथालन" के कारण होने वाली समस्त क्षतियों को इसमें शामिल किया जा सके।

— लोगों और गैर-सरकारी संगठनों की अधिक सहभागिता होनी चाहिए। कानून में निर्धारित गैर-सरकारी संगठनों को "मान्यता देने" की प्रणाली को हटाया जाए।

— किसी कंपनी द्वारा हुई दुर्घटना की स्थिति में, मुआवजे के भुगतान का दायित्व कंपनी के सभी निदेशकों की होनी चाहिए।

— न्यायाधिकरण की कार्यसीमा से "कर्मकारों" को इस कानून से बाहर न रखा जाए। लाभकारी कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

— एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे मुआवजे के प्रयोजन से पर्यावरण को हुई क्षति का पता लगाया जा सके। प्राधिकारी और प्रक्रिया के बारे में कुछ निर्धारण होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्राधिकारी पर्यावरण राहत कोष में जमा होने वाली मुआवजे की राशि का उपयोग कर सके।

— "परिसंकटमय पदार्थों" की परिभाषा की समीक्षा की जरूरत है क्योंकि पर्यावरणीय क्षति उन पदार्थों से हो सकती है जो संगत लोक दायिता बीमा अधिनियम, 1991 के तहत "परिसंकटमय" के रूप में अनुसूचित नहीं हैं।

— संभव है कि किसी "दुर्घटना" के प्रभावों का अनुभव कुछ समय के बाद हो। अतः, मुआवजे के दावे के लिए पांच वर्षों की सीमा को संशोधित किया जाए तथा प्रत्येक पदार्थ के लिए उसके स्वरूप के आधार पर अलग-अलग सीमा अवधि बतायी जाए।

— सिविल कार्यविधि संहिता, 1908 (कुछ मुख्य उपबंधों को छोड़कर) के प्रचालन के अपवर्जन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

— सार्वजनिक सूचना की प्राप्ति के लिए अनिवार्य उपबंध हो।

— इस कानून का नाम भ्रामक है। इसका नाम "पर्यावरण दावे न्यायाधिकरण" अथवा "मुआवजा अदायगी न्यायाधिकरण" होना चाहिए।

(ग) और (घ). जी, हां। कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशें भाग (क) और (ख). में उल्लिखित सिफारिशें ही हैं।

(ङ) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 में, किसी परिसंकटमय पदार्थ को हेंडल करते समय होने वाली किसी दुर्घटना से उत्पन्न क्षतियों के लिए कठोर दायित्व तथा व्यक्तियों, संपत्ति तथा पर्यावरण तथा उनसे जुड़े मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों में क्षतियों हेतु राहत और मुआवजा देने के ध्येय से ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटाने हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है। वर्तमान में इस न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र परिसंकटमय पदार्थों के हथालन से उत्पन्न दुर्घटनाओं के मामलों के अधिनिर्णय तक सीमित है। कर्मकारों को इस अधिनियम की कार्य सीमा से बाहर रखा गया है क्योंकि इनके मामले अन्य कानूनों के तहत आते हैं।

उक्त न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा परन्तु यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा। न्यायाधिकरण के पास अपनी कार्यविधि विनियमित करने की शक्ति होगी। साथ ही कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियां भी इस न्यायाधिकरण के पास होंगी। ये उपबंध मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए हैं। यह उपबंधित किया गया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रतिनिधि, निकाय अथवा संगठन द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन किया जाए। यह न्यायाधिकरण क्षति के दावों पर तभी कार्रवाई करेगा जब उनको क्षति होने की तारीख से 5 वर्षों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। यह महसूस किया गया कि अधिक लम्बी अवधि से अकारण मुकदमेबाजी होगी। कारण-कार्य संबंध को भी जान पाना कठिन होगा। पर्यावरण को होने वाली क्षति के संबंध में मुआवजे की धनराशि को पर्यावरण राहत कोष के तहत जमा किया जाएगा और उसका उपयोग किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जहां इस अधिनियम के तहत अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां अपराध किए जाने के समय कंपनी का कारोबार चलाने के लिए कंपनी का प्रत्येक प्रभारी और उसके लिए उत्तरदायी हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ कंपनी को अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और तदनुसार उसे दंडित किया जाएगा।

[हिन्दी]

महानगरों में प्रदूषण

*235. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री के.टी. वान्डायार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण स्तर की दृष्टि से भारत और विश्व के प्रमुख नगरों की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) देश के प्रमुख महानगरों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार "विश्व प्रदूषण तथा स्वास्थ्य" नामक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, कलकत्ता और बंबई में निलंबित धूल कणों के स्तर विश्व के 41 शहरों के समक्ष क्रमशः चौथा, छठे और तेरहवें स्थान पर है। सल्फर डाईआक्साइड के संबंध में 54 शहरों के बीच इन शहरों का स्थान क्रमशः 27वां, 18वां और 37वां है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के आधार पर प्रमुख महानगरीय शहरों में 1993-94 के दौरान निलंबित धूल कणों, सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजनों के आक्साइडों के संबंध में वायु प्रदूषण के स्तर नीचे दिए गए हैं :—

क्र. सं.	शहर	वायु प्रदूषण के स्तर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में वार्षिक औसत संकेन्द्रण)		
		निलंबित धूलकण	सल्फर डाई आक्साइड	नाइट्रोजन के आक्साइड
1.	दिल्ली	322-622	13.7-30.7	25.7-51.7
2.	मद्रास	71-141	69-233	9.1-27.1
3.	कलकत्ता	235-640	16.3-65.1	18.1-62.0
4.	बम्बई	92-475	6.0-49.5	6.0-33.1

(ग) प्रमुख शहरों में प्रदूषण के मुख्य कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, मानवीय गतिविधियों तथा प्राकृतिक धूलयुक्त दशाएं हैं। महानगरीय शहरों में कुल वायु प्रदूषण का लगभग 60 प्रतिशत अंश यानीय प्रदूषण का होता है।

(घ) देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. प्रदूषक उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।
2. उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के निदेश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3. उद्योगों के स्थल निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश बनाए गए हैं।
4. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के साथ-साथ घने बसे क्षेत्रों से उद्योगों को अंतरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।
5. प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरी उपस्करों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।
6. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम क्रियान्वयनाधीन है।
7. प्रदूषण के प्रभावों पर जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
8. परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
9. पैट्रोल में से सीसा तत्व को समाप्त करने का एक कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन हैं। आरंभ में चार महानगरीय शहरों में उत्प्रेरक प्रवर्तक लगे वाहनों सहित सीसा रहित पैट्रोल सप्लाई शुरू की गई है।
10. मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत उत्सर्जनों के लिए अधिक सख्त मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल 1996 से लागू होंगे।
11. भू-तल परिवहन मंत्रालय को कहा गया है कि वह दिल्ली परिवहन निगम को अनुदेश दे कि एक जनवरी 1996 से उनके प्रदूषक बसें तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण से लीज के तहत चलने वाली बसें धुंआं न फेंकें।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट

***236. डा. वसंत पवार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाटों के विकास हेतु लागू की जा रही केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). पश्चिमी घाटों में वानिकी विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वानिकी विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता			
		केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं		कुल (लाख रुपयों में)
1.	गोवा	77.895	—		77.895
2.	कर्नाटक	1824.108	8420	(ओडीए)	10244.108
3.	केरल	310.970	—		310.970
4.	तमिलनाडु	614.155	—		614.155
5.	महाराष्ट्र	219.280	43151	(विश्व बैंक)	43370.280
	कुल योग	3046.408	51571		54617.408

ओ डी ए = ओवरसीज डेवलपमैंन्ट एडमिनिस्ट्रेशन (यू.के.)

तकनीकी शिक्षा हेतु आयोग

***237. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल तकनीकी शिक्षा हेतु एक पृथक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। समूचे देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति के उपयुक्त नियोजन तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.परि.) जो एक सांविधिक निकाय है, ने 1993 से कार्य करना आरंभ कर दिया है और इस देश में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

मुक्ताकाश (ओपन एयर) नाट्यशाला

*238. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुक्ताकाश (ओपन एयर) नाट्यशालाओं के निर्माण हेतु कुछ संगठनों से वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु क्या प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत और जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) मुक्ताकाश थियेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या	आवेदक संगठन	राज्य जहां वे स्थिति हैं	स्थिति
1993	शून्य	—	—	—
1994	एक	दर्पण अकादेमी, अहमदाबाद	गुजरात	1995 में 8,87,000 रुपये का अनुदान संस्वीकृत
1995 (30.11.95 तक)	तीन	(1) भारत यात्रा ट्रस्ट, गुड़गांव	हरियाणा	3,90,000 रुपये का अनुदान संस्वीकृत
		(2) मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	विचाराधीन
		(3) अक्षरा थियेटर, नई दिल्ली	दिल्ली	निश्चित दस्तावेजों की प्रस्तुति के अध्यधीन लाख रु. का अनुदान संस्वीकृत

(ग) स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान देने की एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत निम्नांकित तरीके से अनुदान दिए जाते हैं :—

(1) एक भवन के निर्माण के लिए अनुदान दिए जाते हैं। विद्यमान भवनों में वृद्धि अथवा जीर्णोद्धार के अनुरोध को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(2) समाचारपत्र विज्ञापन के माध्यम से राज्य और राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पत्र भेजकर अखिल भारतीय आधार पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

(3) स्कीम में मुख्यतः नृत्य, नाटक, संगीत, ललित कलाओं, भारत-विद्या और सहित्य के क्षेत्रों में कार्यरत सभी संगठनों को शामिल किया गया है। तथापि, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं अथवा संस्थाओं द्वारा संचालित संगठनों को स्कीम के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। धार्मिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, स्कूल व विश्वविद्यालय भी स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।

(4) स्कीम के अंतर्गत पात्र होने के लिए, संगठन को कम से कम 5 वर्षों से कला व संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का xxI) अथवा सदृश अधिनियमों के अंतर्गत कम से कम 2 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

(5) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा अनुशंसित केवल क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय स्वरूप के संगठन अनुदान के लिए अर्हताप्राप्त हैं।

(6) स्कीम के अंतर्गत अनुमन्य अधिकतम सहायता, परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। आवेदक-संगठन को परियोजना लागत के 50 प्र.श. का समतुल्य अंश उगाहना पड़ता है।

(7) अनुदान अनावर्ती स्वरूप का है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुक्ताकाश थियेटरों के निर्माण के लिए संस्वीकृत तथा जारी वित्तीय सहायता की राशि नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1993	शून्य	शून्य
1994	शून्य	शून्य
1995 (30.11.1995 तक)	12,77,000/- रुपए	5,33,750/- रुपए

मोनोक्रोटोफॉस की दैनिक स्वीकार्य मात्रा

*239. **श्री एस.एम. सालवान खाड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोनोक्रोटोफॉस नामक कीटनाशक की दैनिक स्वीकार्य मात्रा के बारे में कोई अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन से "मोनोक्रोटोफॉस" नामक कीटनाशक की दैनिक स्वीकार्य मात्रा के संबंध में राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो खाद्य और कृषि संगठन ने इस संबंध में क्या आंकड़े दिए हैं;

(ङ) क्या अन्य कीटनाशकों की तुलना में मोनोक्रोटोफॉस की दैनिक स्वीकार्य मात्रा बहुत कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ). कृमिनाशी दवाओं की "स्वीकार्य दैनिक ग्राह्यता" (ए.डी.आई.) की मात्रा की सिफारिश विषाक्तता सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की कृमिनाशी दवाओं के अवशेषों के सम्बन्ध में होने वाली संयुक्त बैठक द्वारा की जाती है। मोनोक्रोटोफॉस की ए.डी.आई. मात्र 0.0006 मि.ग्रा./शरीर के वजन के प्रति कि.ग्रा. है।

(ङ) और (च). मोनोक्रोटोफॉस की ए.डी.आई. देश में पंजीकृत अन्य बहुत सी कृमिनाशी दवाओं की ए.डी.आई. से कम है, लेकिन यह आक्सिडेमिटानमियाइल फोरेट फॉस्फामिडान तथा ट्रायजोफॉस के ए.डी.आई. स्तर से अधिक है।

उर्वरकों पर राजसहायता

*240. **श्री के. मुरलीधरन :**
कुमारी क्रिडा तोपनो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए देश के लघु और सीमान्त किसानों की सहायता करने के लिए राजसहायता में बढ़ोत्तरी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्पादक एककों के बजाए सीधे किसानों को राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ङ). देश भर में यूरिया समान मूल्य पर बेचा जाता है। फास्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों के मामले में 25 अगस्त, 1992 से मूल्य, वितरण और ढुलाई पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। उन उर्वरकों पर नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप इनके मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिये भारत सरकार ने पहली अक्तूबर, 1992 से इन विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देने की एक योजना आरम्भ की, जो बाद के वर्षों में जारी रही है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों के लिये लाभदायक है। रियायत की मात्रा बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और किसानों को सीधे रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*123.** **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री शरत पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निरक्षरता की समस्या पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का हाल ही में कोई सम्मेलन बुलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। तथापि 16.11.95 को छः राज्यों की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें इन राज्यों में साक्षरता अभियान आरम्भ करने से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया।

(ख) दिनांक 16.11.95 को साक्षरता विषय पर छः राज्यों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया :—

(i) जिन जिलों की सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया, उन्हें सम्पूर्ण साक्षरता

** 5.12.1995 से स्थगित

अभियानों की कवरेज में शामिल करने के लिए राज्य सरकारें एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगी।

(ii) साक्षरता अभियानों में कार्यरत स्वयंसेवियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जायेंगे।

(iii) पंचायती राज संस्थाओं तथा साक्षरता अभियानों के बीच सशक्त संबंध स्थापित किये जाएं। पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा साक्षरता अभियान में अधिकाधिक भाग लिया जाए।

(iv) साक्षरता कार्यक्रम तथा पल्स पोलियो टीकाकरण तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जवाहर रोजगार योजना, डी डब्ल्यू सी आर ए आदि जैसे अन्य विकास कार्यक्रमों के बीच ठोस सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे।

(v) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों को साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन करना। राज्य प्राधिकरणों को अगले वित्तीय वर्ष से निधियां जारी की जाएंगी।

(vi) राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों को मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे साक्षरता कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा निरीक्षण के लिए नोडल एजेन्सियों के रूप में कार्य कर सकें।

लोक अदालतें

*241. **श्री चेतन पी.एच. चौहान :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने के पश्चात् लोक अदालतों द्वारा कितने मामले स्वीकार किए गए और इनमें से कितने मामलों को निपटाया गया;

(ख) क्या मामलों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को 9 नवंबर, 1995 से प्रवर्तित करने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन कोई लोक अदालत इस कारण से आयोजित नहीं की गई है कि राज्य और जिला प्राधिकरणों, तालुक मंडल, विधिक सेवा समितियां तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों का अभी गठन किया जाना है और उन्हें क्रियाशील बनाया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

*242. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा का गठन कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). सरकार, 1989 की रिट अर्जी सं. 1022 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 24 अगस्त, 1993 के आदेश से उत्पन्न प्रश्न की बाबत, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के परामर्श से कर रही है। यह बताना संभव नहीं है कि सेवा का गठन कब तक कर दिया जाएगा।

"न्यूक्लियर" कृषि

*243. **श्री केसरी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में "न्यूक्लियर" कृषि पर कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कृषि उत्पादों और फलों पर यह अनुसंधान किया जाता है; और

(घ) इस अनुसंधान के क्या परिणाम रहे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में नाभिकीय कृषि में किए जा रहे अनुसंधान का लक्ष्य फसली पौधों, विशेषकर दालों और तिलहनों में विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तियों को उपज बढ़ाने और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाने, विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए उर्वरक के उपयोग की क्षमता को बेहतर बनाने, जैव कीट-नाशक विकसित करने और पारिस्थितिक दृष्टि से अनुकूल पेस्ट नियंत्रण विधियों का मूल्यांकन करने, तथा अनाजों, आलू, प्याज, मसालों आदि जैसे उत्पादों के किरणन के द्वारा फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करने के लिए उपयोग में लाना है।

(ग) और (घ). जिन फसलों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं; उनमें मूंगफली, उड़द, अरहर, सरसों, चावल और पटसन शामिल हैं। इसके

परिणामस्वरूप विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तियों से तैयार किए गए अधिक उपज देने वाले फसली पौधों की उन्नीस किस्में वाणिज्यिक खेती के लिए जारी की गई। इनमें मूंगफली की आठ किस्में, उड़द की तीन किस्में, मूंग की दो किस्में, अरहर की दो किस्में, सरसों की दो किस्में और चावल तथा पटसन की एक-एक किस्म शामिल हैं। महाराष्ट्र में उड़द की खेती वाली लगभग 90 प्रतिशत जमीन पर उड़द-टी ए यू-1 किस्म की बुआई की जाती है। पीली सरसों की किस्म टी एम-4 को अब लद्दाख जैसे दूर-दराज के इलाकों में भी उगाने के लिए अपनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन

*244. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और अप्रैल-जुलाई, 1995-96 के दौरान समूचे उद्योग क्षेत्र में उत्पादन, विद्युत और खनन क्षेत्र में और आधारभूत, पूंजीगत और मध्यवर्ती तथा टिकाऊ और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी उप-क्षेत्रों में अनुमानतः कितनी परस्पर/अंतः वार्षिक वृद्धि हुई; और

(ख) वर्ष 1995-96 में इसी अवधि में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : (क) औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि दर का सूचकांक (प्रतिशत)

क्षेत्र	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-जुलाई	
	1994-95	1994-95	1995-96
विनिर्माणकारी	8.9	10.4	10.8
खान और उत्खनन	6.2	1.9	14.8
विद्युत	8.5	7.1	12.5
समग्र	8.5	8.9	11.5

उपयोग-आधारित वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्षेत्र	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	
	1994-95	1994-95	1995-96
I. बुनियादी वस्तुएं	3.6	4.8	12.9
II. पूंजीगत वस्तुएं	25.0	27.6	12.0
III. मध्यवर्ती वस्तुएं	3.9	5.1	4.6
IV. उपभोक्ता वस्तुएं	8.5	6.2	14.4
(1) टिकाऊ	9.8	12.6	24.4
(2) गैर-टिकाऊ	8.2	4.7	11.9

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष पर्यन्त औद्योगिक वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक रहने की आशा है।

रक्त बैंक

*245. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय सरकारी क्षेत्र में कितने रक्त बैंक हैं;

(ख) सरकार द्वारा रक्त बैंकों को लाइसेंस देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या देश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल के लिए यह अनिवार्य है कि उसका अपना एक बैंक हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियम विधिक ढांचा प्रदान करते हैं और उनमें रक्त बैंकों को लाइसेंस देने में मानदंड निर्धारित हैं।

(ग) से (ङ). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 30 के अनुसार मेडिकल कालेज से संबद्ध प्रत्येक अध्यापन अस्पताल में एक रक्त बैंक होगा। अस्पताल/नर्सिंग होम अपनी जरूरत तथा अपने क्षेत्र में उपलब्ध रक्त बैंकों को सुविधाओं के अनुसार रक्त बैंक की स्थापना कर सकते हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रक्त बैंकों की संख्या

राज्य का नाम		सरकारी रक्त बैंकों की संख्या
1		2
1.	आन्ध्र प्रदेश	57
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	3
5.	बिहार	51
6.	दिल्ली	14
7.	दादरा व नगर हवेली	—
8.	दमण और दीव	—
9.	गुजरात	48
10.	गोवा	3
11.	हरियाणा	15
12.	हिमाचल प्रदेश	7

1		2
13.	जम्मू व कश्मीर	7
14.	कर्नाटक	42
15.	केरल	29
16.	लक्षद्वीप	—
17.	महाराष्ट्र	64
18.	मणिपुर	3
19.	मध्य प्रदेश	49
20.	मेघालय	1
21.	मिजोरम	3
22.	नागालैंड	3
23.	उड़ीसा	17
24.	पंजाब	21
25.	पांडिचेरी	2
26.	राजस्थान	18
27.	सिक्किम	2
28.	तमिलनाडु	89
29.	उत्तर प्रदेश	68
30.	त्रिपुरा	5
31.	पश्चिम बंगाल	73
32.	चण्डीगढ़ प्रशासन	2
	कुल	698

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता

*246. **श्री ललित उरांव :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व योजना" के अंतर्गत 1994 और 1995 (31 अक्तूबर, 1995 तक) के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के वितरण का वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है, इसमें से सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई और जनसंख्या परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक से प्राप्त टीकों और दवाइयों के उचित उपयोग की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु निजी उद्यमियों को आमंत्रित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). सरकार द्वारा वास्तविक खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के आधार पर विश्व बैंक से सहायता मिलती है। "शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम" के अंतर्गत 1994-95 और 1995-96 (31 अक्तूबर, 1995 तक) के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि संलग्न विवरण-I पर दी गई है। इसमें विश्व बैंक से प्राप्त सहायता भी है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विभिन्न जनसंख्या परियोजनाओं को जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) सरकार को विश्व बैंक से वस्तुगत सहायता नहीं मिलती है इसलिए विश्व बैंक से प्राप्त टीकों और दवाइयों के उचित उपयोग की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु निजी उद्यमियों को आमंत्रित करने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

विवरण-I

शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1994-95 और 95-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता :—

(लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा राज्यों को वस्तुगत सहायता	नगद सहायता	कुल	नगद सहायता ## (अक्तूबर 95 तक)
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	1355.80	165.97	1521.77	105.00
2. अरुणाचल प्रदेश	27.73	28	55.73	21.20

	1	2	3	4	5
3.	असम	1019.31	86.81	1106.12	65.58
4.	बिहार	2236.81	257.52	2494.33	158.68
5.	गोवा	17.17	7.81	24.98	6.15
6.	गुजरात	902.69	119.77	1022.46	74.97
7.	हरियाणा	422.66	66.81	489.47	50.47
8.	हिमाचल प्रदेश	188.47	46.68	235.15	29.88
9.	जम्मू और कश्मीर	214.76	60	274.76	37.32
10.	कर्नाटक	1007.84	126	1133.84	79.03
11.	केरल	644.96	78.37	723.33	48.87
12.	मध्य प्रदेश	2319.26	199.11	2518.57	148.75
13.	महाराष्ट्र	1440.81	197.65	1638.46	123.40
14.	मणिपुर	57.19	28.92	86.11	18.40
15.	मेघालय	36.38	20.53	56.91	13.15
16.	मिजोरम	16.69	12	28.69	9.10
17.	नागालैण्ड	19.16	25.08	44.24	16.45
18.	उड़ीसा	1215.17	115.2	1330.37	71.47
19.	पंजाब	428.38	63	491.38	47.67
20.	राजस्थान	1912.02	164.05	2076.07	102.27
21.	सिक्किम	10.56	13.2	23.76	8.40
22.	तमिलनाडु	1132.30	142.45	1274.75	90.43
23.	त्रिपुरा	60.80	16.32	77.12	10.35
24.	उत्तर प्रदेश	4131.34	426.73	4558.07	263.40
25.	पश्चिम बंगाल	1108.91	144.11	1253.02	107.65
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6.07	0	6.07	अनुपलब्ध
27.	चंडीगढ़	11.93	0	11.93	अनुपलब्ध
28.	दादरा व नगर हवेली	9.81	0	9.81	अनुपलब्ध
29.	दमण व दीव	1.28	0	1.28	अनुपलब्ध
30.	दिल्ली	257.72	27	284.72	18.21
31.	लक्षद्वीप	1.02	0	1.02	अनुपलब्ध
32.	पांडिचेरी	13.72	12.4	26.12	7.81
	कुल	22228.72	2651.49	24880.21	1734.06

आंकड़े अनन्तिम

चूंकि वस्तुगत सहायता का समायोजन वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है इसलिए वस्तुगत सहायता शामिल नहीं है।

विवरण–II

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता, भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि और जनसंख्या परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	चालू रहने की अवधि	परियोजना लागत	दिया गया अनुदान	किया गया खर्च	प्राप्त प्रतिपूर्ति
1	2	3	4	5	6
आई.पी.पी.–V					
तमिलनाडु	9/88 से 31/12/95	69.10	61.65	59.24	44.40
महाराष्ट्र	–तदैव–	48.30	45.98	60.51	40.85
	उप योग	117.40	107.63	119.75	85.25
आई.पी.पी.–VI					
उत्तर प्रदेश	6.4.90 से 30.9.96	110.54	90.01	58.16	45.10
आंध्र प्रदेश	–तदैव–	49.55	44.26	35.04	30.79
मध्य प्रदेश	–तदैव–	42.57	34.82	20.07	10.94
	उप योग	202.66	169.09	113.27	86.83
आई.पी.पी.–VII					
पंजाब	2.11.90 से 1.11.95 (बढ़ाई जा रही है)	48.66	42.12	26.54	19.47
हरियाणा	–तदैव–	42.42	38.01	30.57	24.39
बिहार	–तदैव–	88.18	59.43	21.36	16.60
जम्मू व कश्मीर	–तदैव–	51.54	45.95	18.12	13.09
गुजरात	–तदैव–	43.90	39.21	25.73	20.46
	उप योग	274.70	224.72	122.32	94.01
आई.पी.पी.–VIII					
कर्नाटक (बंगलौर)	6.8.93 से 5.8.98	29.05	16.50	0.83	0.53
पश्चिम बंगाल	–तदैव–	75.28	30.15	2.35	0.86
दिल्ली	–तदैव–	35.00	13.17	1.10	0.75
आंध्र प्रदेश (हैदराबाद)	–तदैव–	26.03	15.33	0.73	0.44
	उप योग	165.36	75.15	5.01	2.58
आई.पी.पी.–IX					
राजस्थान	16.6.94 से 15.6.2001	108.57	28.00	0.51	—
असम	–तदैव–	101.22	8.00	0.34	0.09
कर्नाटक	–तदैव–	114.75	31.39	0.45	0.18
	उप योग	324.54	67.29	1.30	0.27
	महा योग	1084.66	643.88	361.65	268.94

सिगनल प्रणाली

*247. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा सिगनल प्रणाली और दूर संचार पर कुल परिव्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है;

(ख) क्या रेल परिचालन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर पर्याप्त निवेश किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो परिव्यय में वृद्धि करने और इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए अभी तक क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) रेलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सिगनल एवं दूर संचार पर खर्च किए जा रहे कुल परिव्यय का प्रतिशत इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रतिशत
1992–93	5.85
1993–94	7.0
1994–95	7.51

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री डिब्बे

*248. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत रेल मार्गों पर पुराने रेल यात्री डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक जोन में यात्री एवं माल गाड़ियों में उपयोग किये जा रहे पुराने डिब्बों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें बदलने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अपनी जीवट आयु प्राप्त कर चुके सवारी डिब्बों की जांच की जाती है और उन्हें आयु-एवं-हालत के आधार पर बदला जाता है।

शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

*249. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम तैयार करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने हेतु योजना आयोग द्वारा प्रो. डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है; और

(च) इस कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गयी है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). जी, हां। स्कीम का मसौदा राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित किया गया था और उनसे प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार किया गया था। कार्यक्रम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). प्रो. डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विषेषज्ञ दल ने गरीबों की संख्या और अनुपात आंकलन बाबत एक रिपोर्ट पेश की है।

(ङ) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहरी स्थानीय निकायों को कार्यक्रम के आयोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन में सक्रियता से सहयोजित किया जाएगा।

(च) चालू वित्त वर्ष 1995-96 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपए की राशि नियत की गयी है। धन का राज्य-वार नियतन और आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कार्यक्रम की विस्तृत/व्यापक रूप-रेखा

— यह कार्यक्रम, 1991 की जनगणना के अनुसार, 50,000 से 1.00 लाख की आबादी वाली सभी 345 श्रेणी-II शहरी बस्तियों पर लागू है, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये हैं।

— स्कीम के मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेक्टर लक्ष्यों, समुदाय को अधिकार देने, रोजगार सृजन तथा आश्रय सुधार, अनवरत सहायता प्रणाली के जरिये सहयोजन और पर्यावरणीय सुधार को कारगर ढंग से हासिल करना है। शहरी गरीबी को लक्ष्य में

रखकर सभी सेक्टरगत कार्यक्रमों के सहयोजन की कार्यनीति अपनायी जाएगी।

— संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के आलोक में, कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना है।

— इसमें समुदाय, शहरी स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठनों व प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी की मार्फत संसाधन जुटाने का भी विचार है। इसमें राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें 100 प्रतिशत आयकर छूट के साथ प्राइवेट सेक्टर का अंशदान होगा।

— इसमें हुनर विकास के जरिये रोजगार दिया जाएगा। अधिकतम यूनिट लागत 1.00 लाख रुपये रखी गयी है, जिसमें कुल लागत के 15 प्रतिशत के बराबर इमदाद (सब्सिडी) होगी, जो प्रति लाभग्राही अधिकतम 7,500 रुपये होगी। लाभग्राही को सीमान्त धन के रूप में 5 प्रतिशत अंशदान करना होगा। अदायगी अनुसूची, बैंक द्वारा यथा निर्धारित 6 से 8 महीने की आरम्भिक मियाद माफी के बाद, 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच होगी।

— शहरी स्लम पर्यावरण सुधार स्कीम के तहत बुनियादी भौतिक सुविधाएं दो श्रेणियों के तहत दी जाएंगी, अर्थात् (I) शहरी स्लमों का यथा-स्थल पर्यावरण सुधार, जिसके लिए पूरी 100 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा "न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम" के तहत दी जाएगी, तथा (II) जहां कहीं ऐसा पर्यावरण सुधार किसी स्थानीय पुनर्वास स्थल पर या मंजूर इलाके (यथा-स्थल अस्थायी कब्जे वाली जगह से भिन्न) में किया जाएगा, वहां विकास खर्च 60:40 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य/संघ राज्यों में बांटा जाएगा।

— इस कार्यक्रम के तहत जल आपूर्ति, आम सफाई, कूड़ा व कचरा निपटान तथा बुनियादी भौतिक सुविधाएं "समग्र कस्बा" आधार पर दी जाएंगी, जिनका खर्च 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य सरकारों को देना होगा।

— आवास निर्माण और आश्रय सुधार की मौजूदा स्कीम 25 प्रतिशत की सब्सिडी (जो प्रति यूनिट 2500/- रुपए तक सीमित होगी) के साथ चलायी जाएगी। साथ ही हडको या किसी अन्य वित्तीय संस्था से 10,000 रुपए तक का कर्ज दिलाये जाने का भी प्रावधान है।

— करीब 300 वर्गफुट के बहुउद्देश्यीय समुदाय केन्द्र खोले जाएंगे और प्रत्येक केन्द्र न्यूनतम 100 परिवारों के पड़ोस/समूहों के लिए सामुदायिक स्कूलपूर्व/व्यावहारिक साक्षरता/अनौपचारिक शिक्षा, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल व सांस्कृतिक केन्द्र आदि के रूप में कार्य करेगा। इस केन्द्र की निर्माण लागत 50:50 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

— सामुदायिक कार्यकलापों के लिए पहले साल 100 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से और परवर्ती वर्षों में 75 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से खर्च राशि दी जाएगी।

— इस कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास के उद्देश्य से उन्हें पूर्ण सहयोग देने का प्रावधान है।

— शहरी गरीबी उपशमन के मौजूदा कार्यक्रम के तहत इन कस्बों के गरीबों हेतु नेहरू रोजगार योजना तथा बुनियादी सेवा स्कीम के तहत सुलभ संसाधन, दोहरे प्रावधान से बचने के लिए, अन्य कस्बों को अन्तरित किये जायेंगे।

— समूची पंचवर्षीय कार्यक्रम अवधि (1995-96 से 1999-2000) के लिए केन्द्रीय हिस्से में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, जिसमें करीब 50 लाख (5 मिलियन) गरीबों को लाभ होगा।

— चालू वित्त वर्ष 1995-96 में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान सुलभ है।

— राज्यों/संघ राज्यों के बीच धन का आबंटन, शहरी गरीबी के निपात के आधार पर तथा कस्बों की संख्या के संदर्भ में किया जाएगा।

विवरण-II

प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 1995-96 के लिए केन्द्रीय आबंटन

क्र.सं.	राज्य	आबंटन (लाख रुपए में)	
1.	हरियाणा	183.03	राशि जारी
2.	केरल	263.20	-वही-
3.	मध्य प्रदेश	772.87	-वही-
4.	पंजाब	306.30	-वही-
5.	पश्चिम बंगाल	679.43	-वही-
6.	आन्ध्र प्रदेश	980.58	-वही-
7.	महाराष्ट्र	948.60	-वही-
8.	राजस्थान	506.27	-वही-
9.	असम	120.00	-वही-
10.	नागालैण्ड	60.00	-वही-
11.	गोवा	90.00	-वही-
12.	उत्तर प्रदेश	1516.63	राशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
13.	बिहार	819.37	राशि जारी नहीं की गयी, क्योंकि यहां शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
14.	गुजरात	583.59	
15.	कर्नाटक	634.59	
16.	उड़ीसा	269.17	
17.	तमिलनाडु	1046.37	
18.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.00	
19.	पांडिचेरी	30.00	

मौसम संबंधी अनुमान

*250. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम संबंधी सही अनुमान लगाने के लिए भारतीय मौसम विभाग के पास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी आदि का प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विभाग को उच्च प्रौद्योगिकी सम्पन्न बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) अवलोकन, आंकड़ों के आदान-प्रदान एवं डाटा प्रसंस्करण की आधुनिक प्रणाली से भली-भांति सुसज्जित है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्राप्ति और उससे सुसज्जित होना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इसके लिए लगातार प्रणालीबद्ध एवं सचेत प्रयास निरंतर किये जाते हैं।

"अपना वैगन रखिए" योजना

*251. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने वैगनों की कमी के कारण "अपना वैगन रखिए योजना" "ओन योर वेगन स्कीम" के अंतर्गत 900 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है;

(ग) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की किन-किन कंपनियों ने इन प्रस्तावों की पेशकश की है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे देश में वैगनों की कमी किस हद तक दूर हो जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) रेल स्वामित्व वाले माल डिब्बों की आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जा रही मात्रा के अलावा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काफी संख्या में कंपनियों ने "अपने माल डिब्बे के मालिक बनें" योजना के अंतर्गत माल डिब्बों का प्रापण करने का विनिश्चय किया है। जिन माल डिब्बों के लिए अभी तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनका अनुमानित मूल्य 468/- करोड़ रुपये है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). कंपनियों के नाम हैं : भारतीय तेल निगम, एसोसिएटिड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, भारतीय कृषक एवं उर्वरक सहकारी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज लिमिटेड, कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, रेमण्ड सीमेन्ट वर्क्स, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कार्पो. लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड तथा एस्सार गुजरात लिमिटेड। इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत किया जा चुका है।

(ङ) ये माल डिब्बे, रेलों के चल स्टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत खरीदे जा रहे माल डिब्बों के संपूरक होंगे।

आटोमोबाइल में विदेशी सहयोग

*252. **श्री चार्ल्स फर्नान्डीज :**
श्री चिरंजीलाल शर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार उद्योग की कुल संख्या कितनी है, इनके नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या नए एककों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के निर्माण हेतु भारत में गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा विदेशों में कुल कितने सहयोग किए गए हैं और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) ऐसे प्रत्येक समझौते की क्या शर्तें हैं;

(च) इन समझौतों के कारण प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने की संभावना है; और

(छ) क्या सरकार को यह विश्वास है कि देश में वाहनों का निर्माण करने वाली इतनी अधिक आटोमोबाइल कम्पनियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : (क) विद्यमान कार विनिर्माण एकक तथा उनके स्थापना स्थल निम्न प्रकार हैं :

	स्थापना स्थल
(1) मारूति उद्योग लिमिटेड	गुड़गॉव (हरियाणा)
(2) प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि.	कुर्ला तथा नासिक (महाराष्ट्र)
(3) हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)
(4) सिपानी आटोमोबाइल्स	बंगलौर (कर्नाटक)
(5) टेल्को	पुणे (महाराष्ट्र)

(ख) और (ग). कार विनिर्माण को इस समय लाइसेंस मुक्त कर दिया है। फिर भी, सरकार ने हाल ही में कार विनिर्माताओं के लिए विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तातंरण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं :

भारतीय कंपनी	विदेशी कंपनी	विदेशी इक्विटी भागीदारी	माडल	स्थापना-स्थल
1	2	3	4	5
(1) हिन्दुस्तान मोटर्स	जनरल मोटर आफ यू एस ए	50%	ओपेल आस्ट्रा	हालोल (गुजरात)
(2) प्रीमियर आटो मोबाइल्स लि.	प्यूगोर आटोमोबाइल्स आफ फ्रांस	50%	प्यूगोट 309	नासिक (महाराष्ट्र)
(3) टेल्को	मरसेडिज बेंज आफ जर्मनी	51%	मरसेडिज	पूणे (महाराष्ट्र)
(4) डी सी एम लि.	देयवू मोटर क. आफ कोरिया	51%	सीलो	सूरजपुर (उत्तर प्रदेश)
(5) सीपोनी आटो-मोबाइल्स	रोवर ग्रुप आफ यू.के.	2.6%	मांटेगो	बंगलौर (कर्नाटक)
(6) महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	फोर्ड मोटर आफ यू.एस.ए.	50%	एस्कोर्टस तथा फीस्टा	नासिक (महाराष्ट्र) तथा दूसरा स्थापना स्थल अभी निश्चित किया जाना है।
(7) श्रीराम इंडस्ट्रीयल एन्टरप्राइजेज लि. (एस आई ई एल)	होंडा मोटर कं. आफ जापान	60%	होंडा कार	अभी निश्चित किया जाना है।
(8) हिंदुस्तान मोटर्स	मितसुबीशी कार्पोरेशन आफ जापान	10 %	लेंसर	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

(घ) तथा (ङ). नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात आटोमोबाइल क्षेत्र में स्वीकृत विदेशी सहयोग, उनकी शर्तें तथा अदायगी की शर्तें निम्न प्रकार है :-

पेसेंजर कार	अदायगी की शर्तें	
	एक मुश्त	रायल्टी
1	2	3
(1) सुजुकी मोटर कार्पोरेशन आफ जापान के साथ मारूति उद्योग (कारों के वाई ई-2 मॉडल के विनिर्माण के लिए)	यू.एस डालर 10,00,000	घरेलू बिक्री पर 3% तथा निर्यात पर 4%
(2) जनरल मोटर आफ यू एस ए के साथ हिंदुस्तान मोटर्स	डी एम 19.176 मिलियन	5%
(3) प्यूगॉट आटोमोबाइल्स आफ फ्रांस के साथ प्रीमियर आटो-मोबाइल्स लि.	एफ एफ 69 मिलियन	घरेलू बिक्री पर 2% तथा निर्यात पर 5%
(4) रोवर ग्रुप आफ यू.के. के साथ सिपानी आटोमोबाइल्स	यू.एस.ए. डालर 2,00,000	2%
(5) मरसेडिज बेंज आफ जर्मनी	डी एम 56.6 मिलियन	घरेलू बिक्री पर 2.75% और निर्यात पर 5%
(6) देयवू मोटर कंपनी आफ कोरिया के साथ डी सी एम फोर्ड मोटर कं. आफ यू.एस.ए.	यू एस डालर 11.8 मिलियन	3%
(7) फोर्ड मोटर कं. आफ यू.एस.ए. के साथ महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	-	5%
(8) होंडा मोटर कंपनी आफ जापान के साथ श्रीराम इंडस्ट्रीयल एंटरप्राइजेज लि. (एस आई ई एल)	यू एस डालर 30 मिलियन	4%

1	2	3
(9) मिलसुबिशी कार्पोरेशन आफ जापान के साथ हिंदुस्तान मोटर	जे वाई 586 मिलियन	5%
(10) फीएट आफ इटली के साथ प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि.	यू एस डालर 3.1 मिलियन	3.5%
(11) इटली की आई डी ई ए के साथ टेल्को (केवल स्वदेशी ढांचा प्रणाली के लिए)	यू एस डालर 17.22 मिलियन	–
वाणिज्यक वाहन		
(1) मैसर्स ओका के साथ हिंदुस्तान मोटर	1.75 करोड़ रुपये	5%
दुपहिया		
(1) ए बी एल आस्ट्रिया के साथ बजाज आटो लि. (दो स्ट्रोक पैट्रोल इंजिन में सुधार तथा संशोधन के लिए)	आस्ट्रेलियन शिलिंग ए एस 12 मिलियन	–
(2) मैसर्स पियाग्गोस आफ इटली के साथ एल एम एल लि. (स्कूटरों के नये मॉडलों के विनिर्माण के लिए)	लिब्रा 4800 लाख	प्रति वाहन 100 रुपये से 690 रुपये– माडलवार
(3) हीरो होंडा मोटर्स	यू एस डालर 10,00,000	2 वर्ष के लिए 4% तथा 5 वर्ष के लिए 5%

(च) सरकार द्वारा विदेशी सहयोग समझौतों पर अब कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में भरा जाना होता है। फिर भी, स्वीकृत अदायगी की शर्तों के अनुसार, उपर्युक्त सहयोगों में तकनीकी जानकारी की फीस के लिए 465 करोड़ रुपये की कुल विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का अनुमान है।

(छ) पिछली दो वर्षों के दौरान वाहनों की बिक्री 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। आटोमोबाइल क्षेत्र में कम्पनियों का प्रवेश बाजार में विद्यमान शक्तियों से नियंत्रित होगा।

शिशु आहार संबंधी फार्मूला

*253. **श्री राम नाईक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) द्वारा कराए गए उस अध्ययन की जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि शिशु आहार संबंधी 198 वाणिज्यिक ब्रांडों के नमूनों का विश्लेषण किए जाने पर 50 प्रतिशत नमूनों में सँखिया आर्सोनिक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा शिशु दुग्ध के विकल्प संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर.अंतुले) : (क) से (ख). खाद्य तथा खाद्य उत्पादों, जिनमें शिशु आहार भी शामिल हैं, में कीटनाशक अवशिष्टों, धातुओं और एफलाटाक्सिन संदूषणों की विद्यमानता के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1986-1993 के बीच किए गए बहु-केन्द्रिक नैदानिक कार्य दल अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

तथापि, इस रिपोर्ट के कुछ आकड़ों के विश्लेषण में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, इसलिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके पश्चात् यह रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड (जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का शीर्षस्थ वैज्ञानिक निकाय है) के समक्ष भी रखी जाएगी।

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे शिशु दुग्ध अनुकल्पों, दूध पिलाने वालो बोतलों तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों को लागू करें।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक एककों में निवेश सीमा

*254. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु औद्योगिक एककों में पूंजीगत निवेश राशि की सीमा को 1.5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस निवेश पर कारोबार तथा उद्योग चलाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु किसी नीति पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बड़े उद्योगों के लघु-औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : (क) लघु उद्योग इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सीमा बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). अति लघु अथवा छोटे उद्यमों के लिए प्रोत्साहनों व सुविधाओं के पैकेज देने से संबंधित एक और प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमेंट संयंत्र

***255. श्रीमति भावना चिखलिया :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितंबर, 1995 तक की स्थिति के अनुसार देश में सीमेंट के बड़े, मध्यम तथा लघु संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में अक्तूबर माह तक प्रत्येक संयंत्र द्वारा पृथक-पृथक कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया गया; और

(ग) इन संयंत्रों द्वारा संयंत्र-वार रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित किये गये?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : (क) देश में 117 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 300 अति लघु संयंत्र और बड़ी संख्या में अति लघु पिसाई (ग्राईंडिंग) संयंत्र हैं। बड़े सीमेंट संयंत्रों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बड़े संयंत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल-अक्तूबर, 1995 के दौरान उत्पादित सीमेंट की मात्रा संलग्न विवरण-II में दर्शायी गयी है। यद्यपि, अति लघु सीमेंट संयंत्रों के संयंत्रवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, फिर भी वर्तमान अनुमान के अनुसार चालू वर्ष के दौरान लघु सीमेंट संयंत्रों और अति लघु पिसाई संयंत्रों द्वारा 4.25 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किए जाने की संभावना है।

(ग) सीमेंट उद्योग में सृजित संयंत्रवार रोजगार के अवसरों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

राज्यवार बड़े सीमेंट संयंत्रों की संख्या

राज्य	सीमेंट संयंत्रों की संख्या
दिल्ली	1
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू और कश्मीर	1
राजस्थान	14
उत्तर प्रदेश	5
बिहार	7
उड़ीसा	3
पश्चिम बंगाल	2
असम	1
मेघालय	1
तमिलनाडु	8
आंध्र प्रदेश	19
कर्नाटक	9
केरल	1
महाराष्ट्र	7
गुजरात	12
मध्य प्रदेश	21
कुल	117

विवरण-II

वर्ष 1992-93 से 1995-96 (अप्रैल-अक्तूबर तक की अवधि के दौरान सीमेंट (बड़े संयंत्रों) का उत्पादन

(लाख टन में)

कम्पनी का नाम	सीमेंट उत्पादन			
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अप्रैल-अक्तूबर)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली				
1. दिल्ली ग्राईन्डिंग यूनिट	4.16	3.54	1.92	0.94
दिल्ली का योग	**4.16**	**3.54**	**1.92**	**0.94**

1	2	3	4	5
हरियाणा				
1. भूपेन्द्र	4.21	4.19	4.89	2.81
2. चर्खी दादरी	1.37	1.15	0.87	0.32
हरियाणा का योग	**5.58**	**5.34**	**5.76**	**3.13**
हिमाचल प्रदेश				
1. गागल-1	8.66	8.60	8.72	3.61
2. गागल-2	–	–	2.56	4.53
3. राजबन	1.64	1.68	1.75	0.93
हिमाचल प्रदेश का योग	**10.30**	**10.28**	**13.03**	**9.07**
जम्मू तथा कश्मीर				
1. जम्मू तथा कश्मीर लि.	0.63	0.58	0.78	0.48
जम्मू तथा कश्मीर का योग	**0.63**	**0.58**	**0.78**	**0.48**
राजस्थान				
1. लखेरी	3.26	3.42	3.56	2.01
2. बिरला सीमेंट	4.61	5.00	5.26	3.50
3. चित्तौड़ सीमेंट	6.20	8.21	8.61	5.32
4. मंगलम सीमेंट	3.92	3.86	3.68	2.46
5. नीरश्री सीमेंट	–	0.58	5.66	3.12
6. आदित्य सीमेंट	–	–	0.01	0.96
7. निम्बाहेर-जे के सीमेंट	15.90	16.29	17.59	9.52
8. जे के न्यू यूनिट				
9. लक्ष्मी सीमेंट यूनिट-1	5.52	5.57	5.62	3.30
10. लक्ष्मी सीमेंट यूनिट-2	–	–	–	0.25
11. जे के उदयपूर उद्योग लि.	4.46	3.03	7.57	4.23
12. श्री सीमेंट	7.98	8.76	9.27	4.91
13. जयपुर उद्योग लि.		उत्पादन में नहीं		
14. श्रीराम सीमेंट	2.29	2.52	2.66	1.37
राजस्थान का योग	**54.14**	**57.24**	**69.49**	**40.45**
उत्तर प्रदेश				
1. डायमंड सीमेंट-ग्राइन्डिंग	6.19	7.23	6.81	3.16
2. चर्क	0.86	0.81	0.16	–
3. डेल्ला	0.39	0.92	0.65	0.39
4. चनार ग्राइन्डिंग	5.27	8.13	5.98	2.82
5. के सी सी		खंगरीकरण एकक		
उत्तर प्रदेश का योग	**12.71**	**17.09**	**13.60**	**6.57**
उत्तरी क्षेत्र का योग	**87.52**	**94.07**	**104.58**	**60.94**

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार				
1. चाईबासा	4.93	5.30	5.67	3.36
2. सिंदरी	2.52	2.65	2.07	1.60
3. खलारी	0.62	0.70	0.23	0.00
4. कल्याणपुर सीमेंट	2.41	2.33	3.46	3.10
5. सोनवेली	–	–	–	–
6. रोहतास इंडस्ट्रीज		कारखाना बन्द		
7. टिस्को ग्राइन्डिग	–	–	3.09	3.79
बिहार का योग	**10.48**	**10.98**	**15.32**	**11.93**
उड़ीसा				
1. उड़ीसा सीमेंट	6.49	7.00	7.12	4.26
2. इडकोल सीमेंट	3.58	3.49	3.42	2.09
3. एल एण्ड टी (जी)	–	1.36	3.93	3.21
उड़ीसा का योग	**10.07**	**11.85**	**14.47**	**9.56**
पश्चिम बंगाल				
1. दुर्गापुर (जी)	3.55	3.79	4.61	2.85
2. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग (जी)	0.82	0.64	0.58	0.29
पश्चिम बंगाल का योग	**4.37**	**4.43**	**5.19**	**3.14**
असम				
1. बोकाजन	1.13	1.48	1.54	0.86
असम का योग	**1.13**	**1.48**	**1.54**	**0.86**
मेघालय				
1. मवमलचेरा	0.98	1.12	1.43	0.68
मेघालय का योग	**0.98**	**1.12**	**1.43**	**0.68**
पूर्वी क्षेत्र का योग	**27.03**	**29.86**	**37.95**	**26.17**
दक्षिणी क्षेत्र				
तमिलनाडु				
1. ए सी सी मधुकरई	6.24	7.17	7.87	4.94
2. इंडिया सीमेंट, शंकरनगर	10.10	10.28	10.60	5.63
3. इंडिया सीमेंट, शंकरीदुर्ग	5.49	5.25	6.04	3.42
4. टी एन सी सी आई अलंगगुलम	2.69	2.69	2.72	1.46
5. टी एन सी सी आई, अरयालूर	4.13	4.32	3.77	2.58
6. मद्रास सीमेंट, तलुकपट्टी	5.49	6.20	7.27	4.65
7. चेट्टीनाड सीमेंट	7.33	7.15	8.46	5.32
8. डालमिला सीमेंट	7.32	7.45	8.22	5.09
तमिलनाडु का योग	**48.79**	**50.51**	**54.95**	**33.09**

1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1. ए सी सी मन्चेरीयल	2.78	3.10	2.88	1.88
2. केशोराम सीमेंट	6.86	7.31	7.63	4.51
3. ओरियन्टल सीमेंट (यूनिट 1 और 2)	8.03	9.42	9.57	5.28
4. जौरी सीमेंट	5.08	4.85	5.37	3.03
5. सी सी आई, आदिलाबाद	3.74	2.92	2.01	0.97
6. सी सी आई, रारागुन्टला	3.07	2.96	2.50	1.23
7. सी सी आई, टांडूर	6.69	6.43	4.79	2.28
8. विजयवाडा (जी)	0.32		उपलब्ध नहीं	
9. विजाग (जी)	1.08	0.14	0.12	0.68
10. नादिकुडे (दुर्गा) सीमेंट	0.68	शून्य	0.65	1.97
11. इंडिया सीमेंट, चिलमकूट	6.46	7.39	7.07	5.22
12. मद्रास सीमेंट, जयन्तीपुरम	7.11	8.24	7.85	5.79
13. किस्तना	0.72	0.10	–	–
14. के. सी. पी. लि.	3.30	3.75	4.33	2.56
15. पनियाम सीमेंट	4.00	4.03	4.83	2.57
16. राशि सीमेंट, फेज–1				
17. राशि सीमेंट, फेज–2	11.64	12.94	14.61	9.63
18. प्रियदर्शनी सीमेंट	7.14	6.56	7.03	4.14
19. श्री विष्णु सीमेंट	6.47	6.06	6.67	3.33
आन्ध्र प्रदेश का योग	**85.17**	**86.21**	**87.91**	**55.07**
कर्नाटक				
1. ए सी सी, वादी, फेज–1				
2. रा सी सी, वादी, फेज–2	17.38	16.90	19.80	10.74
3. वासवादत्रा सीमेंट	5.93	6.35	6.97	3.71
4. राजश्री सीमेंट	14.34	16.12	16.80	11.19
5. मैसुर सीमेंट	5.12	4.56	5.32	3.13
6. सी सी आई, कुरकुंता	1.70	1.49	1.54	0.71
7. राच राम पी, शाहाबाद	4.01	4.01	3.63	2.01
8. कनोरिया इंड. लि.	3.02	3.27	3.10	1.46
9. विश्वेश्वरैया सीमेंट		उत्पादन में नहीं		
कर्नाटक का योग	**51.50**	**52.70**	**57.16**	**32.95**
केरल				
1. मालबार सीमेंट	3.59	3.84	3.84	2.17
केरल का योग	**3.59**	**3.84**	**3.84**	**2.17**
दक्षिणी क्षेत्र का योग	**189.05**	**193.26**	**203.86**	**123.28**

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
महाराष्ट्र				
1. एसीसी, चंदा	5.78	5.75	6.14	3.36
2. मनिकगढ़ यूनिट-1	9.85	11.15	10.34	5.41
3. मनिकगढ़ यूनिट-2	–	–	0.02	0.71
4. रत्नागिरी (जी)	2.78	2.27	2.46	1.37
5. शिवरी (जी)		कारखाना बन्द		
6. एलएनटी, अवारपुर, फेज-1	•			
7. एलएनटी, अवारपुर, फेज-2	20.42	22.17	23.82	13.87
महाराष्ट्र का योग	**38.84**	**41.34**	**42.78**	**24.72**
गुजरात				
1. जाफराबाद		खंगरीकरण एकक		
2. मगडल्ला (जी)	4.33	4.04	4.28	2.51
3. श्री दिग्विजय, सिक्का	0.85	0.80	0.81	0.49
4. श्री दिग्विजय, सिक्का नये यूनिट	7.49	7.57	6.99	4.87
5. अहमदाबाद (जी)	0.27	0.37	0.38	0.22
6. एचएमपी, पोरबंदर	1.75	1.65	1.38	1.02
7. सौराष्ट्र सीमेंट	7.95	7.02	7.98	5.24
8. अम्बुजा सीमेंट	10.29	7.82	7.84	4.30
9. गजम्बुजा सीमेंट	0.00	7.75	11.20	6.40
10. गुजरात सिद्धी सीमेंट	6.89	6.73	7.37	4.53
11. द्वारका		उत्पादन में नहीं		
12. सेवालिया सीमेंट		उत्पादन में नहीं		
गुजरात का योग	**39.82**	**43.75**	**48.23**	**29.58**
मध्य प्रदेश				
1. ए.सी.सी., जामूल	11.09	11.97	11.71	6.59
2. ए.सी.सी., कीमोर	7.08	8.16	7.98	5.64
3. ए.सी.सी, कीमोर, मेहगॉव		खंगरीकरण एकक		
4. बिरला विकास	6.55	7.92	709	4.41
5. सतना सिमेंट	6.07	7.96	7.92	4.63
6. सेंचुरी सिमेंट	8.08	9.18	10.14	5.43
7. मैहर सिमेंट	8.26	9.02	9.23	5.29
8. विक्रम सिमेंट, यूनिट-1				
9. विक्रम सिमेंट, यूनिट-2	12.16	14.73	15.83	8.67
10. विक्रम सुपर सिमेंट	7.02	8.47	9.62	5.12
11. ग्रासिम सिमेंट-रायपुर	शून्य	शून्य	0.06	2.28

1	2	3	4	5
12. डायमंड सिमेंट, यूनिट-1	5.29	5.88	3.15	1.29
13. डायमंड सिमेंट, यूनिट-2	शून्य	0.04	3.51	2.76
14. सी.सी.आई., अकलतारा	2.47	2.01	1.36	0.10
15. सी.सी.आई., मंढार	2.40	1.11	0.49	0.35
16. सी.सी.आई., नीमुच	1.30	3.32	3.11	1.79
17. रेमझड सिमेंट	15.08	12.93	16.17	9.63
18. एल. और टी., हिरमी	शून्य	शून्य	1.36	4.29
19. जैपी रेवा सिमेंट	20.07	23.04	24.56	13.66
20. मादी सिमेंट	12.04	12.04	10.31	6.66
21. टिस्को सिमेंट, रायपुर	शून्य	0.89	2.55	1.70
मध्य प्रदेश का योग	**124.96**	**138.67**	**146.15**	**90.09**
पश्चिमी क्षेत्र का योग	**2.3.62**	**223.73**	**237.16**	**144.39**
कुल योग	**507.22**	**540.95**	**583.55**	**354.78**

[अनुवाद]

एस.टी.डी. क्लिनिक

***256. श्री रवि राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत में यौन संबंधों के कारण होने वाले संक्रामक रोगों के संबंध में "यूनिसेफ" द्वारा किए गए एक अध्ययन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में एस.टी.डी. क्लिनिकों की कमी को देखते हुए इस रोग को फैलने से रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) यूनिसेफ ने विगत पांच वर्षों की अवधि में यौन संबंधों के कारण होने वाले रोगों की व्यापतता पर किसी अध्ययन का न तो समर्थन किया है और न ही उसका उससे संबंध रहा है।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन विशेषता प्राप्त 562 यौन संचारी रोग चिकित्सालयों को नकद के साथ-साथ उपयोगी वस्तुएं अनुदान में देकर सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि यौन संबंधो के कारण होने वाले रोगों को शुरू में निदान करके उपचार किया जा सके। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिक को सदृश संलक्षणों के आधार पर नैदानिक प्रबंधन के मामलों में प्रशिक्षित किया जा रहा रहा है। जन-जागरूकता पैदा करने के लिए संचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है।

हैजा नियंत्रण

***257. श्री हाराधन राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हैजा तथा आंत्रशोथ के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में इन रोगों से मरने वालों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों में कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ङ.) सरकार द्वारा इन रोगों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में 1993, 1994 और 1995 (नवम्बर, 95 तक) में तीव्र अतिसार रोगों (जठरांत्रशोथ और हैजा सहित) के सूचित रोगियों और मौतों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (ङ). शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसका उद्देश्य पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में

अतिसार रोगों के कारण होने वाली मृत्यु में कमी लाना है, ग्राम स्तर पर माताओं की बैठक करने के लिए नगद सहायता प्रदान की जाती है और इस कार्य के लिए 1995-96 के दौरान राज्यों को 2.51 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। बच्चों में अतिसार के कारण पानी की कमी का उपचार करने के लिए अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1995-96 के दौरान राज्यों को 5.46 करोड़ ओ आर एस पैकेट आवंटित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार रोग के फैलने की जांच करने तथा उपचारी उपायों के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त इन रोगों को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए जाते हैं :—

1. सुरक्षित पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था
2. वैयक्तिक भोजन की स्वच्छता में सुधार
3. मानव मूल मूत्र क सुरक्षित निपटान
4. समुचित स्वास्थ्य शिक्षा
5. निगरानी एवं मानीटरिंग
6. क्लोरीन की गोलियों और ओ आर एस पैकेट का वितरण

विवरण

राज्य	1993		1994		1995	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	202	2	82	4	144	1
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	0	0	—	—
3. असम	—	—	—	—	—	—
4. बिहार	—	—	0	0	—	—
5. गोवा	4	0	3	0	0	0
6. गुजरात	262	1	578	8	58	1
7. हरियाणा	32	0	64	0	10	0
8. हिमाचल प्रदेश	4	0	25	0	2	0
9. जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0
10. कर्नाटक	445	10	103	2	0	0
11. केरल	37	2	36	0	2	0
12. मध्य प्रदेश	19	0	289	9	50	0
13. महाराष्ट्र	2901	26	76	5	1	0
14. मणिपुर	7	0	2	0	21	1
15. मेघालय	0	0	—	—	—	—
16. मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17. नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18. उड़ीसा	0	0	2	0	0	0
19. पंजाब	23	0	84	1	16	0
20. राजस्थान	2	0	3	0	0	0
21. सिक्किम	0	0	0	0	0	0
22. तमिलनाडु	4663	9	728	0	308	1
23. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24. उत्तर प्रदेश	148	2	485	3	292	0
25. पश्चिम बंगाल	1	1	125	0	—	—
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7
27.	चण्डीगढ़	9	0	45	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमण व दीव	0	0	0	0	—	—
30.	दिल्ली	678	0	2243	0	1969	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	योग	9437	53	4973	32	2873	4

अप्राप्त; × सप्ताहवार और जिलावार आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

हृदय रोग

***258. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हृदय रोग की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में हृदय रोगियों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हृदय धमनी के रोगों की रोकथाम के लिए एक मार्गदर्शन परियोजना शुरू की गई है।

(ग) हृदय रोग अधिसूचनीय से होने के कारण कोई विश्वसनीय आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए 50.00 लाख रुपये की कुल धनराशि में से 1995.96 के दौरान 20.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति

***259. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय परिषद के सम्मेलन में राष्ट्रीय मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति को स्वीकार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति की प्रमुख बातें क्या हैं;

(घ) मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ड.) दन्त चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने में निजी संस्थानों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर.अन्तुले) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 11-13 अक्तूबर, 1995 को नई दिल्ली में हुए चौथे सम्मेलन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति को स्वीकार करने और अपनाने की सिफारिश की।

परिषद द्वारा अपनाई गई मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति के बारे में संकल्पों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्र के लिए मुख संबंधी स्वास्थ्य नीति की तत्काल आवश्यकता है।
2. जैसा कि विभिन्न जानपादिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों द्वारा बताया गया है, देश में मुख संबंधी स्वास्थ्य स्थितियों के खराब रहने के कारण ग्रामीण के साथ-साथ शहरी दोनों क्षेत्रों में मुख संबंधी स्वास्थ्य परिचर्चा प्रदान करने के लिए विशेष, अच्छी तरह से समन्वित, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में डॅटिस्ट/जनसंख्या राशन केवल 1:300,000 है जबकि 80 प्रतिशत बच्चे और 60 प्रतिशत वयस्क डेन्डल केरीज से और 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क वर्ग 30 वर्ष की आयु के पश्चात् मेरिडोन्टल रोगों, जिनकी शुरूआत भी बाल्यावस्था में हो जाती है, से पीड़ित होता है। इसके

अतिरिक्त, शरीर के 35 प्रतिशत सारे कैंसर मुख संबंधी कैसर होते हैं। डेंटल रोगों के बिगड़े हुए स्वरूप के कारण वयस्क जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दंतहीन है और लगभग 35 प्रतिशत बच्चे गन्दे दांतों और मसूड़ों से पीड़ित हैं जो उनके उपयुक्त रूप से कार्य करने पर प्रभाव डालते हैं। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण, शहरी और वंचित क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षणिक बुनियादी ढांचें का उपयोग करते हुए मौजूदा प्रणाली से मिलाकर निवारक, उपचारात्मक और शैक्षणिक मुख संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या शुरू करना महत्वपूर्ण है।

3. इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तकनीकी विंग को सुदृढ़ करने के लिए एक पहले कदम के रूप में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपयुक्त स्तर पर पूर्ण-कालिक दन्त चिकित्सा सलाहकार का एक पद सृजित किया जाना चाहिए।

4. अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में दन्त रोगों की व्यापतता और तीव्रता, दोनों में वृद्धि हुई है। अतः, भारत में दंत रोगों की इस वृद्धि को रोकने की तुरंत आवश्यकता है। दंत रोगों की प्राथमिक रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि का उद्देश्य परिदन्तीय और मुख कैंसर को प्राथमिक रोकथाम करना है।

5. अतः, परिषद यह पारित करती है कि निवारक और सम्बर्धनात्मक मुख स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम स्तर से आरंभ की जाएं और तद्नुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1995-96 के दौरान पांच जिलों में एक-एक मुख संबंधी परिचर्या पर एक मागदर्शी परियोजना आरंभ की जाए।

6. परिषद यह भी पारित करती है कि मिठाई, चाकलेट और अन्य शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों के शेयरों और विज्ञापनों पर "अधिक मीठी चीजों से दांत खराब हो सकते हैं" साविधिक चेतावनी देने के लिए विधायी उपाय किए जाएं। तम्बाकू और पान मसाले से जुड़े उत्पादों के लिए भी ऐसे ही उपाय किए जाने चाहिएं।

7. परिषद सिफारिश करती है कि विभिन्न श्रेणियों के मुख स्वास्थ्य परिचर्या वार्षिकों के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए अथवा मौजूदा केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाए।

8. परिषद यह भी पारित करती है कि सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दन्त चिकित्सा क्लिनिक होने चाहिएं। सभी दन्त चिकित्सा कॉलेजों में दांतों की स्वच्छता और दन्त चिकित्सा तकनीशियनों के लिए पाठ्यक्रम होने चाहिएं।

9. परिषद यह भी पारित करती है कि प्रत्येक राज्य में एक जिले के हिसाब से सभी राज्यों में मार्गदर्शी परियोजना आरंभ की जाए।

10. परिषद यह भी सिफारिश करती है कि मुख स्वास्थ्य अनुसंधान में दिशा-निर्देशन के लिए देश की जरूरतों के अनुकूल दंत-चिकित्सा अनुसंधान में एक राष्ट्रीय संस्थान की तत्काल आवश्यकता है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली पांच राज्यों में (प्रत्येक के एक जिलें में) मुख स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम पर एक मार्गदर्शी परियोजना आरंभ की गई है।

(ङ) कार्यक्रम में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा।

हृदय प्रतिरोपण

***260. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय प्रतिरोपण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होने और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 बना दिए जाने के बावजूद देश में हृदय प्रतिरोपण के मामलों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के बनने के पश्चात् कितने हृदय प्रतिरोपण किए गये; और

(ग) इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त न होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग). मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, भंडारण करने, प्रतिरोपण करने और मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार की रोकथाम और उनसे संबंधित मामलों को नियमित करना हैं। उक्त अधिनियम गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 4 फरवरी, 1995 से लागू हुआ। शेष राज्यों जिनसे उक्त अधिनियम को अपनाने का अनुरोध किया गया, में से अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों ने ही उक्त अधिनियम को अपनाया है। आन्ध्र प्रदेश ने इसी आधार पर आन्ध्र प्रदेश मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1995 बनाया है। अन्य सभी राज्यों से इस अधिनियम को अपनाने के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है। ऐसे प्रतिरोपणों/आपरेशनों के आंकड़े इस मंत्रालय में नही रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

तम्बाकू की खेती

2355. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से गुजरात के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक भूमि में तम्बाकू की खेती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त भूमि का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में नकद फसलों की खेती शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). संप्रति तम्बाकू की खेती के अधीन और अधिक भूमि लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस प्रस्ताव में गुजरात राज्य भी शामिल है। भविष्य में की जाने वाली मांग, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करने के लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में केवल कुछ प्रायोगिक परीक्षण किए गए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दी आशुलिपि पुस्तकें

2356. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किए गए हिन्दी आशुलिपि के नए पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सरकार के अनुदान से प्रकाशित हिन्दी आशुलिपि की पुस्तकों पर विचार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पुस्तकों को नये पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा प्रत्येक राज्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित करने या अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिन्दी विश्वविद्यालय

2357. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्धा में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है;

(ख) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक हो जाएगी; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रोन्नति और विकास करना है ताकि हिन्दी व्यापक कार्यसाधक सक्षमता प्राप्त कर सके और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो सके।

(ख) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए एक विधेयक राज्य-सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) आठवीं और नौवीं योजनावधियों के दौरान विश्वविद्यालय की स्थापना पर होने वाला अनुमानित अनावर्ती व्यय 30 करोड़ रुपये है। विश्वविद्यालय के शुरू हो जाने के पश्चात् अनुमानित आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये होगा।

[अनुवाद]

अपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को सहायता

2358. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने वाली सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ड.) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). उपभोक्ता सहकारिताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 17 तथा 18 नवम्बर, 1995 को सम्पन्न हुआ है। इस सम्मेलन में देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्य में सुधार लाने के लिए अनेक सुझावों तथा सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था। केंद्रीय सरकार की नीति देश में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के विकास को प्रोत्साहन देने की है।

खेल परिसंघ

2359. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल परिसंघो और संघो की आय का क्या स्त्रोत है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र इन परिसंघो/संघो द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं में विज्ञापन देकर इन्हें अनुग्रहीत करती है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये परिसंघ और संघ अध्यक्षों/सभापतियों की आय का स्त्रोत न बने?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) खेल संघों की आय के मुख्य स्त्रोत सरकारी अनुदान, प्रायोजकों से प्राप्त सहायता, संबद्ध इकाइयों से प्राप्त संबद्धन फीस तथा विविध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए आयोजकों से प्राप्त फीस आदि है।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि संघो/एसोसिएशनों के आय के स्त्रोत सीमित हैं अतः राज्य सरकारों एव संघ शासित क्षेत्रों के विज्ञापन उनके स्त्रोतो को और बढ़ाते हैं।

(घ) जब कभी संघ/एसोसिएशन भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं तो लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना उनके लिए अनिवार्य होता है ताकि उन्हें और आगे सहायता देने से पूर्व उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जा सके। वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों की जांच अनुमोदन के लिए इन पर संघ की साधारण सभा/एसोसिएशन द्वारा भी विचार किया जाता है।

सेन्ट्रल स्टेट फार्म्स, अरालम

2360. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सेन्ट्रल स्टेट फार्म्स, अरालम (केरल) के विस्तार हेतु कोई आबंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, ता वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). केन्द्रीय राज्य फार्म अरालाम (केरल) को आबंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपये)
1991-92	258.15
1992-93	271.16
1993-94	283.00
1994-95	228.81
1995-96	215.00

कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय

2361. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्यालय कब तक कार्य शुरू कर देगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थान का प्रावधान करने तथा क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही यह आशा की जाती है कि कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगा।

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन

2362. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल जिले में "राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन" नामक साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य से कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस अभियान की सफलता या असफलता का आंकलन करने के लिए कदम उठाए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भोपाल में साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन जिला साक्षरता समिति द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन का नाम राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को दिया गया है। इस सोसाइटी का भोपाल में अपना कार्यालय है।

(ख) भोपाल में संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए अब तक 40.00 लाख रु. जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ). संपूर्ण साक्षरता अभियान अभी अपने प्रारंभिक स्तर पर है। अतः इसका अभी मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा।

मक्का उत्पादन

2363. श्रीमति वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी दो वर्षों में मक्का के उत्पादन और इसकी खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार का प्रस्ताव उत्पादकता बढ़ाकर मक्का के उत्पादन में वृद्धि करने का है। मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 75:25 के अनुसार खर्च वहन करने (भारत सरकार और राज्यों के बीच) के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत प्रमुख प्रदर्शनों के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्तमान वर्ष 1995-96 के दौरान त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के लिये 7.00 करोड़ रुपये की रकम स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य 2000 ईसवी तक इसकी औसत उत्पादकता जो वर्तमान में 1.5 मीटरी टन प्रति हैक्टेयर है, को बढ़ाकर लगभग 3 मीटरी टन प्रति हैक्टेयर करना तथा 10 मिलियन मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर 20 मिलियन मीटरी टन करना है। इसके लिये रबी तथा खरीफ दोनों मौसमों के वास्ते मक्का उगाने की सम्भावना वाले राज्यों का चयन किया गया है। मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिये गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा कार्रवाई के मुद्दे निरूपित किए गये हैं जिसमें अनके घटक सम्मिलित हैं। ये रिपोर्टें संबंधित राज्यों के कृषि विभागों और कृषि सचिवों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जा चुकी हैं। 1996-97 की वार्षिक योजना के लिये 19.253 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है और उस पर विचार किया जा रहा है।

शतरंज प्रतियोगिताएं

2364. श्री धर्मभिक्षम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "संघी" उद्योग द्वारा शतरंज प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु केन्द्र सरकार से मांगी गई सहायता एवं उसे दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त उद्योगों को दी गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ ने फरवरी, 95 में (5 फरवरी से 24 फरवरी, 95 तक) संघी नगर में आयोजित संघी विश्व शतरंज चैंपियनशिप सेमीफाइनल के लिए 558,000/- अमरीकी डालर, 3,000/- स्विस फ्रांक्स तथा 4,000/- पौंड की विदेशी मुद्रा जारी करने का अनुरोध किया था जिसमें से संघी उद्योगों को पुरस्कार धनराशि के लिए 5,00,000/- अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा तथा फिडे (एफ.आई.डी.ई.) पंजीयन शुल्क के लिए 50,000/- अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा जारी की गई थी।

(ख) इस विभाग द्वारा संघी उद्योगों को कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2365. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी आबादी को लाभ मिल रहा है; और

(ख) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस प्रणाली के अंतर्गत इन राज्यों को उपलब्ध कराई गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) सरकार ने अक्तूबर, 1995 में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 2446 ब्लाकों तक कर दिया है। 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रणाली के तहत आने वाली अनुमानित आबादी लगभग 26.50 करोड़ है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, सुपीरियर मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्ट कोक/सी आई एल कोक का आबंटन करती है। केंद्रीय

सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत खाद्यान्नों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर जारी करती है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति क्विंटल 50 रु. कम हैं।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली आबादी

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इस प्रणाली के तहत आने वाली आबादी (संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित रोजगार स्कीम पर लागू करने के बाद ब्लाकों की संख्या 2446)
1.	आन्ध्र प्रदेश	22004736
2.	अरुणाचल प्रदेश	753930
3.	असम	16008441
4.	बिहार	27417474
5.	गुजरात	17379065
6.	हरियाणा	4839903
7.	हिमाचल प्रदेश	936214
8.	जम्मू व कश्मीर	2068000
9.	कर्नाटक	23054505
10.	केरल	342000
11.	मध्य प्रदेश	29713952
12.	महाराष्ट्र	27596841
13.	मणिपुर	607818
14.	मेघालय	1444731
15.	मिजोरम	371810
16.	नागालैण्ड	1001314
17.	उड़ीसा	11541380
18.	राजस्थान	25501078
19.	सिक्किम	369451
20.	तमिलनाडु	7408873
21.	त्रिपुरा	2248536
22.	उत्तर प्रदेश	25035350
23.	पश्चिम बंगाल	16243034
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	39208
25.	दादरा व नगर हवेली	1267542
26.	दमण व दीव	47383
27.	लक्षद्वीप	27311
	योग :	265272880

[अनुवाद]

सुन्दरबन में बाघों की गणना

2366. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुदंरबन में बाघों की गणना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में बाघों की गणना के कार्य में लगे दलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस क्षेत्र में बाघों की गणना के कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पग मार्क्स के प्लास्टर कास्ट्स के संग्रहण के लिए लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र को कवर कियी गया है।

(ख) और (ग). जिन दलों को पगमार्क्स के प्लास्टर कास्ट्स संग्रहण करने का कार्य सौंपा गया, उनकी सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय किए गये थे। प्रत्येक दल में पांच सदस्य थे जिसमें से दो बदूकधारी थे। मड फ्लैट्स में समय कम लगे इसके लिए तुरंत चिपकने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह सूचित किया गया है कि उक्त क्षेत्र में बाघों की गणना संभवतः जनवरी 1996 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरकों के थैलों पर उल्लिखित मूल्य

2367. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के वितरकों द्वारा उर्वरकों के मूल्यों में मनमाने परिवर्तन करके किसानों को उर्वरक प्रदान किया जा रहा है;

(ख) क्या उर्वरकों के मूल्य उनके थैलों पर उल्लिखित नहीं हैं;

(ग) क्या मूल्य केवल उन्हीं थैलों पर उल्लिखित है जिनमें घटिया किस्म की वस्तु है और वह किसानों के उपयोग की नहीं है;

(घ) क्या सरकार का मनमाने मूल्य वसूलने को रोकना सुनिश्चित करने के लिये उर्वरकों के थैलों पर मूल्य मुद्रित करवाने का प्रस्ताव है;

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) से (च). यूरिया ही केवल एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अधीन है। कृषकों को इसकी बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत विनियमित की जाती है। जहां तक विनियन्त्रित उर्वरकों का सम्बन्ध है, उनकी मांग, उपलब्धता तथा मूल्य का निर्धारण बाजार की प्रवृत्तियों के अनुसार हो रहा है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के अनुसार सभी उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) के डिब्बों/थैलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित करना अनिवार्य है। प्रत्येक खुदरा डीलर के लिये यह भी अनिवार्य है कि वह अपनी दुकान का उर्वरकों के मूल्यों तथा दरों की सूची लगाये। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसका कार्यान्वयन मुख्यतया राज्य सरकारों को करना है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय

2368. श्री अन्ना जोशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों को दी गई धनराशि का उद्देश्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदानों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं :

(रुपये लाख में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर
1992-93	525.71	122.11
1993-94	709.00	87.97
1994-95	963.54	104.20

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह बताया गया है कि भविष्य में सुविधाओं के विस्तार की अपेक्षा, सुविधाओं के समेकन पर अधिक बल दिया जायेगा। कार्रवाई योजना 1992 में भी यह उल्लेख किया गया है कि संसाधनों की अत्यधिक कमी को देखते हुए और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों कि स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य

2369. श्री ए. चार्ल्स : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में और वृद्धि करने हेतु विचार करने से पूर्व चावल और गेहूं हेतु दी जाने वाली राज सहायता में समानता लाई जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केरल और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि चावल और गेहूं के बीच सब्सिडि संबंधी जो असमानता है उसे दूर किया जाना चाहिए और चावल पर जो सब्सिडि मिलती है उसे गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी के बराबर लाया जाना चाहिए।

(ख) एक फरवरी, 1994 से चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

केरल की विकास परियोजनाएं

2370. श्री थाइल जार्ने अंजलोज : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल से प्राप्त परियोजनाओं में से किन-किन परियोजनाओं को वन तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी गई है;

(ख) केरल की अस्वीकृत की गयी विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके कारण क्या हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) पिछले तीन सालों के दौरान प्राप्त उन विकास परियोजनाओं के नाम जिनको पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी प्रदान की गई

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	माल्पे फिशिंग हार्बर पर फिश लैंडिंग सुविधाओं के दूसरे चरण का निर्माण।
2.	नौसेना अकादमी का निर्माण, इझिमाला
3.	कोचीन पोर्ट पर कोचीन आयल टर्मिनल को जाने वाली चैनलों को गहरा बनाना।
4.	जिला एर्नाकुलम-कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड में नेडुम्बसेरी पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण

1	2
5.	सिविल एयरोड्रोम कालीकट में रन वे का विस्तार
6.	कोचीन में द्वीपो का समन्वित विकास
7.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. का डिइंकिंग प्लांट
8.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. का फेनोल संयंत्र
9.	सी आर एल की अतिरिक्त बेंजीन सुविधाओं का विस्तार
10.	मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. का 200 टी पी डी डि-इंकिंग प्लांट तथा मिल को 1,00,000 टी पी ए तक बढ़ाना
11.	बूथायंकेटी जल विद्युत परियोजना
12.	कासारकोड में 60 मे.वा. डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र
13.	कोझिकोड में 120 मे.वा. डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र

(2) पिछले तीन सालों के दौरान नामंजूर की गई विकास परियोजनाओं के नाम

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	नामंजूर करने के कारण
1.	आदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना	पर्यावरण आंकड़े न भेजे जाने के कारण
2.	क्लालोन जिले में थंगासारी फिशिंग हार्बर, चरण-2 का निर्माण	-वही-
3.	एझिक्कल पोर्ट का विकास	-वही-

केन्द्रीय विद्यालयों में भाषा शिक्षक

2371. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भाषावार ब्यौरे सहित भाषा शिक्षकों के कितने पद रिक्त थे; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कौन-कौन सी भाषाएं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31.10.95 की स्थिति के अनुसार भाषा शिक्षकों के संस्वीकृत पदों संख्या निम्नलिखित है :

भाषा	पी.जी.टी.	टी.जी.टी.
हिन्दी	956	1940
अंग्रेजी	984	2100
संस्कृत	53	972

(ख) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा हिन्दी है।

सब्जी और अनाज मंडियों को जोड़ना

2372. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने प्रमुख सब्जी और अनाज मंडियों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ने के बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त होंगे;

(ग) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने अपनी मंडी सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख अनाज मण्डियों को उपग्रह से जोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) बागवानी से संबद्ध विभिन्न मण्डी आसूचना केन्द्रों/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उप केन्द्रों के लिए "निकनेट" आधारित मण्डी आसूचना पद्धति की स्थापना किये जाने के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस समझौते के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर अधिष्ठापना, अनुप्रयोग विकास, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण तथा परियोजना प्रबन्ध से सम्बन्धित काम करेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को 1.78 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित परियोजना लागत का वहन करना होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

मुक्त विश्वविद्यालय

2373. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों को छात्रों के लिए और अधिक प्रभावी, सार्थक और लाभदायक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). अभी तक देश में सात मुक्त विश्वविद्यालय हैं जिसमें से छः विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य मुक्त विश्वविद्यालय खोलना तथा देश की शैक्षिक प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा पद्धति को प्रोन्नत करना एवं इस प्रकार की पद्धतियों में स्तरों का समन्वय व निर्धारण करना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अभी तक विभिन्न विषयों में 58 शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। छात्रों का कुल नामांकन करीब 2.50 लाख है। विश्वविद्यालय ने एक व्यापक छात्र सहायता सेवा नेटवर्क स्थापित किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 क्षेत्रीय केन्द्र एवं 244 अध्ययन केन्द्र शामिल हैं। श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम के साथ-साथ आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री के अनुपूरक हैं।

देश में दूरस्थ शिक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में अपनी भूमिका को पूर्ण करने के उद्देश्य के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मुक्त विश्वविद्यालयों में स्तरों के समन्वय एवं निर्धारण के लिए एक दूरस्थ शिक्षा परिषद् की स्थापना की है। जबकि राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है अतः दूरस्थ शिक्षा परिषद् इन विश्वविद्यालयों को आवश्यक सहायता एवं दिशानिर्देश प्रदान करती है। जो मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं उन्हें कुछ चुने हुए उद्देश्यों के लिए विकास अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

2374. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक शिक्षा विस्तार केन्द्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, समुदाय के हितों के लिए विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित, निर्मित तथा विकसित करने के लिए हाल ही में विश्वविद्यालय में एक विस्तार शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है।

कोयला खनन के कारण पर्यावरणीय ह्रास

2375. श्री हाराधन राय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय ह्रास पर काबू पाने के लिए एक संविधिक प्राधिकरण स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल को सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को रानीगंज कोयला क्षेत्र में पर्यावरणीय अवक्रमया को नियंत्रित करने के लिए आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ और प्राधिकृत करके संस्थागत व्यवस्था करने की सलाह दी है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने उपरोक्त सलाह का अब तक उपयुक्त जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

माझोला सहकारी चीनी मिल

2376. डा. परशुराम गंगवार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में माझोला सहकारी चीनी मिल के प्रदूषण नियंत्रक उपकरण कब से बेकार पड़े हैं;

(ख) बार-बार चेतावनियों के बावजूद इनकी मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त चीनी मिल से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इसे कब तक ठीक कर लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 30.11.1995 को इस इकाई का निरीक्षण किया और रिपोर्ट दी है कि इकाई ने पूर्ण बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिया है जो नहीं चल रहा है क्योंकि इकाई उस समय उत्पादन नहीं कर रही थी।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

2377. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कुछ चीनी मिलों के विस्तार के लिए स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). कर्नाटक राज्य से, राज्य में स्थित वर्तमान चीनी मिलों के विस्तार हेतु उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के निर्देशों के अनुसार क्षमता के विस्तार के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विवरण

कर्नाटक राज्य से, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के माध्यम से वर्तमान चीनी मिलों की विस्तार क्षमता बढ़ाने के लिए प्राप्त आवेदनों की राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	विस्तार की रेंज
कर्नाटक		
1.	उगार खुर्द	5000 टीसीडी से 7500 टीसीडी
2.	रायबाग	1250 टीसीडी से 3500 टीसीडी
3.	भद्रावती	2500 टीसीडी से 3500 टीसीडी
4.	गोकक	1250 टीसीडी से 3500 टीसीडी
5.	नीपाणी	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
6.	समीरवाडी	5000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
7.	दीवानगिरि	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
8.	चामुंडेश्वरी	4000 टीसीडी से 7500 टीसीडी
9.	हेमावती	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
10.	गौरीबिदनूर	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
11.	देशनूर	1500 टीसीडी से 2500 टीसीडी
12.	भ्रमरूर	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
13.	शिमोगा	1900 टीसीडी से 2500 टीसीडी
14.	हवेरी	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
15.	भद्रा	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
16.	बन्नारी अम्मान यूनिट-नन्जानगुड	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
17.	मुनिराबाद	1016 टीसीडी से 1750 टीसीडी

राज्यों में सुपर बाजार की शाखाएं

2378. श्री हरिन पाठक : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों में विशेषकर महानगरों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग). सुपर बाजार एक स्वायत्त सहकारी समिति है, जिसका अपना प्रबंधन है। यह दिल्ली राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इस समय इसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तक सीमित है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि दिल्ली से बाहर और शाखाएं खोलने के लिए इतने बहु-राज्यीय सहकारी सौसायटीज अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

चीनी मिलें

2379. श्री जी. माडे गौडा :
डा. मुमताज अंसारी :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में वर्तमान चीनी मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार कितनी चीनी मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि किये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। वर्तमान चीनी मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि हेतु कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब राज्यों के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यवार चीनी मिलों की संख्या, जिनके पास वर्तमान क्षमता के विस्तार हेतु आशय पत्र है, निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1.	कर्नाटक	9
2.	बिहार	7
3.	उत्तर प्रदेश	61
4.	पंजाब	6
5.	महाराष्ट्र	36
6.	हरियाणा	4

1	2	3
7.	उड़ीसा	2
8.	गुजरात	7
9.	तमिलनाडु	7
10.	आन्ध्र प्रदेश	10
11.	मध्य प्रदेश	3
12.	नागालैंड	1
13.	राजस्थान	1
14.	प. बंगाल	2
	योग	156

विवरण

कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब राज्यों के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के माध्यम से प्राप्त वर्तमान चीनी मिलों की पेराई क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	मिल का संक्षिप्त नाम	विस्तार की रेंज
1	2	3
कर्नाटक		
1.	उगर खुर्द	5000 टीसीडी से 7500 टीसीडी
2.	रायबाग	1250 टीसीडी से 3500 टीसीडी
3.	भद्रावती	2500 टीसीडी से 3500 टीसीडी
4.	गोकाक	1250 टीसीडी से 3500 टीसीडी
5.	नीपानी	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
6.	समीरवाडी	5000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
7.	दावनगिरि	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
8.	चामुंडेश्वरी	4000 टीसीडी से 6500 टीसीडी
9.	हेमावती	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
10.	गौरीबिदनूर	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
11.	देशनूर	1500 टीसीडी से 2500 टीसीडी
12.	ब्रह्मवूर	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
13.	शिमोगा	1900 टीसीडी से 2500 टीसीडी
14.	हवेरी	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
15.	भद्रा	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
16.	बन्नारी अम्मान यूनिट-नन्जानगुड़	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
17.	मुनिराबाद	1016 टीसीडी से 1750 टीसीडी
बिहार		
1.	मझोला	2500 टीसीडी से 3500 टीसीडी
2.	हरिनगर	5000 टीसीडी से 7000 टीसीडी
3.	रिगा	2500 टीसीडी से 3500 टीसीडी
उत्तर प्रदेश		
1.	मवाना	5000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
2.	लक्सर	3500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
3.	इकबालपुर	3000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
4.	ननौता	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
5.	सरसावां	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
6.	सिम्भावली	5000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
7.	मंसूरपुर	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
8.	बिस्वान	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
9.	हरगांव	5000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
10.	पीलीभीत	2500 टीसीडी से 3500 टीसीडी
11.	मोतीनगर	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
12.	काशीपुर	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
13.	बाजपुर	4000 टीसीडी से 5000 टीसीडी
14.	बभनान	2500 टीसीडी से 3500 टीसीडी
15.	बलरामपुर	5000 टीसीडी से 10,000 टीसीडी
16.	कठकुईयां	1200 टीसीडी से 1500 टीसीडी
17.	पडरौना	2400 टीसीडी से 3500 टीसीडी
18.	रामकोला (पी बी)	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
19.	ऐरा	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
20.	सम्पूर्णानगर	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
21.	बेलरायन	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
22.	आनन्दनगर	1219 टीसीडी से 2500 टीसीडी
23.	कप्तानगंज	3000 टीसीडी से 8000 टीसीडी
24.	सरदारनगर	3200 टीसीडी से 8000 टीसीडी
25.	बहेरी	3500 टीसीडी से 6000 टीसीडी
26.	अगौता	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
27.	रोजागांव	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
28.	स्नेह रोड, फजलपुर	2500 टीसीडी से 6000 टीसीडी
पंजाब		
1.	दोआबा	2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी
2.	नकोदर	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी
3.	बुढेवाल	1250 टीसीडी से 2500 टीसीडी

खाद्यान्नों का निर्यात

2380. श्री शिव शरण वर्मा :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की आवश्यकता से अधिक मात्रा कितनी है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम को निर्यातकों से प्राप्त पेशकश का ब्यौरा क्या है तथा उन निर्यातकों के नाम क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) खाद्यान्नों को किस मूल्य पर बेचा जाना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दूध देने वाले पशुओं के लिए ऋण

2381. श्री राम पूजन पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मों के उत्थान के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए दूध देने वाले पशुओं की खरीद हेतु कम ब्याज दर पर ऋण देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, गोपशु प्रजनन कार्यक्रमों के उपयोग के लिए उच्च नस्ल वाले सांड बछड़ों के उत्पादन के उद्देश्य से, वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ). एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है और यह दर डेयरी क्रियाकलापों के लाभभोगियों सहित सभी लाभभोगियों पर लागू होती है। 25000 रुपये तक के ऋण पर मौजूदा ब्याज दर 12.0 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय एवं ओलम्पिक खेल

2382. श्रीमती चन्द्र प्रभा गर्सा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मैसूर तथा बंगलोर में विभिन्न स्टेडियमों का निर्माण कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जनवरी, 1996 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु कोई तैयारी नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि इन खेलों के आयोजन से ही 1996 में होने वाले अटलांटा ओलम्पिक खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेलों को अक्तूबर/नवंबर, 1996 तक आस्थगित कर दिया है।

(ग) और (घ). चूंकि अटलांटा ओलम्पिक्स जुलाई/अगस्त, 1996 में आयोजित होने अपेक्षित हैं इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2383. श्री प्रवीन डेका : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चाय को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक का थोक में आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए स्थानीय आवश्यकताओं तथा पसन्द के आधार पर चाय आदि जैसी आम खपत की अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के जरिए चाय का वितरण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आंगनबाड़ी केन्द्र

2384. श्री एन.जे. राठवा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर राज्यवार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उनके कार्यकरण एवं धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हों, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 95 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लगभग 120 आंगनबाड़ी केन्द्रों वाली एक समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के संचालन हेतु प्रतिवर्ष औसतन 14.56 लाख रुपए व्यय किये जाते हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान; सरकार को समेकित बाल विकास सेवा के कार्यकरण तथा धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 95 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या	निर्मुक्त की गई राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	117	1057.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	284.47
3.	असम	79	595.18
4.	बिहार	229	789.14
5.	गोवा	11	80.63
6.	गुजरात	139	934.35
7.	हरियाणा	56	438.36
8.	हिमाचल प्रदेश	41	296.44
9.	जम्मू और कश्मीर	47	383.30
10.	कर्नाटक	155	1498.30
11.	केरल	89	680.55
12.	मध्य प्रदेश	190	1486.04
13.	महाराष्ट्र	255	1947.01
14.	मणिपुर	29	204.97
15.	मेघालय	30	82.80
16.	मिजोरम	19	141.44
17.	नागालैण्ड	26	115.26
18.	उड़ीसा	96	647.24
19.	पंजाब	70	518.53
20.	राजस्थान	165	1258.08
21.	सिक्किम	4	54.78
22.	तमिलनाडु	112	1122.84
23.	त्रिपुरा	19	152.25
24.	उत्तर प्रदेश	532	4073.01
25.	पश्चिम बंगाल	260	1977.23
26.	दिल्ली	26	264.73
27.	पाण्डिचेरी	5	48.11
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	37.20
29.	चण्डीगढ़	2	27.00
30.	दादर और नागर हवेली	1	11.74
31.	दमन और दीव	2	22.66
32.	लक्षद्वीप	1	9.22

[अनुवाद]

बाणों की चोरी

2385. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीदर में ऐसा कोई मंदिर है जहां लव और कुश के अष्ट धातु बाण रखे हुए थे;

(ख) क्या मंदिर से इन बाणों की चोरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वीदर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां लव और कुश के अष्ट-धातु बाण रखे हुए थे।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चावल की खरीद

2386. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद करने वाली एजेंसियां तमिलनाडु के किसानों को बढ़िया तथा मोटे किस्म के चावलों की खरीद पर निर्धारित दर से भुगतान करने में असफल रही; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को मुआवजा देने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). लगभग पिछले दो दशकों से तमिलनाडु सरकार राज्य में धान और चावल की वसूली एकाधिकार वसूली प्रणाली के तहत कर रही है। इस बीच राज्य सरकार ने एकाधिकार वसूली प्रणाली को समाप्त करने का फैसला किया है और न्यूनतम सांविधिक मूल्यों पर खरीद करके किसानों को न्यूनतम मूल्य समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान/चावल की वसूली राज्य सरकारों के सक्रिय और पूर्ण सहयोग से की जाती है। प्रचालित किए जाने वाले विक्रय-केन्द्रों का और वसूली में लगी विभिन्न एजेन्सियों के बीच इसके वितरण का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने बाजार में प्रवेश करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से सम्पर्क नहीं किया है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण हेतु विश्व बैंक सहायता

2387. श्री शिव राज सिंह चौहान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उद्योगों विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा विश्व बैंक से गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कुल कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये इस अवधि के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है। साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए वित्त पोषण पद्धति में 20 प्रतिशत प्रेरकों का अंशदान और 25 प्रतिशत या 50 लाख रुपए जो भी कम हो, का केन्द्र सरकार का अनुदान शामिल है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा भी इसके बराबर अंशदान किया जाए। शेष राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) से ऋण के रूप में उपलब्ध है जो परियोजना के इस घटक के लिए विश्व बैंक की सहायता जुटाता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अलग-अलग यूनिटों द्वारा प्रतिरूप निधियों के साथ-साथ विश्व बैंक द्वारा कुल 108 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटित समूची निधि देने का आश्वासन दिया गया है।

(ग) जिस परियोजना के लिए सहायता प्राप्त की गई है उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. **संस्थागत घटक** : इसको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के एक कार्यक्रम को सहायता देने के लिए तैयार किया गया है।
2. **निवेश घटक** : इसको प्रदूषण उपशमन के लिए अलग-अलग औद्योगिक यूनिटों द्वारा परियोजनाओं को सहायता देने के लिए तैयार किया गया है। इस घटक के तहत साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए भी निधियां प्रदान की जाती है।
3. **तकनीकी सहायता** : इसको कार्मिकों के प्रशिक्षण से सम्बंधित परियोजनाओं की सहायता तथा साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए निवेश-पूर्व अध्ययनों की तैयारी हेतु तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन में गुजरात का योगदान

2388. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चीनी उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) उपरोक्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल में गुजरात का योगदान क्या रहा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :-

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)	गुजरात में चीनी का उत्पादन (लाख टन में)	पिछले वर्ष में उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि/ह्रास
1993-94	8.26	+ 9.99%
1994-95	7.68 (अनंतिम)	- 702% (अनंतिम)

(ग) 17.12.1979 से अनुसरण की जा रही वर्तमान आंशिक नियंत्रण की नीति के अधीन प्रत्येक चीनी मिल के कुल उत्पादन का एक निर्धारित प्रतिशत (विभिन्न सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले मिलों को छोड़कर, जो उच्चतर खुली बिक्री कोटे के लिए अधिकृत हैं) लेवी चीनी के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए अधिसूचित, मिल द्वार लेवी मूल्यों के दर पर रिलीज किया जाता है। 1992-93 से लेवी-खुली बिक्री का अनुपात 40:60 का है। लेवी चीनी के वितरण के लिए अलग से कोई केन्द्रीय भंडार (पूल) नहीं रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

मूंगफली के उत्पादन के लिये धनराशि

2389. श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में अधिक मूंगफली के उत्पादन के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) राज्य में जिलेवार कुल कितने क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है;

(ग) योजना के अंतर्गत वास्तव में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान मूंगफली का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और वर्ष 1995-96 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मूंगफली सहित तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित धन राशियां आबंटित और जारी की गयी :

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबण्टन	निर्मुक्त राशि
1992-93	746.50	733.71
1993-94	985.03	985.03
1994-95	1034.25	961.25

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 6.03 हेक्टेअर क्षेत्र मूंगफली की खेती के अंतर्गत लाया गया है। 1994-95 के दौरान मूंगफली की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत वास्तविक रूप से लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या नीचे दी गयी है :-

वर्ष	लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या
1992-93	4,71,088
1993-94	7,62,611
1994-95	5,52,123

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में हुआ मूंगफली का कुल वार्षिक उत्पादन दर्शाया गया है। महाराष्ट्र राज्य में 1995-96 के दौरान मूंगफली के उत्पादन का लक्ष्य 7.70 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1992-93	7.55
1993-94	7.69
1994-95	6.29

विवरण

1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र का जिलेवार ब्यौरा

क्र.स.	जिले का नाम	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5
1.	थाणे	2	3	5
2.	रायगढ़	2	1	3
3.	रत्नागिरी	2	6	8
4.	सिंधुदुर्ग	14	41	55
5.	नासिक	458	31	489
6.	धुले	737	212	949
7.	जलगांव	188	181	369
8.	अहमदनगर	79	67	146
9.	पुणे	417	49	466
10.	शोलापुर	59	121	180
11.	सतारा	472	23	495
12.	सांगली	351	4	355
13.	कोल्हापुर	596	15	611
14.	औरंगाबाद	144	6	150
15.	जालना	59	20	79
16.	बीद	155	51	206
17.	लातुर	204	12	216
18.	उस्मानाबाद	129	27	156
19.	नादेड.	28	34	62
20.	परभणी	46	235	281
21.	बुल्ढाणा	109	19	128
22.	अकोला	28	19	47
23.	अमरावली	203	10	213

1	2	3	4	5
24.	यवतमाल	25	71	96
25.	वर्धा	88	15	103
26.	नागपुर	143	6	149
27.	भंडारा	1	5	6
28.	चन्द्रपुर	1	1	1
29.	गढ़ चिरोली	–	1	1
	योग :	4740	1286	6026

[अनुवाद]

खरीफ अभियान 1995 संबंधी सम्मेलन

2390. श्री शरत पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खरीफ अभियान 1995 संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) खरीफ अभियान 1995 के लिये कृषि विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल, 1995 में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित हैं :-

(1) अगामी खरीफ फसलों के लिये फसलवार लक्ष्य निर्धारण।

(2) कृषकों के रोजगार तथा आय में वृद्धि और निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि का विविधीकरण तथा फसल प्रणाली दृष्टिकोण।

(3) पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन तथा बागवानी फसलों आदि का विकास करना।

(4) राज्यों द्वारा संबंधित विभागों/जिलों को समय पर धनराशि प्रदान करना।

(5) कृषि विकास के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेन्सियों को शामिल करना।

(6) समय पर नियन्त्रण उपाय किये जाने के लिये कीट सर्वेक्षण पद्धति को सुदृढ बनाना तथा उत्तम नियन्त्रण उपाय तथा समेकित कीट प्रबन्ध पद्धति बनाना।

(7) बीज, उर्वरक आदि के लिये गुणवत्ता नियन्त्रण उपाय अपनाना।

(8) बीज, उर्वरक तथा ऋण जैसे आदानों की समय पर आपूर्ति।

(9) विभिन्न बाजारों में मूल्य प्रवृत्ति का प्रबोधन करना।

(10) राज्य अनुसंधान तथा विस्तार के बीच निकटस्थ सम्बन्ध कायम करना।

(11) प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से उपलब्ध मृदा नमी का बेहतर उपयोग।

(ग) सम्मेलन में कि गई सिफारिशों को अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

2391. श्री राम निहोर राय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विशेषतः तीन भद्र जिले में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जांच हेतु केन्द्रीय दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों को नोटिस जारी करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय दल गठित किया गया था। इस दल ने 13-15 जून, 1995 के दौरान सोनभद्र जिले में बड़ी और मझोली औद्योगिक युनिटों को दौरा किया। इस दल के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

1. कुछ यूनिटों में औद्योगिक बहिस्राव विसर्जन के पूर्व केवल आंशिक रूप संशोधित थे।
2. उद्योगों में स्थापित किए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

(ग) और (घ). निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत मैसर्स कनौरिया कैमिकल्स एंड इण्डस्ट्रीज लि. और मैसर्स हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लि. को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दल के निष्कर्षों और सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने और जिले में विभिन्न बड़े और मझौले उद्योगों की स्थिति के बारे में मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजने के बारे में पत्र लिखा था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त इस रिपोर्ट के आधार पर कि इन उद्योगों ने निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए

आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं, इन दोनों उद्योगों को यह सुनिश्चित करने के लिए आसंशोधित निदेश जारी किए गए कि उनके द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पौधशालाओं की स्थापना

2392. श्री राजेश कुमार :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौधशालाओं की स्थापना और अधिक पेड़ उगाने के लिए अवक्रमित भूमि को सहकारी समितियों और अन्यों को सौंपने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत योजनाएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार वन मुखियाओं की नियुक्ति करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन वन मुखियाओं के कार्य दयित्व क्या होंगे?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पौधशालाएं और अधिक वृक्ष उगाने के लिए सहकारी समितियों तथा अन्यों को अवक्रमित वन भूमि सौंपने की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) वन तथा पौधरोपण की सुरक्षा और परिरक्षण के लिए ग्राम समुदायों को शामिल करके सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में ग्राम पंचायतों में "वन मुखियाओं" के नामांकन का निर्धारण किया गया है।

"वन मुखिया" के मुख्य प्रस्तावित कार्यों में वनीकरण को बढ़ावा देने, प्राकृतिक वनों के परिरक्षण तथा अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को अभिप्रेरित करने में वन विभाग को सहायता प्रदान करना शामिल है।

एक प्रोत्साहन के रूप में वन मुखिया को संयुक्त वन प्रबंधन तथा अन्य भोगाधिकार में हिस्सेदारी स्कीमों के अन्तर्गत सामान्य राजस्व के अतिरिक्त अंतिम रूप से फसल के समय प्रत्येक पौधरोपण की प्राप्तियों से 10 प्रतिशत तक दिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता से स्कूल

2393. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी सहायता से चल रहे स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन स्कूलों को अपने अधिकार में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विदेशी सहायता से स्थापित विद्यालयों की संख्या के संबंध में आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नही रखे जाते हैं क्योंकि स्कूली शिक्षा की देखरेख मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना

2394. डा. साक्षीजी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत जिला-वार कितने प्राथमिक विद्यालयों को सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत उर्दू पाठशालाओं को सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के वनों में आग लगने की घटना

2395. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश के वनों में आग लगने के कारण कितने वन क्षेत्र प्रभावित हुए तथा कितने वृक्ष एवं वन प्राणी की हानि हुई; और

(ख) ऐसी क्षति को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1995 के आग के मौसम के दौरान 305 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। आग मुख्य रूप से चीड़ के वनों में लगी जहां सतही आग ताजा घास प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा चीड़ की पत्तियों को जलाने के लिए जलाई गई। राज्य से वन्य जीवों की क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) दावानल के कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

1. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां नामक स्कीम राज्य में कार्यान्वित की गई है और पिछले तीन वर्षों में 39.725 लाख रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है।
2. दावानल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 1995-96 के लिए योजना द्वारा राज्य सरकार को 3.56 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

2396. डा. वसंत पवार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के कार्यकरण का कोई आंकलन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संस्थान द्वारा वर्ष-वार बजट की कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान वाणिज्यिक दोहन के लिए इस संस्थान द्वारा कौन-कौन से नए उत्पाद विकसित किए गए?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग नीति

2397. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्रस्तावित राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग नीति के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से कोई अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय मात्स्यिकी-नीति का प्रारूप, जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया गया, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संस्थानों को उनकी टिप्पणी हेतु भिजवाया गया था। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने सामान्यतः प्रारूप नीति वक्तव्य का समर्थन किया एवं कुछ सुझाव तथा संशोधन भी प्रस्तावित किए। राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति के प्रारूप पर व्यक्त विचारों पर समुचित विचार करने के पश्चात आगे विचार किए जाने के लिए उसे अन्तिम रूप दिया गया है।

[अनुवाद]

रबड़ की खेती

2398. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार को निम्न स्तरीय वन भूमि में उन्हें रबड़ की खेती की अनुमति देने हेतु पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). त्रिपुरा पुनर्वास पौधरोपण निगम लि. द्वारा आदिवासी झुमियों को बसाने के लिए रबड़-पौधरोपण हेतु त्रिपुरा राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 9109.52 हे. और 343.21 हे. वन भूमि को उपयोग में लाने के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 9109.52 हे. वन भूमि के उपयोग वाले पहले प्रस्ताव के संबंध में प्रथम चरण में 1500 हे. वन भूमि के उपयोग के लिए 2.12.1993 को सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया गया है। 343.21 हे. वन भूमि के उपयोग वाले दूसरे प्रस्ताव के संबंध में 7.9.1993 को राज्य सरकार से कतिपय अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2399. श्री मोहन रावले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी पार्टियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में संसाधनों के अभाव के कारण नहीं पढ़ाये जाने वाले कुछ पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु धनराशि का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

स्मारकों की मरम्मत

2400. श्री विलासराव नामनाथराव मूंडेवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कितने प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की मरम्मत की जा रही है;

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संरक्षण हेतु लिए गए केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। परिरक्षण कार्य विभिन्न चरणों में है। इस वर्ष के दौरान इस पर अब तक (अक्तूबर, 1995 तक) 2,75,66,990/- रुपये व्यय हुआ है।

(ग). केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19
2.	असम	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	10
5.	दिल्ली	19
6.	दमन और द्वीव	5
7.	गोवा	14
8.	गुजरात	19
9.	हरियाणा	7
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू और कश्मीर	14
12.	कर्नाटक	27
13.	केरल	2
14.	मध्य प्रदेश	17
15.	महाराष्ट्र	6
16.	उड़ीसा	9
17.	पंजाब	2
18.	राजस्थान	11
19.	तमिलनाडु	18
20.	उत्तर प्रदेश	34
21.	पश्चिमी बंगाल	9
		251

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की विकास परियोजनाएं

2401. श्री अमर रायप्रधान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पश्चिम बंगाल की किन-किन विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की, अस्वीकार किया और कौन-कौन सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश पावलट) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) सारी अपेक्षित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर परियोजना प्रस्तावों का पर्यावरणीय दृष्टि से पूरा मूल्यांकन करने के लिए हर प्रयास किए जाते हैं और उसके बाद 30 दिन के अन्दर अन्तिम निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है। वानिकी दृष्टि से मंजूरी वाले प्रस्तावों के मामले में पूरे ब्यौरे प्राप्त होने के बाद शीघ्र निर्णय लिया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर तथा नामंजूर परियोजनाएं तथा 30.11.95 की स्थिति के अनुसार लंबित परियोजनाओं की सूची।

क. पर्यावरणीय मंजूरी

मंजूर परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	
1.	कलकत्ता टकसाल का आधुनिकीकरण
2.	बक्रेश्वर जलाशय स्कीम
3.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम (900 मे.वा.)
4.	तीस्तर बैराज परियोजनाएं
5.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना
6.	बक्रेश्वर थर्मल पावर परियोजना (चरण–2, 2 ×210 मे.वा.)
7.	चिनाकुरी थर्मल पावर परियोजना (40 मे.वा.)
8.	जांजरा भूमिगत खान परियोजना
9.	जामबाड़ खुली खदान परियोजना

नामंजूर परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नामंजूर करने के कारण
1.	चिनाकुरी–1 व 2 खान	पर्यावरणीय आंकड़े न भेजे जाने के कारण
2.	फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना	–वही–
3.	बागसाबाटी सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	–वही–
4.	मैथीन लेफ्ट बैंक थर्मल पावर परियोजना (4×210 मे.वा.)	–वही–
5.	गौरीपुर थर्मल पावर परियोजना (2×67.5 मे.वा.)	–वही–
6.	सागड़डिथि थर्मल पावर परियोजना (2×500 मे.वा.)	–वही–
7.	बोट कैनाल क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का विकास	इस प्रस्ताव को पर्यावरणीय आधार पर उपयुक्त नहीं पाया गया था।
8.	समुद्रतट क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट भूमि का विकास	–वही–

लंबित परियोजना की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबित पड़े रहने की तारीख	लंबित पड़े रहने के कारण
1.	हल्दिया, बृन्दावनचाक, जिला मिदनापुर में तटीय विनियमन क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के प्रस्तावित पी.ओ.एल. टर्मिनल के लिए पर्यावरणीय मंजूरी।	अगस्त, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा थी।
2.	हल्दिया, जिला मिदनापुर में तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर स्थापित किए जाने के लिए भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन का प्रस्तावित पी.ओ.एल. टर्मिनल	सितम्बर, 95	कार्रवाई की जा रही है
3.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि. का दुर्गापुर में 0.5 एमटीपीए इस्पात उत्पादन।	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा थी।
4.	मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. का हल्दिया, जिला मिदनापुर में पी.ओ.एल. टर्मिनल	अक्तूबर, 95	कार्रवाई की जा रही है
5.	सारस्थली कैप्टिव कोयला खान, मैसर्स सी ई एस सी	नवम्बर, 95	कार्रवाई की जा रही है

ख. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के संबंध में 1993 से 1995 की अवधि के लिए अनुमोदित/नामंजूर विकास परियोजनाओं की सूची

अनुमोदित मामले

1. जलपायगुड़ी जिले में खेनिया वन ग्राम के लिए 45 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग।
2. पुरूलिया जिले में 900 मे.वा. एचईपी के निर्माण के लिए 232 है. वन भूमि का उपयोग।
3. बेलूरघाट, शारदा संघ द्वारा किंडरगार्डन स्कूल और वृद्धों के लिए गृहों का निर्माण।
4. चोला रेयांग एमटी परियोजना के लिए नल पाइप बिछाना।

नामंजूर परियोजनाएं

1. संवर्धन प्रचार प्रसार और प्रसंस्करण आदि के लिए प्रशिक्षण और पौधरोपण केन्द्र की स्थापना।
2. पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड द्वारा एम 33/11 कि.वा. सब-स्टेशन का निर्माण।
3. तेस्ता नदी पर पुल पर जाने के लिए सम्पर्क मार्ग।
4. कोकराझार पर्यटक लाज का निर्माण।
5. विश्नुपुर से हिजली तक 132 के.वी./डीसी ट्रांसमिशन लाइन।
6. कांकसीवाटी नहर प्रभाग की मुख्य नहर टी सी एम सी (एन) से उप नहर की खुदाई।

30.11.1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास लंबित

1. मिदनापुर में आई सी एफ ई आर – मुख्य वन संरक्षण (मध्य) भुवनेश्वर से स्थल निरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया है।

जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय और महाविद्यालय

2402. डा. मुमताज अंसारी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों की संख्या जनजातीय बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा देश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1986 के अनुसार, 94.6 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्कूल/सैक्शन हैं जो एक किलोमीटर की पैदल दूरी में अथवा एक किलोमीटर की पैदल दूरी तक के क्षेत्रों में स्थित हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर, 85.39 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को 3 किलोमीटर की पैदल दूरी वाले क्षेत्रों अथवा 3 किलोमीटर की पैदल दूरी तक स्थित क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आंकड़े अलग से इकट्ठे नहीं किए जाते हैं तथापि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन जनसंख्या में अनु.जनजाति के भाग से थोड़ा सा अधिक है।

(ख) स्कूल तथा कालेज खोलना, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वे राज्य योजनाओं में आते हैं जिन्हें राज्यों द्वारा अपने संसाधनों तथा केन्द्रीय योजनागत सहायता से वित्तपोषित किया जाता है।

त्रिभाषा सूत्र

2403. श्री रवि राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिभाषा सूत्र को माध्यमिक स्तर पर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समान रूप से लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ब्यौरे जो भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, भारत की 31वीं रिपोर्ट में दिए गए हैं (जुलाई, 1990 से जून, 1991 की अवधि के लिए)
मध्य अंचल	
1. बिहार	त्रिभाषा सूत्र राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. मध्य प्रदेश	–वही–
3. उत्तर प्रदेश	–वही–
उत्तरी अंचल	
4. चंडीगढ़	प्रशासन त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रहा है।
5. दिल्ली	–वही–
6. हरियाणा	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
7. हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को अपना लिया है।
8. जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है।
9. पंजाब	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
10. राजस्थान	–वही–
पूर्वी अंचल	
11. उड़ीसा	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
12. सिक्किम	–वही–
13. पश्चिम बंगाल	–वही–
उत्तर पूर्वी अंचल	
14. अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
15. असम	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
16. मणिपुर	रिपोर्ट में स्तर उपलब्ध नहीं है।
17. मेघालय	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वित कर रही है।
18. मिजोरम	–वही–
19. नागालैण्ड	–वही–
20. त्रिपुरा	–वही–
दक्षिणी अंचल	
21. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	प्रशासन त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रहा है।
22. आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
23. केरल	राज्य सरकार पूरी तरह से त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
24. लक्षद्वीप	प्रशासन त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रहा है।
25. पांडिचेरी	प्रशासन ने त्रिभाषा सूत्र को अभी कार्यान्वित नहीं किया है।
26. तमिलनाडु	राज्य सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को नहीं अपनाया है।
पश्चिमी अंचल	
27. दादरा व नगर हवेली	स्तर रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।
28. दमन और दीव	प्रशासन त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
29. गोवा	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
30. गुजरात	–वही–
31. कर्नाटक	राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।
32. महाराष्ट्र	राज्य सरकार पूरी तरह से त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित कर रही है।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

2404. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली जन उपयोग की प्रत्येक आवश्यक वस्तु की प्रति व्यक्ति प्रतिमाह हकदारी कितनी है;

(ख) वर्ष 1995 अथवा वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक वस्तु का राज्यवार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आवंटन कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिमाह इन वस्तुओं की कितनी खरीद की; और

(घ) प्रति व्यक्ति हकदारी, आवंटन और खरीद में विसंगति का क्या कारण है और राज्यों के मध्य विसंगति दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति मासिक पात्रता राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा तय की जाती है। यह पात्रता राज्य दर राज्य और एक ही राज्य के अन्दर जिला दर जिला भी भिन्न-भिन्न होंगी। विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रतिव्यक्ति मासिक पात्रताओं में मौसमी भिन्नता भी होगी। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के ब्यौरे नहीं रखती है।

(ख) और (ग). 1995 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के राज्यवार मासिक आवंटन और उठान संलग्न विवरण I, II, III, IV और V में दिए गए हैं। लेवी चीनी को छोड़कर राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं। लेवी चीनी का आवंटन 1.10.1986 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। 1.10.1986 से लेवी चीनी का आवंटन 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।

(घ) सामान्यतः मिट्टी के तेल और लेवी चीनी के आवंटनों का सौ प्रतिशत उठान कर लिया जाता है। चावल और गेहूं का उठान आवंटनों से कम होता है क्योंकि खाद्यान्नों का उठान उपलब्धता और खुले बाजार में मूल्य, मौसम आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर खाद्यान्नों के उठान की समीक्षा करती है। चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 1.2.1994 के बाद नहीं बढ़ाए गए हैं तथापि, धान और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है।

विवरण-I

1995 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल के आबंटन (आ.) और उठान (उ.) को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 95		फरवरी, 95		मार्च, 95		अप्रैल, 95		मई, 95	
		आ.	उ.	आ.	उ.	आ	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	190.00	179.30	210.00	208.00	210.00	198.20	210.00	187.31	210.00	198.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.60	7.10	8.60	7.10	12.10	6.60	8.60	8.58	13.60	10.10
3.	असम	38.40	24.50	38.40	26.20	38.40	29.80	38.40	32.67	38.40	31.80
4.	बिहार	31.80	0.80	31.80	0.30	31.80	0.60	31.80	0.97	31.80	1.10
5.	गोवा	4.50	3.90	4.50	2.50	4.50	3.00	4.50	0.00	4.50	2.80
6.	गुजरात	34.50	19.10	34.50	19.60	34.50	18.80	34.50	11.18	34.50	18.30
7.	हरियाणा	3.00	0.40	3.00	0.40	3.00	0.60	5.00	0.39	5.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	12.00	2.70	12.00	3.00	12.00	3.40	12.00	3.14	12.00	4.50
9.	जम्मू और कश्मीर	44.00	5.00	44.00	8.80	44.00	18.00	44.00	40.53	44.00	10.20
10.	कर्नाटक	120.26	35.50	120.26	67.80	120.26	59.40	120.26	77.04	120.26	81.90
11.	केरल	150.00	99.60	150.00	95.50	150.00	93.20	150.00	80.74	150.00	93.30
12.	मध्य प्रदेश	48.56	10.60	48.56	12.00	48.56	12.80	48.56	17.14	48.56	26.40
13.	महाराष्ट्र	71.50	22.00	71.50	26.60	71.50	20.50	71.50	25.60	71.50	35.70
14.	मणिपुर	10.00	1.20	10.00	0.50	10.00	1.20	10.00	1.32	10.00	3.80
15.	मेघालय	13.00	11.00	13.00	10.40	13.00	11.30	13.00	8.72	13.00	15.30
16.	मिजोरम	7.60	6.60	14.00	6.60	8.00	9.30	8.00	3.33	8.00	16.30
17.	नागालैण्ड	7.50	4.90	7.50	7.00	7.50	6.40	6.00	9.93	6.00	3.90

जून, 95		जुलाई, 95		अगस्त, 95		सितम्बर, 95		अक्तूबर, 95		नवम्बर, 95		दिसम्बर		जोड़	
आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
210.00	206.20	210.00	196.70	210.00	183.20	210.00	198.60	210.00	191.90	310.00		210.00		2600.00	1948.91
8.60	9.00	8.60	7.50	5.35	6.00	5.35	5.40	9.60	7.30	8.60		8.60		106.20	74.68
53.40	34.40	38.40	46.50	49.30	43.30	49.30	31.20	54.30	38.50	49.30		49.30		535.30	338.87
31.80	1.00	31.80	1.80	31.80	4.40	31.80	3.00	31.80	2.10	31.80		31.80		381.60	16.07
4.50	4.20	4.50	4.20	7.50	4.60	7.50	4.30	7.50	3.50	7.50		7.50		69.00	33.00
34.50	18.00	34.50	15.50	34.50	14.30	34.50	19.10	34.50	12.00	34.50		34.50		414.00	165.88
5.00	0.50	5.00	0.70	5.00	0.70	5.00	1.20	5.00	0.90	4.56		3.00		51.56	6.39
12.00	4.40	12.00	3.60	12.00	2.90	12.00	4.10	12.00	4.60	9.40		9.40		138.80	36.34
44.00	11.60	44.00	17.20	44.00	17.20	44.00	13.10	44.00	6.00	44.00		44.00		528.00	147.63
120.26	78.20	120.26	79.80	120.26	78.00	120.26	79.30	120.26	73.80	120.26		120.26		1443.12	710.74
150.00	99.70	150.00	101.90	150.00	118.00	150.00	85.90	150.00	91.10	150.00		150.00		1800.00	958.94
48.56	29.30	48.56	17.10	48.56	12.50	48.56	13.90	48.56	11.20	48.56		48.56		582.72	162.94
71.50	24.70	71.50	27.00	71.50	31.30	71.50	25.50	71.50	27.90	71.50		71.50		858.00	266.80
10.00	3.70	10.00	3.30	10.00	4.50	10.00	3.60	10.00	1.80	10.00		10.00		120.00	24.92
13.00	15.60	13.00	10.60	15.00	15.70	15.00	12.80	15.00	15.70	15.00		15.00		166.00	127.12
6.50	11.30	6.50	10.00	6.50	8.00	6.50	4.30	8.00	5.80	8.00		8.00		95.60	81.53
6.00	3.00	6.00	7.10	6.00	5.30	6.00	4.60	6.00	5.80	6.00		6.00		76.50	57.93

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18.	उड़ीसा	47.50	18.80	47.50	19.90	47.50	19.40	47.50	16.88	47.50	24.30
19.	पंजाब	1.35	0.10	1.35	0.00	1.35	0.40	1.35	0.05	1.35	0.10
20.	राजस्थान	4.00	0.60	4.00	0.60	4.00	0.90	5.00	0.69	5.00	0.40
21.	सिक्किम	4.80	3.60	4.80	3.70	4.80	3.70	4.80	1.77	4.80	0.00
22.	तमिलनाडु	100.00	108.70	100.00	117.70	100.00	112.70	125.00	91.32	125.00	108.00
23.	त्रिपुरा	16.20	10.60	16.20	11.20	16.20	16.00	16.20	13.99	16.20	20.10
24.	उत्तर प्रदेश	45.80	20.60	45.80	19.80	45.80	14.40	45.80	14.13	45.80	23.30
25.	पश्चिम बंगाल	69.00	37.40	69.00	38.10	69.00	39.70	69.00	41.69	69.00	39.10
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चण्डीगढ़	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	0.00	0.30	0.12	0.30	0.10
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
29.	दमन और दीव	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
30.	दिल्ली	20.00	3.60	20.00	3.20	20.00	4.00	20.00	3.12	20.00	2.60
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	1.60	0.00	0.01	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	2.00	0.30	2.00	0.30	2.00	0.20	2.00	0.20	2.00	0.30
	जोड़	1107.17	638.90	1133.57	718.20	1131.07	706.10	1154.07	692.56	1159.07	773.00

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
47.50	31.50	47.50	35.50	75.00	32.50	75.00	29.20	75.00	31.60	75.00		75.00		707.50	259.58
1.35	0.00	1.35	0.20	1.35	0.00	1.35	0.10	1.35	0.00	1.35		1.35		16.20	0.95
5.00	0.50	5.00	0.70	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.10	4.00		4.00		52.00	7.49
4.80	4.10	4.80	3.30	4.80	4.30	4.80	4.30	4.80	4.30	4.80		4.80		57.60	33.07
125.00	138.40	125.00	145.80	125.00	113.80	125.00	77.90	125.00	153.90	140.00		140.00		1455.00	1168.22
16.20	16.90	16.20	10.10	16.20	17.60	16.20	13.80	16.20	11.10	16.20		16.20		194.40	141.39
45.80	18.60	45.80	18.60	45.80	20.10	45.80	16.50	45.80	11.30	45.80		45.80		549.60	177.33
79.00	35.80	79.00	32.60	75.00	29.40	85.00	56.80	85.00	53.00	60.00		60.00		868.00	403.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00		0.00		29.00	00.00
0.30	0.00	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30		0.30		3.60	0.82
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.10	0.50		0.50		6.00	0.10
0.50	0.00	0.50	0.20	0.50	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60		0.60		6.40	0.20
20.00	0.50	20.00	1.50	20.00	3.20	20.00	2.40	20.00	2.40	20.00		20.00		240.00	26.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	6.30	0.00	0.00		0.00		6.30	2.81
2.00	0.30	2.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.20	2.00	0.20	2.00		2.00		24.00	2.10
1177.57	801.40	1162.57	799.30	1197.72	771.90	1207.82	712.60	1253.87	769.00	1299.53		1197.97		14182.00	7382.86

विवरण–II

1995 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं का आबंटन (आ.) और उठान (उ.) का ब्यौरा

(हजार मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 95		फरवरी, 95		मार्च, 95		अप्रैल, 95		मई, 95		जून, 95	
		आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	15.00	12.1	15.00	13.5	15.00	8.90	15.00	8.73	15.00	5.30	15.00	6.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.60	2.1	0.60	1.7	0.60	0.60	0.60	0.41	0.60	0.50	0.60	0.50
3.	असम	30.00	27.8	30.00	28.1	30.00	38.70	30.00	28.90	30.00	32.40	30.00	31.60
4.	बिहार	58.80	22.4	58.80	22.5	58.80	19.40	58.80	12.33	58.80	9.10	58.80	4.40
5.	गोवा	3.10	2.0	3.10	1.3	3.10	1.30	3.10	1.33	3.10	1.20	3.10	2.30
6.	गुजरात	53.50	46.0	53.50	43.6	53.50	50.30	53.50	39.25	75.00	34.00	75.00	15.40
7.	हरियाणा	20.00	6.8	20.00	7.4	20.00	8.70	16.56	0.38	16.56	0.40	16.56	0.30
8.	हिमाचल प्रदेश	12.00	11.3	12.00	11.3	12.00	11.40	12.00	5.87	12.00	9.70	12.00	7.90
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00	6.8	30.00	7.0	30.00	6.90	30.00	7.02	30.00	15.70	30.00	10.30
10.	कर्नाटक	30.00	30.0	30.00	23.7	30.00	22.50	30.00	14.72	30.00	15.50	30.00	15.40
11.	केरल	35.00	31.1	35.00	20.7	35.00	30.90	35.00	27.98	45.00	38.40	45.00	44.50
12.	मध्य प्रदेश	48.66	19.4	48.66	20.5	48.66	21.50	48.66	11.14	48.66	11.00	48.66	6.90
13.	महाराष्ट्र	80.00	53.7	80.00	66.7	80.00	53.20	100.00	57.28	100.00	51.70	100.00	47.50
14.	मणिपुर	2.70	1.2	2.70	2.7	2.70	0.30	2.70	2.40	2.70	3.50	2.70	2.30
15.	मेघालय	2.00	2.5	2.00	2.8	2.00	2.40	2.00	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00
16.	मिजोरम	2.00	2.3	2.00	2.3	2.00	2.50	2.00	1.75	2.00	1.90	2.00	2.10
17.	नागालैण्ड	4.00	8.6	4.00	7.0	2.00	2.50	2.60	4.80	0.60	1.30	2.60	1.90

जुलाई, 95		अगस्त, 95		सितम्बर, 95		अक्तूबर, 95		नवम्बर, 95		दिसम्बर, 95		जोड़	
आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15.00	8.50	18.00	9.80	18.00	10.70	18.00	10.50	18.00		15.00		192.00	94.43
0.60	0.50	0.60	0.50	0.60	0.40	0.60	0.60	0.60		0.60		7.20	7.81
30.00	27.90	30.00	29.00	30.00	25.80	30.00	28.80	30.00		30.00		360.00	299.00
58.80	7.90	58.80	12.90	58.80	17.60	58.80	18.10	58.80		58.80		705.60	146.65
3.10	1.60	4.40	2.00	4.40	1.80	4.40	1.90	4.40		3.10		42.40	16.73
75.00	19.70	75.00	30.60	75.00	32.60	75.00	31.00	75.00		75.00		814.00	342.45
16.56	0.50	16.56	1.70	16.56	1.80	16.56	2.80	17.00		20.00		212.92	30.78
12.00	6.60	12.00	14.90	12.00	6.70	12.00	10.90	12.00		12.00		144.00	96.57
30.00	8.40	30.00	8.40	30.00	5.70	30.00	9.40	30.00		30.00		360.00	85.62
30.00	16.90	30.00	20.30	30.00	21.60	30.00	20.00	30.00		30.00		360.00	200.62
45.00	45.30	65.00	58.20	50.00	50.20	50.00	50.50	50.00		50.00		540.00	402.78
48.66	6.30	48.66	7.60	48.66	7.80	48.66	6.80	48.66		48.66		583.92	118.94
100.00	35.10	100.00	53.80	100.00	57.00	100.00	46.10	80.00		80.00		1100.00	522.08
2.70	2.80	2.70	3.80	2.70	3.10	2.70	3.10	2.70		2.70		32.40	25.20
2.00	2.10	2.50	1.40	2.50	2.30	2.50	3.70	2.50		2.50		26.50	23.00
2.00	2.50	2.00	1.40	2.00	1.40	2.00	2.00	2.00		2.00		24.00	20.15
2.60	4.10	2.60	1.30	0.60	0.50	0.60	0.40	0.60		0.60		23.40	32.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	35.00	16.7	35.00	15.3	35.00	11.70	35.00	14.44	35.00	14.30	35.00	10.40
19.	पंजाब	18.00	0.1	18.00	1.0	18.00	0.30	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
20.	राजस्थान	154.91	56.3	154.91	74.5	154.91	60.60	109.91	23.50	94.91	15.50	94.91	17.50
21.	सिक्किम	1.00	1.0	1.00	1.10	1.00	1.00	1.00	0.06	1.00	0.00	1.00	1.10
22.	तमिलनाडु	25.00	9.3	25.00	9.40	25.00	14.60	25.00	12.68	25.00	13.10	25.00	13.60
23.	त्रिपुरा	1.80	0.3	1.80	0.4	1.80	0.40	1.80	0.66	1.80	0.80	1.80	0.30
24.	उत्तर प्रदेश	98.80	30.6	98.80	29.3	98.80	24.20	98.80	12.60	98.80	17.00	98.80	11.40
25.	पश्चिम बंगाल	105.00	82.5	90.00	66.0	90.00	78.60	80.00	58.67	70.00	52.60	80.00	57.60
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चण्डीगढ़	1.80	0.0	1.80	0.0	1.80	0.0	1.80	0.0	1.80	0.00	1.80	0.00
28.	दादर एवं नागर हवेली	0.20	0.0	0.20	0.0	0.20	0.0	0.20	0.0	0.20	0.00	0.20	0.00
29.	दमन और दीव	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
30.	दिल्ली	90.00	27.10	90.00	19.90	90.00	22.60	50.00	13.11	50.00	4.30	50.00	0.90
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00
	जोड़	959.77	510.00	944.77	503.70	942.77	496.00	856.93	361.83	860.43	351.20	872.43	314.50

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
35.00	10.50	35.00	22.80	35.00	17.60	35.00	20.80	35.00		35.00		420.00	154.54
9.00	0.40	9.00	0.30	8.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		158.00	2.10
99.91	31.70	99.91	36.20	109.91	38.30	119.91	31.00	129.91		129.91		1453.92	385.10
1.00	0.50	1.00	1.30	1.00	1.30	1.00	1.30	1.00		1.00		12.00	7.66
25.00	15.60	25.00	13.90	25.00	5.80	25.00	15.90	25.00		30.00		305.00	123.88
1.80	0.20	1.80	1.70	1.80	0.50	1.80	0.50	1.80		1.80		21.60	5.76
98.80	12.10	98.80	11.70	98.80	18.10	98.80	17.30	98.80		98.80		1185.60	184.30
80.00	59.80	70.00	66.60	98.80	83.00	109.80	70.90	120.00		105.00		1098.60	676.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00		0.00		8.40	0.00
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.10	1.80		1.80		21.60	0.10
0.20	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25		0.25		2.60	0.00
0.15	0.00	0.15	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20		0.20		2.00	0.00
60.00	2.80	60.00	11.10	70.00	14.40	80.00	11.30	80.00		90.00		860.00	127.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		0.00		0.50	0.00
0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75		0.75		9.00	0.00
887.43	330.30	902.23	423.20	933.13	426.00	982.03	415.70	973.77		972.47		11087.16	4132.43

विवरण–III

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी के आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वर्ष : 1995

(आ) आवंटन
(उ) उठान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 95		फरवरी, 95		मार्च, 95		अप्रैल, 95		मई, 95		जून, 95	
		आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	25293	–	25290	–	25291	–	25300	–	25292	–	25292	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	321	–	321	–	322	–	322	–	322	–	322	–
3.	असम	9690	–	9695	–	9693	–	10416	–	9692	–	9692	–
4.	बिहार	33494	–	33494	–	33499	–	33498	–	33498	–	33498	–
5.	गोवा	500	–	500	–	500	–	500	–	500	–	500	–
6.	गुजरात	16231	–	16224	–	16227	–	16227	–	16230	–	16228	–
7.	हरियाणा	6400	–	6391	–	6415	–	6420	–	6393	–	6393	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1840	–	1819	–	1833	–	1950	–	2032	–	2026	–
9.	जम्मू और कश्मीर	3276	–	3266	–	3295	–	3305	–	3268	–	3267	–
10.	कर्नाटक	17800	–	17792	–	17798	–	17789	–	17799	–	17797	–
11.	केरल	11958	–	11958	–	11960	–	11960	–	11966	–	11961	–
12.	मध्य प्रदेश	25106	–	25085	–	25111	–	25116	–	25091	–	25092	–
13.	महाराष्ट्र	29962	–	29957	–	29960	–	29960	–	29964	–	29961	–
14.	मणिपुर	719	–	719	–	719	–	721	–	729	–	728	–
15.	मेघालय	679	–	678	–	679	–	681	–	681	–	681	–
16.	मिजोरम	264	–	284	–	285	–	285	–	285	–	285	–

जुलाई, 95		अगस्त, 95		सितम्बर, 95		अक्तूबर, 95		नवम्बर, 95		दिसम्बर, 95		जोड़	
आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
25292	–	25292	–	29105	–	30368	–	26556	–	–	–	288371	–
321	–	322	–	369	–	385	–	338	–	–	–	3665	–
9691	–	9691	–	10413	–	10891	–	10171	–	–	–	109735	–
33498	–	33498	–	33496	–	40247	–	35169	–	–	–	377889	–
500	–	500	–	575	–	525	–	525	–	–	–	5625	–
16228	–	18106	–	16228	–	20038	–	17034	–	–	–	185004	–
6420	–	6393	–	6384	–	8634	–	6748	–	–	–	72991	–
2039	–	2021	–	2021	–	2426	–	2281	–	–	–	22288	–
3313	–	–	–	2	–	3714	–	3327	–	–	–	30033	–
17804	–	17797	–	20465	–	21358	–	18683	–	–	–	202882	–
11968	–	15561	–	11961	–	12259	–	12259	–	–	–	135771	–
25123	–	25091	–	25087	–	30110	–	30135	–	–	–	286146	–
29973	–	34468	–	29959	–	35962	–	31457	–	–	–	341583	–
729	–	729	–	740	–	893	–	861	–	–	–	8287	–
681	–	681	–	682	–	815	–	716	–	–	–	7654	–
283	–	283	–	322	–	322	–	309	–	–	–	3207	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	नागालैण्ड	441	–	443	–	443	–	443	–	433	–	433	–
18.	उड़ीसा	12409	–	12409	–	12410	–	12410	–	12410	–	12410	–
19.	पंजाब	8107	–	8066	–	8137	–	8143	–	7212	–	7212	–
20.	राजस्थान	17002	–	17002	–	17003	–	17003	–	16999	–	17002	–
21.	सिक्किम	165	–	165	–	165	–	165	–	165	–	165	–
22.	तमिलनाडु	22554	–	22554	–	22555	–	22560	–	22554	–	22555	–
23.	त्रिपुरा	1026	–	1026	–	1027	–	1032	–	1032	–	1032	–
24.	उत्तर प्रदेश	53137	–	53055	–	53092	–	53239	–	53058	–	53058	–
25.	पश्चिम बंगाल	26036	–	26036	–	26035	–	26039	–	26039	–	26039	–
26.	अंडमान और निकोबार	1482	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	396	–	394	–	412	–	417	–	394	–	394	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	51	–	52	–	51	–	52	–	51	–	52	–
29.	दमन और दीव	39	–	39	–	39	–	39	–	39	–	39	–
30.	दिल्ली	10055	–	10049	–	10065	–	10070	–	10051	–	10052	–
31.	लक्षद्वीप	426	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	401	–	401	–	402	–	402	–	376	–	281	–
	जोड़	337260	–	335162	–	335424	–	336464	–	334565	–	335456	–

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
443	–	443	–	489	–	510	–	468	–	–	–	5009	–
12410	–	14275	–	14275	–	13030	–	13030	–	–	–	141478	–
8125	–	8088	–	8071	–	9704	–	9731	–	–	–	90596	–
17036	–	17012	–	17005	–	20402	–	20401	–	–	–	193867	–
165	–	165	–	190	–	198	–	174	–	–	–	1882	–
22558	–	22556	–	25950	–	27080	–	23682	–	–	–	257158	–
1030	–	1030	–	1181	–	1231	–	1080	–	–	–	11726	–
53134	–	53060	–	61015	–	63675	–	55886	–	–	–	605409	–
26039	–	26039	–	26039	–	35132	–	27336	–	–	–	296809	–
1482	–	–	–	37	–	49	–	12	–	–	–	3062	–
405	–	394	–	441	–	468	–	423	–	–	–	4538	–
52	–	59	–	52	–	62	–	54	–	–	–	588	–
10092	–	10053	–	11181	–	11644	–	10507	–	–	–	113819	–
426	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	860	–
281	–	313	–	338	–	322	–	222	–	–	–	3839	–
337580	–	343959	–	354118	–	402505	–	359723	–	–	–	3812216	–

★ लेवी चीनी का उठान सौ प्रतिशत माना जाता है।

विवरण–IV

वर्ष : 1995

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य तेल के राज्यवार आवंटन और उठान का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 95		फरवरी, 95		मार्च, 95		अप्रैल, 95		मई, 95	
		आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	3691	–	635	–	–	5000	2289
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	10	–	15	–	–	300	–	–	–
3.	असम	–	29	–	97	–	3	–	–	–	50
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	गोवा	–	425	300	228	–	431	–	–	300	46
6.	गुजरात	2000	1845	2000	3169	895	1282	–	409	3000	948
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	200	200	200	200	96	–	40	200	89
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	1733	–	826	–	1064	–	23	–	15
11.	केरल	1500	342	–	421	–	602	–	82	–	121
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	1000	397	1500	864	–	916	–	227	3000	148
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	200	63	–	13	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	47	–	76	–	–	–	–	100	–
17.	नागालैण्ड	400	300	400	357	–	–	400	200	400	562

जून, 95		जुलाई, 95		अगस्त, 95		सितम्बर, 95		अक्तूबर, 95		नवम्बर, 95		दिसम्बर, 95		जोड़	
आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6000	3455	10400	6004	10400	4522	10400	7452	10400	3674	–	–	–	–	52600	31722
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	300	25
300	–	300	–	–	106	–	86	–	180	–	–	–	–	600	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
300	130	300	352	800	620	600	357	600	201	–	–	–	–	3200	2790
6000	1743	4000	5531	8000	8233	12000	11123	6000	8244	–	–	–	–	43895	42527
–	–	100	–	–	–	–	–	–	–	100	–	–	–	200	19
–	175	150	–	150	178	300	122	–	146	150	–	–	–	1350	1246
–	–	500	–	–	7	–	93	–	139	–	–	–	–	500	239
–	–	3000	–	–	606	3000	2216	300	1610	–	–	–	–	9000	8093
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	1568
–	–	–	–	–	–	2500	–	–	–	–	–	–	–	2500	–
–	988	10000	751	–	1366	–	1668	10000	1445	–	–	–	–	25500	8770
–	–	–	–	–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	200	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	76
200	50	200	–	200	100	–	–	200	100	–	–	–	–	900	373
400	38	400	10	900	510	400	80	400	310	–	–	–	–	4100	2367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	उड़ीसा	1000	891	1000	891	–	–	–	–	2000	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	100	–	–	97	–	84	100	–
22.	तमिलनाडु	–	1000	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	10	–	10	–	–	–	–	100	20
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	2000	1536	2000	508	–	792	2000	269	–	67
26.	अंडमान एंव निकोबार	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादर तथा नगर हवेली	–	80	–	30	–	49	–	–	80	–
29.	दमन और दीव	75	100	–	59	50	101	–	–	150	–
30.	दिल्ली	10	185	–	289	300	283	300	176	300	302
31.	लक्षद्वीप	30	21	–	–	–	30	–	–	120	–
32.	पाण्डिचेरी	900	511	–	203	–	263	–	–	–	–
	जोड़	9155	9725	7500	11947	1445	6613	3000	1510	14850	4657

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
–	–	2000	891	2000	–	2000	891	2000	–	–	–	–	–	12000	3564
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	300	–	–	–	–	–	–	–	300	–
100	100	100	–	100	20	110	90	110	150	–	–	–	–	720	491
–	–	20000	491	2000	1969	2000	1275	–	248	–	–	–	–	6000	4983
100	10	100	–	100	–	–	–	100	10	–	–	–	–	500	60
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1616	2000	696	3000	2276	3500	2588	3000	636	–	–	–	–	17500	10984
–	–	–	–	–	–	25	–	25	25	25	–	–	–	115	25
–	–	–	–	–	–	–	–	100	–	–	–	–	–	100	–
80	40	80	70	80	30	80	30	80	40	–	–	–	–	480	369
125	10	75	20	75	60	125	60	75	90	–	–	–	–	750	500
300	242	–	202	300	190	500	267	500	268	–	–	–	–	2510	2404
–	–	–	45	–	45	30	–	30	–	30	–	–	–	240	141
–	–	952	92	952	528	952	694	952	395	–	–	–	–	4708	2686
13905	8597	36657	15155	29057	21366	38822	29092	37772	17911	305	0	0	0	192468	126573

आ. = आबंअन

उ. = उठान

विवरण–V

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी के तेल के राज्य–वार आबंटन (आ.) और उठान (उ.) के ब्यौरे

वर्ष : 1995

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 95		फरवरी, 95		मार्च, 95		अप्रैल, 95		मई, 95		जून, 95	
		आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	50261	50695	50261	50322	50261	50576	51286	50550	51286	49517	49675	52386
2.	अरुणाचल प्रदेश	790	787	790	887	790	917	798	796	798	887	798	772
3.	असम	20976	21494	20976	21303	20976	21564	21186	21233	21186	21313	21186	21230
4.	बिहार	47742	47849	47742	47803	45525	45615	50577	47368	50577	50159	50577	50372
5.	गोवा	2261	3358	2261	2286	2261	2253	2284	2282	2284	2309	2284	2293
6.	गुजरात	73160	73385	73160	73360	63916	64247	67190	65716	67190	66940	67190	64418
7.	हरियाणा	13595	13695	13595	13648	12271	12564	13039	12802	13039	13064	13039	13092
8.	हिमाचल प्रदेश	3366	3404	3366	3410	3366	3403	3519	3368	3519	3426	3519	3590
9.	जम्मू और कश्मीर	7254	6723	7410	7508	8155	9112	5702	8099	5702	5532	5702	6609
10.	कर्नाटक	37744	37982	37744	37935	37744	38017	38770	38460	38770	38483	38770	40922
11.	केरल	22528	22620	22528	22601	22528	22607	22903	22806	22903	22993	22903	22999
12.	मध्य प्रदेश	39967	39370	39967	40363	34923	36378	37520	36466	37520	37294	39935	36303
13.	महाराष्ट्र	135815	135666	135815	131091	117744	120460	127304	123204	127304	126853	127304	119173
14.	मणिपुर	1756	719	1756	1564	1756	2976	1774	2129	1774	2079	1774	1740
15.	मेघालय	1386	1418	1386	1410	1386	1418	1341	1390	1341	1376	1341	1293
16.	मिजोरम	519	522	519	507	519	732	530	531	530	528	530	523
17.	नागालैण्ड	861	917	861	923	861	864	887	864	887	1109	887	1237

जुलाई, 95		अगस्त, 95		सितम्बर, 95		अक्तूबर, 95		नवम्बर, 95		दिसम्बर, 95		जोड़	
आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
51286	50320	51286	51506	51286	50156	51286	–	51286	–	51286	–	612357	453317
798	805	798	810	798	733	798	–	798	–	798	–	9552	7394
21186	21559	21186	21345	21186	21402	21186	–	21186	–	21186	–	253602	192443
50577	50811	50577	50809	50577	51980	50577	–	50577	–	50577	–	596202	442766
2284	2285	2284	2312	2284	2289	2284	–	2284	–	2284	–	27339	21667
67190	68032	67190	67291	67190	68552	67190	–	67190	–	67190	–	814946	611941
13039	13124	13039	13019	13039	14184	13039	–	13039	–	13039	–	156812	119192
3519	3473	3519	3652	3519	3629	3519	–	3519	–	3519	–	41769	3135
5702	5789	5702	5824	5702	5867	8554	–	8554	–	8554	–	82693	61063
38770	38862	38770	38812	38770	38939	38770	–	38770	–	38770	–	462162	348417
22903	23090	22903	23297	22903	24363	22903	–	22903	–	22903	–	273711	207376
39935	40699	39935	40807	39935	41015	39935	–	39935	–	39935	–	469442	348695
127304	127889	127304	126059	127304	128439	127304	–	127304	–	127304	–	1535110	1138834
1774	1750	1774	1798	1774	1779	1774	–	1774	–	1774	–	21234	16534
1341	1337	1341	1209	1341	1348	1341	–	1341	–	1341	–	16227	12199
530	528	530	529	530	526	530	–	530	–	530	–	6327	4926
887	871	887	913	887	921	887	–	887	–	887	–	10566	8619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	16065	16267	16065	16915	16065	16882	17621	16464	17621	17052	17621	17113
19.	पंजाब	29663	29612	29663	29554	29663	29629	27411	29042	27411	27674	27411	26710
20.	राजस्थान	28105	28287	28105	27206	23951	24457	25599	25122	25599	23941	25599	25863
21.	सिक्किम	630	635	630	630	630	635	636	632	636	633	636	638
22.	तमिलनाडु	55716	57016	55716	55840	55716	55230	56273	55527	56273	56562	56273	55921
23.	त्रिपुरा	1852	1879	1852	1873	1852	1865	1926	1900	1926	1922	1926	1934
24.	उत्तर प्रदेश	97014	89436	87014	87406	81621	84369	89649	80280	89649	89955	89649	89383
25.	पश्चिम बंगाल	62380	62423	62380	62611	62380	62874	63004	62539	63004	63218	63004	63516
26.	अण्डमान और निकोबार	382	376	382	362	382	339	386	374	386	385	386	375
27.	चण्डीगढ़	1744	1746	1744	1719	1744	1746	1761	1624	1761	1366	1761	1476
28.	दादर एवं नगर हवेली	259	258	259	261	259	263	262	246	262	261	262	272
29.	दमन और दीव	254	218	254	225	243	242	248	234	248	211	248	243
30.	दिल्ली	22596	22817	22596	22812	18260	18344	20077	19804	20077	20216	20077	19819
31.	लक्षद्वीप	67	47	67	62	81	16	74	31	74	8	74	–
32.	पाण्डिचेरी	1239	1216	1239	1216	1239	1222	1251	1205	1251	1215	1251	1198
	जोड़	767947	772837	768103	765613	719098	731816	752788	733088	752788	748481	755203	740702

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
17621	17453	17621	17563	17621	18505	17621	–	17621	–	17621	–	206784	154214
27411	27627	27411	27319	27411	27734	27411	–	27411	–	27411	–	335688	254901
26236	25681	26236	26094	26236	26116	26236	–	30001	–	30001	–	321934	232767
636	635	636	597	536	665	636	–	636	–	636	–	7614	5700
56273	56176	56273	56491	56273	56116	56273	–	56273	–	56273	–	673605	504879
1926	1905	1926	1940	1926	1930	1926	–	1926	–	1926	–	22890	17148
89649	89147	89649	89466	89649	88678	89649	–	89649	–	89649	–	1062490	788120
63004	63108	63004	63078	63004	62496	63004	–	63004	–	63004	–	754176	565863
386	387	386	340	386	407	386	–	386	–	386	–	4620	3345
1761	1578	1761	1550	1761	1690	1761	–	1761	–	1761	–	21081	14495
262	261	262	261	262	261	262	–	262	–	262	–	3135	2344
248	190	248	210	248	227	248	–	248	–	248	–	2983	2000
20077	19950	20077	19869	20077	20027	20077	–	20077	–	20077	–	244145	183658
74	–	74	–	74	–	74	–	74	–	74	–	881	164
1251	1111	1251	1214	1251	1214	1251	–	1251	–	1251	–	14976	10811
755840	756433	755840	755989	755840	762188	758692	–	762457	–	762457	–	9057053	6767147

युनाइटेड किंगडम से सहायता

2405. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने पर्यावरण तथा वन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). युनाइटेड किंगडम से सहायता प्राप्त पर्यावरण और वन संबंधी परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार स्थिति
1.	पश्चिमी घाट वानिकी परियोजना, कर्नाटक	समुद्रपारीय विकास प्रशासन (ओडीए), युनाइटेड किंगडम की वित्तीय प्रतिबद्धता 18.07 मिलियन पौण्ड की है। जून, 1995 तक 4.17 मिलियन यू.के. पौण्ड की राशि संवितरित की गई है। इस परियोजना को उत्तर कर्नाटक परिमण्डल में क्रियान्वित किया जा रहा है।
2.	कुल्लू मंडी, हिमाचल प्रदेश में वानिकी परियोजना	ओडीए, युनाइटेड किंगडम की वित्तीय प्रतिबद्धता यू.के. पौण्ड 10 मिलियन की रेंज में होगी जो दो चरणों में प्रदान की जाएगी। आरंभिक चरण में ओडीए की वित्तीय प्रतिबद्धता 3.09 मिलियन पौण्ड की है। यह परियोजना 1994-95 में ही शुरू हुई है।
3.	गोमती कार्य योजना	ओडीए, यू.के. 2 चरणों में लखनऊ में गोमती नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रथम चरण में 4.02 मिलियन पौण्ड की राशि प्रदान की जाएगी। पक्षों के पत्रों का आदान-प्रदान 29.8.95 को हुआ।
4.	वन आनुवांशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर को सहायता	वृक्ष सुधार कार्यक्रमों के विकास के लिए तीन वर्षों की अवधि हेतु ओडीए, युनाइटेड किंगडम की वित्तीय प्रतिबद्धता 0.703 मिलियन पौण्ड स्टर्लिंग की है। अभी तक ओडीए ने 0.562 मिलियन पौण्ड स्टर्लिंग की राशि बंटित की है।
5.	कलकत्ता पर्यावरणीय प्रबंध कार्यनीति तथा कार्य योजना	कलकत्ता में पर्यावरण सुधार के लिए ओडीए, युनाइटेड किंगडम की वित्तीय प्रतिबद्धता 2.201 मिलियन यू.के. पौण्ड्स की है। परियोजना जून, 1995 में ही शुरू हुई है।
6.	जैव विविधता सूचना प्रबंधन, इंदिरा गांधी परिरक्षण निगरानी केन्द्र विश्व वन्य जीव कोष, भारत के लिए क्षमता निर्माण	3 वर्ष तक की अवधि के लिए ओडीए, यू.के. की वित्तीय सहायता 9,83,000 पौण्ड्स की होगी। ओडीए ने इंदिरा गांधी परिरक्षण निगरानी केन्द्र की परियोजना तैयारी सुविधाओं के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 31,500 यू.के. पौण्ड्स की राशि बंटित की है+ प्रचालनात्मक चरण हेतु परियोजना ज्ञापन प्राप्त हो गया है।

स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थान

2406. श्री एम. रमन्ना राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन दे रही है और उसने राजकीय क्षेत्र में नए शिक्षा संस्थानों की स्थापना न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सरकार शिक्षा के लिए अधिक आवंटन की दिशा में अपना प्रयास जारी रखने

के प्रति वचनबद्ध है। निजी पहल सरकार के प्रयासों को संपूरित कर सकती है।

उपयुक्त मामलों में स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक सामर्थ्यकारी विधान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995 राज्य सभा में 25.08.1995 को पुरःस्थापित किया गया है। विधेयक में शैक्षिक मानकों का सुनिश्चय करने, वाणिज्यीकरण और कुप्रबन्ध आदि रोकने के लिए मोटे तौर पर एक समान दिशानिर्देश प्रस्तुत किये गये हैं।

इसके अलावा सभी तकनीकी संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना होता है।

मातृ भाषा में शिक्षा

2407. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री रवि राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मातृ भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के संबंध में सरकार की नीति संविधान के अनुच्छेद 350 क और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निर्धारित की गई है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा काफी विचार-विमर्श करने के पश्चात ही राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी।

शारीरिक शिक्षा को वैज्ञानिक समर्थन

2408. श्री शिबू सोरेन :
श्री शैलेन्द्र महतो :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को पर्याप्त वैज्ञानिक समर्थन नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि स्नातकोत्तर स्तर पर भी छात्रों को खिलाड़ियों की खेल संबंधी दक्षता और शारीरिक स्वस्थता को मापने के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करने संबंधी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या देश में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक एवं प्रशिक्षक पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो शारीरिक शिक्षा के स्तर एवं दक्षता में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (घ). सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को वैज्ञानिक समर्थन देने में और सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए खेलविज्ञान अर्थात् खेल मनोविज्ञान, अभ्यास, शरीर क्रिया विज्ञान, बायोमैकेनिक, खेल चिकित्सा तथा मापन, मूल्यांकन एवं अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैसे अन्य विषय भी देश के शारीरिक शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में लागू किए गए हैं। प्रस्तावित अखिल भारत शारीरिक शिक्षा परिषद् देश में शारीरिक शिक्षा संस्थाओं के स्तर और विकास को सुव्यवस्थित करेगी। भविष्य में इन कदमों से शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार होगा।

उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रायोजित करना

2409. श्री जे. चोक्का राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए अपने देश से विभिन्न देशों को कितने विद्यार्थी प्रायोजित किए गए और तत्संबंधी कार्यक्रम क्या हैं; और

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत हमारे देश में अन्य देशों से कितने विद्यार्थी प्रायोजित किए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

I. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

	शिक्षा विभाग	विदेशों में भेजे गए विद्यार्थियों की सं.	
क्र.सं.	देश/कार्यरूप	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1.	कामनवैल्थ छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति योजना		
	(क) इंग्लैंड	39	28
	(ख) न्यूजीलैंड	1	—
	(ग) कनाडा	—	1
2.	नेहरू शताब्दी ब्रिटिश छात्रवृत्तियां/ अध्येतावृत्तियां (यू.के.)	9	3

1	2	3	4
3.	ब्रिटिश उद्योग विदेश छात्रवृत्ति संघ (इंग्लैंड)	3	3
4.	आस्ट्रेलियन सहयोग विकास छात्रवृत्तियां	26	2
5.	जर्मन शैक्षिणिक विनिमय सेवा छात्रवृत्तियां	10	15
6.	जापान सरकार छात्रवृत्तियां	15	13
7.	नार्वे (एन ओ आर ए डी)	8	—
8.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित छात्रवृत्तियां	33	15
II.	**कल्याण मंत्रालय** अनुसूचित जाति/जनजाति आदि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्तियां	20	12

विवरण–II

विदेश मंत्रालय
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

योजना का नाम		भारत सरकार द्वारा प्रायोजित छात्र	
		1994–95	1995–96
1.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	162	149
2.	काम वैल्थ छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजना	35	26
3.	सार्क तथा अन्य कार्यक्रम	5	—
4.	कामनवैल्थ सहयोग योजना	9	3
5.	सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना	98	71
6.	निष्पादन कलाओं के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् छात्रवृत्तियां	56	44
7.	मारीशस	29	26
8.	बंगलादेश	91	77
9.	श्रीलंका	34	33

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

2410. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को प्रतिवर्ष कितने-कितने 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' प्रदान किए जाते हैं;

(ख) इस पुरस्कार हेतु शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के चयन के मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों हेतु/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्यों तक का कितना-कितना कोटा निर्धारित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अधीन प्रत्येक राज्य को पुरस्कारों के सम्बन्ध में एक नियत कोटा अलाट किया गया है। जबकि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए, प्रत्येक राज्य में, पुरस्कारों का कोटा अलग-अलग है, लेकिन माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों के लिए अलग-अलग कोटा नियत नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को कुल चार पुरस्कारों, प्रत्येक श्रेणी में दो-दो का नियतन किया गया है। कम से कम 15 वर्ष के नियमित शिक्षण अनुभव वाले कक्षा शिक्षक और 20 वर्ष के नियमित शिक्षण अनुभव वाले प्रधानाचार्यों और जो मान्यताप्राप्त प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक, इत्यादि विद्यालयों में शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के रूप में वास्तव में कार्यरत हैं, केवल उन्हीं शिक्षकों पर विचार किया जाता है।

कक्षा VIII तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की श्रेणी के अंतर्गत तथा कक्षा IX से XII की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक की श्रेणी के अंतर्गत विचार के लिए पात्र होते हैं। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों के आधार पर चयन किया जाता है। शिक्षकों के चयन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है—स्थानीय समुदाय में शिक्षक की ख्याति, उसकी शैक्षिक दक्षता, बच्चों में सच्ची रूचि तथा उनके प्रति प्रेम और समुदाय के सामाजिक जीवन में उसकी भागीदारी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात

2411. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी निर्यातकों ने भारतीय खाद्य निगम पर चावलों की आपूर्ति में विलम्ब करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यातकों तथा भारतीय खाद्य निगम को ठेका रद्द होने के परिणामस्वरूप कितना-कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में पशुपालन और डेयरी उद्योग

2412. श्री लाल बाबू राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालन और डेयरी उद्योग संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक योजना के लिए प्रतिवर्ष कितना धन आवंटित किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और वास्तव में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). विगत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित बिहार में क्रियान्वित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा जारी की गई निधियों के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-94 के दौरान बिहार में दूध, अण्डे तथा ऊन उत्पादन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

			1992-93	1993-94	1994-95
1.	दुग्ध उत्पादन (लाख टन)	लक्ष्य	33.60	34.50	35.00
		उपलब्धि	31.95	32.15 (अनंतमि)	32.50 (प्रत्याशित)
2.	अण्डा उत्पादन (मिलियन सं.)	लक्ष्य	1413	1450	1500
		उपलब्धि	1380	1390 (अनंतमि)	1240 (प्रत्याशित)
3.	ऊन उत्पादन (टन)	लक्ष्य	1150	1175	1200
		उपलब्धि	1140	1150 (अनन्तिम)	1166 (प्रत्याशित)

विवरण

पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित बिहार में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के ब्यौरे के साथ-साथ 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	45.20	25.00	41.00
2.	पशुधन रोग का योजनाबद्ध नियंत्रण	4.07	7.00	12.37
3.	खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	5.25	12.00	6.80
4.	पशु रोग निगरानी	1.57	2.98	10.00
5.	व्यावसायिक दक्षता विकास	2.41	1.47	—
6.	प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	7.00	20.37	7.75
7.	एकीकृत सूअर विकास कार्यक्रम	–	24.50	—
8.	गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाएं	—	—	75.00

नीम

2413. श्री काशीराम राणा :
श्री पवन दीवान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं के दीर्घावधिक हल के रूप में नीम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नीम की राष्ट्रीय पेड़ के रूप में घोषणा करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नीम के वृक्ष से चारा, ईंधन, ईमारती लकड़ी, औषधियां तेल आदि जैसे बहुविध उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह देश के अवक्रमित एवं शुष्क उष्ण कटिबन्ध क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। इसकी उपयुक्तता और वाणिज्यिक उपयोगिता के कारण इस प्रजाति की बड़े पैमाने पर पौधरोपण में ऐसे अवक्रमित और शुष्क क्षेत्रों के पारिस्थितिक पुनरूद्धार में सहायता मिलने की संभावना है।

(ख) नीम को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल इस मंत्रालय में नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का भण्डार तथा इसकी खपत

2414. श्री प्रतापराव बी. भोंसले : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्रीय भंडागारों से गेहूं तथा चावल की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई तथा 1995-96 के दौरान इसकी कितनी मात्रा की आपूर्ति किए जाने का अनुमान है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याण योजनाओं, खुली बिक्री आदि सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की घरेलू खपत लगभग 18.8 मिलियन मीटरी टन थी। अनुमान है कि वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की घरेलू खपत लगभग 19 मिलियन मीटरी टन होगी।

प्राकृतिक आपदाएं

2415. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :
श्री रूपचन्द पाल :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री के.टी. वान्डायार :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री विजय एन. पाटील :
श्री सुव्रत मुखर्जी :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री रामपाल सिंह :
श्री वृजभूषण शरण सिंह :
श्री मनफूल सिंह :
श्री धर्मभिक्षम :
श्री जे. चोक्का राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगस्त-नवम्बर, 1995 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की हुई क्षति का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण होने वाली मौतों, खड़ी फसलों, मकानों और पशुधन की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने परिवारों को अब तक मुआवजा दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). अगस्त से नवम्बर, 1995 के दौरान बाढ़/चक्रवात के कारण विभिन्न राज्यों में जितने व्यक्तियों और पशुओं की मृत्यु हुई उसकी संख्या तथा फसलों की क्षति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह राज्य सरकारों द्वारा दी गयी जानकारी तथा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों पर आधारित है।

(ग) प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत और पुनर्वास के उपाय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। इसलिए भारत सरकार प्रभावित लोगों के विभिन्न वर्गों को दी गई सहायता के बारे में कोई सूचना नहीं रखती।

विवरण

अगस्त–नवम्बर, 1995 में बाढ़, चक्रवात से हुई क्षति

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख रु. में)	क्षति ग्रस्त मकान	जनहानि	पशुहानि
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.77	149880	147	3789
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.04	रिपोर्ट नहीं मिली	7	71
3.	असम	7.00	38644	63	14698
4.	बिहार	4.23	180000	528	4122
5.	दिल्ली	नगण्य	404000	शून्य	23500
6.	हरियाणा	6.62	221578	168	3206
7.	हिमाचल प्रदेश	3.45	12128	114	5628
8.	जम्मू व कश्मीर	0.41	36693	167	33630
9.	कर्नाटक	0.05	734	11	15
10.	केरल	0.12	3474	67	रिपोर्ट नहीं मिली
11.	महाराष्ट्र	0.03	2566	28	68
12.	उड़ीसा	10.21	15000	19	रिपोर्ट नहीं मिली
13.	पंजाब	2.53	145452	126	1574
14.	राजस्थान	5.90	132000	122	1500
15.	उत्तर प्रदेश	7.99	88455	357	1259
16.	पश्चिम बंगाल	4.43	409328	239	4181

नारियल जोत क्षेत्र में समेकित खेती

2416. श्रीमती सुशीला गोपालन :
प्रो. के.वी. थामस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नारियल जोत क्षेत्र में समेकित खेती" नामक किसी केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन हो रहा है जिससे जड़ों में होने वाले म्लानि रोगग्रस्त नारियल के पेड़ों को उखाड़कर नष्ट कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से किए जाने वाले वृक्षों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव दिया है कि योजना के अंतर्गत काटे जाने वाले और हटाए जाने वाले जड़ों में होने वाले म्लानि रोगग्रस्त नारियल पामों की संख्या में वृद्धि की जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) अब तक इस योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(छ) क्या इस योजना के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ज) यदि हां, तो इसके राज्य-वार आंबटन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अधीन काटे गए और हटाए गए पामों की संख्या केरल सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार इस प्रकार है :—

1992–93	139961
1993–94	87255
1994–95	137995
1995–96	112500 (लक्ष्य)

(ग) और (घ). जी, हां। इस प्रस्ताव में 34 लाख से भी अधिक पाम को हटाने के वास्तविक लक्ष्यों में वृद्धि करने की बात कही गयी है। केरल सरकार ने संशोधित फार्म में समेकित कृषि

के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के अनुसार हटाए जाने वाले पामों की संख्या निम्नलिखित है :—

जिला	हटाए जाने वाले पाम की संख्या (लाख में)
तिरुवनन्तपुरम	2.871
त्रिशूर	6.034
कोल्लम	2.500
अलपुजा	4.500
फ्तनम थिट्टा	4.800
इडुक्की	4.400
कोट्टायम	6.300
एर्नाकुल्लम	2.950
	34.355

(ङ) आठवीं योजना की इस अंतिम अवस्था में इस प्रस्ताव पर सहमति देना संभव नहीं है।

(च) आठवीं योजनावधि के दौरान केरल में नारियल विकास से संबंधित योजना की समेकित खेती के घटक के अधीन अब तक भुगतान की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	(रु. लाख में)
1992–93	70.000
1993–94	463.823
1994–95	742.852
	1276.675

(छ) जी, हां। इस घटक के लिए निर्धारित 33.45 करोड़ रुपये में से केरल का शेयर 25.00 करोड़ रुपये है।

(ज) आठवीं योजनावधि के दौरान समेकित कृषि योजना के अधीन किया गया राज्यवार आबंटन इस प्रकार है :—

(रु. लाख में)

राज्य	समेकित कृषि योजना के लिए कुल आबंटन (आठवीं योजना)
केरल	2500.500
कर्नाटक	292.000
तमिलनाडु	316.000
आन्ध्र प्रदेश	184.800
महाराष्ट्र	6.740
लक्ष्यद्वीप	12.740
पांडिचेरी	12.740
गोवा	6.740
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	12.740
	3340.000

नारियल की खपत

2417. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नारियल की बड़े पैमाने पर घरेलू खपत को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). नारियल और इसके उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) नई प्रौद्योगिकी अपनाकर नारियल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

(2) नारियल उत्पादों हेतु तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों, सर्वेक्षणों और उपभोक्ता स्वीकार्यता अध्ययनों का संचालन करना।

(3) सहकारी/क्षेत्र में प्रसंस्करण और विपणन कार्यकलापों के प्रवर्धन हेतु एक परियोजना चलाई जा रही है।

(4) नारियल के उपयोग को विविधीकृत बनाने तथा कच्चे नारियल के जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे नारियल का पार्लर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(5) सम्प्रति नारियल का तेल नारियल उद्योग का एक मुख्य वाणिज्यिक उत्पाद है। नारियल के तेल के खाद्य और अखाद्य अवशेष के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड ने जन माध्यमों द्वारा प्रचार करने, विज्ञापन देने, नारियल उत्पादों पर वीडियो फिल्म का निर्माण करने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

(6) नारियल आधारित कृषि प्रसंस्करण और विपणन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड मुख्य केन्द्रों पर नारियल और इसके उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय विचार-गोष्ठियों और कार्यशालाओं का संचालन कर रहा है।

(7) नारियल विकास बोर्ड ने खाद्य तेल के रूप में नारियल के तेल की खपत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया था, ताकि मानव पोषाहार में आहार संबंधी वसा के रूप में इसके उपयोग के संबंध में बनी हुई स्थायी भ्रांतियों को दूर किया जा सके।

पर्यावरणीय जागरूकता

2418. प्रो. के.वी. थामस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरणीय जागरूकता में लोगों को सहभागी बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल सरकार ने पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने और इनमें लोगों को सहभागी बनाने के लिए कोई परियोजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जनता की भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान एक प्रारंभिक स्कीम है। स्कूली बच्चों और समाज के अन्य वर्गों को शामिल करके पारि-क्लब और पर्यावरण वाहिनियां गठित करने की भी स्कीमें हैं।

(ख) से (ङ). केरल राज्य सरकार ने "केरल में पर्यावरणीय जागरूकता का संवर्धन और जनता की भागीदारी" नामक एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रथम वर्ष में 1.61 करोड़ रुपए की कुल लागत और 61.50 लाख रुपए के आवर्ती अनुदान से पर्यावरणीय क्लबों, जिला पर्यावरण सुरक्षा समितियों, संसाधन सामग्रियों, श्रव्य-दृश्य वाहनों, चलती-फिरती प्रयोगशालाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय में पर्यावरण पर स्थाई स्टाल लगाने, राज्य और जिला संकट दलों और एक राज्य पर्यावरण सुरक्षा समिति के गठन के बारे में हैं।

मंत्रालय की चालू स्कीमों के तहत समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की जांच की जाती है और उनको सम्बन्धित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाता है।

शिशु गृह

2419. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बच्चों की दिन में देखभाल करने वाले इस समय कितने शिशु गृह चल रहे हैं;

(ख) इन शिशु गृहों में कितने बच्चों की देखभाल की जा रही है और 1995-96 के दौरान शिशु गृहों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गृह खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) "कामकाजी एवं अस्वस्थ महिलाओं के लिए शिशुगृह की व्यवस्था करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए सहायता" योजना के अंतर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से तथा राष्ट्रीय स्तर की दो स्वयंसेवी संस्थाओं अर्थात् भारतीय शिशु कल्याण परिषद् तथा भारतीय आदिमजाति सेवक संघ के माध्यम से लगभग 12470 शिशु गृह चलाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान, 500 शिशु गृह एवं 150 आंगनवाड़ी युक्त शिशु गृहों को स्वीकृति दी गई है।

(ख) इन शिशु गृहों में लगभग 3.28 लाख शिशुओं की प्रतिदिन देखभाल की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक 1742.01 लाख रुपये मंजूर किये हैं।

(ग) जी, हां। सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु गृह खोलने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क), (ख) एवं (ग) में दिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संगठन

2420. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संगठन ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करने का कोई नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों की मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, हां। मांगों में, वेतनमानों में संशोधन, सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि, पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि और संगठन के शिक्षकों की सेवाशर्तों से सम्बन्धित अन्य मामले शामिल हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभी उचित शिकायतों का उपयुक्त समाधान निकालने के लिए संघ के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सदैव तैयार है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संघ को अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलनकारी मार्ग छोड़ देने की सलाह दी है।

उपभोक्ता न्यायालयों में कम्पनियों के विरूद्ध मामले

2421. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कितने उपभोक्ता न्यायालय हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या किसी ऐसी वित्तीय कम्पनी के विरूद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है जो स्तरीय नहीं है या जो अपने ग्राहकों/उपभोक्ताओं से पैसे ऐंठने के लिए जालसाजी करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास भवन, आई.टी.ओ., नई दिल्ली में एक राज्य आरक्षण तथा (1) तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली और (2) आई आई टी इंस्टीट्यूशनल एरिया, महरौली, नई दिल्ली में दो जिला मंच कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार आते हैं। किसी भी वित्तीय कम्पनी के विरूद्ध धोखाधड़ी/भ्रामक कथन आदि की शिकायतें इस अधिनियम के तहत स्थापित प्रतितोष अभिकरणों के पास दायर की जा सकती है।

[हिन्दी]

चूना पत्थर का खनन

2422. श्री राज नारायण : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश विशेषकर सहारनपुर, देहरादून और सिरमौर जिलों में चूने-पत्थर के खनन और कैल्शियम कार्बोनेट संयंत्रों की स्थापना के कारण पर्यावरण ह्रास की समस्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). समुचित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के बिना चूना पत्थरों के अंधाधुन्ध खनन और चूना भट्टियों (कैल्शियम कार्बोनेशन संयंत्र) को चलाने के कारण हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में पर्यावरणीय अवक्रमण देखा गया है। सरकार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इस तरह के किसी अवक्रमण की जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ). हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार ने सिरमौर जिले के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन प्रायोजित किया है। अध्ययन प्रगति पर है। इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले अध्ययन की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। देहरादून जिले के संबंध में सरकार द्वारा दून घाटी की वहन क्षमता का अध्ययन प्रायोजित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय अवक्रमण रोकने के लिए उपशमन उपायों का सुझाव दिया जायेगा।

जलवायु में परिवर्तन

2423. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाशिंगटन के एक अनुसंधान संस्थान "क्लाइमेट इंस्टीच्यूट" द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामों की जानकारी है जिससे यह आशंका व्यक्त की गई है कि अगले पंद्रह वर्षों में भूमंडलीय तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी;

(ख) क्या उपरोक्त आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेषत: दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विषम स्थिति से निपटने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। अगले 15 वर्षों में भूमंडल के तापमान में वृद्धि के विशेष संदर्भ में वाशिंगटन के क्लाइमेट इन्स्टीच्यूट द्वारा आयोजित कोई विशिष्ट अध्ययन सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जिसका भारत एक पक्षकार है, उस पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने का दायित्व नहीं सौंपा गया है।

[अनुवाद]

आयु सीमा में समानता

2424. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के स्कूल जाने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है;

(ख) क्या उक्त आयु सीमा को सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

खेल परिसर

2425. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री राजबाड़ी, जलपाईगुड़ी में खेल परिसर के बारे में 28 मार्च, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 1206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस परिसर की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख). राजाबाड़ी, जलपाईगुड़ी में खेल परिसर के निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ नक्शों और अनुमानों, दोनों में ही कमियां पाई गई थीं। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार को इन कमियों की सूचना 7.12.1994 को दे दी गई थी और इसकी एक प्रति जिलाधीश, जलपाईगुड़ी को कमियां दूर करने और अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए भेजी गई थी। 26.10.95 को एक अनुस्मारक भेजा गया है जिसमें अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, ऐसा न होने की सूरत में प्रस्ताव के रद्द होने की आशंका हो सकती है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

2426. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष फसल बीमा योजना पर केन्द्रीय बजट से खर्च की गई कुल वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों को धन प्राप्त हुआ;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए और योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से फसल बीमा योजना को सफल और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विस्तृत फसल बीमा योजना के तहत केन्द्रीय बजट का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि क्षतिपूर्ति संबंधी दावों का भुगतान केवल उन अधिसूचित क्षेत्रों में किया जाता है जहां पैदावार प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदावार के प्रारंभिक स्तर से कम होती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्तृत फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय फसल बीमा कोष में भारतीय साधारण बीमा निगम को निर्मुक्त की गई केन्द्र सरकार के हिस्से के अंशदान की राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु. में)
1992-93	30.00
1993-94	61.40
1994-95	106.00

निम्नलिखित राज्यों को साधारण बीमा निगम द्वारा क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान के रूप में धनराशियां दी गई :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा पाण्डिचेरी।

(ख) लाभान्वित कृषकों की संख्या तथा शामिल क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों ने सुझाव दिया है कि यह योजना प्रति इकाई कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्रचालित की जानी चाहिये इस योजना के तहत कृषकों तथा फसलों को शामिल करना चाहिये तथा ओला वृष्टि सहित सभी जोखिमों को शामिल किया जाना चाहिये।

प्रीमियम दरों में वृद्धि करके तथा फसलों/कृषकों की संख्या में वृष्टि करके इसको व्यवहार्य बनाने के लिये मौजूदा विस्तृत फसल बीमा योजना में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

विस्तृत फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों तथा शामिल किये गये क्षेत्र का राज्यवार/मौसमवार ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टे. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खरीफ 1992		रबी 1992-93		खरीफ 1993		रबी 1993-94		खरीफ 1994		रबी 1994-95	
	लाभान्वित कृषक	आवंटित क्षेत्र	लाभान्वित कृषक	आवृत्त क्षेत्र	लाभान्वित कृषक	आवृत्त क्षेत्र	लाभान्वित कृषक	आवृत्त क्षेत्र	लाभान्वित कृषक	आवृत्त क्षेत्र	लाभान्वित कृषक	आवृत्त क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	160626	1342763	22245	169268	50372	1221749	30669	222185	190772	1455239	20349	245250
असम	247	2530	1389	1748	एन.सी.	811	114	130	389	582	एन.सी.	69
बिहार	70797	123149	26198	113808	9306	89409	5769	60234	946	34165	2963	23485
गोवा	112	2282	3	1139	41	3464	37	363	1253	2704	38	203
गुजरात	18028	1614560	333	68515	475148	1483621	16291	51496	68431	1635898	461	103930
हिमाचल प्रदेश	एन.सी.	416	782	1825	7	121	384	797	एन.सी.	189	388	1236
कर्नाटक	23608	314539	1307	30671	18374	301649	1033	36393	12421	363033	1159	40989
केरल	2163	16471	2522	14267	2157	19179	11343	16910	14913	16241	153	13136
मध्य प्रदेश	71992	1950701	14866	363403	18099	1642894	2551	413757	100275	1903356	3367	491717
महाराष्ट्र	23220	1320832	1677	23909	18330	1500810	5845	25589	250394	1294211	1484	19867
मेघालय	740	3219	36	109	155	1927	एन.सी.	328	280	1423	31	31
उड़ीसा	63127	188814	32896	45943	16776	262673	3622	62319	68897	19399	12380	74039
तमिलनाडु	16472	292330	22022	152443	51282	235446	28887	153631	2390	205873	12004	175222
त्रिपुरा	एन.सी.	1280	एन.सी.	17	एन.सी.	8	एन.सी.	209	306	306	1	44
पश्चिम बंगाल	27615	191507	9983	70592	37815	178517	3222	76989	9806	25749	41355	81537
अण्डमान निकोबार		451	एन.सी.		एन.सी.	574	एन.सी.		एन.सी.	570	एन.सी.	
पांडिचेरी	213	1640	86	1646	551	10851	944	2302	एन.सी.	2144	एन.सी.	1465
योग	478960	7367484	136345	1059303	698413	6953703	110711	1123632	721472	6961082	96133	1272220

एन.सी. = किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया गया।

एन.पी. = भाग नहीं लिया।

[अनुवाद]

जैव विविधता संबंधी सम्मेलन

2427. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत माह जकार्ता में हुए "जैव विविधता संबंधी सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए" केवल इस विषय पर बात करने की बजाय जैव विविधता पर हुए 1992 के सम्मेलन के निष्कर्षों को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया रही?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). भारत ने नवम्बर, 1995 के दौरान जकार्ता में कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की बैठक में जैव विविधता कन्वेंशन के विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई के पक्ष में तर्क दिया। भारत की बात का बहुत से अन्य विकासशील और विकसित देशों ने स्वागत किया। वार्ताओं के बाद पक्षकारों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी में सुरक्षा पर एक जैव-सुरक्षा प्रोटोकाल तैयार करने, सूचना और विशेषज्ञता की हिस्सेदारी के लिए एक क्लीयर हाउस तंत्र स्थापित करने, तथा आनुवंशिक संसाधनों की प्राप्ति, लाभ में हिस्सेदारी पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार क्षेत्रों के प्रभाव तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों जैसे अनेक अन्य मुद्दों पर अध्ययन शुरू करने का निर्णय किया।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

2428. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुम्बई स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की पहले से ही संकटपूर्ण स्थिति नए विवादों के कारण और भी गंभीर हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) बम्बई में कोई भी राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है। तथापि, वहां पर एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय है। भारत सरकार इस पुस्तकालय के किसी भी नए विवाद से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालय में छात्रों का नामांकन

2429. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 100 निर्धारित की है;

(ख) क्या पूर्णिया जिले के भरंगा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में भी छात्रों की नामांकन क्षमता 100 निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस विद्यालय में छात्रों की नामांकन क्षमता वर्ष 1995 में कम करके 50 कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो जवाहर नवोदय विद्यालय भरंगा, पूर्णिया (बिहार) में छात्रों की नामांकन क्षमता को 100 करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, नहीं। छात्रों की संख्या 80 निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। नवोदय विद्यालय समिति की कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये नीति निर्णय के अनुरूप छात्रों की नामांकन क्षमता को कम करके 40 कर दी गई थी क्योंकि अस्थायी स्थान पर्याप्त नहीं था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सचिवों की समिति

2430. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने संबंधी सिफारिशें करने संबंधी गठित सचिवों की समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को सरकार के समक्ष कब तक प्रस्तुत किया जायेगा और इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से सचिवों की ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत महोत्सव

2431. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विदेशों में भारत महोत्सवों का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1996 के दौरान इस प्रकार के महोत्सवों का आयोजन किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकाक, थाइलैंड में भारत महोत्सव का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 1995 को किया जा रहा है।

(ग) और (घ). वर्ष 1996 के दौरान इटली में भारत महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव है। इटली के प्राधिकारियों के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में कथित अनियमितताएं

2432. श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशीराम राणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में हो रही गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (घ). सरकार को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्यकरण में कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतों की जानकारी है। इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में यह आया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अधीन एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से प्राथमिक जांच के सम्बन्ध में कुछ फाइलें एकत्र की हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जो जांच/अन्वेषण कार्य शुरू किया था, उस पर उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्थानों तथा विश्वविद्यालयों का पुनः नामकरण

2433. डा. परशुराम गंगवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों तथा स्थानों का पुनः नामकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसमें सुधार करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). डा. अम्बेडकर और श्री शाहू जी महाराज की स्मृति को बनाए रखने के लिए, उ.प्र. के राज्यपाल ने सितम्बर, 1995 में "आगरा विश्वविद्यालय" के नाम को "डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" और "कानपुर विश्वविद्यालय" के नाम को "श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 की घोषणा की थी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी अध्यादेश अपनी विनिर्दिष्ट अवधि में ही राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

भू-स्खलन

2434. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में हाल ही में भूस्खलन की कोई घटना घटी है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने जान-माल की हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के रूप में अब तक कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 12 सितम्बर 1995 को मनाली रोड पर कुल्लू के निकट हुए भूस्खलन से 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 61.07 करोड़ रु. की प्राइवेट और सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि हुई।

(ग) भारत सरकार द्वारा कुल्लू सहित बाढ़ और भूस्खलन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिये राज्य सरकार को आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की तीन किश्तों की 14.31 करोड़ रुपये की रकम अब तक दी जा चुकी है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से भी 12.49 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जा चुकी है।

[अनुवाद]

महिला कल्याण

2435. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजिंग में महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन की पूर्व संध्या पर विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत विश्व के उन कतिपय देशों में से है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम हैं और महिला कल्याण पर कम खर्च किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में भारत के बारे में उल्लिखित अन्य मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट में दी गई बातों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि :—

(1) महिलाओं की मृत्यु-दर पुरुषों की मृत्यु-दर की तुलना में अधिक है;

(2) भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है;

(3) भारत में सात वर्ष से अधिक आयु की 60 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं निरक्षर हैं, जबकि पुरुषों की संख्या लगभग 35 प्रतिशत है;

(4) भारत में, हालांकि कुल श्रमिक बल का एक तिहाई और कृषि श्रमिकों का आधा हिस्सा महिलाएं हैं; किन्तु उनकी उत्पादकता अत्यधिक सीमित है।

(5) महिलाओं को भूमि, ऋण, प्रशिक्षण और विपणन संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में संरचनात्मक कठिनाइयां पेश आती है। किन्तु, बहुत सी विकास परियोजनाओं में, महिलाओं को विपणन, प्रशिक्षण, ऋण तथा ईंधन और चारे की बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएं तथा भूमि मुआवजा प्रदान करने के लिए हाल ही में किये गए प्रयास उल्लेखनीय हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने रिपोर्ट की विषय-वस्तु को नोट कर लिया है। सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनैतिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी नीतियां और कार्यक्रम बना रही है, ताकि उनके स्तर को पुरुषों के स्तर के बराबर लाया जा सके।

खाद्यान्नों का निर्यात

2436. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने खाड़ी देशों और दक्षिण अफ्रीका को खाद्यान्न का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अक्तूबर, 1995 में ईरान का दौरा कर ईरान को गेहूं की बिक्री के विषय में विचार-विमर्श किया था;

(ग) इन देशों को कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाएगी; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात के लिए खाद्यान्न की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) मौजूदा निर्यात-आयात नीति के अनुसार चावल की दोनों किस्मों अर्थात् बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात की खुली छूट है। गेहूं, मोटे अनाज और दालों के निर्यात की अनुमति समय-समय पर जारी मात्रा संबंधी सीमा के अध्यधीन दी जाती है। वर्ष 1995-96 के लिए डुरुम-गेहूं, मोटे अनाजों और दालों के लिए जारी निर्यात संबंधी सीमा क्रमशः 5 लाख मीटरी टन, 25 लाख मीटरी टन, 30,000 मीटरी टन और 10,000 मीटरी टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की निरन्तर अच्छी स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात के प्रयोजन से 25 लाख मीटरी टन गेहूं (गैर-डुरुम गेहूं की 25 लाख मीटरी टन की निर्यात सीमा के अन्दर) और 30 लाख मीटरी टन बढ़िया और उत्तम चावल का निर्यात/निर्यात के प्रयोजन से बिक्री करने का निर्णय किया है। सरकार द्वारा देश-वार निर्यात कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है। विभिन्न देशों में आयातकों के साथ औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों अथवा निजी पार्टियों द्वारा निर्यात किए जाते हैं।

आदर्श केन्द्रीय विद्यालय

2437. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली कैन्ट के केन्द्रीय विद्यालय सं. 1 को आदर्श केन्द्रीय विद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या वहां एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी?

मानव सांसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). केन्द्रीय विद्यालय संख्या-1 दिल्ली कैन्ट क्लास-परियोजना के अंतर्गत शामिल है। 1.00 लाख रुपए की लागत से साफ्टवेयर सहित 2 पर्सनल कम्प्यूटरों के क्रय के लिए आदेश कर दिए गए हैं।

आयातित चीनी की सप्लाई

2438. श्रीमती चन्द्र प्रभा असं : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1995 के दौरान कर्नाटक सरकार को कितनी आयातित चीनी की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने आपूर्ति की गयी इस आयातित चीनी को अस्वीकृत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इसके क्या कारण बताए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवम्बर, 1995 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को आयातित चीनी की 18,683.1 मी. टन मात्रा आवंटित की गई थी।

(ख) और (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए आयातित चीनी के आवंटन को कर्नाटक सरकार द्वारा अस्वीकार किये जाने का कोई पत्र खाद्य मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

उच्चतर/माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

2439. श्री प्रबीन डेका : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में उच्च तथा सेकेन्डरी शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु असम को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) इस प्रयाजनार्थ कितनी धनराशि वास्तव में दी गई है;

(ग) शेष धनराशि कब तक दे दी जाएगी; और

(घ) राज्यों में इस स्वीकृत व्यावसायिक संस्थानों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा ऐसे कितने संस्थान इस समय कार्यरत हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में असम सरकार को 556.211 लाख रु. की राशि माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत संस्वीकृत की गई है और प्रथम डिग्री स्तर पर उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण के अंतर्गत 90.00 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। सम्पूर्ण राशि दे दी गई है।

(घ) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत अब तक 200 स्कूलों में 460 व्यावसायिक सेक्शनों को संस्वीकृत किया गया है जिनमें से असम सरकार ने 150 स्कूलों में 350 सेक्शनों को संचालित किया है। उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत 8 कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में वृक्षों का कटाव

2440. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में कालोनियों का निर्माण करने वाले लोग विकास के नाम पर सरकार द्वारा लगाए गए वृक्षों को काट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हाईस्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

2441. श्री सुधीर सावन्त : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछुआरों को सप्लाई किये जाने वाले हाई स्पीड डीजल तेल उत्पाद शुल्कों की प्रतिपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा आऊट बोर्ड मोटर्स को नहीं दी जाती है जो लघु तथा सीमान्त मछुआरे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). जी, हां। 20 मीटर से छोटे आकार की मछली पकड़ने की नौकाओं के लिए सप्लाई किए गए हाईस्पीड डीजल आयल पर सरकार द्वारा 351 रु. 75 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर राजसहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। मिट्टी के तेल का प्रयोग सामान्यतः आऊट बोर्ड मोटरों में किया जाता है और सरकार इसकी आपूर्ति पहले ही राजसहायता प्राप्त दरों पर कर रही है। इसके अलावा सरकार पारम्परिक मछुआरों को आपूर्ति की जा रही आऊट बोर्ड मोटरों को लागत पर प्रति यूनिट 10,000/- रुपये की राजसहायता दे रही है जिसे केन्द्र एवं राज्य बराबर-बराबर वहन करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासनिक खर्च

2442. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वार्षिक प्रशासनिक व्यय कितना है; और

(ख) क्या इस प्रणाली को सरल और कारगर बनाने हेतु केन्द्र सरकार का कोई विचार वितरण प्रणाली में सहकारी एजेंसियों की वर्तमान बड़ी संख्या, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर मूल्य-भार में वृद्धि होती है, को काफी कम करने का है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को थोक में चावल, गेहूं, चीनी, सुपीरियर मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक/सी.आई.एल. कोक और खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में अनेक सहकारी अर्द्ध-सरकारी, सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण लगे हुए हैं। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिवर्ष होने वाले कुल प्रशासनिक व्यय का परिणाम बताना संभव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने से संबंधित मामलों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की बैठकों में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवंटित वस्तुओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नामितियों को सुपुर्द करने की व्यवस्था करती है। उचित दर दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को वितरित करने के आगे के तरीकों के बारे में निर्णय, राज्य सरकारों को करना होता है। केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वितरण प्रणाली में सहकारी अभिकरणों की अनेकता होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

चीनी मिलों द्वारा चीनी की खुली बिक्री

2443. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री शंकरराव दे. काले :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना मूल्यों के बकायों के भुगतान हेतु अतिरिक्त चीनी के खुले बाजार में बिक्री की अनुमति दी है;

(ख) क्या अतिरिक्त चीनी की खुली बिक्री की अनुमति सभी चीनी मिलों को नहीं दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक चीनी मिलों की आवंटित मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने चीनी मिलों, जिन्हें गन्ना मूल्य बकाया की देयता सहित विभिन्न कारणों से कठिन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की अनुमति दी है।

(ग) 1994-95 चीनी मौसम के दौरान राज्यवार तथा मिलवार रिलीज की गई अतिरिक्त खुली बिक्री को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1994-95 मौसम के दौरान जारी अतिरिक्त खुली बिक्री चीनी

(मी. टन में)

राज्य	फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम	जारी मात्रा टनों में	फैक्ट्री की मांग
1	2	3	4
पंजाब	1. दसुया	1000.0	3500.0
	2. अमलोह	2000.0	4000.0
	कुल	3000.0	7500.0
हरियाणा	1. भुना	1500.0	1500.0
	2. पानीपत	1000.0	1000.0
	3. रोहतक	1000.0	2000.0
	कुल	3500.0	4500.0
उत्तर.प्रदेश	1. वीनस	4500.0	6500.0
	2. राजा का साहसपुर	2000.0	6000.0
	3. अगौता	2000.0	4000.0
	4. सरदारनगर	2000.0	4000.0
	5. धनौरा	2000.0	4000.0

1	2	3	4
	6. बागपत	3000.0	5500.0
	7. पीलीभीत	1000.0	5000.0
	8. रसड़ा	2000.0	2000.0
	9. पलियाकलां	2000.0	5000.0
	कुल	20500.0	42000.0
महाराष्ट्र	1. रावलगांव	2000.0	2500.0
	2. गोलेगांव	1000.0	2500.0
	कुल	3000.0	5000.0
कर्नाटक	1. कोल्लीगल	1000.0	3000.0
			-4000.0
	2. सिरागुप्पा	1000.0	3000.0
	3. अलंद	1000.0	3500.0
	कुल	3000.0	9500.0
			-10500.0
	कुल योग	33000.0	68500.0
			-69500.0

[हिन्दी]

शिक्षा के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2444. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राम [illegible] :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनिवासी भारतीयों ने निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) . देश में उच्च शिक्षा की प्रोन्नति के लिए विशेषकर इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन के क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों ने विशेष रूचि दिखाई है। सरकार ने देश में स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना और सहयोग के लिए हाल ही में संसद में निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995 प्रस्तुत किया है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त अप्रवासी भारतीय ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में समर्थ हो सकेंगे।

[अनुवाद]

उपभोक्ता कल्याण कोष

2445. श्री चौल्ला बुल्ली रामय्या :
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितने आवेदनों को निपटाया जा चुका है;

(ग) शेष मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) उपरोक्त कोष से राज्यवार अब तक कितनी सहायता राशि जारी की गई है;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न स्वैछिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). उपभोक्ता कल्याण निधि 27 जनवरी, 1994 को प्रचालन में आई थी। 1995-96 के दौरान अब तक 221 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। इन प्रस्तावों में से अब तक केवल दो का निपटान किया गया है।

(ग) उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता के लिए आवेदन-पत्रों के निपटान हेतु ऐसे प्रस्तावों को निपटाने के विशिष्ट उद्देश्य से नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 1.12.94 से अलग से एक अनुभाग सृजित किया गया है। सूचना/दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में कमियां संगठनों/आवेदकों को सूचित की जाती है। निपटान की गति, आवेदकों/संगठनों द्वारा भेजे जाने वाले दस्तावेजों के तत्परता से प्रेषण और उनकी पूर्णता पर निर्भर करती है। क्योंकि आवेदक अभिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में लम्बा समय लेते हैं, अतः आवेदकों द्वारा

उत्तर भेजने के लिए अब 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।

(घ) 1995-95 के दौरान उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत जारी की गई राज्यवार सहायता संलग्न विवनण-II में दी गई है।

(ङ) और (च). भारत सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि योजना देश में उपभोक्ता जागरूकता के विकास तथा प्रसार के लिए विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्राप्त हुए आवेदन पत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	55
2.	तमिलनाडु	43
3.	उत्तर प्रदेश	35
4.	मिजोरम	1
5.	राजस्थान	7
6.	दिल्ली	9
7.	उड़ीसा	10
8.	बिहार	5
9.	पश्चिम बंगाल	5
10.	गुजरात	10
11.	हरियाणा	5
12.	हिमाचल प्रदेश	6
13.	केरल	7
14.	कर्नाटक	6
15.	महाराष्ट्र	2
16.	जम्मू व कश्मीर	1
17.	चण्डीगढ़	2
18.	सिक्किम	1
19.	पंजाब	2
20.	त्रिपुरा	1
21.	मेघालय	1
22.	असम	1
23.	गोवा	1
24.	पांण्डचेरी	1
25.	मध्य प्रदेश	4
	योग :	221

विवरण-II

1995-96 के दौरान से आज तक उपभोक्ता कल्याण निधि से राज्य वार अनुमोदित/मंजूर की गई निधि की स्थिति।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	मंजूर की गई राशि (रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,61,950
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	1,40,000
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	4,76,000
7.	हरियाणा	1,71,000
8.	हिमाचल प्रदेश	1,54,080
9.	जम्मू कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	3,47,420
11.	केरल	3,87,955
12.	मध्य प्रदेश	64,800
13.	महाराष्ट्र	16,87,290
14.	मणिपुर	–
15.	नागालैंड	–
16.	मिजोरम	–
17.	मेघालय	–
18.	उड़ीसा	13,55,170
19.	पंजाब	–
20.	राजस्थान	2,00,250
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	15,19,620
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	5,62,500
25.	पश्चिम बंगाल	93,600
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–
27.	चंडीगढ़	67,500
28.	दादरा व नगर हवेली	–
29.	दमन व दीव	–
30.	दिल्ली	10 09,650
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पॉडिचेरी	–
	योग :	90,98,785

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

2446. श्री राम निहोर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 17 जिलों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). जी, हां। राज्य सरकार ने 14 जिलों के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें से तीन प्रस्ताव ही मानदंडों के अनुसार उपयुक्त पाये गये हैं। स्थायी भूमि/अस्थाई आवास की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 6 प्रस्ताव अपूर्ण पाए गए हैं तथा 5 प्रस्तावों का निरीक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है। शेष 3 जिलों के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है

1. बांदा जिला
2. देहरादून जिला
3. फतेहपुर जिला
4. जालौन जिला
5. खीरी जिला
6. कानपुर देहात जिला
7. लखनऊ जिला
8. महाराजगंज जिला
9. मुरादाबाद जिला
10. पीलीभीत जिला
11. पिथौरागढ़ जिला
12. प्रतापगढ़ जिला
13. पौढी गढ़वाल जिला
14. रामपुर जिला
15. सहारनपुर जिला
16. शाहजहांपुर जिला
17. सोनभद्र जिला

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

2447. डा. साक्षीजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार को उत्तर प्रदेश स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश संबंधी अनियमितता का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है कि केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पूरी तरह से नियमों के अनुसार हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बागवानी के लिए कोष

2448. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान बागवानी के विकास के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार आगामी वर्षों में बागवानी उत्पादों की बढ़ती हुई निर्यात संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बागवानी उत्पादों को बढ़ाने तथा इसके भंडारण के लिए और अधिक आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु बागवानी विकास के लिए धन आबंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आगामी दो वर्षों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान बागवानी विकास के लिए 215.00 करोड़ रु. का आबंटन किया है। बागवानी के विकास के लिए सीधे ही राज्यों तथा संस्थाओं को किए गए आबंटन और निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान बागवानी के विकास के लिए 240.00 करोड़ रुपये का आबंटन किए जाने की आशा है। वर्ष 1997-98 के लिए ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्षानुवर्ष आधार पर आबंटन किया जाता है।

विवरण

बागवानी विकास वर्ष 1995–96 के दौरान 4.12.95 तक आवंटित और निर्मुक्त निधियां

	आवंटित	निर्मुक्तियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1194.71	105.58
अरुणाचल प्रदेश	121.62	19.88
असम	104.63	23.23
बिहार	127.79	0.75
गोवा	196.32	75.44
गुजरात	383.45	4.66
हरियाणा	231.58	76.50
हिमाचल प्रदेश	182.68	2.55
जम्मू व कश्मीर	236.52	194.35
कर्नाटक	1287.53	893.27
केरल	2035.08	239.01
मध्य प्रदेश	509.43	179.23
महाराष्ट्र	1690.69	902.73
मणिपुर	72.64	21.02
मेघालय	74.23	13.36
मिजोरम	72.45	11.73
नागालैंड	98.54	15.75
उड़ीसा	276.13	27.50
पंजाब	184.73	38.25
राजस्थान	285.44	5.38
सिक्किम	96.71	29.78
तमिलनाडु	902.06	532.65
त्रिपुरा	101.89	16.52
उत्तर प्रदेश	548.25	4.45
पश्चिमी बंगाल	217.79	14.97
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.03	1.24
चण्डीगढ़	2.50	00.00
दादर व नागर हवेली	34.38	00.00
दिल्ली	48.38	15.50
दमन और द्वीव	16.41	00.00
लक्षद्वीप	22.25	0.45
पांडिचेरी	49.22	0.75
कृषि विश्वविद्यालय	102.24	0.00
एस.एफ.सी.आई	21.22	0.00
शोध संस्थान	10.88	8.78
काजू निदेशालय	166.29	110.25
मशाला निदेशालय	83.75	0.00
सी.डी.बी.	2000.00	0.00
एन.एच.बी.	4300.00	0.00
एन.सी.पी.ए.	570.00	145.00
एन.एच.आर.डी.एफ (एन.ए.एस.)	57.00	0.00
अन्य	7.50	0.00
कुल	18759.91	3913.45
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	300.00	0.000
निर्यातोन्मुखी कार्यक्रम	200.00	0.000
मधुमक्खी पालन	525.00	212.50
शहरी विकास मंत्रालय	100.00	0.00
एस.एफ.ए.सी.	200.00	0.00
	19784.91	3729.95

[हिन्दी]

मदर डेयरी संयंत्र

2449. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक मदर डेयरी संयंत्रों का संयंत्र-वार क्षमता उपयोग कितना था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों द्वारा हानि के क्या कारण हैं; और

(घ) मदर डेयरी के संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खान) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रबंधित मदर डेयरी के संयंत्रों की उपयोग क्षमता इस प्रकार है :—

	उपयोग क्षमता का प्रतिशत			
	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96 सितम्बर, 1995 तक
दिल्ली	87.7	81.7	106.0	12.2
कलकत्ता	81.5	80.2	97.3	103.7

(ख) और (ग). दिल्ली तथा कलकत्ता में स्थित मदर डेयरी के लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95
दिल्ली	16.27	596.77	415.61
कलकत्ता	223.91	261.97	937.16

(घ) कलकत्ता मदर डेयरी की क्षमता का 4.00 लाख लीटर प्रति दिन से बढ़ाकर 6.00 लाख लीटर प्रति दिन तक का विस्तार किया जा चुका है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

2450. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनरोपण, वृक्षारोपण पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिकीय संबंधी विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई है;

(ख) क्या इसकी स्थापना के पश्चात कुछ हद तक हरित क्षेत्र का विस्तार हो पाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत अगस्त, 1992 में स्थापित राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड निम्नलिखित योजनाएं लागू करता है :—

(एक) समेकित वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास परियोजनाओं संबंधी योजना

(दो) क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजनाओं संबंधी योजना

(तीन) औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद बढ़ाना

(चार) बीज विकास योजना

(पांच) सहायता अनुदान योजना

(छः) हवाई बीजन योजना

वर्ष 1992-93 से 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत यथा वर्णित वन रोपण की उपलब्धियों एवं वृक्षारोपण कार्यकलाप निम्न प्रकार से है :—

पौध (लाखों में)
क्षेत्र (हेक्टेयर में)

	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण)	क्षेत्र विस्तार (वन भूमि सहित सरकारी भूमि)
1992-93	12450.87	1062225.52
1993-94	11097.51	963888.17
1994-95	10810.65	984102.05

खाली पड़े हुए गोदाम

2451. श्री हरिन पाठक : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा गोदामों की किराये पर लेने के फलस्वरूप भुगतान किए जा रहे किराये का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अपने गोदामों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होने के बावजूद इन गोदामों को किराये पर लेने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान गोदामों को किराए पर लेने पर अदा किए गए किराए की राज्य/क्षेत्रवार जानकारी देने वाले विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम केवल उन्हीं केन्द्रों पर गोदामों को किराए पर लेता है जहां भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्वयं की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं होती है। भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता का इस्तेमाल गोदामों के स्थल (वसूली अथवा खपत क्षेत्रों), वर्ष-अवधि, वसूली-स्तर, संचलन, उठान आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। दिनांक 1.10.95 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के स्वयं के, किराए पर लिए गए और कैप गोदामों के इस्तेमाल की प्रतिशतता 69 प्रतिशत थी। दिनांक 1.9.95 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम की उक्त प्रतिशतता 83 प्रतिशत थी। केन्द्रीय भण्डारण निगम यदि अपने जमाकर्ताओं की भण्डारण आवश्यकताओं को अपने केन्द्र-विशेष में उपलब्ध निर्मित/किराए पर लिए गए मौजूदा गोदामों से पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में यह अपने जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदाम किराए पर लेता है।

विवरण–I

वर्ष 1994–95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों की राज्य/क्षेत्रवार जानकारी

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	दिया गया किराया
1.	पंजाब	3220.84
2.	हरियाणा	734.00
3.	उत्तर प्रदेश	1855.45
4.	राजस्थान	289.59
5.	दिल्ली	26.91
6.	हिमाचल प्रदेश	14.40
7.	आंध्र प्रदेश	1723.60
8.	तमिलनाडु	431.71
9.	कर्नाटक	303.09
10.	केरल	12.82
11.	पी.ओ.मद्रास	10.98
12.	मध्य प्रदेश	795.67
13.	महाराष्ट्र	397.41
14.	गुजरात	399.02
15.	पी.ओ. काण्डला	28.10
16.	पी.ओ. कलकत्ता	147.54
17.	असम	52.67
18.	बिहार	147.82
19.	उड़ीसा	286.77
20.	पश्चिम बंगाल	75.02
21.	उत्तरी–पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र	43.42
	जोड़	10996.83

विवरण–II

वर्ष 1994–95 के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों की राज्य/क्षेत्र जानकारी

(लाख रुपएं में)

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	दिया गया किराया
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	गुजरात	46.89
2.	बंगलौर	कर्नाटक	
		केरल	29.41
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	70.85
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	2.83
5.	बम्बई	महाराष्ट्र	139.11
6.	न्यास	न्यू बम्बई	104.52
7.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	118.80
8.	चण्डीगढ़	हरियाणा	
		हिमाचल प्रदेश	
		पंजाब	52.15
		संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	
9.	दिल्ली	राजस्थान	
		दिल्ली	57.24
10.	गुवाहाटी	असम	
		मणिपुर	1.75
11.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	62.89
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	19.30
13.	मद्रास	तमिलनाडु	61.75
14.	पटना	बिहार	14.15
	जोड़		781.64

भारतीय पर्यावरण तथा वन सेवा

2452. श्री मोहन रावले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पर्यावरण तथा वन सेवा के नाम से एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस सेवा का कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) फिलहाल भारतीय पर्यावरण और वन सेवा के नाम से एक अखिल भारतीय सेवा के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

धारा तेल की कमी

2453. श्री विलासराव नागनाथराव मूंडेवार : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान बाजार में धारा खाद्य तेल की भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे बाजार में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) ऐसी कोई कमी हमारी जानकारी में नहीं लाई गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कलिंगा स्टेडियम

2454. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम (खेलकूद परिसर) के निर्माण पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ख) इसकी कुल लागत में केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत क्या होगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा 21.8357 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की रूपरेखा तैयार की गई है और अक्तूबर, 95 में इसे सूचित किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सहायता, अनुमानित लागत की प्रतिशतता के आधार पर स्वीकृत नहीं की जाती हैं। राज्य में राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार की अधिकतम सहायता अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत तक होती है बशर्ते कि यह 2.00 करोड़ रुपए तक सीमित हो।

(ग) और (घ). जी, हां। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुदान बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है। परंतु योजना में 2.00 करोड़ रुपये से अधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

साक्षरता अभियान

2455. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कम साक्षरता वाले ब्लाकों में प्रोत्साहन पर आधारित प्रणाली को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य-निष्पादन के आधार पर इन ब्लाकों को अतिरिक्त विकास धन दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

सुपर बाजार प्रबंधन समिति

2456. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार, नई दिल्ली, केन्द्रीय सरकार सहकारी स्टोर और ऐसे अन्य स्टोरों की कार्यरत प्रबंधन समिति में कितने तथा कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) इस समय कितने पद रिक्त हैं;

(ग) सरकार को सदस्यों के नामांकन के लिए सिफारिशें कब प्राप्त हुई; और

(घ) इन सदस्यों के नामांकन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विन्नेद शर्मा) : (क) और (ख). सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि सुपर बाजार की प्रबंध समिति में शेयरधारकों के बीच से चुने गए छः सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित नौ सदस्य शामिल होते हैं। इस समय सुपर बाजार में चुने गए सदस्यों और नामित किए गए सदस्यों दोनों में एक-एक रिक्त है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की प्रबंध समिति में आठ चुने गए सदस्य और नौ नामित किए गए सदस्य होते हैं। केन्द्रीय भण्डार की उप विधियों से संबंधित मामलों के न्यायालय में लंबित पड़े होने के कारण इस समय आठ चुने गए सदस्यों में से छः रिक्त हैं।

(ग) और (घ). तीन सरकारी अधिकारियों को और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक पदेन क्षमता में सुपर बाजार की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। अन्य पांच सदस्यों को उनकी सामाजिक सेवाओं और सहकारिता के क्षेत्र से संबंधित पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए नामित किया जाता है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा यह सूचित किया गया है कि सरकार के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके सभी नौ नामित निदेशक सरकारी अधिकारी हैं। केन्द्रीय भण्डार के निदेशक मंडल के नामित करने के लिए कोई सिफारिश आमतौर पर प्राप्त नहीं होती है। तथापि, सुपर बाजार की प्रबंध समिति में सदस्य के रूप में नामित करने के लिए समय-समय पर सिफारिशें प्राप्त होती है।

"मोनो क्रोटोफोस" कीटनाशकों का प्रयोग

2457. श्री एस.एम. लालखान बाशा :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में "मोनो क्रोटोफोस" कीटनाशक के प्रयोग का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध का क्या आधार है;

(ग) क्या सरकार ने इस कीटनाशक के प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ङ) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कीटनाशक उद्योग के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो कीटनाशक उद्योग द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समिति के विचारार्थ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) इस समिति ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय

यह समिति, उसे सौंपे गए कृमिनाशी दवाइयों की भारतीय सुरक्षा, विषाक्तता, और मौजूद रहने की प्रकृति के बारे में जांच करेगी और अपनी प्रविधि एवं कार्यविधि विकसित कर सकती है तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के किसी विभाग/प्राइवेट संगठनों व्यक्तियों से कोई भी संगत आंकड़े मंगवा सकती है तथा यह निम्नलिखित पर छह मास की अवधि में अपनी उपर्युक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(क) इसे सूचित कृमिनाशी दवाइयों में से किसी पर रोक लगाने या न लगाने के बारे में।

(ख) इस सूचित कृमिनाशी दवाइयों के निर्माण और/या इस्तेमाल को जारी रखने या न रखने के बारे में स्पष्ट सिफारिशें देगी जिसे सिद्ध करने के लिये कारण भी बतायेगी।

(ग) यदि किसी कृमिनाशी दवा पर भारत में इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की जाती है तो समिति उसके विकल्प सुझाएगी।

(घ) यदि किसी समीक्षाधीन कृमिनाशी दवा के मामले में पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती तो समिति इस कृमिनाशी दवा के भारत में उपयोग पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की सीमा के बारे में सुझाव देगी।

एक समान खरीद नीति

2458. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह नीति बनायी है कि भारतीय खाद्य निगम को एक समान गुणवत्ता के चावल और गेहूं की खरीद करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश जैसे चावल का अधिक उत्पादन करने वाले राज्य में इस संबंध में परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विपणन मौसम 1995-96 के लिए रबी और खरीफ संबंधी विनिर्दिष्टियों की प्रतियां संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) रबी और खरीफ विपणन मौसम 1995-96 के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियों को अन्तिम रूप देने से पहले प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आंध्र प्रदेश, भारतीय खाद्य निगम आदि सहित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद विनिर्दिष्टियां तय की गई थीं।

विवरण-I

चावल की उत्तम, बढ़िया/साधारण किस्मों की एक समान विनिर्दिष्टियां विपणन मौसम 1995-96

चावल ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठा, शुष्क, साफ-सुथरा, अच्छे खाद्य मान का सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, बदबू, बदरंग, किसी भी रूप में आरजिमोन मैक्सीकाना (सत्यानाशी) और केसारी अथवा हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों और नीचे अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानकों के अनुरूप होगा।

(विनिर्दिष्टियों की अनुसूची)

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा (%) उत्तम	बढ़िया/साधारण	
1	2	3	4	
1.	टोटे			
	कच्चा	20.0	22.0	इस सीमा में उत्तम कच्चे चावल के लिए 22 प्रतिशत तक छूट दी गई है और बढ़िया/साधारण चावल के लिए 24 प्रतिशत होगी
	सेला	16.0	17.0	

1	2	3	4	
2.	विजातीय पदार्थ			
	कच्चा/सेला	0.5	0.5	
3.	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त			
	कच्चा	2.0	2.0	
	सेला	4.0	4.0	
4.	बदरंग अनाज			
	कच्चा	3.0	3.0	
	सेला	5.0	5.0	
5.	चाकी अनाज			
	कच्चा	6.0	6.0	
6.	लाल अनाज			
	कच्चा	3.0	3.0	
	सेला	4.0	4.0	
7.	निम्नतर श्रेणियों का सम्मिश्रण			
	कच्चा/सेला	12.0	12.0	दिनांक 10.10.95 के पत्र सं. 8-5/95 एस. एण्ड आई. द्वारा इसमें 14 प्रतिशत तक छूट दे दी गई है।
8.	भूसी सहित अनाज			
	कच्चा	3.0	3.0	दिनांक 28.9.95 के पत्र
	सेला	4.0	4.0	सं. 8-5/95 एस.एण्ड आई. द्वारा कच्चा और सेला चावल दोनों के लिए 3% बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।
9.	नमी की मात्रा			
	कच्चा/सेला	14.0	14.0	
10.	पालिस की डिग्री (इससे कम न हो)	5.0	5.0	दिनांक 15.11.95 के पत्र सं. 8-5/95 एस. एण्ड आई. द्वारा पालिश की डिग्री से संबंधित खण्ड को विनिर्दिष्ट से हटा दिया गया है और पालिश की डिग्री कार्यकारी अनुदेशों के अधीन कर दिया गया।

चावल की उत्तम, बढ़िया और साधारण किस्मों की विनिर्दिष्टियों के लिए लागू नोट्स

नोट-1

उपर्युक्त बर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के "विश्लेषण की भारतीय मानक संस्था की विधियों" संख्या भारतीय मानक : 4333 (भाग-1) 1967 और भा.मा. 4333 (भाग II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भारतीय मानक 2813-1970 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है। भूसी रहित अनाज वह साबुत अथवा टोटा चावल कर्नल होगा जिसकी सतह के 1/4 हिस्से पर भूसी चढ़ी होगी और उसका निम्नानुसार निर्धारण किया जाएगा :—

विश्लेषण विधि :

पोटरीडिश (80x70 मिमी.) में पांच ग्राम मिल्ड चावल (अन्य बर्तनों को निकालकर ठोस लेकिन टोटा को शामिल करके) लें। इस अनाज को मेथीलिन के नीले घोल (आसुत जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) में डुबो दें और इसे एक मिनट तक रखें और उसके बाद उसमें से मेथीलिन के नीले घोल को निकाल दें तथा इसे 20 मिली. हल्के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (आयतन के हिसाब से आसुत जल में 5 प्रतिशत का घोल) से धोएं। अब पानी से धोएं। नीले धब्बे वाले अनाज पर 20 मिली. मेटानिल का पीला घोल (आसुत जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) डालें और एक मिनट रखें। मैल निकाल दें और ताजे पानी से दोबार धोएं (धब्बेदार अनाज को ताजे पानी में रखें और भूसी-रहित दानों को गिनें। विश्लेषणाधीन 5 ग्राम नमूने में अनाज के दानों की कुल संख्या की गणना करें। तीन टोटों को एक साबुत अनाज के रूप में गिना जाएगा।

गणना :

$$\text{भूसी रहित अनाज की प्रतिशतता} = \frac{\text{एन} \times 100}{\text{डब्ल्यू}}$$

एन = 5 ग्राम नमूने में भूसी रहित अनाज की संख्या

डब्ल्यू = 5 ग्राम नमूने में कुल अनाज

2. भारतीय मानक "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" समय-समय पर यथा संशोधित से भारतीय मानक 2814-1964 में दी गई नमूने लेने की विधि का अनुसरण किया जाना होगा।

3. पूर्ण गिरी के आकार के 1/8 से भी कम टोटों को कार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जाएगा। टोटे की समूची सीमा के अन्दर 1/8 से 1/4 के आकार के छोटे टोटे एक प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। टोटों का आकार निश्चित करने के लिए मुख्य श्रेणी के चावल की औसत लम्बाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. किसी भी ढेर में अकार्बनिक विजातीय पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि वह इससे अधिक होता है तो उस दशा में स्टाक को साफ किया जाना चाहिए और उसे सीमा के अन्दर लाया

जाना चाहिए। चावल के वे दाने अथवा इसके टोटे जिन पर धूल लगी हो उन्हें अकार्बनिक विजातीय पदार्थ समझा जाएगा।

5. चावल के मामले में, जिसे प्रेशर पारबायरिंग तकनीक से तैयार किया जाता है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेला बनाने की सही प्रक्रिया अपनायी जाती है अर्थात् दिया गया दबाव, जितने समय के लिए दबाव दिया गया, उचित श्लेषीकरण, वातन, कुटाई से पूर्व शुष्कीकरण पर्याप्त होना चाहिए ताकि सेला चावल का रंग और उसे पकाने का समय सही हो और अनाज पपड़ी से मुक्त हो।

धान की सभी किस्मों की एक समान विनिर्दिष्टियां (विपणन मौसम 1995–96)

धान ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठी, शुष्क, साफ सुथरी, अच्छे खाद्य मान की सम्पूर्ण अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगी और फंफूदी, घुनों, बदबू, बदरंग, आरजिमोन मैक्सिकाना (सत्यानाशी), केसारी, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों से मुक्त होगी और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप होगी।

धान का वर्गीकरण, उत्तम बढ़िया और साधारण समूहों में किया जाएगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा प्रतिशत
1.	विजातीय पदार्थ	1.0
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	
2.	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुना हुआ अनाज	3.0
3.	कच्चा, सिकुड़ा अनाज	3.0
4.	निम्नतर किस्मों का सम्मिश्रण	10.0
5.	नमी	18.0

नोट :

1. उपर्युक्त बर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक ब्यूरो की विधियों, भारतीय मानक 4333 (भाग-I), भा.मा. 4333 (भाग-II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा.मा. : 2813-1970 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।
2. नमूने लेने की विधियों का अनाजों और दालों के नमूने लेने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 2814-1964 भारतीय मानक विधियों के आधार पर अनुपालन करना होगा।
3. अकार्बनिक विजातीय पदार्थ के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर जहरीले बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतुरा और अकरा के बीज (विषाया जाति) क्रमशः 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

विवरण-II

सभी किस्मों के भारतीय गेहूं के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां (विपणन मौसम 1995-96)

गेहूं

(क) देशी लाल, दड़ा, अन्य मैक्सिकन और बढ़िया देशी फार्म किस्मों का शुष्क तैयार अनाज होगा अर्थात् ट्रिटिकम वलगारे, टी.काम्पेक्टम, टी. फैरोकोक्कम, टी. डुरूम, टी. एस्टीवम और टी. डिकोक्कम।

(ख) स्वाभाविक आकार, रूप और रंग का होगा।

(ग) मीठा साफ-सुथरा, पूर्ण और फफूंद, जीवित कीड़ों, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण जिसमें विषाक्त खरपतवार बीज और अन्य अशुद्धियां शामिल हैं लेकिन जिसमें निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर, मुक्त होगा।

(घ) ठोस व्यापारिक हालत में होगा, और

(ङ) उसमें किसी भी रूप में आरजिमोन मैक्सिकाना (सत्यानाशी) और केसारी, रंग छोड़ने वाले पदार्थ, पेस्टीसाइडस, फूंजीसाइड्स और कोई बदबूदार, हानिकारक तथा विषाक्त पदार्थ नहीं होंगे।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप होगा।

गेहूं की उचित औसत किस्म में विभिन्न वर्तनों को अधिकतम अनुमेय सीमा को बताने वाली सूची।

विजातीय पदार्थ %	अन्य खाद्यान्न %	कर्नल बंट और अर्गट से प्रभावी अनाज सहित क्षतिग्रस्त अनाज %	मामूली क्षतिग्रस्त अनाज %	सिकुड़ा हुआ और टोटा अनाज %
0.75	5.00	3.00	8.00	10.00

नोट :

1. 12 प्रतिशत से अधिक लेकिन 14 प्रतिशत तक की नमी की पूर्ण मूल्य पर कटौती की जाएगी। 14 प्रतिशत से अधिक नमी तत्व वाले स्टाक को रद्द कर दिया जाएगा।
2. विजातीय पदार्थों के लिए विनिर्दिष्ट समूची सीमा के अन्दर जहरीले खरपतवार, बीज 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें धतूरा और अकरा (विवाया जातियां) क्रमशः 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. छिलके सहित कर्नल को खराब अनाज नहीं समझा जाएगा और प्रत्यक्ष विश्लेषण के दौरान छिलके को हटाया जाएगा और इसे कार्बनिक विजातीय पदार्थ समझा जाएगा।
4. क्षतिग्रस्त अनाजों के लिए विनिर्दिष्ट समूची सीमा के अन्दर अर्गट के प्रभावित अनाज 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) यदि स्टाक में जीवित जन्तुबाधा मौजूद है तो प्रद्युमन प्रभारों के रूप में एक रुपए प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी।

(6) घुने हुए अनाज के मामले में, निम्नलिखित मूल्य कटौतियां की जाएंगी :—

(1) मौसम की शुरूआत से अगस्त के अन्त तक, प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए एक रुपए प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।

(2) पहली सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक एक प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन इससे किसी प्रकार की अधिकता होने की दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए एक रुपए प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।

(3) पहली नवम्बर से मौसम के अन्त तक दो प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन उससे किसी प्रकार की अधिकता होने के कारण प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए एक रुपए प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।

(4) जिस स्टाक में तीन प्रतिशत से अधिक घुना हुआ अनाज होगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा।

विश्लेषण की विधि :

यह विधि समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के स.पद्ध. मा.4333 (भाग-1 और 2), 1967 के अनुसार होगी, सिवाय घुने हुए अनाज के जिसका निर्धारण गणना विधि द्वारा किया जाएगा।

परिभाषा :

विजातीय पदार्थ

इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में रेत, कंकड़, रोड़े, पत्थर, गोबर, चिकनी मिट्टी के ढेले और शीशे और धातु के जर्रे आदि शामिल होंगे। कार्बनिक पदार्थ में भूसी, खरपतवार बीज, तिनके और न खाने योग्य अन्य अनाज शामिल होंगे।

सिकुड़ा अनाज

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जो पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं।

टोटे

गिरियों के टुकड़े जोकि पूर्ण गिरियों के आकार के तीन-चौथाई से भी कम आकार के होते हैं।

घुना हुआ अनाज

वे गिरियां आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खायी हुई होती हैं।

मामूली क्षतिग्रस्त अनाज

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जोकि सतही तौर पर क्षतिग्रस्त अथवा बदरंग हो जाते हैं लेकिन जिसके कारण पदार्थ की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

क्षतिग्रस्त अनाज

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े, जो हीट-माइक्रब्स, नमी अथवा मौसम के कारण अंकुरित हो जाती हैं अथवा अन्दर से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

अन्य खाद्यान्न

गेहूं के अलावा कोई भी खाद्यान्न।

नारियल की गिरी का समर्थन मूल्य

2459. श्री के. मुरलीधरन :
प्रो. के.वी. थामस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ए. चार्ल्स :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले मौसम में नारियल की गिरी का समर्थन मूल्य निर्धारित करने में विलम्ब के कारण केरल के नारियल उत्पादकों पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिसम्बर, 1995 की समाप्ति से पहले 1996 के मौसम के लिए गिरी के समर्थन मूल्य की घोषणा करने और समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए भी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में कुछ विलम्ब हुआ था अतः 1995 मौसम के दौरान उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यों का लाभ देरी से मिल सका।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). 1996 मौसम के लिए खोपरा की मूल्य नीति पर केरल सरकार के प्रस्ताव और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

समेकित बाल विकास योजना

2460. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से क्रियान्वित समेकित बाल विकास योजना परियोजनाओं पर चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या विश्व बैंक के इस कोष के दुरूपयोग को रोकने के लिए किसी प्रकार का नियंत्रण रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक 280.73 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई, जिसमें से 68.32 करोड़ रुपए की राशि बाह्य सहायता के रूप में है।

(ख) और (ग). जी, हां। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के उपयोग का प्रबोधन राज्यों के नियमित दौरे करके तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। खरीद प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश विद्यमान है तथा राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विहित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करें। सरकार द्वारा अन्तिम मंजूरी तभी ही जाती है जब इस बात की सन्तुष्टि हो जाती है कि राज्यों ने विहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है।

पादप ऊतक और कोशिका संवर्धन

2461. श्री राम कापसे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मैसूर में संपन्न हुए "पादप ऊतक और कोशिका संवर्धन के जैव-प्रौद्योगिकीय उपयोग में नवीनतम प्रगति" संबंधी संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि कृषि अर्थव्यवस्था हेतु पादप ऊतक और कोशिका संवर्धन संबंधी तकनीक आवश्यक है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" (मुम्बई संस्करण) में प्रकाशित "प्लांट टिस्यू कल्चर की टू इंडियांज फूड नीड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इस संदर्भ में हुए अनुसंधान के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊतक तथा कोशिका कल्चर तकनीक कृत्रिम दशाओं के तहत पृथक किये गए कोशिका ऊतकों तथा अवयवों के तेजी से संवर्धन का साधन उपलब्ध कराती है। यह तकनीक विभिन्न ग्रुपों के पौधों के बड़ी संख्या में संवर्धन के लिए सरकारी तथा निजी दोनों संस्थानों में इस्तेमाल में लायी जा रही है। खाद्य सहित विभिन्न संसाधित उद्योगों में उपयोग हेतु कुछ प्रमुख मेटाबोलाइटों तथा एल्कलाइडों के तेजी से संवर्धन के लिये कई औषधीय पौधों की कोशिका कल्चर इस्तेमाल में लायी जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम

2462. श्री एन.वे. राठवा :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में भारतीय खाद्य निगम की स्थान-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इन शाखाओं में आज तक कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ग) कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गुजरात में निम्नलिखित कार्यालय हैं :—

(1) क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद।
(2) संयुक्त प्रबन्धक (प्रचालन) का कार्यालय, कच्छ, काण्डला
(3) जिला कार्यालय, राजकोट
(4) जिला कार्यालय, साबरमती
(5) जिला कार्यालय, बड़ौदा

(ख) 29.11.95 की स्थिति के अनुसार इन कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ग के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

	श्रेणी							
	I		II		III		IV	
	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अज.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा.
	1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	–	1	2	–	15	1	5	2
संयुक्त प्रबंधक (प्रचालन) का कार्यालय, कांडला	2	–	1	–	30	1	66	5

	1	2	3	4	5	6	7	8
जिला कार्यालय, राजकोट	–	–	4	1	20	3	18	2
जिला कार्यालय, साबरमती	–	1	7	1	88	23	20	25
जिला कार्यालय, बड़ौदा	2	–	5	–	25	25	14	10
	4	2	19	2	178	53	123	44

(ग) श्रेणी-I और श्रेणी-II के संबंध में रिक्तियों की स्थिति क्रमशः अखिल भारतीय और आंचलिक आधार पर तैयार की गई है। श्रेणी-III से संबंधित रिक्तियों की स्थिति क्षेत्रीय आधार पर तैयार की गई है। गुजरात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से निम्नलिखित पद खाली हैं :—

श्रेणी			
III		IV	
अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
2	13	–	9

(घ) और (ङ). भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु पहले से ही कार्रवाई की जा रही है क्योंकि आरक्षित रिक्तियों को भरने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सकों को शामिल किया जाना

2463. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
श्री छेदी पासवान :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सकों को शामिल किए जाने के बारे में 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 296 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संबंध में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु सरकार का विचार किस प्रणाली की स्थापना करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस निर्णय के विरूद्ध चिकित्सा व्यवसाय के लोगों के विरोध पर ध्यान दिया है तथा क्या सरकार को व्यावसायिक संस्थाओं की ओर से इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या चिकित्सा व्यवसाय के लोगों ने इस निर्णय के आधार पर चिकित्सा शुल्क में वृद्धि करने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस धमकी का किस प्रकार सामना करने का है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना की गई है। इस समय एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) और 457 उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच) कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक राज्य आयोग और दो प्रभागीय मंच जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भी कार्य कर रहे हैं जहां उन्होंने एक अलग जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया है।

(ख) जी, हां। डाक्टरों तथा चिकित्सा व्यवसायिकों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालयों में कई रिट याचिकाएं दायर की हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के फैसले में इस अधिनियम के उपबंधों को मान्य ठहराया है।

(ग) और (घ). इस फैसले के परिणामस्वरूप चिकित्सा शुल्क और प्रभारों में वृद्धि की आशंका व्यक्त करते हुए कुछ समाचार छपे हैं। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश में स्कूल

2464. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में प्राथमिक, मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं हैं; और

(ख) कब तक इन गांवों में स्कूल खोले जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) और (ख). सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीजों का परिरक्षण

2465. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीजों के परिरक्षण के लिए अपने ही किस्म की "सुई जेनरीस" प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). पौध किस्मों के संरक्षण से संबंधित विधान के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावित विधान में क्वालिटी बीजों के उत्पादन में तेजी लाने तथा बीजों को बचाकर रखने, प्रयोग करने, आदान-प्रदान करने, बांटने तथा बिक्री करने के संबंध में कृषकों के पारम्परिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोयाबीन का उत्पादन

2466. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन कितना होने की सम्भावना है जबकि वर्तमान वर्ष में सोयाबीन की खरीफ फसल खलिहानों में पहुंच चुकी है;

(ख) सोयाबीन की पेराई द्वारा प्रतिवर्ष कितना तेल निकाला जाता है तथा देश में इस तेल की वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) सोयाबीन तेल का कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(घ) सोयाबीन की फसल से देश में खली का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और इसका कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) खरीफ 1995-96 के दौरान सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन 48.5 लाख मीटरी टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन से निकाला गया तेल निम्नलिखित है :—

वर्ष	निकाला गया सोया तेल (लाख मीटरी टन)
1992-93	4.67
1993-94	6.93
1994-95	6.00

जितने सोया तेल का देश में उत्पादन होता है, उसकी खपत हो जाती है, बहुत कम मात्रा में ही इसका निर्यात किया जाता है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान, 21200 कि.ग्रा. तेल निर्यात किया गया था।

(घ) लगभग 60 प्रतिशत मात्रा को सोया की खली में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए, 1994-95 के दौरान, 36.70 लाख मीटरी टन सोयाबीन के बीज से लगभग 22.02 लाख मीटरी टन सोया की खली का उत्पादन किए जाने का अनुमान है। 1994-95 के दौरान, 1214.15 करोड़ रुपये की कीमत की लगभग 19.30 लाख मीटरी टन सोया की खली का निर्यात किया गया।

[अनुवाद]

पर्यावरण शुल्क

2467. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1995 के "बिजनेस स्टैंडर्ड", नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित "वेस्ट आस्कड टू पे एनवाइरनमेंट रेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण शुल्क संबंधी इस विचार का क्या प्रभाव पड़ा है कि औद्योगिक देश अत्यधिक प्रदूषण फैलाने के कारण विकासशील देशों के ऋणी हैं; और

(ग) विश्व पर्यावरण संरक्षण के संबंध में महासभा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) "पर्यावरण कर" से सम्बन्धित तर्क भारत ने इस बात पर जोर देने के लिए उठाया है कि विकसित देशों ने वायुमण्डल के सांझा संसाधनों का अतीत में अत्यधिक उपयोग किया है और अभी भी ऐसा कर रहे हैं। इस तर्क ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से उत्पन्न प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करने के लिए विकासशील देशों का ध्यान आकर्षित किया है।

(ग) अपने 50वें सत्र में महासभा ने विश्व जलवायु की सुरक्षा की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया है।

कृषि क्षेत्र का अविनियमन

2468. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकानामिक्स ने नवम्बर, 1995 के अन्तिम सप्ताह में आनंद में हुए अपने 55वें वार्षिक सम्मेलन में कृषि क्षेत्र के अविनियमन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि क्षेत्र के अविनियमन से भारतीय किसानों को क्या-क्या लाभ होंगे; और

(घ) उपर्युक्त सुझावों/सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) आनन्द में 22-24 नवम्बर, 1995 तक आयोजित इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स के 55 वें वार्षिक सम्मेलन में दिए गए सुझावों/सिफारिशों में से कोई सुझाव/सिफारिश सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आधुनिकीकरण

2469. श्री भोगेन्द्र झा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत मदरसों, संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को आधुनिकीकरण की अनुमति तथा इस प्रयोजनार्थ सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की कार्य योजना के अनुसरण में, इस मत्रांलय ने 1994 में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना तैयार की है। यह योजना के रूप में राज्य सरकारों के द्वारा लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत शत प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है।

इस योजना के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :-

(1) विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषाओं के शिक्षण हेतु योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वयंसेवी संगठनों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को शत प्रतिशत तक वित्तीय सहायता।

(2) इन विषयों के लिए मदरसों में पुस्तक बैंकों की स्थापना तथा पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता।

(3) विज्ञान किटों, गणित किटों, आवश्यक उपकरणों आदि का प्रावधान।

इस योजना के अंतर्गत अब तक 64 मदरसों को सहायता प्रदान की गई है।

1962 से मंत्रालय संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए एक योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(क) विपन्नता की स्थिति में रह रहे संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को वित्तीय सहायता।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ग) हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाओं का प्रावधान।

(घ) हाई तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति।

(ङ) राज्यों द्वारा संस्कृत की प्रोन्नति के लिए अनुदान।

विश्वविद्यालयों और कालेजों को स्थापित करे तथा उन्हें वित्तपोषित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पात्र राज्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है।

[हिन्दी]

फल तथा सब्जी का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

2470. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल तथा सब्जी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेने हेतु दिल्ली में नवम्बर, 1995 माह में किसी सेमिनार का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) नई दिल्ली में 20 से 23 नवम्बर, 1995 तक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने एक अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी वितरक सममेलन का आयोजन किया।

(ख) सहभागी देशों के प्रति भागियों ने अपने देश में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की स्थिति और विपणन, अपनाई जाने वाली नई प्रौद्योगिकियों तथा सामने आने वाली बाधाओं को उजागर करने वाले आलेख प्रस्तुत किए। उत्पाद के अंतर्देशीय विपणन में सुधार लाने के लिए अंतर्क्रियाओं के बारे में सुझाव भी दिए गए। सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में फल एवं सब्जी विपणन संघ गठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया। जिसका मुख्यालय भारत में होगा।

(ग) सरकारी हस्तक्षेप की अपेक्षा रखने वाले किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। तथापि, सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय फल और सब्जी विपणन संघ, जिसका मुख्यालय भारत में होगा, के गठन का स्वागत किया।

[अनुवाद]

गोदामों के लिए धन

2471. श्रीमती चन्द्रा प्रभा असं : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृषि संबंधी निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोल्ड स्टोरेज युक्त आधुनिक गोदामों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के विषय में एन.सी.डी.सी. का निर्णय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में सहकारी समितियों द्वारा भण्डार गोदामों की स्थापना किये जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कर्नाटक में बंगलौर हवाई अड्डे के पास 100 करोड़ रुपये की लागत वाली एक समेकित सहकारी फल एवं सब्जी विपणन तथा निर्यात परियोजना (जिसमें शीत भण्डार सुविधाएं भी शामिल हैं) की स्थापना किये जाने के लिए अक्तूबर, 1995 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने नवम्बर, 1995 में इस परियोजना की मौके पर जांच की थी। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस बारे में लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को सूचित कर दिया जायेगा।

समेकित बाल विकास योजना

2472. श्री प्रबीन डेका : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के डारंग तथा सोनितपुर जिलों के लिए स्वीकृत की गई समेकित बाल विकास संबंधी परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) राज्य के अन्य जिलों में ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) अब तक, असम से चार समेकित बाल विकास बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें में 2 डारंग और दो सोनितपुर जिलों में है।

(ख) सरकार समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये एक निश्चित मानदण्ड का अनुसरण करती है। राज्य का समानुपातिक हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या के आनुपातिक वितरण के आधार पर निर्धारित होता है तथा नयी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का स्थल-निर्धारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

(ग) चालू वर्ष 1995-96 के दौरान असम राज्य में 8 नयी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना

2473. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विश्व बैंक की सहयता से कोई कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब शुरू की गई;

(ग) कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना शुरू करने के लिए विश्व बैंक कितनी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इससे देश को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अय्यूब खान) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मानव संसाधन विकास प्रायोजना 14 अगस्त, 1995 को नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इस प्रायोजना की कुल लागत 74.2 अमेरिकी डालर है। इस प्रायोजना की अवधि 5 वर्ष की है। पहले चरण में, भा.कृ.अनु.प. शिक्षा प्रभाग को सुदृढ़ करने के अलावा यह प्रायोजना आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा हरियाणा राज्य में शुरू की गई है।

(ग) पहले चरण में प्रायोजना को विश्व बैंक द्वारा 59.5 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता दी गई है।

(घ) प्रायोजना की मुख्य विशेषताओं में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, इस उद्देश्य से कि लोगों को शिक्षित बनाया जा सके और क्षेत्रों की अधिक उत्पादक बनाया जा सके, मानव संसाधनों को विकसित करना व उन्हें रोजगार प्रदान करना आदि बातें शामिल हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और उसे और सुसंगत बनाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि प्रायोजना पर जिन मुद्दो पर जो दिया गया है वे हैं - (क) उद्देश्यपरक पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम में सुधार, (ख) संकाय संबंधी गुणवत्ता में सुधार, (ग) आध्यापन पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, (घ) भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच संकाय विनिमय, (ङ) विश्वविद्यालय प्रशासन एवं प्रबन्ध प्रणालियों का आधुनिकीकरण, (च) शिक्षण प्रयोगशाला उपस्करों, संगणक प्रणालियों, संचार माध्यमों, फार्मों, पुस्तकालयों एवं छात्रावासों के स्तर में सुधार करना, और (छ) स्थापना (प्लेसमैंट) केन्द्रों और छात्रों के कार्यक्रमों को कृषि-उद्योगों के साथ जोड़ना।

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं

2474. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला परिषद, कानपुर के अनेक विद्यालयों में भवन, बिजली, पानी और बैठने की व्यवस्था आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

2475. डा. साक्षीजी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और अन्य स्थानों पर राज्यवार कितने अस्थायी मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) इन मजदूरों को नियमित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मजदूरों को नियमित किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने अपनी किसी भी स्थापना में अस्थायी श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.पी.ई.) अधिनियम

2476. श्री सूरज मंडल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद् अधिनियम की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार का विचार इस विधेयक को कब तक पारित करने का है?

मानव संसाधन मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख). अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद विधेयक से संबंधित मंत्रिमंडल की टिप्पणी का मसौदा संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है, जिसमें उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों और एजेंसियों के विचार और दृष्टिकोण पहले की प्राप्त हो गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, भी उसके द्वारा गठित पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् अपनी टिप्पणियां भेजने का वादा किया है। यह विधेयक इस समय मसौदे की अवस्था में है और इसे मंत्रिमंडल तथा विधि मंत्रालय के समक्ष उनके अनुमोदनार्थ रखना अपेक्षित है। कानून निर्माण में अपेक्षित सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात् ही भारत सरकार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

यूरोपीय समुदाय से अनुदान

2477. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपियन कम्युनिटी ह्यूमैनिटेरियन आफिस से आन्ध्र प्रदेश को दो परियोजनाओं के लिए विपदा अनुदान के रूप में 40 लाख रु. से अधिक की राशि जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अनुदान का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा; और

(ग) इस अनुदान को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

निजी भवन निर्माताओं द्वारा गोदाम

2478. श्री एस.एम. लालजान बाशा :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार भंडारण क्षमता के सृजन हेतु दक्षिणी क्षेत्र के लिए आन्ध्र प्रदेश में निविदायें आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश में चावल के भंडारण में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश के उद्यमियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गोदामों का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). 1.10.95 की स्थिति के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 23.85 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। इसके प्रति, आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कुल 12.61 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक रखा था जो 53 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता का द्योतक है। अतः आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की वर्तमान भण्डारण क्षमता पर्याप्त है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने योजना बनाई है कि 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित केन्द्रों पर वर्तमान प्लिथों को गोदामों में परिवर्तित करके 0.40 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण किया जाए :—

	केन्द्र	क्षमता (मीटरी टन में)
1.	जम्मीकुटा	10,000
2.	काजीपेट	15,000
3.	जांगलपल्ली	15,000
		40,000

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

2479. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर ने अपने पाठ्यक्रम से कोई कोर्स हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कोर्स अन्य क्षेत्रीय कालेजों से भी हटा दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) जी, हां।

(ख) सत्र 1995-96 से नए दाखिलों को रोक कर एम.एड., बी.ए.बी.एड., बी.एड. और एम.एस.सी. एम.एड. के पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को अप्रैल, 1995 में क्षेत्रीय संस्थानों में बदल दिया गया था जिससे उन राज्य और उप राज्य स्तरीय संस्थाओं को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन संबंधी सहायता प्रदान की जा सके जिनको शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करने तथा सेवाकालीन शिक्षकों की कोटि में सुधार करने हेतु सेवाकालीन और सीमित सेवा-पूर्व कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अलावा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चल-वाहन तथा गोदाम

2480. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा सितम्बर, 1995 तक विशेषकर दूरस्थ जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल-वाहनों की खरीद तथा गोदामों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा स्वीकृत किए गए;

(ख) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन गोदामों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में स्थिति क्या है;

(छ) इन गोदामों का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है; और

(ज) इस प्रयोजनार्थ चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (घ). केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए उनके संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु (1) वैनें/ट्रक खरीदने तथा (2) गोदामों का निर्माण करने के लिए धनराशि दी जाती है। प्रस्तावों को भेजने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को इस स्कीम के तहत सीमित बजट प्रावधान होने, राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव भेजने में प्रक्रियागत विलम्ब किए जाने, गत समय में दी गई सहायता के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण मंजूर नहीं किया जा सका है। वित्तीय वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में मोबाइल वैनें क्रय करने तथा गोदामों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा मंजूर की गई राशि क्रमशः संलग्न वितरण I से IV पर दी गई है।

(ङ) से (छ). वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है और स्कीम को वास्तविक रूप से राज्य सरकारों द्वारा अपनी नामित

एजेन्सियों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। निर्माण कार्य की प्रगति पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नजर रखी जाती है। तथापि, राज्य सरकारों को गोदामों के पूरा हो जाने के बाद निधि की मंजूरी वाले वर्ष से दो वर्ष के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति विवरण VII पर दी गई है।

(ज) इन स्कीमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान बजट प्रावधान इस प्रकार है :—

1. गोदामों का निर्माण 7.55 करोड़ रुपए
2. मोबाइल मैनों/ट्रकों की खरीद 6.60 करोड़ रुपए

स्कीम के तहत धन पहले आओ पहले पाओ तथा परियोजना आधार पर जारी किया जाता है। राज्यवार कोई आवंटन नियत नहीं किए जाते हैं।

विवरण-I

मोबाइल वैनों के लिए 1993-94 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव तथा वित्तीय सहायता हेतु जारी की गई मंजूरियां दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव		मंजूरशुदा	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	16	64.00	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	444.00	5	20.00
3.	बिहार	20	80.00	—	
4.	हिमाचल प्रदेश	16	64.00	12	48.00
5.	केरल	90	630.00	—	—
6.	मध्य प्रदेश	30	120.00	20	80.00
7.	महाराष्ट्र	70	280.00	15	60.00
8.	मणिपुर	10	40.00	6	24.00
9.	मिजोरम	10	40.00	—	—
10.	नागालैंड	6	30.00	—	—
11.	उड़ीसा	20	280.00	10	40.00
12.	पंजाब	11	33.00	—	—
13.	राजस्थान	65	260.00	35	140.00
14.	सिक्किम	4	16.00	4	16.00
15.	तमिलनाडु	27	108.00	8	32.00
16.	त्रिपुरा	5	30.00	4	9.00*
17.	उत्तर प्रदेश	40	160.00	25	100.00
18.	पश्चिम बंगाल	7	28.00	7	28.00
	योग	458	2297.00	151	597.00

* 1994-95 में शेष 7.00 लाख रुपये

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1994-95 के दौरान वैनें खरीदने के लिए प्राप्त प्रस्ताव तथा जारी की गई मंजूरियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव		मंजूरशुदा	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	हिमाचल प्रदेश	10	40.00	10	40.00
2.	जम्मू व कश्मीर	16	105.60	16	53.00**

1	2	3	4	5	6
3.	केरल	90	360.00	10	40.00
4.	मध्य प्रदेश	60	240.00	25	100.00
5.	महाराष्ट्र	90	360.00	60	240.00
6.	मणिपुर	19	66.71	9	36.00
7.	मिजोरम	12	48.00	8	32.00
8.	राजस्थान	30	120.00	26	104.00
9.	तमिलनाडु	3	12.00	—	—
10.	त्रिपुरा	—	—	—	7.00*
11.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	8.00	2	8.00
	योग	332	1360.31	166	660.00

* शेष 1993-94 के लिए

** 1995-96 में शेष 52.60 लाख रुपए

विवरण–III

1995–96 के दौरान मोबाइल वैनों के लिए प्राप्त प्रस्ताव तथा वित्तीय सहायता हेतु जारी की गई मंजूरियां दर्शाने वाला विवरण (30.9.95 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव		मंजूरशुदा	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	12	48.00	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	73 (45 वी+28 टी)	404.00	20 (15 वी+5टी)	100.00
3.	हिमाचल प्रदेश	19	152.00	—	—
4.	जम्मू व कश्मीर	13टी	91.00	5टी	87.60
5.	मध्य प्रदेश	25	100.00	25	100.00
6.	महाराष्ट्र	60 (50 वी+10 टी)	280.00	15 (10 वी+5टी)	80.00
7.	मणिपुर	15	57.60	15	60.00
8.	मेघालय	4	14.00	—	—
9.	मिजोरम	6	29.99	—	—
10.	उड़ीसा	30	150.00	—	—
11.	तमिलनाडु	3	12.00	3	12.00
12.	त्रिपुरा	10 (8 वी+2 टी)	48.00	10 (8 वी+2टी)	48.00
13.	उत्तर प्रदेश	30टी	240.00	—	—
14.	लक्षद्वीप	1	4.00	1	4.00
	योग	271	1390.59	94	491.60

विवरण-IV

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों के निर्माण के लिए 1993–94 के दौरान वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव			मंजूर किए गए प्रस्ताव		
			क्षमता	राशि	सं.	क्षमता	राशि
1.	आंध्र प्रदेश		153000	1900.00	—		—
2	अरुणाचल प्रदेश	15	4000	280.00	3	1000	25.70
3.	असम	2	4000	60.99	—	—	—
4.	बिहार	5	5000	58.40	3	3000	35.04
5.	गुजरात	8	8000	129.34	4	4000	64.64
6.	हिमाचल प्रदेश	5	600	35.24	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	35	7800	440.01	10	2100	82.45
8.	केरल	9	12470	273.43	1	2000	41.50
9.	मध्य प्रदेश	17	17000	277.00	6	6000	98.04
10.	महाराष्ट्र	7	3500	69.98	2	1000	19.98
11.	मणिपुर	10	2000	79.40	3	600	18.00
12.	मेघालय	2	6000	118.76	—	—	—
13.	मिजोरम	16	3950	96.28	4	800	22.20
14.	नागालैण्ड	4	250	13.46	—	—	—
15.	उड़ीसा	91	22750	391.30	—	—	—
16.	राजस्थान	21	21000	217.35	2	2000	20.70
17	सिक्किम	5	1750	80 00	5	1750	55.75
	योग	250	278070	4544.94	43	23850	482.00

विवरण-V

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1994–95 के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव तथा जारी की गई मंजूरियां।

(लाख रु. में)

(क्षमता मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव			मंजूर जारी की गई		
		सं.	क्षमता	राशि	सं.	क्षमता	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	2	2000	23.36	2	2000	23.36
2.	गुजरात	5	1500	41 77	5	1500	40.30
3.	जम्मू व कश्मीर	22	5700	328.81	22	5200	158.14
4.	केरल	6	12470	297.43	—	—	—
5.	मध्य प्रदेश	11	11000	178.96	6	6000	98.04
6.	महाराष्ट्र	11	5100	108.10	6	3000	67.58
7.	मणिपुर	11	2200	87.34	11	2200	40.00
8.	मेघालय	2	6000	118.76	1	2000	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मिजोरम	12	3160	74.08	6	1600	37.63
10.	राजस्थान	31	49300	554.25	2	3600	41.20
11.	सिक्किम	—	—	—	—	—	3.75*
12.	तमिलनाडु	—	—	64.97	—	—	—
13.	त्रिपुरा	6	700	29.60			
	योग	119	99130	1907.43	61	27100	550.00

विवरण–VI

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गोदामों का निर्माण करने के लिए 1995–96 (30 सितम्बर, 1995 तक) के दौरान प्राप्त प्रस्ताव तथा जारी की गई मंजूरियां

(लाख रु. में)
(क्षमता मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव			मंजूर किए गए प्रस्ताव		
		सं.	क्षमता	राशि	सं.	क्षमता	राशि
1.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	81.02*
2.	केरल	2	750	46.32	—	—	—
3.	मध्य प्रदेश	14	14000	228.70	—	—	—
4.	महाराष्ट्र	1	500	8.60	4	2442	41.10*
5.	मणिपुर	11	2200	89.45	11	2200	136.79*
6.	राजस्थान	—	—	—	—	1600	16.56*
7.	त्रिपुरा	6	700	29.60	—	—	—
	योग	34	18150	402.67	15	6242	275.47

* इसमें 1994–95 में अनुमोदित प्रस्तावों के लिए 1995–96 में जारी की गई निधियां शामिल हैं।

विवरण–VII

1993–94, 1994–95 तथा 1995–96 के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए दी गई सहायता हेतु उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993–94	1994–95	1995–96 (सितंबर 95 तक)	उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	23.70	—	—	देय नहीं
2.	बिहार	35.04	23.36	—	देय नहीं
3.	गुजरात	64.64	4030	—	देय नहीं
4.	जम्मू व कश्मीर	82.45	158.14	81.02	देय नहीं
5.	केरल	41.50	—	—	देय नहीं
6.	मध्य प्रदेश	98.04	98.04	–	देय नहीं

1	2	3	4	5	6
7.	महाराष्ट्र	19.98	67.58	41.10	वर्ष 1993-94 के लिए प्राप्त।
८	मणिपुर	18.00	40.00	—	देय नहीं
९	मिजोरम	22.20	37.63	—	देय नहीं
10.	राजस्थान	20.70	41.20	16.56	देय नहीं
11	सिक्किम	55.75	3.75	136.79	देय नहीं
12	मेघालय	—	40.00	—	देय नहीं
	योग	482.00	550.00	275.47	

[हिन्दी]

गुजरात में खतरनाक उद्योग

2481. श्री एन.वी. राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में चल रही खतरनाक औद्योगिक इकाइयों का स्थितिवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादन प्रक्रिया के दौरान विषैले अपशिष्ट पदार्थ निकाल रही इन इकाइयों के विरूद्ध सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी इकाइयों के विरूद्ध कोई जांच कराई है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). देश में 11,922 परिसंकटमय औद्योगिक यूनिटें हैं। इनमें से 2,929 परिसंकटमय यूनिटें गुजरात में हैं जिनमें तेल शोधन कारखाने, पैट्रोरसायन, कीटनाशक और डाई एवं बाइंटर-मीडिएट्स शामिल हैं जो मुख्य रूप से अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, भड़ौच, सूरत, राजकोट और मेहसाना जिलों में केन्द्रित हैं। परिसंकटमय यूनिटों की राज्य-वार विवरण और गुजरात के विभिन्न जिलों में ऐसी यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न उपबन्धों और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. उद्योगों को एक समयवद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के निदेश दिए गए हैं। दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
2. उद्योगों को स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
3. उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना और संचालन के लिए सहमति प्राप्त करनी होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

परिसंकटमय रसायन उद्योगों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिसंकटमय रसायनिक यूनिटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	800
2.	असम	7
3.	बिहार	740
4.	गोवा	30
5.	गुजरात	2929
6.	हरियाणा	35
7.	हिमाचल प्रदेश	163
8.	जम्मू और कश्मीर	07
9.	कर्नाटक	600
10.	केरल	1776
11.	मध्य प्रदेश	517
12.	महाराष्ट्र	1850
13.	मेघालय	—
14.	उड़ीसा	49
15.	पंजाब	184
16.	राजस्थान	81
17.	तमिलनाडु	451
18.	उत्तर प्रदेश	1298
19.	पश्चिम बंगाल	124
20.	दिल्ली	128
21.	नागालैंड	01
22.	पाण्डिचेरी	152
	कुल	11922

गुजरात में परिसंकटमय रसायनिक उद्योगों का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	परिसंकटमय रसायनिक यूनिटों की सं.
1.	अहमदाबाद	914
2.	खेड़ा	87
3.	वड़ोदरा	483
4.	भड़ौच	190
5.	सुरत	197
6.	वलसाड	483
7.	अहवा-दंगा	—
8.	पंचमहल	84
9.	मेहसाना	185
10.	बनासकांठा	01
11.	सावरकांठा	09
12.	सुरेन्द्रनगर	33
13.	राजकोट	74
14.	कच्छ	35
15.	जामनगर	32
16.	जुनागढ़	53
17.	भावनगर	64
18.	अमरेली	01
19.	गांधीनगर	04
	कुल	2929

[अनुवाद]

बासमती चावल की कीमतों में गिरावट

2482. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पंजाब तथा हरियाणा की मंडियों में बासमती धान की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थानीय बाजार में बासमती धान की कीमत में गिरावट के फलस्वरूप हाल के महीनों में बासमती चावल का निर्यात भी रूक गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घरेलू कारणों के अलावा बासमती चावल आयात करने वाले देशों में इसकी मांग में काफी कमी रही है; और

(च) बासमती धान/चावल की घरेलू कीमतों में गिरावट रोकने तथा बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने के प्रस्ताव हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). वसूली एजेंसियों द्वारा बासमती चावल की वसूली मूल्य समर्थन योजना के अधीन नहीं की जाती है। बासमती धान/चावल के बाजार मूल्य मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। केन्द्रीय सरकार बासमती धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं करती है।

प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब और हरियाणा के प्रमुख केन्द्रों में अक्तूबर और नवम्बर, 95 के दौरान बासमती धान के थोक मूल्य पिछले वर्ष के इन्हीं दो महीनों के थोक मूल्यों से कम हैं।

(ग) से (च). अप्रैल-अगस्त, 1995 की अवधि के दौरान 300.45 करोड़ रुपये की कीमत का 1,35,899 मीटरी टन बासमती चावल निर्यात किया गया है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 357.03 करोड़ रुपये की कीमत का 1,90,541 मीटरी टन बासमती चावल निर्यात किया गया था।

चावल के निर्यात में वृद्धि करने और घरेलू मूल्यों में गिरावट रोकने के लिए शुरू किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. बासमती और गैर-बासमती, दोनों प्रकार के चावल पर से सभी मूल्य और मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाना;
2. भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से 3.0 मिलियन मीटरी टन बढ़िया और उत्तम चावल का निर्यात करने/निर्यात के लिए बिक्री करने के लिए भी अनुमति दी गई है;
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों द्वारा साधारण, बढ़िया और उत्तम धान की खरीददारी की जाती है।
4. विदेशों में अभियान चलाने में सहायता देना और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;
5. निर्यातकों को गुणवत्ता में सुधार करने, पैकिंग, उत्पाद के ब्रांड को बढ़ावा देने, बाजार सर्वेक्षण करने, आदि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;
6. बासमती चावल के निर्यात ठेकों का ए.पी.ई.डी.ए. के पास 1.12.1995 से पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

समेकित पनधारा (वाटरशेड) प्रबंध

2483. श्री राधेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित "समेकित पनधारा प्रबंध" योजना के अन्तर्गत हिमालय क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को कुल कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और आज तक राज्यवार कितनी धनराशि वास्तव में जारी की गई;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं विदेशी सहायता से चलाई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों को आज तक राज्यवार कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है और कुल कितनी सहायता राशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अर्थात् वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को चालू वर्ष के दौरान अब तक आवंटित तथा निर्मुक्त कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। समेकित पनधारा प्रबंध नामक कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है।

(ख) से (घ). विदेशी सहायता से कार्यान्वित समन्वित पनधारा विकास/प्रबंध परियोजनाओं, परियोजनाओं का परिव्यय तथा अब तक निर्मुक्त/संवितरित रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमालयी क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को आवंटित और निर्मुक्त राज्यवार निधि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन	नवम्बर, 95 तक निर्मुक्त निधियां
1.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	**
2.	असम	340.00	**
3.	हिमाचल प्रदेश	460.00	113.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर	300.00	118.00
5.	मणिपुर	75.00	5.00
6.	मेघालय	55.00	**
7.	नागालैंड	15.00	**
8.	सिक्किम	10.00	**
9.	उत्तर प्रदेश*	2400.00	215.00
10.	पश्चिम बंगाल*	507.00	244.00

* हिमालयी क्षेत्र सहित समस्त राज्यों को आवंटित और निर्मुक्त निधियां

** चूंकि राज्यों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध था, अतः, निधियां निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण-II

बाहरी सहायता से राज्यवार समेकित पनधारा विकास/प्रबंध परियोजना

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	परिव्यय	अब तक निर्मुक्त/ संवितरित धनराशि
1.	समेकित पनधारा विकास परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर	42.14	22.00
2.	समेकित पनधारा विकास परियोजना, हिमाचल प्रदेश	39.32	19.00
3.	समेकित पनधारा विकास परियोजना, हरियाणा	41.13	14.80
4.	समेकित पनधारा विकास परियोजना, पंजाब	64.82	38.80
5.	दून घाटी पनधारा प्रबंध परियोजना, उत्तर प्रदेश	80.85	4.52
6.	भीमताल समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना, उत्तर प्रदेश	11.50	6.24
7.	दक्षिण भागीरथी-II समेकित पनधारा प्रबंध परियोजना, उत्तर प्रदेश	14.17	13.74

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से धन

2484. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "हापकाम्स" की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तिथि को उक्त प्रस्ताव भेजा गया था; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). हापकाम्स द्वारा फलों एवं सब्जियों का विपणन करने की परियोजना जिसकी लागत 21.41 करोड़ रुपये थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुई थी। यह परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय को स्वीकार्य नहीं थी अतः इसमें कुछ संसोधन करना जरूरी था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अभी तक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, फसलोत्तर कारोबार की बुनियादी सुविधाओं जिसमें ग्रेडिंग व पैकिंग केन्द्र, खुदरा बिक्री केन्द्र, वाहन, प्लास्टिक क्रेट्स, शीत भंडार आदि आते हैं, की स्थापना के लिए उदार ऋण के लिए हापकाम्स के पास आये प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और धनराशि जारी कर दी गयी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

2485. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया है और उसे स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के लिए अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) और (ख). सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय बीज निगम

2486. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम का प्रबंधन ढांचा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के वाणिज्यिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में किसान राष्ट्रीय बीज निगम से अलग हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों की निगरानी करने के लिये सरकार द्वारा नियंत्रण रखा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय बीज निगम के प्रबन्धन ढांचे में अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा विभिन्न प्रभागों के प्रमुख शामिल हैं। निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा फार्मों में क्रमशः क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा फार्म प्रबन्धक होते हैं।

(ख) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम के व्यापारिक कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, हां।

कामकाजी महिला होस्टल

2487. श्री एन.चे. राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिये राज्यवार कितने होस्टलों का निर्माण किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे होस्टलों के निर्माण के लिये आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ग) ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं और इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) से (घ). बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता स्कीम के

अन्तर्गत गत तीन वर्षों (1992-93, 1993-94 तथा 1994-95) में आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों से 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए, (असम से दो, केरल से दो, मध्य प्रदेश से दो, महाराष्ट्र से दो, मणिपुर से एक, उड़ीसा से एक तथा पश्चिम बंगाल से एक)

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान, आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में 460 कामकाजी महिलाओं के लिए 7 होस्टलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जो इस प्रकार है :—

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत होस्टलों की संख्या	स्वीकृत क्षमता (कामकाजी महिलाओं की संख्या)	आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)
1.	असम	1	50	11.89
2.	केरल	2	171	38.74
3.	मध्य प्रदेश	1	50	12.98
4.	महाराष्ट्र	2	139	34.82
5.	उड़ीसा	1	50	9.14
		7	460	107.57

उपरोक्त में से, उड़ीसा में अब होस्टल का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष निर्माणाधीन है।

3. शेष चार प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने की समय सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि आवेदनकर्ता संगठन द्वारा योजनागत अपेक्षाओं को कब पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद

2488. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल के कुल कितने पद स्वीकृत है;

(ख) इस ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद खाली पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 1.4.95 की यथास्थिति के अनुसार प्रधानाचार्यों के 748 संस्वीकृत पद हैं। भारत सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार, प्रधानाचार्यों के पदों में 15 प्रतिशत तथा 7 ½ प्रतिशत रिक्तियां क्रमशः अनु.जा./अनु.ज. जा. के लिए आरक्षित हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। नवीनतम भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की 19 रिक्तियां नहीं भरी जा सकी। विशेष भर्ती अभियान के जरिए आरक्षित रिक्तियां भरने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद

2489. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम ने कितने खाद्यान्न की खरीद की;

(ख) क्या गोदामों में इन खाद्यान्नों को ले जाने के लिए रेल-वैगनों की प्राप्ति में निगम को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खरीदे गए खाद्यान्नों के परिवहन में होने वाली समस्याएं दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं की वसूली के अखिल भारतीय ब्यौरे नीचे दिए गए हैं और राज्यवार आकंड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं :-

	1993-94	1994-95	1995-96
गेहूं	12835	11869	12318
चावल	13651	13289	4234
जोड़	26486	25158	16552

(ख) और (ग). जी, हां। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	प्रवर्तित रैक्स की संख्या	दैनिक औसत	सप्लाई किए गए रैक्स की कुल संख्या	दैनिक औसत	प्रतिदिन के हिसाब से रैक्स की कमी
93-94	6960	19.0	5787	15.8	3.2
94-95	6832	18.7	4895	13.4	5.3
95-96	6167	25.3	4241	17.4	7.9

नवम्बर, 95 तक)

(घ) (1) रेल प्राधिकारियों से उच्चतम स्तर पर सम्पर्क करके वैगनों की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(2) परिवहन के अन्य माध्यमों के जरिये भी संचलन में वृद्धि करने हेतु उपाए किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की वसूली

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	गेहूं			चावल		
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
	(1/12 की स्थिति के अनुसार)					(1/12 की स्थितिनुसार)
बिहार	–	नगण्य	नगण्य	3	1	–
गुजरात	नगण्य	–	1	–	–	–
हरियाणा	3454	3047	3102	1248	1422	447
जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	1	नगण्य	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	242	66	169	804	758	86
पंजाब	6494	7285	7290	5486	5826	3413
राजस्थान	496	65	454	21	25	1
उत्तर प्रदेश	2128	1406	1302	1295	727	130
चण्डीगढ़	नगण्य	–	–	26	23	–
दिल्ली	20	–	नगण्य	5	4	–
आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	3987	3914	107
अरुणाचल प्रदेश	-	–	–	नगण्य	–	–
असम	–	–	–	5	1	–
कर्नाटक	–	–	–	134	44	1
महाराष्ट्र	–	–	–	86	66	12
उड़ीसा	–	–	–	388	327	33
पश्चिम बंगाल	–	–	–	161	151	4
अखिल भारतीय	12835	11869	12318	13651	13289	4234

राष्ट्रीय बीज निगम

2490. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में किसानों की राष्ट्रीय बीज निगम पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) किसानों को इन बकायों का भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) कृषकों को राष्ट्रीय बीज निगम पर 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कुल 165.00 लाख रु. की धनराशि बकाया थी।

(ख) इसकी प्रक्रिया यह है कि सरकारी समर्थन मूल्य/राज्य बीज निगम के मूल्य/ ए.पी.एम.सी. मूल्य के आधार पर अनाजों, दलहनों तथा तिलहनों के मामले में नामित केन्द्रों पर बीज उत्पादकों को कच्चे बीज की लागत का 90% भुगतान किया जाता है जबकि अन्य फसलों के मामले में प्रमाणन तथा अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने पर भुगतान की राशि एकमुश्त निर्मुक्त की जाती है। राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों द्वारा बीज प्रसंस्करण परीक्षण, पैकिंग तथा प्रमाणन का काम पूरा करने के तत्काल बाद भुगतान का अन्तिम निपटान किया जाता है। क्षेत्रीय प्रबन्धक बीज उत्पादकों को भुगतान किये जाने की शेष राशि की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करते

हैं तथा उचित अवधि में अन्तिम निपटान सुनिश्चित करते हैं। बीज उत्पादकों को उत्पादन केन्द्रों पर ही अग्रिम भुगतान करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये इस पद्धति को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

संगठनों को सहायता

2491. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा कार्य और खेल विभाग की स्वीकृति के अभाव में उड़ीसा के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख). विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायक अनुदान के लिए विभाग में प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों पर विभागीय सहायक अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाता है। अक्तूबर, 95 में हुई पिछली बैठक से पहले प्राप्त प्रस्तावों पर पहले ही विचार कर लिया गया है और उन्हें निपटा दिया गया है। इस बैठक के पश्चात् प्राप्त हुए इसकी प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उन्हें इसकी अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। उड़ीसा से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रयोजन	मांगी गई राशि	तारीख, जिस दिन प्राप्त हुआ
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण वर्गों के लिए समाज कल्याण संगठन ग्राम-कांका, डाकघर बेनसिया, वाया महिमागाड़ी, जिला धेनकानाल-759014	100 युवाओं के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए चार व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	6,25,400/-रु.	1.12.95
2.	साक्षयम, ग्राम व डाकघर जानला जिला-पुरी-752054	50 युवाओं के लिए एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण	3,75,000/-रु.	17.11.1995
3.	समाज कल्याण और ग्राम विकास हेतु जीवन ज्योति क्लब ग्राम-महादिया, डाक-बेलापाड़ा, जिला धेनकनाल-759025	50 युवाओं के लिए 6 महीने का खाद्य संरक्षण, बेकरी एंव मुरब्बा प्रशिक्षण	1,93,600/-रु.	17.11.95
4.	कमजोर व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विकास सोसाइटी, ग्राम व डाकघर-देवीदवार, जिला जाजपुर-755007	140 युवाओं के लिए 6 महीने का कटिंग व सिलाई प्रशिक्षण	2,42,280/-रु.	17.11.95
5.	स्वार्ड (समाज कल्याण और ग्राम विकास) ग्राम व डाकघर बालीजोरांदा, जिला धेनकानाल	100 युवाओं के लिए एक वर्ष के लिए चार व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	6,25,400/-रु.	20.11.95
6.	सबिस्तियन, स्टोनी रोड डाकघर - चांदनीचौक, जिला कटक	200 युवाओं के लिए पर्यावरण, दहेज एवं ड्रग्स पर 4 दिवसीय सेमिनार	97,400/-रु.	15.11.95
7.	सचिव आशानायकम संघ बनजारापुरा जिला जाजपुर	साहसिक कार्य शिविर	1,76,000/-रु.	29.11.95
8.	श्री रामकृष्ण आश्रम एम. रामपुर भावनीपटना कालाहांडी (उड़ीसा)	राष्ट्रीय एकता शिविर	2,21,250/- रु.	23.11.95
9.	सचिव शास्त्री जी मेमोरियल क्लब, चारबाटिया, पुरी	राष्ट्रीय एकता शिविर	1,52,850/- रु.	23.11.95

1	2	3	4	5
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नुआ, मुगापाडा, धेनकानाल	राष्ट्रीय एकता शिविर	20,500/- रु.	23.11.95
11.	सचिव मा अनंताई युवा परिषद, अनंतपुर पुरी, उड़ीसा	राष्ट्रीय एकता शिविर	50,000/- रु.	9.11.95
12.	सचिव जय जगन्नाथ क्लब बाडाबेराना, खुर्दा	राष्ट्रीय एकता शिविर	40,500/- रु.	23.11.95
13.	सचिव, नेताजी ग्रामीण कल्याण संगठन, धुसुरी, भाद्रक	राष्ट्रीय एकता शिविर	1,23,000/- रु.	6.12.95
14.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नुआ, मुगापाडा	स्थानीय प्रबंध में प्रशिक्षण	64,000/- रु.	15.11.95

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को चयन ग्रेड

2492. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षक को कितनी अवधि के बाद चयन ग्रेड दिया जाता है;

(ख) क्या इसका अनुपालन समान रूप से किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (चुन्नारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डबल स्ट्रोक दुपहिया वाहन

2493. श्री सुरेन्द्रपाल चाडक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डबल स्ट्रोक दुपहिया वाहन अधिकतम डाइड्रोकार्बन निकालते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से घातक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे दुपहिया वाहनों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी न करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मोटर-गाड़ियों से निर्धारित सीमाओं से अधिक हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जनों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके मूल डिजायन के कारण हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन चार स्ट्रोक इंजन के बजाए दो स्ट्रोक से अधिक निकलते हैं।

(ख) और (ग). वाहनों के लिए विनिर्माण चरण से कठोर उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1.4.1996 से लागू होंगे। दुपहिया वाहनों के मामलों का उत्पादन इन मानकों के अनुरूप होने की अपेक्षा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का मूल्य

2494. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान गन्ने के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि का चीनी के बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) गन्ने के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा चीनी के मूल्य में कमी को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि व्यापारियों द्वारा चीनी व्यापार का अधिकतम लाभ न उठाया जाए तथा गरीब कृषकों का शोषण न हो?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग). चालू वर्ष के दौरान गन्ने के उत्पादन में वृद्धि के साथ चीनी के बाजार मूल्यों में विशेष अन्तर नहीं आया है। खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को मासिक आधार पर खुली बिक्री की चीनी जारी करने की प्रक्रिया के माध्यम से विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :—

(1) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चीनी के व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमाओं, व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय सीमाओं के भीतर पण्यावर्त, एक थोक विक्रेता द्वारा दूसरे थोक विक्रेता को चीनी की बिक्री आदि से संबंधित विभिन्न नियामक आदेशों को सख्ती से लागू

करें। उनसे गैर-कानूनी व्यापार पद्धतियों को नियंत्रित करने हेतु आवधिक आकस्मिक छापे मारने का भी अनुरोध किया गया है।

(2) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चीनी मिलों/भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लेवी चीनी नियमित रूप से तथा समय से उठाएं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु उसकी पर्याप्त उपलभ्यता सुनिश्चित की जा सके।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देशीय चीनी को चीनी मिलों द्वारा न रोक ली जाए, खुली बिक्री की चीनी की बिक्री और प्रेषण पर पाक्षिक आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(4) चीनी के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी गई है। इस आयात पर कोई सीमा-शुल्क और कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(5) अपरिष्कृत चीनी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है।

[अनुवाद]

उर्दू का संवर्धन

2495. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू के संवर्धन और विकास के लिये विभिन्न केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजनावार योजना परिव्यय लक्ष्य, वास्तविक व्यय और 31 मार्च, 1995 तक उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) 1995-96 के लिये योजनावार बजट आवंटन और अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान किया गया व्यय कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) से (ग). आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (हिन्दी के अलावा) जिसमें हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उर्दू भी शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1993-94 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना के लिए आठवीं योजना का परिव्यय 3.00 करोड़ रुपये है। आज तक इस योजना पर कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

2496. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के आरम्भ किए जाने के बाद से निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) मूल रूप से इस योजना के अन्तर्गत सभी एकल शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में परिवर्तित करने तथा वर्ष 1987 से चल रहे सभी प्राथमिक स्कूलों को आवश्यक पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई है।

आठवीं योजना के दौरान 100 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को तीसरा शिक्षक उपलब्ध कराने तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए यह योजना बढ़ा दी गई हैं। आज तक 100 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन वाले 23000 प्राथमिक स्कूलों के लिए तीसरा शिक्षक स्वीकृत कर दिया गया है तथा 33600 उच्च प्राथमिक स्कूलों को पठन-पाठन सामग्री स्वीकृत की गई है। राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग). स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर वर्तमान निगरानी तथा मूल्यांकन कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इससे इस योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में सहायता प्राप्त होगी।

विवरण-I

इस योजना के अन्तर्गत इसकी शुरूआत से हुए राज्य-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		उन प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिन्हें पठन-पाठन सामग्री स्वीकृत की जानी है।	एकल शिक्षक स्कूलों के लिए स्वीकृत किए जाने वाले अतिरिक्त शिक्षकों के पदों की संख्या	उन प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिन्हें पठन-पाठन सामग्री स्वीकृत की गई	एकल शिक्षक स्कूलों के लिए स्वीकृत किए गए अतिरिक्त शिक्षकों के पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	43706	18032	43706	18032
2.	अरुणाचल प्रदेश	952	526	952	526

1	2	3	4	5	6
3.	असम	25970	8903	25970	8903
4.	बिहार	51355	13303	51355	13303
5.	गोवा	966	167	966	167
6.	गुजरात	12393	4784	12393	4784
7.	हरियाणा	7445	382	7445	382
8.	हिमाचल प्रदेश	6934	1951	6934	1951
9.	जम्मू और कश्मीर	7768	4380	7768	4380
10.	कर्नाटक	22281	14350	22281	14350
11.	केरल	6674	19	6674	19
12.	मध्य प्रदेश	64722	22163	64722	19574
13.	महाराष्ट्र	36800	16660	36800	16660
14.	मणिपुर	2550	510	2550	338
15.	मेघालय	3141	1969	3141	1969
16.	मिजोरम	1015	119	1015	119
17.	नागालैंड	1190	42	1190	42
18.	उड़ीसा	34178	14112	34178	14112
19.	पंजाब	12925	1457	12925	1457
20.	राजस्थान	27023	15352	27023	15352
21.	सिक्किम	509	21	509	21
22.	तमिलनाडु	29255	2724	29255	2724
23.	त्रिपुरा	1927	145	1927	145
24.	उत्तर प्रदेश	70438	8891	70438	8891
25.	पश्चिम बंगाल	48450	1679	48450	1679
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	182	41	182	41
27.	चंडीगढ़	23	1	23	1
28.	दादरा और नगर हवेली	120	83	120	83
29.	दमन और दीव	32	3	32	3
30.	दिल्ली	1688	3	1688	3
31.	लक्षद्वीप	19	1	19	1
32.	पांडिचेरी	271	75	271	75

विवरण–II

विस्तारित आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत हुई राज्यवार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	उन प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिन्हें तृतीय शिक्षक स्वीकृत किए गए	उन उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिन्हें पठन–पाठन सामग्री स्वीकृत की गई।
1.	आन्ध्र प्रदेश	3255	5074
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	27
3.	गोवा	2	78
4.	गुजरात	–	5616
5.	हरियाणा	199	–
6.	हिमाचल प्रदेश	838	988
7.	जम्मू और कश्मीर	1200	2668
8.	कर्नाटक	2769	9610
9.	महाराष्ट्र	2635	3905
10.	मेघालय	–	733
11.	मिजोरम	50	50
12.	उड़ीसा	5258	–
13.	पंजाब	–	1353
14.	राजस्थान	1692	1903
15.	तमिलनाडु	4613	1560
16.	त्रिपुरा	210	40
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	–

जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2497. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल की खरीद में गत तीन महीनों के दौरान लगभग 72 प्रतिशत की गिरावट आई है; और

(ख) क्या चावल की गुणवत्ता के कारण उसकी मांग में कमी आई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2498. श्री अमर रायप्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बागवानी तथा मत्स्यन की क्षमता का उपयोग करने हेतु केन्द्र द्वारा लागू की जा रही प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा कितनी राशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया, इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा कितने वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किये गए तथा प्रत्येक योजना से कितनी अतिरिक्त आय हुई एवं कितने रोजगार के अवसर सृजित हुए; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए तत्संबंधी सूचना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). 1992–93 से 1995–96 तक के दौरान पश्चिम बंगाल में बागवानी एवं मात्स्यिकी के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जारी की गई तथा उपयोग में लायी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I तथा II में दिया गया है। इन योजनाओं के एक ही अवधि के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों को संलग्न विवरण–III और IV में दर्शाया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिये सृजित की जाने वाली अतिरिक्त आय तथा रोजगार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण–I

पश्चिम बंगाल : बागवानी के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये जारी तथा उपयोग में लायी गयी धनराशि

(रु. लाख में)

योजना का नाम	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96	
	निर्मुक्ति	उपयोग	निर्मुक्ति	उपयोग	निर्मुक्ति	उपयोग	निर्मुक्ति	उपयोग
विकास	3.11	0.03	9.00	0.00	5.00	15.00	12.00	उ.न.
ा विकास	12.34	0.76	20.01	1.59	13.00	30.51	–	उ.न.
में प्लास्टिक का उपयोग	5.00	1.05	32.81	2.00	0.00	0.00	–	उ.न.
योग	20.45	1.84	61.82	3.59	18.00	45.51	12.00	उ.न.

उ.न. उपलब्ध नहीं

4.12.95

विवरण–II

पश्चिम बंगाल : केन्द्रीय प्रायोजित मत्स्य विकास योजनायें–जारी की गयी तथा उपयोग में लायी गयी धनराशि

(लाख रु. में)

	योजना का नाम	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96	
		निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग
1.	ताजा जल कृषि विकास	79.00	123.15	140.00	74.00	174.00	147.00	75.00	उ.न.
2.	समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास	0.00	उ.न.	3.00	3.00	101.04	46.00	6.00	उ.न.
3.	तटीय समुदी मात्स्यिकी विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	23.46	उ.न.	0.00	उ.न.
4.	छोटे पत्तनों पर मत्स्य बंदरगाह	112.00	112.00	7.81	6.15	24.32	0.00	50.00	0.00
5.	मछुआरा कल्याण	6.00	6.00	7.00	7.00	38.00	33.00	0.00	उ.न.
6.	अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन की बुनियादी संरचनायें	22.00	22.00	90.00	50.00	15.00	15.00	0.00	उ.न.
7.	समुद्री मात्स्यिकी विनियन अधिनियम का प्रवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	उ.न.
	योग :	219.00	263.15	247.81	140.18	376.72	241.00	331.00	उ.न.

उ.न. उपलब्ध नहीं

* 7.12.95 तक

विवरण–III

पश्चिम बंगाल · बागवानी विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें–वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

योजना का नाम	इकाई	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96	
		लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. काजू विकास									
1. काजू के पौधों की देखभाल	हे.	100	उ.न.	200	उ.न.	300	उ.न.	400	उ.न.
2. निर्यात की गुणवत्ता वाले क्लोनों से नया पौध रोपण	"	100	उ.न.	100	उ.न.	100	उ.न.	100	उ.न.
3. पादप रोपण सामग्री का सृजन	नर्सरियां की सं.	–	–	–	–	1	उ.न.	–	–
4. काजू में कीटरोग नियंत्रण उपाय	हे.	40	उ.न.	1000	उ.न.	1000	उ.न.	1000	उ.न.
5. वृहत आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी	हे.	–	–	500	उ.न.	1000	उ.न.	1500	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. मसाला विकास									
1. ब्लाक पीपर									
(क) क्षेत्रीय प्रदर्शन	सं.	50	उ.न.	100	उ.न.	100	उ.न.	100	उ.न.
(ख) अतःवर्ती फसल खेती	हे. लाख	–	–	0.2	उ.न.	0.7	उ.न.	0.8	उ.न.
2. मिर्च									
(क) क्षेत्र विस्तार	'00 हे.	–	–	0.5	उ.न.	0.5	उ.न.	2.0	उ.न.
(ख) पादप संरक्षण का प्रदर्शन	'000 हे.	3.00	उ.न.	2.0	उ.न.	5.00	उ.न.	5.00	उ.न.
(ग) मिनीकिटों का वितरण	सं.	–	–	0.5	उ.न.	0.5	उ.न.	0.5	उ.न.
(घ) पपरीका प्रदर्शन	सं.	–	–	–	–	50	उ.न.	200	उ.न.
(ङ) प्रोजेनी बागानों की स्थापना/ रखरखाव	सं.	1	उ.न.	1	उ.न.	1	उ.न.	1	उ.न.
3. अदरक									
(क) क्षेत्र विस्तार	'00 हे.	–	–	0.5	उ.न.	1.00	उ.न.	1.50	उ.न.
(ख) मिनीकिटों का वितरण	सं. में	–	–	–	–	6.00	उ.न.	9.00	उ.न.
(ग) प्रदर्शन–सह–बीज बहुलीकरण	प्लाटों की सं.	–	–	–	–	–	–	50	उ.न.
4. छोटे मसाले									
(क) मिनीकिटों का वितरण	'000 सं. में	–	–	1.3	उ.न.	1.3	उ.न.	1.8	उ.न.
(ख) किसानों के खेतों में प्रदर्शन	'00 सं. में	–	–	2	उ.न.	5	उ.न.	6	उ.न.
5. वृक्ष मूल के मसाले									
(क) प्रदर्शन	सं.	–	–	50	उ.न.	50	उ.न.	50	उ.न.
(ख) क्लोनों के गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का वितरण	'000 सं. में	–	–	1	उ.न.	1	उ.न.	1	उ.न.
6. हल्दी									
(क) प्रदर्शन–सह–बीज बहुलीकरण की स्थापना	'00सं. में	0.5	उ.न.	0.5	उ.न.	4.00	उ.न.	7.00	उ.न.
7. गरम मसाला									
(क) खाद्य संरक्षण उपकरणों का वितरण	'00 सं. में	1.0	उ.न.	1.5	उ.न.	1.5	उ.न.	1.5	उ.न.
(ख) मृदा संरक्षण उपाय	'000 सं. में	–	–	0.05	उ.न.	0.07	उ.न.	0.07	उ.न.
कृषि में प्लास्टिक का उपयोग									
(क) ड्रिप लगाना	हे.	33	4	160	5	222	उ.न.	222	उ.न.
(ख) ड्रिप प्रदर्शन	हे.	–	–	50	उ.न.	50	उ.न.	53	उ.न.
(ग) मल्चिंग	हे.	240	उ.न.	240	उ.न.	240	उ.न.	240	उ.न.
(घ) ग्रीनहाउस	हे.	0.45	उ.न.	0.40	उ.न.	1.3	उ.न.	1.16	उ.न.

विवरण–IV

पश्चिम बंगाल : केन्द्रीय प्रायोजित मत्स्य विकास योजनायें–वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

योजना का नाम	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96	
	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.
1. ताजा जल कृषि विकास								
(1) कवर किया गया क्षेत्र (हे.)	*	4731	*	3209	*	5511	*	उ.न.
(2) प्रशिक्षण प्राप्त किसानों की सं.	*	6393	*	3413	*	3357	*	उ.न.
2. समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास								
(1) कवर किया गया क्षेत्र (हे.)	150	202	150	274	150	313	180	उ.न.
(2) प्रशिक्षित किसानों की सं.	150	971	150	उ.न.	150	उ.न.	150	उ.न.
3. तटीय समुद्री मत्स्य विकास एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करने की योजना के तहत लाभान्वित होने वाली नौकाओं की सं.	*	0	*	0	*	850	*	उ.न.
4. छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाहों के लिए बुनियादी सुविधाएं चालू किए गए लघु मत्स्य बंदरगाहों की सं.	–	–	–	–	1	1	*	उ.न.
5. मछुआरा कल्याण								
(क) गांवों की सं.	–	–	–	–	3	उ.न.	*	उ.न.
(ख) बीमित व्यक्तियों की सं.	89000	89000	110700	110700	133300	133300	*	उ.न.
6. अंतर्देशीय मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण विपणन ईकाइयों की सं.	*	2	*	–	*	–	*	–
7. समुद्री मात्स्यिकी विनियन अधिनियम का प्रवर्तन स्वीकृत पैट्रोल नौकाओं की सं.	–	–	–	–	–	–	*	4

उ.न. उपलब्ध नहीं

* राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस

2499. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री हाराधन राय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). समय-समय पर यथा संशोधित बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कर्मचारियों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन

2500. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कानून की पढ़ाई के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विधि मंत्रियों ने 25.11.1995 को हैदराबाद में हुई अपनी बैठक में एक संकल्प अंगीकृत किया, जिसमें विधिक शिक्षा से संबंधित कतिपय सिफारिशें अन्तर्विष्ट हैं। उक्त संकल्प से सुसंगत उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

विधि मंत्रियों द्वारा 25.11.95 को हैदराबाद में हुई बैठक में अंगीकृत संकल्प से उद्धरण

21. विधि मंत्रियों ने भारत के विधि आयोग द्वारा उसकी 14वीं रिपोर्ट में, माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एम. अहमदी (जैसा वे तत्समय थे), माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एन. कृपाल, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति (जैसा वे तत्समय थे) से मिलकर बनी न्यायाधीशों की समिति द्वारा इसकी 17 अक्तूबर, 1994 की रिपोर्ट में, अधीनस्थ विधायन समिति (दसवीं लोक सभा) द्वारा 16 दिसम्बर, 1994 को प्रस्तुत की गई उसकी 15 वीं रिपोर्ट में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विधि पर पुनर्गठित पैनल द्वारा 27 दिसम्बर, 1994 को प्रस्तुत उसकी रिपोर्ट में, की गई सिफारिशों पर विचार किया। विधि मंत्रियों ने विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के सम्मेलन सचिवालय द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची मद संबंधी कार्यपत्र (सं. एम.एम./एल.ई/1/95) और विधिक शिक्षा पर विधि मंत्रियों के कार्य समूह भुवनेश्वर विवरण (सं. एल.एम.एम.) (एल.ई./2/95) पर भी ध्यान दिया।

22. विधि मंत्रियों ने विधिक शिक्षा के गिरते हुए स्तरों पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने अवलोकन किया कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही में विधिक शिक्षा के स्तर में गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उनकी यह राय थी कि विधिक शिक्षा में सुधार की अति आवश्यकता है। विधि मंत्रियों ने इस पर भी ध्यान दिया कि विधिक सेवाओं और न्याय प्रशासन की क्वालिटी मुख्यतः विधिक शिक्षा के स्तर पर निर्भर है।

23. विधि मंत्रियों ने ऊपर निर्दिष्ट निकायों द्वारा की गई सिफारिशों का साधारणतया स्वागत किया। उन्होंने विचार किया कि विधिक शिक्षा के स्तर में गिरावट विधिक ढांचे में किन्हीं कमियों के कारण नहीं थी अपितु मुख्य रूप से सक्षम निकायों द्वारा विधिक उपबंधों के कमजोर प्रवर्तन के कारण थी। उनकी यह राय थी कि विधिक शिक्षा में सुधार के लिए सफल नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित तत्वों को भी ध्यान रखना चाहिए :—

(i) भारतीय विधिज्ञ परिषद को, जिस निकाय को विधिक शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, अधिवक्ता अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों को निवर्हन करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

(ii) पर्याप्त संख्या में विधि महाविद्यालय होने चाहिए, जिसमें अनुभवी विधि शिक्षकों और कर्मचारिवृन्द सहित उचित अवसंरचना हो, जिससे कि समाज की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए विधि की सभी शाखाओं में पर्याप्त संख्या में सुप्रशिक्षित और उचित रूप से तैयार किए गए विधि स्नातक उपलब्ध हो सकें।

(iii) वृत्तिक विधिक शिक्षा को 10+2 स्तर के पश्चात् पांच वर्षीय पद्धति का विधि पाठ्यक्रम होना चाहिए। तथापि, ऐसे छात्र, जो तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम कर रहे हों, अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए तब तक पात्र होने चाहिए जब तक कि पाच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम पद्धति को विहित करते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में उपयुक्त संशोधन नहीं कर दिया जाए।

(iv) विधिक शिक्षा, जो विधि व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करती है, पूर्णकालिक विधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के विभागों के माध्यम से ही अनुज्ञात की जानी चाहिए।

(v) 10+2 स्तर के पश्चात् पांच वर्षीय पद्धति के विधि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय के लिए यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह ऐसे लोगों के फायदे के लिए, जो विधि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों और विधिक वृत्ति से भिन्न क्षेत्रों में अपने पेशे की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। 10+2 स्तर के पश्चात् तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम चलाएं।

(vi) यह पूर्णतः सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे विधि महाविद्यालयों को ही अस्तित्व में आने दिया जाए जिनकी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विहित मानकों के अनुरूप हों। विधि महाविद्यालयों को अस्थायी अनुमोदन प्रदान करने की परिपाटी को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम देने वाले विद्यमान विधि महाविद्यालयों को तब तक पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे ऐसे पाठ्यक्रम देने के लिए विहित मानकों को पूरा नहीं करते हैं और भारतीय विधिज्ञ परिषद का पूर्व अनुमोदन भी प्राप्त नहीं कर लेते हैं। विधि महाविद्यालयों को अनुमोदन देने या ऐसे महाविद्यालयों को, जिन्होंने विहित मानकों को बनाए नहीं रखा, ऐसे अनुमोदन को जारी रखने के विषय में अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है।

(vii) यह उपयुक्त होगा यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद, विधि महाविद्यालयों को संबद्ध/असंबद्ध करने के विषय में विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विधि महाविद्यालयों का पोषण करती है, संबंधित राज्य सरकार से भी टिप्पणियां प्राप्त करें।

(viii) ऐसे विधि महाविद्यालय को, जो किसी भी समय विहित मामले को पूरा करने में असफल हो गया है, एक विनिर्दिष्ट समय सीमा दी जानी चाहिए जिसके भीतर वह उपचारी उपाय कर सके और यदि वह उक्त समय-सीमा के भीतर ऐसे उपाय करने में असफल हो गया है तो ऐसे महाविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को वापस लिए जाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिकथित सन्नियमों के निबंधनों के अनुसार विहित अंतरालों में विधि महाविद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद की सेवाओं का उपयोग किए जाने पर विचार करना चाहिए। ऐसा स्वतंत्र, वैज्ञानिक निर्धारण पथभ्रष्ट संस्थाओं के विरूद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद को सहायता देगा।

(ix) प्रत्येक राज्य में महाविद्यालय की किस्म का राष्ट्रीय विधि विद्यालय भी होना चाहिए जिससे कि यह उस राज्य में अन्य विधि महाविद्यालयों के लिए आदर्श संस्था के रूप में कार्य कर सके।

(x) भारतीय विधिज्ञ परिषद को विधिक शिक्षा समिति को, क्षेत्र का आकार, उस क्षेत्र में जनसंख्या का आकार, उस क्षेत्र में अधिवक्ताओं की आवश्यकता, पड़ोसी क्षेत्रों में विधि महाविद्यालयों और न्यायालयों की संख्या, आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारित करने के लिए कि किसी दिए गए क्षेत्र में कितने महाविद्यालय चलाए जा सकते हैं, मानदंड स्थापित करना चाहिए जिससे कि किसी दिए गए क्षेत्र में विधि महाविद्यालय के असम्यक् एकत्रीकरण से बचा जा सके।

(xi) अधिवक्ता अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के पूर्ण प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधिक शिक्षा समिति, अन्य के साथ, न्यायपालिका, विधि, न्याय और कंपनी कार्य का केन्द्रीय मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थापित विधि महाविद्यालय, विधि संकाय और विधिक अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों से, मिलकर बने। ऐसे निकाय की सिफारिश को, साधारण नियम के रूप में, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। विधिक शिक्षा समिति की सिफारिशों को किसी भी दशा में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कि ऐसी अस्वीकृति को परिषद की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और परिषद के उपस्थित और मत देने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थन न दिया गया हो।

(xii) विधि महाविद्यालयों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए और ऐसी परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर किसी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में सशर्त प्रवेश दिया जाना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता को भी किसी अभ्यर्थी के लिए सशर्त बनाया जाना चाहिए कि वह अर्हता परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करें।

(xiii) यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा देने में, व्याख्या पद्धति के अतिरिक्त, विधि महाविद्यालय अनिवार्य रूप से मामला पद्धति शिक्षकीय, समस्या पद्धति, विधि सभा, नकली विचारण, आदि का उपबंध करेगा और इन क्रियाकलापों में छात्रों के भाग लेने के आधार पर अंक दिए जाएं। ऐसे क्रियाकलापों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति पर बल दिया जाना चाहिए।

(xiv) विधि परीक्षाएं विस्तारित रूप से समस्या आधारित होनी चाहिए जिससे कि छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक तथ्यों और तर्क के विश्लेषण का कौशल विकसित करने में समर्थ हो सके।

(xv) विधि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को सुबह-शाम को महाविद्यालयों में या पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा पढ़ाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रमों को ऐसी संस्थाओं में अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें ऐसे पुस्तकालय न हों, जिनमें विधि में नवीनतम पुस्तकें और नियतकालिक पत्रिकाएं हों तथा सक्षम अध्यापक और कर्मचारिवृन्द न हों।

(xvi) प्रत्येक विधि महाविद्यालय में प्रबन्ध में न्यायाधीश, अनुभवी विधि व्यवसायी, विधि अध्यापक और विद्वतापूर्ण व्यक्ति होने चाहिए।

(xvii) वृत्तिक विधिक शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण को सम्यक स्थान दिया जाना चाहिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमों द्वारा यथाविहित वर्तमान स्कीम को विधि शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों द्वारा जारी रखा जाना चाहिए। तथापि, यह अकेले बार में नए प्रवेश करने वालों को आवश्यक वृद्धि कौशल और सदाचार का स्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता या कम से कम 15 वर्ष के विधि व्यवसाय वाले किसी अधिवक्ता के अधीन एक वर्षीय शिक्षुता

स्कीम, जिसके पश्चात राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा छमाही आधार पर आयोजित प्रक्रिया संबंधी विषयों में एक परीक्षा हो, तात्कालिक प्रभाव से आरंभ की जानी चाहिए।

(xviii) भारतीय विधिज्ञ परिषद को, विधि के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों और वकीलों के हितों के क्षेत्रों से संबंधित अन्य निकायों को विधि व्यवसाय करने वाले वकीलों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, जो उन्हें उनके विधिक वृत्ति के कामकाज में फायदा पहुंचाए।

(xix) विधि व्यवसाय में प्रवेश के लिए विधिक शिक्षा देने वाले विधि महाविद्यालयों को विधिक सहायता तंत्र के लिए सहायक सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह छात्रों को न केवल उस समुदाय के लिए, जिसमें वे रहते हैं, तकनीकी सेवाएं बढ़ाने के लिए बल्कि न्यायालय प्रक्रियाओं और आनुकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली से संबंधित व्यावसायिक कौशल की विविधता को सीखने के लिए भी समर्थ बनाएंगे। विधिक सहायता समितियों को उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विषयों की बाबत व्यावसायिक विधि महाविद्यालयों के साथ संबंधों के विकास के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(xx) वृत्ति में स्तर बनाए रखने के लिए विधिज्ञ परिषदों के वर्धित उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, और विधिज्ञ परिषदों की अपर्याप्त आय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषद पर यह छोड़ते हुए कि वे समय-समय पर उस सीमा के भीतर उचित फीस विहित करें, 2,000 रुपए से अनधिक उच्चतर नामांकन फीस विहित की जानी चाहिए। कम से कम प्रत्येक पांच वर्ष में नामांकन प्रमाणपत्र का आवधिक नवीकरण भी किया जाना चाहिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद को नामांकन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए 500 रुपए से अनधिक उचित रकम भी नियत करनी चाहिए।

24. विधि मंत्रियों ने समाधानप्रद रूप में यह अवलोकन किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विधिक शिक्षा में सुधार और विधिक वृत्ति में प्रवेश के विषय में पूर्वोक्त सिफारिशों के संबंध में सामान्य सहमति थी। विधि मंत्रियों ने सम्मान सहित यह भी अवलोकन किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधिक वृत्ति में प्रवेश चाहने वाले विधि स्नातकों के लिए एक वर्षीय नामांकन पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने का संकल्प किया है।

25. विधि मंत्रियों की यह राय थी कि उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का तुरंत संशोधन किया जाए।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत का विकास

2501. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विद्युत विकसित करने के क्षेत्र में देश को अब तक क्या उपलब्धियां मिली हैं और क्या प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ख) परमाणु विद्युत विकसित करने के लिए आठवीं पंच वर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) अब तक इस उद्देश्य से कितनी धनराशि खर्च की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक क्षमता प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी पानी को मंदक और शीतलक के रूप में उपयोग करने वाले दाबित भारी पानी रिएक्टर प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से स्वदेशी बना लिया गया है। दाबित भारी पानी रिएक्टर प्रौद्योगिकी, जिसमें यूरेनियम का पूर्वेक्षण और खनन करना, ईंधन का संविरचन करना, भारी पानी का उत्पादन करना, भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन करना, अपशिष्टि पदार्थ का प्रबन्धन करना आदि शामिल हैं, के लिए सम्पूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र के बारे में स्वदेशी क्षमता विकसित कर ली गई है। देश में 10 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर स्थापित हैं जिनमें से 8, इस समय, काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की सकल विद्युत उत्पादन क्षमता इस समय 1540 मेगावाट है। विभाग द्वारा तैयार की गई परमाणु विद्युत कार्यक्रम की रूपरेखा के अन्तर्गत नाभिकीय विद्युत की स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए 220 मेगावाट और 500 मेगावाट क्षमता वाले कई परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने का काम पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) तथा (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए 4261 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान है। परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए 31 मार्च, 1995 तक किया गया व्यय 2239.17 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

पर्यटक सर्किट

2502. श्री अन्वय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता से आरम्भ होने वाले पूर्वी क्षेत्र में पर्यटक सर्किट आरम्भ करने के लिए अन्य प्राधिकरणों से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्व क्षेत्र में कलकत्ता से शुरू होने वाली पर्यटक गाड़ी को आरंभ करने के लिए मई, 1994 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, परन्तु कोई भी बोली ऐसी प्राप्त नहीं हुई जो निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप हो।

पेंशनधारियों के लिए कल्याण कोष

2503. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेंशनधारियों के लिए कोई कल्याण कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कोष कब तक स्थापित कर लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रेल लाइन का विस्तार

2504. श्री अनिल बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय शिवराफुल्ली-ताराकेस्वर लाइन का आरामबाग तक विस्तार करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय शिवराफुल्ली-ताराकेस्वर के बीच लाइन को दोहरा करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर से अमृतसर के लिये रेलगाड़ी

2505. श्री सुखेन्दु खां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से अमृतसर वाया बांकुरा-आद्रा-आसनसोल-धनबाद के लिये कोई सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई लेकिन संसाधनों की तंगी तथा यातायात का औचित्य न होने के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

अलाभकारी रेल लाइनें

2506. श्री खेलन राम जांगडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत अलाभकारी रेल लाइनों को लाभकारी रेल लाइनों में बदलने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 की ऐसी कितनी अलाभकारी रेल लाइनें हैं जिन्हें 1994-95 के दौरान लाभकारी लाइन बना दिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). रेलवे द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप अलाभप्रद लाइनों पर आमदनी बढ़ी है। बहरहाल, इन्हें लाभप्रद लाइनों में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

हावड़ा और पुणे के बीच रेलगाड़ी

2507. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय हावड़ा और पुणे के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) क्या हावड़ा और मुम्बई तथा हावड़ा और पुणे के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किये जाने की भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) हावड़ा और बम्बई/कुर्ला के बीच चार (4) जोड़ी गाड़ियां पहले ही उपलब्ध है।

पुणे और हावड़ा के बीच गाड़ी चलाने की जांच की जा रही है।

रक्षा उपस्करों का निर्यात

2508. श्री विजय एन. पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा उपस्करों के निर्यातकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश रक्षा उपस्करों के निर्यात पर भी लागू होते हैं। अतिरिक्त आवश्यकता केवल रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की होती है।

एम.आर.पी. बोर्ड

2509. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** 23 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत स्थित एम.आर.पी. बोर्ड के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 के उत्तर को आश्वासन मान लिया गया था जिसे अब पूरा कर दिया गया है। दिनांक 21.11.1995 के कार्यान्वयन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

दसवीं लोक सभा का 14वां सत्र, 1995

पूर्ति की तिथि 21.11.1995

मंत्रालय-रक्षा विभाग-रक्षा

प्रश्न संख्या, तिथि और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब का कारण
अतारांकित प्रश्न सं. 3005 दिनांक 23.8.95 द्वारा श्री सुरेन्द्रपाल पाठक	एम.आर.पी.बोर्ड पूछते हैं : (क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990-91 के दौरान कुछ अधिकारी एम.ई.एस. के विभाग जी.ई. रानीखेत से बाजार मूल्यों का पता किए बगैर एम.आर.पी. बोर्ड पर तथाकथित रूप से हस्ताक्षर करने के दोषी पाए गए थे; (ख) यदि हां, तो एम.आर.पी. बोर्ड के सभी सदस्यों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; (ग) क्या यह सच है कि उस जांच समिति की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए, जिसने कि इन अधिकारियों द्वारा किए गए इन अवैध कार्यों की जांच की थी, बोर्ड के इन सदस्यों में से एक सदस्य को पदोन्नति दी गई है; और (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?	(क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल प्रस्तुत कर दी जाएगी	एक विवरण संलग्न है	

विवरण के कालम 4 में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख). जी, हां। फरवरी, 1990 में गैरीजन इंजीनियर रानीखेत द्वारा आयोजित एम आर पी बोर्डों के सभी सदस्यों के खिलाफ नीचे दिए अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की गई है/की जा रही है :—

(1) श्री रवीन्द्र प्रकाश, ए.ई.ई – बड़ी शास्ति लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री बी.एल. अग्रवाल ए.ई. (सेवानिवृत्त) – केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाहियां की जा रही है।

(3) श्री गोपाल सिंह सुपरवाइजर बी/एस ग्रेड–I – बड़ी शास्ति लगा दी गई है।

(4) श्री वी.पी. बस्सी अधीक्षक, बी/आर ग्रेड–I – बड़ी शास्ति लगा दी गई है।

(ग) जी, हां। यह वास्तविकता है कि एम ई एस –445785 श्री वेद प्रकाश बस्सी, अधीक्षक, बी/आर, ग्रेड–I, जो एम आर पी बोर्ड के सदस्य थे, के संबंध में सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति व तैनाती आदेश ई–इन–सी ब्रांच के दिनांक 14 जनवरी, 1994 के पत्र सं. एम ई एस/02/94 के अंतर्गत इस शर्त के साथ जारी किए गए थे कि यदि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक/सतर्कता का मामला न हो तो उन्हें तत्काल पदोन्नत कर दिया जाए। श्री बस्सी को आरोप पत्र आरोप ज्ञापन सं. सी–40/वी पी बी/1/ई 1 (कॉन) दिनांक 9 फरवरी 94 को जारी किया गया था। इसलिए दिनांक 14 जनवरी, 1994 को जारी किए गए पदोन्नति व तैनाती आदेश जारी करने की तारीख से संबंधित अधिकारी नियमानुसार पदोन्नति के पात्र थे।

(घ) निम्नलिखित कारणों से पदोन्नति आदेश को कार्यान्वित करने की जरूरत है :—

(1) श्री वेद प्रकाश ने अपनी पदोन्नति रोके जाने के विरूद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद में 6 फरवरी, 1994 को मूल आवेदन 262/94 दायर किया। माननीय अधिकरण ने 11 मार्च, 94 को आंतरिक आदेश पारित करते हुए ये निदेश दिए कि "काउंटर शपथपत्र चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए और आर ए, यदि कोई हो तो, इसे दो सप्ताह के भीतर दायर किया जाए, उसके बाद मुकदमें को 11 मई, 1994 को दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच प्रतिवादियों को 14 जनवरी, 94 के आदेश में यथा अंतर्विष्ट आवेदक के संबंध में पदोन्नति/तैनाती का आदेश कार्यान्वित करने की छूट होगी, ऐसा न करने पर आवेदक से कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया जाएगा।"

(2) उसके बाद श्री बस्सी ने 01 सितंबर, 1994 को अवमानना याचिका सं. 153/94 (उक्त अंतरिम आदेश को कार्यान्वित न करने के लिए) भी दायर की।

(3) चूंकि श्री वी.पी. बस्सी से कनिष्ठ सभी अधिकारियों को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने से पहले पदोन्नत किया जा चुका था, इसलिए संबंधित अधिकारी की पदोन्नत हो पाने के परिणामस्वरूप; अधिकरण के आदेश की अवमानना हुई होती।

(4) उपर्युक्त (1) में यथा अंतर्विष्ट माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निदेशों का पालन करने के लिए श्री वेद प्रकाश बस्सी की सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति इस शर्त के साथ कार्यान्वित की गई थी कि यह पदोन्नति मूल आवेदन के अंतिम निपटारे के परिणाम पर निर्भर करेगी। श्री बस्सी ने अपनी नई नियुक्ति का कार्यभार 21 अक्तूबर, 1994 को संभाल लिया था।

(5) इस मामले को अभी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाना है।

[हिन्दी]

गुलाबगंज स्टेशन पर गाड़ी रोकना

2510. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के गुलाबगंज के दादर–अमृतसर एक्सप्रेस का हाल्ट बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह हाल्ट कब तक बनाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य न होना।

[अनुवाद]

आधुनिक उपनगर के लिये जापानी निवेश

2511. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के अत्यधिक मूल्य गुड़गांव के निकट एक आधुनिक उपनगर का निर्माण करने में जापानी निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जापानी निवेश हेतु इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख). उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति तथा प्रमोशन विभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार गुड़गांव में औद्योगिक आधुनिक नगर बनाने बाबत हरियाणा सरकार और जापान के कंसोरटियम में बातचीत चल रही है। हरियाणा तथा जापान के कंसोरटियम के बीच भूमि के मूल्यों सहित कुछ मसलों पर सोच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। तथापि, सम्भव समझौते के लिए दोनों पक्षों द्वारा मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

हावड़ा में टर्मिनल सुविधाएं

2512. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा में टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अक्कि रैक दिलाने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार हावड़ा में अनुरक्षण (मनटेनेंस) क्षेत्र और विभाग का विस्तार और सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या कर्मचारियों की भारी कमी है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1.93 करोड़ रुपये की लागत पर सियालदाह में एक अतिरिक्त प्लेटफार्म का कार्य शुरू किया गया है जो 1996-97 में पूरा हो जायेगा।

(घ) और (ङ). मौजूदा कार्यभार के लिए कर्मचारियों सहित मौजूदा रख-रखाव सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता

2513. श्री धर्मभिक्षम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश को स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं को लागू करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में इन परियोजनाओं को लागू करने में कौन-कौन से अस्पताल शामिल हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश प्राथमिक रैफरल स्वास्थ्य पद्धति परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 31.10.95 तक 1.606 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का संवितरण किया गया है।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत 150 अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

एड्स के मरीज

2514. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में एड्स के कितने मरीजों की पहचान की गई है;

(ख) उपर्युक्त राज्यों में उन अस्पतालों तथा दवाखानों की संख्या कितनी है जहां एड्स परीक्षण सुविधा उपलब्ध हैं;

(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) 1996-97 के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान एड्स के गुजरात में 3, दिल्ली में 10, महाराष्ट्र में 863 तथा उत्तर प्रदेश में कोई रोगी नहीं पाया गया है।

(ख) एच.आई.वी./एड्स जांच की सुविधाएं गुजरात में एक निगरानी केन्द्र, 6 जोनल रक्त जांच केन्द्रों, दिल्ली में 2 निगरानी केन्द्रों, 9 जोनल रक्त जांच केन्द्रों और 2 रेफरल केन्द्रों, महाराष्ट्र में 10 निगरानी केन्द्रों, 17 जोनल रक्त जांच केन्द्रों तथा 2 रेफरल केन्द्रों तथा उत्तर प्रदेश में एक निगरानी केन्द्र, 13 जोनल रक्त जांच केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

लाख रुपये में

राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
गुजरात	63.41	65.83	129.29
दिल्ली	27.43	48.70	97.73
महाराष्ट्र	146.66	219.69	292.60
उत्तर प्रदेश	107.74	27.59	121.00

(घ) 1996-97 के लिए नकद भुगतान के अंतर्गत किया गया अनन्तिम आवंटन इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	(लाख रुपये में)
गुजरात	389.00
दिल्ली	352.89
महाराष्ट्र	1139.16
उत्तर प्रदेश	371.13

[हिन्दी]

नई रेल लाइन

2515. श्री कुन्जीलाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से नई रेल लाइन बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई आमान परिवर्तन परियोजनाएं	लागत करोड़ रुपयों में	टिप्पणी
1.	फुलेरा-जोधपुर-लालगढ़-कोलायत-मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी	300.00	पूरी कर दी गयी है।
2.	जोधपुर-जैसलमेर	110.00	पूरी कर दी गयी है।
3.	सवाई माधोपुर-जयपुर-फुलेरा	133.04	पूरी कर दी गयी है।
4.	रेवाड़ी-जयपुर (आंशिक भाग हरियाणा में)	113.74	पूरी कर दी गयी है।
5.	फुलेरा-अजमेर-मारवाड़-मेहसाणा-अहमदाबाद	450.00	पूरी कर दी गयी है।
	(i) फुलेरा-अजमेर		
	(ii) अजमेर-मारवाड़-मेहसाणा		1996-97 में पूरी किया जाना है
6.	मकराणा-पर्बतसर	1.22	1995-96 में पूरा किया जाना है
7.	जोधपुर-लूनी-मारवाड़	58.00	बोल्ट योजना के अंतर्गत 1996-97 में पूरा किया जाना है
8.	आगरा-बांदीकुई (अंशतः उत्तर प्रदेश में)	88.73	बोल्ट योजना के अंतर्गत 1996-97 में पूरा किया जाना है
9.	भिलड़ी-समदड़ी	185.00	कार्य को अल्पकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है
10.	भिलड़ी-विरमगांव	155.66	कार्य को अल्पकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है

लोक अदालतें

2516. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री पवन दीवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन लोक अदालतों में कितने मामले निपटाए गए;

(ग) क्या इन लोक अदालतों का अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, जो लोक अदालतें आयोजित कर रही हैं, वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों तथा उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण टी गई है।

(ग) से (ङ). विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में, जिसे 9 नवंबर, 1995 को प्रवर्तित किया गया है, लोक अदालतों को कानूनी आधार देने का उपबंध है। लोक अदालतों के प्रत्येक अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा। लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाएगा और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्ष, अर्थात् वर्षों, 1992, 1993, 1994 के दौरान राज्यवार आयोजित की गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या

(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है)

क्र.सं.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या			निम्नलिखित वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1992	1993	1994	1992	1993	1994
1.	आंध्र प्रदेश	125	82	111	11638	19525	8256
2.	असम	1	9	5	57	1614	1049
3.	बिहार	शून्य	1	17	शून्य	22	3602
4.	गोवा	4	4	2	425	481	178
5.	गुजरात	109	91	87	13193	13461	15926
6.	हरियाणा	93	83	34	27476	25861	12534
7.	हिमाचल प्रदेश	54	56	28	7175	5426	6132
8.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	1	2	शून्य	58	81
9.	कर्नाटक	506	258	207	15291	28784	62807
*10.	केरल	12	11	5	6891	7472	4957
11.	मध्य प्रदेश	104	106	19	40158	59041	10624
*12.	महाराष्ट्र	159	108	147	12485	7453	उपलब्ध नहीं है
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	329
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	2	1	शून्य	24	3	शून्य
16.	उड़ीसा	299	217	170	78897	54871	39030
*17.	पंजाब	41	52	33	10429	14275	10623
18.	राजस्थान	न्यायालय में मास के प्रत्येक शनिवार को एक मासिक लोक अदालत आयोजित की जाती है।			108254	79685	72503
*19.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	तमिलनाडु	125	293	444	5703	7153	11901
21.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
*22.	उत्तर प्रदेश	282	289	319	285676	294183	284251
23.	पश्चिमी बंगाल	1	2	1	78	96	53
24.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन	2	शून्य	शून्य	3005	शून्य	शून्य
25.	दिल्ली	5	3	2	1469	598	949
26.	पांडिचेरी	4	2	2	317	263	309

* यह उपदर्शित करता है कि आंकड़े वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 1992-1993, 1993-94 और 1994-95 पर आधारित है।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

2517. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6-7 महीनों में सीमेंट के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान बाजार दर क्या थी तथा चालू बाजार दर क्या है;

(ग) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसे नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). निर्दिष्ट लागत, मूल्यों में सामान्य वृद्धि आदि और आधारभूत बाधाओं के बावजूद भी सीमेंट के मूल्यों में पिछले 6-7 महीनों के दौरान कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। इस समय सीमेंट के मूल्यों में कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अलग-अलग बाजारों और उपभोक्ता केन्द्रों के मूल्यों में प्रायः अन्तर रहता है जिसके कई कारण होते हैं- जैसे प्रतिस्पर्धा, कारखाने से उपभोक्ता केन्द्रों की दूरी, परिवहन के साधन, मांग में मौसमी परिवर्तन, बाजार विशेष में दुलाई तथा आपूर्ति करने में आकस्मिक बाधाएं, कुछ कंपनियों द्वारा उत्पादित सीमेंट ब्रांडों के प्रति धारणा आदि। वर्ष 1994-95 के दौरान 50 कि.ग्रा. सीमेंट की प्रति बोरी का औसत खुदरा मूल्य 125 से 130 रुपये के बीच था जबकि चालू वर्ष के दौरान मूल्य 130 से 135 रुपये के बीच है। यह मामूली वृद्धि मूल्यों में सामान्य वृद्धि होने के कारण ही है। उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने के अलावा, सरकार नयी क्षमता का सृजन करने को बढ़ावा दे रही है ताकि मूल्यों में असामान्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए बाजार तंत्र को मजबूत किया जा सके। सरकार सीमेंट प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट को दुलाई करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेलवे वैगनों को आपूर्ति सहित उद्योग को आवश्यक बुनियादी सहायता भी मुहैया करती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

2518. श्री ए. चार्ल्स : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तिरुवनंतपुर मेडिकल कालेज हास्पिटल के हृदय रोग (कार्डियोलाजी) विभाग के आधुनिकीकरण हेतु उपकरण खरीदने के लिए केरल सरकार की ओर से एक परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख). केरल सरकार ने फिनलैंड के कुछ अभिकरणों से वित्तीय सहायता लेने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के पांच सरकारी मेडिकल कालेजों और चुनिंदा अस्पतालों में प्रयोगशाला सेवाओं में सुधार करने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है। वित्त मंत्रालय ने ऐसी सहायता के प्रस्ताव का अनुसमर्थन नहीं किया है।

रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

2519. श्री ग्रमपाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली-रोहतक सेक्शन आंशिक रूप से ही विद्युतीकृत है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने उक्त मार्ग का विद्युतीकरण करने का सुझाव दिया है ताकि इस मार्ग पर इ.एम.यू. ट्रेनें चलाई जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रेल मार्ग का कब तक विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) दिल्ली-रोहतक मार्ग का दिल्ली-शकूरबस्ती खंड पहले से विद्युतीकृत है। शकूरबस्ती से रोहतक तक के शेष खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

संक्रामक रोग

2520. श्रीमती विजयराजे सिंधिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संक्रामक रोगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य-योजना शुरू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार देश में हैजा तथा जठरान्त्रशोथ जैसे संचारी रोगों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ). सामान्यतः जन स्वास्थ्य पद्धति तथा विशेषकर महामारी निगरानी की गुणवत्ता और नियंत्रण कार्यनीति की व्यापक तौर

पर समीक्षा करने के लिए प्रो. जे.एस. बजाज, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में 8.3.1995 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। रिपोर्ट दिसम्बर, 1995 के अन्त तक प्रस्तुत की जानी है। प्रौद्योगिकी मिशन की रूपरेखा पर सफाई तथा पर्यावरणिक स्वच्छता के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सचिव की संयोजकता में एक और दल भी गठित किया गया है। दल ने अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा

2521. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सुरक्षा लगातार खतरे में पड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). किसी भी देश का राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश विभिन्न विश्व, क्षेत्रीय और आंतरिक घटकों पर निर्भर करता है। हाल में बीते समय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और इस महाद्वीप दोनों ही क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान को लगभग 370 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के शस्त्रादि की सप्लाई स्वीकृत करने संबंधी हैंक ब्राउन संशोधन पारित किए जाने का इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। भारत की सुरक्षा और अंखडता की रक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं।

2. भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं कुछ निकट के देशों में रूढ़िवाद का बढ़ना, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद फैलाया जाना और छद्म युद्ध चलाना। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार कड़ी नजर रखती है। संभावित खतरों की लगातार समीक्षा की जाती है और भारत की सुरक्षा एवं अखंडता की रक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं। उपलब्ध संसाधनों से, सरकार सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक शस्त्र और उपस्कर उपलब्ध करवाकर उन्हें व्यवस्थित रूप से आधुनिक बना रही है। साथ ही, सेनाओं की आवश्यकता की मदों का अपने ही देश में विकास और उत्पादन करने के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

रोगों का फैलना

2522. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा तथा गंदगी के सफाई कार्य की व्यवस्था न होने के कारण फैलने वाले विभिन्न रोगों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं तथा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). कूड़ा और गंदगी इकट्ठी होने और अस्वच्छ परिवेश के कारण संक्रामक रोगों का होना आम बात है। राज्य सरकारों को राय दी गयी है कि वे जानपदिक रोगों के नियंत्रण हेतु अपनी जनस्वास्थ्य प्रणालियों को चुस्त-दुरूस्त करें और जनस्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप नागरिक सुविधाओं और परियोजना के आधारभूत ढांचे में सुधार करें। रोग की निगरानी, निवारक उपाय और शुरू में चेतावनी देने की प्रणालियां स्थापित करने पर जोर भी दिया गया है।

बिहार जल विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाएं

2523. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार जल विद्युत निगम (बीएचपीसी) द्वारा प्रस्तुत की गई तीन विद्युत परियोजनाएं जनवरी, 1995 में स्वीकृत की गई थी परन्तु निर्धारित शर्तों के अनुसार देय 10 प्रतिशत अग्रिम राशि अभी तक भी स्वीकृत नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) और (ख). जी, नहीं। बिहार में सदनी, लोअर घाघरी और नेटारहट लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्ध पूंजीगत आर्थिक राजसहायता का 10 प्रतिशत आरंभिक राशि, जो 27.12 लाख रुपये बैठती है, अप्रैल, 1995 में निर्मुक्त की गई।

[हिन्दी]

आयुध कारखाना

2524. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के चतरा जिले में (पूर्व में हजारीबाग जिला) एक आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था जिसके लिए भूमि का चयन भी किया गया था किंतु बाद में उक्त आयुध कारखाने को बिहार से बाहर कहीं स्थापित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कारखाने को चतरा में किन कारणों से स्थापित नहीं किया जा सका?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग). प्रणोदकों के निर्माण के लिए लगभग दस वर्ष पहले एक नई निर्माणी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस निर्माणी को स्थापित करने के लिए एक विकल्प के रूप में हजारी बाग जिले में एक स्थल का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार करने पर यह निर्णय लिया गया था कि प्रणोदकों के निर्माण के लिए कोई नई निर्माणी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रणोदकों की आवश्यकता मौजूदा आयुध निर्माणियों और सिविल क्षेत्र में पूरी की जा सकती है। तदनुसार, नई निर्माणी स्थापित करने का विचार पूर्णतः त्याग दिया गया था।

[अनुवाद]

बाल विवाह

2525. श्री के.एम. मैथ्यू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में बाल विवाह की सामाजिक बुराई बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या संरकार का विचार बाल विवाह अवरोध अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंचायती राज स्तर पर भी कोई प्रणाली शुरू करने तथा कोई निगरानी सेलों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। यह राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) महिला और बाल विकास विभाग ने इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में कार्यक्रमों के द्वारा देश में बाल विवाहों के विरूद्ध जनसंपर्क के माध्यम से प्रचार को बढ़ा दिया है। स्वैच्छिक संगठनों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित जागरूकता जनन कार्यक्रमों के अधीन इस बुराई के संबंध में सामाजिक जागरूकता लाई जा रही है। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए शिविरों, विधिक जानकारी कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का आयोजन करने के लिए सहायता भी दी जा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में समर्थ बनाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए कई स्कीमें, आर्थिक विकास के लिए आय पैदा करने वाले क्रियाकलाप और विभिन्न सहायक सेवाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे कि वे शोषण के विभिन्न रूपों, जिसके अन्तर्गत बाल विवाह की सामाजिक बुराई भी है, के विरूद्ध खड़ी हो सकें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में अति विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष सुरक्षा

2526. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1995 के राष्ट्रीय सहारा में "घाटी में विशिष्ट व्यक्तियों के अपहरण के लिए विशेष दस्ते" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक नेताओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). सरकार ने प्रश्नगत समाचार को देखा है। यह सही है कि समय-समय पर राज्य में शांति और प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया की बहाली को विफल करने के अपने हताशापूर्ण प्रयासों के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तानी आईएसआई तथा हरकत उल अंसार एवं हिज्बुल मुजाहिद्दीन सहित आतंकवादी ग्रुपों द्वारा राजनैतिक व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य आसान लक्ष्यों को निशाना बनाने संबंधी योजनाओं के बारे में रिपोर्टें मिलती रही हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सुभेद्य व्यक्तियों को पूर्णतम संरक्षण प्रदान किया जाए और तदनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। एतद् संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

2527. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यालय खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संगठन की अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय लघु निगम ने जॉनसबर्ग में पट्टे आधार पर एक प्रतिनिधिक कार्यालय खोलने के लिए परिसर किराये पर ले लिया है। वर्ष 1996 के प्रारंभ में इस कार्यालय के कार्य करने की आशा है।

असम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वित्तीय सेवाएं

2528. श्री प्रबीन डेका : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वित्तीय सेवा योजना चालू है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में उद्यमियों द्वारा इसका अनुदान प्राप्त करने के लिए अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वित्तीय सेवा योजना के तहत कच्चे माल की सहायता, बिल वित्तीयन, कार्यशील पूंजी के लिए वित्त तथा निर्यात विकास हेतु वित्त मुहैया कराकर लघु एककों की सहायता करना है। यद्यपि, शुरू में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में वित्तीय सेवा लागू नहीं थी फिर भी असम में राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में कच्चे माल की सहायता और बिल पर छूट की योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

(ख) लघु उद्योग के उद्यमियों को सहायता देने के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं :—

(1) सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालयों से उपलब्ध होते हैं। सहायता लेने के इच्छुक एककों को आवेदन-प्रपत्र भरना और अन्य अपेक्षित सूचनाएं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय को भेजनी होती हैं। इकाइयों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और यदि वे उक्त योजना के तहत पात्र पाये जाते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता मंजूर कर दी जाती है।

(2) वित्तीय सेवाओं के तहत, बैंक गारंटियों, साख पत्रों, शेयरों, डिबेंचरों अथवा कोई अन्य नकद प्रतिभूतियों की एवज में वित्तीय सहायता दी जाती है।

एकल बहु-विधि परिवहन प्रणाली

2529. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात की समस्या से निपटने के लिये कोई एकल बहु-विधि परिवहन प्रणाली शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और यह परियोजना कब तक आरम्भ होगी?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग). दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात भार को कम करने के लिए एक जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) प्रस्तावित है। परियोजना का संशोधित चरण-I 55.3 किलोमीटर लम्बा होगा, जिसमें से एक 11 किलोमीटर भूमिगत कारिडार तथा 44.3 किलोमीटर लम्बाई के दो भूतलीय/हवाई कारिडार होंगे। भूमिगत कारिडार दिल्ली विश्व-विद्यालय से केन्द्रीय सचिवालय के बीच तथा भूतलीय हवाई कारिडार क्रमशः शाहदरा से नांगलोई के बीच और सब्जी मण्डी से होलम्बी कलां के बीच बनाने का प्रस्ताव है।

इस व्यवस्था से व्यापक लाभ के लिए यथा प्रस्तावित परियोजना को समुचित बस मार्गों से जोड़ा जाएगा।

इस परियोजना के शुरू करने की तारीख से 10 वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार की विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद ही, लागत धन तय करने का प्रश्न उठेगा।

कुपोषण का स्तर

2530. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई आबादी बढ़े हुए उत्पादन के लाभों को निष्फल कर रही है तथा प्रति व्यक्ति, खाद्यान्न की तदनुरूप उपलब्धता सामान्य व्यक्ति के पोषण स्तर में बाधा उत्पन्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद प्रोटीन तथा विटामिनों से होने वाले कुपोषण को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) अनुमान है कि प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता लगभग 470 ग्रा. प्रति दिन है और यह लोगों की सामान्य जरूरतों को पूरी करती है।

(ख) लोगों की पौषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :—

1. अनुपूरक आहार कार्यक्रम
2. एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं
3. विशेष पोषण कार्यक्रम
4. गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम
5. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
6. माइक्रो-पोषक अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

7. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम
8. शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
9. पौषणिक प्रदाय और शिक्षा कार्यक्रम
10. बालवाडी पोषण कार्यक्रम

आमान परिवर्तन

2531. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट-वेरावल रेल लाइन को बढ़ाकर कोडीनार तक करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा और इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है तथा अभी तक इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि उपलब्ध कराई गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

(ख) राजकोट-वेरावल खंड का आमान परिवर्तन पूरा होने पर इसके कोड़ीनार तक विस्तार के कार्य पर नौंवी योजनावधि में विचार किया जाएगा। यदि और जब इस कार्य को शुरू किया जाएगा तो इसके पूरा करने की लक्ष्य तिथि का विनिश्चय किया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर लागत का पता चलेगा। धनराशि के आवंटन का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब कार्य शुरू किया जाएगा।

जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियां

2532. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जड़ी बूटियां से कई औषधियों का निर्माण करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो औषधीय पौधों को पेटेंट करने और जड़ी बूटी निर्मित दवाइयों के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सीएसआईआर एक अनुसंधान संगठन है जो जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों सहित विविध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है। यह वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादों का निर्माण नहीं करता है परन्तु वाणिज्यीकरण के लिए उद्योग को विकसित प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस प्रदान करता है।

(ख) वर्तमान पेटेन्ट नियमों के अनुसार प्राकृतिक पादपों अथवा किसी भी प्रकृति में पाई जाने वाली आनुवांशिक सामग्री/जीवाणु जीवद्रव्य का भारत में पेटेन्ट नहीं हो सकता। तथापि, सीएसआईआर पादप स्रोतों से बायोएक्टिव अणुओं का अभिनिर्धारण/विलगन/निष्कर्षण कर रहा है जिनका संभाव्य औषधि अणुओं के रूप में पेटेन्ट किया जा सकता है।

चूंकि सीएसआईआर निर्माण अथवा व्यापार करने वाला संगठन नहीं है, यह अपनी ओर से उत्पादों का निर्यात नहीं करता। फिर भी, यह प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का निर्यात करता रहा है।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

2533. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किए जाने वाले कितने सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं और उपक्रमों ने इस स्थानांतरण प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) इन कार्यालयों का जबरन दिल्ली से बाहर भेजे जाने से अनुमानतः कितने लोग प्रभावित होंगे; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की समीक्षा करने पर विचार कर रही है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन्) : (क) दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए कुल 20 सरकारी उपक्रमों तथा 11 सरकारी कार्यालयों की शिनाख्त की गई है किन्तु ये अभी तक स्थानान्तरित नहीं हुये हैं।

(ख) इन कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उनके परिवारों का कोई केन्द्रीय रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) इस समय ऐसी कोई समीक्षा विचाराधीन नहीं है।

रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

2534. श्री जी. माडे गौडा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मैसर बड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्तावित परियोजनाओं का सर्वेक्षण कराने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। एकल खंड का दोहरीकरण तब किया जाता है जब उसकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। इस खंड पर यह पाया गया था कि बेंगलूरू-केंगेरी खंड का दोहरीकरण परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर अपेक्षित था और यह कार्य 1995-96 बजट में शामिल किया गया है। शेष खंड के

दोहरीकरण पर उस समय विचार किया जाएगा जब यातायात दोहरीकरण के लिए औचित्यपूर्ण अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाएगा। बेंगलूरू से केंगेरी खंड, जो बेंगलूरू–मैसूर लाइन का भाग है, का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। केंगेरी से मैसूर तक विद्युतीकरण के लिए एक लागत–एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण किया गया है। शेष खंड अर्थात् केंगेरी–मैसूर विद्युतीकरण पर मौजूदा लागत के आधार पर 41.73 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।

आमान परिवर्तन

2535. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांकुरा–दामोदर नदी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और इसे तारकेश्वर से जोड़ने के संबंध में कोई तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आमान परिवर्तन

2536. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री संदीपन भगवान थोरात :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिराज–लातूर, बंगलोर–मिराज तथा गोवा–मिराज भीतर रेल लाइनों के आमानों के परिवर्तन के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक परियोजना हेतु आवंटित धनराशि कितनी है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) स्थिति इस प्रकार है :–

1. मिरज–लातूर : इस कार्य के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। लातूर से लातूर रोड तक नई लाइन के संबंध में भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। न्यू लातूर पर स्टेशन इमारत संबंधी कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कुर्डुवाडी–पंढरपुर लातूर खंड के आमान परिवर्तन के लिए मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुलों हेतु निविदाएं खोल दी गई हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. बेंगलूरू–हुबली–मिरज : यह कार्य अब पूरा हो गया है और खंड 31.3.95 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

3. गोवा–मिरज : मिरज–लोंडा–कैशल रॉक खंड का कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है और यह खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। कैशल रॉक–वास्को खंड का कार्य प्रगति पर है। इसके 31.3.96 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग). उक्त परियोजनाओं के लिए 1995–96 में की गई परिव्यय की व्यवस्था और 31.3.95 तक किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रु. में)

खंड	1995–96 के लिए परिव्यय	31.3.95 तक खर्च
मिरज–लातूर	10.00	2.25
बेंगलूरू–हुबली–मिरज	19.42	355.00
गोवा–मिरज		
1. मिरज–लोंडा	16.12	141.18
2. होसपेट–हुबली–गोवा	177.63	175.96

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मानार्थ पास

2537. श्री बलराज पासी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं जिनके पास मानार्थ पासों के साथ–साथ उस श्रेणी के पास भी हैं जिसमें यात्रा करने के लिये वे फिलहाल अर्ह है; और

(ख) ये पास कितनी अवधि के लिये वैध होते हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान में मानार्थ पासों के धारक

क्र.सं.	व्यक्तियों/संगठनों के नाम (श्री/सुश्री)	यात्रा का दर्जा	वैधता की अवधि
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	बंसी लाल	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
2.	निर्मला राम दास	पहला दर्जा	5 वर्ष
3.	के.जी. चन्नावीरप्पा	पहला दर्जा	5 वर्ष

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
4.	सुशीला नायर	पहला दर्जा	5 वर्ष
5.	माधवराव सिंधिया	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
6.	एस.एन. सुब्बा राव	पहला दर्जा	5 वर्ष
7.	भक्त चरण दास	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
8.	आभा बहन गांधी	पहला दर्जा	5 वर्ष
9.	डा. संतोष गोइंदी	पहला दर्जा	3 वर्ष
10.	जनेश्वर मिश्र	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
11.	अक्षर पुरुषोत्तम संस्थान, अहमदाबाद के चार पदाधिकारी	पहला दर्जा	3 वर्ष
12.	अजय सिंह	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
13.	बखेर जुसाई	दूसरा दर्जा	5 वर्ष
14.	हिसामुल आई. सिद्दीकी	पहला दर्जा वाता.	1 वर्ष
15.	हाफिज सैयद मो. मजहर	पहला दर्जा	5 वर्ष
16.	चम्पा लिमये	पहला दर्जा	1 वर्ष
17.	सरला कुमारी	पहला दर्जा	1 वर्ष
18.	मौलाना मो. कासिम	पहला दर्जा	1 वर्ष
19.	काजी अब्दुल हमीद	पहला दर्जा	1 वर्ष
20.	किशोर कुमार झा	पहला दर्जा	1 वर्ष
21.	उस्मान एम. अधामी	पहला दर्जा	1 वर्ष
22.	सैयद फिदा अली	पहला दर्जा	1 वर्ष
23.	मौलाना अंजार शाह	पहला दर्जा	1 वर्ष
24.	सुनील शास्त्री	पहला दर्जा	1 वर्ष
25.	टी.आर. रामाकृष्णन	पहला दर्जा	1 वर्ष
26.	कनीज फातिमा	पहला दर्जा	1 वर्ष
27.	यू.एन. विद्यार्थी	पहला दर्जा	1 वर्ष
28.	के. नटराजन	पहला दर्जा	1 वर्ष
29.	जी. मणि रत्नम	पहला दर्जा	1 वर्ष
30.	द्वारका सुंदरानी	पहला दर्जा	1 वर्ष
31.	डा. पी. पेनुंसला	पहला दर्जा	1 वर्ष
32.	सैयद मो. नासिर फकरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
33.	मो. रलिया वारसी	पहला दर्जा	1 वर्ष
34.	सन्यासिनी योग श्रुति	पहला दर्जा	1 वर्ष
35.	डा. एम.सी. मोदी	पहला दर्जा	5 वर्ष
36.	शोभा राजू	पहला दर्जा	5 वर्ष
37.	जे.एन. कश्यप	पहला दर्जा	1 वर्ष
38.	एस.डी.आर्य	पहला दर्जा	1 वर्ष
39.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स	पहला दर्जा	1 वर्ष
40.	के.मो. कलीफे	पहला दर्जा	1 वर्ष
41.	एस. शहाबुद्दीन फौजदार	पहला दर्जा	1 वर्ष
42.	विमल मेहरोत्रा	पहला दर्जा	1 वर्ष
43.	दीपक कुमार पाठक	पहला दर्जा	1 वर्ष
44.	आलमेलु अमाल	पहला दर्जा	1 वर्ष
45.	सरस्वती अमाल	पहला दर्जा	1 वर्ष
46.	आर.के. शुक्ला	पहला दर्जा	1 वर्ष
47.	मुफ्ती अब्दुल आर. खान	पहला दर्जा	1 वर्ष
48.	कृपा शंकर सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
49.	एस.ए.आर. खान	पहला दर्जा	1 वर्ष
50.	राम कृष्ण मिशन, ग्वालियर के चार पदाधिकारी	पहला दर्जा	1 वर्ष
51.	स्वामी तपनानंदजी	पहला दर्जा	1 वर्ष
52.	एस.के. बंदोपाध्याय	पहला दर्जा	1 वर्ष
53.	चेनम्मा हल्लीकाई	पहला दर्जा	5 वर्ष
54.	डी.एस. वाले	पहला दर्जा	1 वर्ष
55.	राजेन्द्र चौधरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
56.	सिस्टर मैरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
57.	एम.एस. भटनागर	दूसरा दर्जा	5 वर्ष
58.	एच.एच. स्वामी	पहला दर्जा	1 वर्ष
59.	फुलजैल अहमद कासमी	पहला दर्जा	1 वर्ष
60.	मौलाना सदरुद्दीन	पहला दर्जा	1 वर्ष
61.	ए.एम.टी. रजाखान	पहला दर्जा	1 वर्ष
62.	मुज्जमी सिद्दीकी	पहला दर्जा	5 वर्ष
63.	हाफिज मो. उमर	पहला दर्जा	1 वर्ष
64.	कौशल्या राय	पहला दर्जा	1 वर्ष
65.	हुजम एस.एम. शाइक	पहला दर्जा	1 वर्ष
66.	विरेन्द्र कुमार गौड़	पहला दर्जा	1 वर्ष
67.	निर्मल देशपांडे	पहला दर्जा	5 वर्ष
68.	कांची कामकोटी मट्ठ का एक प्रतिनिधि	पहला दर्जा	1 वर्ष
69.	एस.एम. गावस्कर	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
70.	एम.एस. बिट्टा	पहला दर्जा वाता.	3 वर्ष
71.	वीना दुग्गल	पहला दर्जा	1 वर्ष
72.	हाजी मो. हारुन	पहला दर्जा	1 वर्ष
73.	प्रमिल पी. बरूह	पहला दर्जा	1 वर्ष
74.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स	पहला दर्जा	1 वर्ष
75.	मिशनरीज आफ चैरिटी की दो सिस्टर्स	पहला दर्जा	1 वर्ष
76.	काला बाबा	पहला दर्जा	1 वर्ष
77.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स	पहला दर्जा	1 वर्ष
78.	गजेन्द्र सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
79.	डा.पी. पट्मरथि	पहला दर्जा	1 वर्ष
80.	मोहसिना किदवई	पहला दर्जा वाता.	1 वर्ष
81.	मधु दण्डवते	पहला दजा वाता.	1 वर्ष
82.	आर.एम. सलाम	पहला दर्जा	2 वर्ष
83.	एन.एफ. ऑफ इंडियन वूमैन के दो पदाधिकारी	पहला दर्जा	5 वर्ष
84.	सन्यासिनी योगस्रुति	पहला दर्जा	1 वर्ष
85.	स्वामी श्रीनिवास गिरी	पहला दर्जा	2 वर्ष
86.	कासी मो. इमान	पहला दर्जा	5 वर्ष
87.	फरजुद्दीन शरीफ	पहला दर्जा	1 वर्ष
88.	रेहन आसिफ सिद्दीकी	पहला दर्जा	1 वर्ष
89.	रंजनी ईश्वर	पहला दर्जा	1 वर्ष
90.	के. विक्रम राव	पहला दर्जा	1 वर्ष
91.	शशि शर्मा	पहला दर्जा	1 वर्ष
92.	नारायण स्वरूप	पहला दर्जा	1 वर्ष
93.	ब्रह्मचारी एस. नंदा	पहला दर्जा	5 वर्ष
94.	मसर्रफ शाहिद	पहला दर्जा	1 वर्ष
95.	राजीव कुमार	पहला दर्जा	2 वर्ष
96.	लोकपति त्रिपाठी	पहला दर्जा	5 वर्ष
97.	मो. फारूकी	पहला दर्जा	1 वर्ष
98.	डा. पी.एस. शंकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
99.	राजेन्द्र तिवारी	पहला दर्जा	1 वर्ष
100.	एम. रंगा रेड्डी	पहला दर्जा	1 वर्ष
101.	जी. भास्करन	पहला दर्जा	1 वर्ष
102.	प्रो. आर.के. नायक	पहला दर्जा	1 वर्ष
103.	अमर सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
104.	गोपाल सिंह	पहला दर्जा	5 वर्ष
105.	अद्य प्रसाद उन्मत्त	पहला दर्जा	1 वर्ष
106.	पर्वत कुमार मकवाना	पहला दर्जा	1 वर्ष
107.	वी. पट्टाभिरामन	पहला दर्जा	1 वर्ष
108.	मो. अकबर	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
109.	मो. अनवर हुसैन	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
110.	शकील चंद्र	पहला दर्जा	1 वर्ष
111.	दीपा कौल	पहला दर्जा	2 वर्ष
112.	दर्शन सिंह यादव	पहला दर्जा	1 वर्ष
113.	रमेश कालिया	पहला दर्जा	3 वर्ष
114.	केशव कुलकर्णी	पहला दर्जा	1 वर्ष
115.	गौरी शंकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
116.	मो. अबुबकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
117.	मो. कायकब हमीद	पहला दर्जा	1 वर्ष
118.	एच.आर ईश्वर जायस	पहला दर्जा	5 वर्ष
119.	ईश्वर चंद्र दास	पहला दर्जा	1 वर्ष
120.	धर्म वत्सल दास	पहला दर्जा	1 वर्ष
121.	हबीबा किदवई	पहला दर्जा	1 वर्ष
122.	गंगा प्रसाद	पहला दर्जा	2 वर्ष
123.	मांगी लाल आर्य	पहला दर्जा	1 वर्ष
124.	एस.आई. आबिटी	पहला दर्जा	1 वर्ष
125.	जी. ईश्वर	पहला दर्जा	1 वर्ष
126.	डा. अवधेश सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
127.	दिनेश सिंह	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
128.	जे.डी. सीलम	पहला दर्जा	5 वर्ष
129.	अशंदुल कादरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
130.	कामेश्वरी मिश्र	पहला दर्जा	1 वर्ष
131.	प्रवीण आजाद	पहला दर्जा	1 वर्ष
132.	जे.एन. मिश्र	पहला दर्जा	1 वर्ष
133.	साहिल पेरवल	पहला दर्जा	1 वर्ष
134.	वेणुमाधव	पहला दर्जा	1 वर्ष
135.	पी. प्रकाश	पहला दर्जा	1 वर्ष
136.	डा. डी.के. मेहता	पहला दर्जा	1 वर्ष

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
137.	वसुदेवराव चांगरे	पहला दर्जा	1 वर्ष
138.	आर.पी. सराफ और तीन अन्य	पहला दर्जा	1 वर्ष
139.	विजय सारस्वत	पहला दर्जा	1 वर्ष
140.	सर्वशक्ति कुमार सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
141.	पी.एन. रेड्डी	पहला दर्जा	1 वर्ष
142.	एस.वी. मिरजी	पहला दर्जा	1 वर्ष
143.	फोजिया आर.	पहला दर्जा	1 वर्ष
144.	देवेन्द्र पांडे	पहला दर्जा	1 वर्ष
145.	सी.एल. फजलुर रेहमान	पहला दर्जा	1 वर्ष
146.	टी.एस. युसुफ	पहला दर्जा	1 वर्ष
147.	जफर इकबाल	पहला दर्जा	1 वर्ष
148.	जे.एम.साद्दिकुल्लाह	पहला दर्जा	1 वर्ष
149.	चंपा राव	पहला दर्जा	1 वर्ष
150.	घनश्याम	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
151.	कमला दूबे	पहला दर्जा	1 वर्ष
152.	प्रहलाद यादव	पहला दर्जा	1 वर्ष
153.	प्रेमा चरियप्पा	पहला दर्जा	1 वर्ष
154.	पी. देवराज	पहला दर्जा	1 वर्ष
155.	एस.एस. प्रकाशम	पहला दर्जा	1 वर्ष
156.	एम. आशीर्वादम	पहला दर्जा	1 वर्ष
157.	एन.के. वेंकटेश्वर	पहला दर्जा	1 वर्ष
158.	मोहम्मद औबेदुल्ला	पहला दर्जा	1 वर्ष
159.	मो. बशीर	पहला दर्जा	1 वर्ष
160.	गणेश शंकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
161.	सी. अर्जुन	पहला दर्जा	1 वर्ष
162.	कृष्णराव हिंगनकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
163.	डा. बनारसी दास	पहला दर्जा	5 वर्ष
164.	शाइक अबु बकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
165.	आई.ए.ई. एसोसिएशन के तीन पदाधिकारी	पहला दर्जा	1 वर्ष
166.	राधा के. अवस्थी	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
167.	निर्मल उपाध्याय	पहला दर्जा	1 वर्ष
168.	खान अब्दुल वदूद	पहला दर्जा	1 वर्ष
169.	डा. रजा रमन्ना	पहला दर्जा	1 वर्ष
170.	आयेशा बेगम	पहला दर्जा	1 वर्ष
171.	वारी मो. सिद्दीकी	पहला दर्जा	1 वर्ष
172.	कुसुम कुमारी यादव	पहला दर्जा	1 वर्ष
173.	मेयर ए.के. सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
174.	शमीम जयपुरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
175.	चरण सिंह कंदिरा	पहला दर्जा	1 वर्ष
176.	सूरदासजी अनाथ सेवाश्रम संघ	पहला दर्जा	1 वर्ष
177.	गिरेन्द्र नाथ	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
178.	एस.एन. दूबे	पहला दर्जा	1 वर्ष
179.	सिया शरण यादव	पहला दर्जा	1 वर्ष
180.	के.सी. लेंका	पहला दर्जा वार्ता.	1 वर्ष
181.	बी.एस. योगिन्दर महाराज	पहला दर्जा	1 वर्ष
182.	शौकत अली	पहला दर्जा	5 वर्ष
183.	मो. शफी कुरैशी	पहला दर्जा वाता.	1 वर्ष
184.	टी.जी.के. मेमन	पहला दर्जा	1 वर्ष
185.	सुरेश बहादुर सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
186.	जरीना	पहला दर्जा	1 वर्ष
187.	टी. रत्नाकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
188.	कांची कामकोट्टि मठ का एक प्रतिनिधि	पहला दर्जा	1 वर्ष
189.	राधाकृष्ण अवस्थी	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
190.	अर्वतिका माकन	पहला दर्जा	1 वर्ष
191.	मौलाना मो. हुसैन	पहला दर्जा	1 वर्ष
192.	एम. कमर रजा खान	पहला दर्जा	1 वर्ष
193.	ए.एस. हबीब हमदानी	पहला दर्जा	1 वर्ष
194.	एम.टी. रजा खान	पहला दर्जा	1 वर्ष
195.	मौलाना इदरीस रजा	पहला दर्जा	1 वर्ष
196.	गिरीश गांधी	पहला दर्जा	1 वर्ष
197.	कपिल देव	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
198.	सुंदर लाल बहुगुणा	पहला दर्जा	1 वर्ष
199.	सुरेन्द्र कुमार	पहला दर्जा	3 वर्ष
200.	प्रभात सुभा पंडित	पहला दर्जा	3 वर्ष
201.	निर्मला भागे	पहला दर्जा	1 वर्ष
202.	बी. सुबय्या शेट्टी	पहला दर्जा	1 वर्ष
203.	वी.एस. चंद्र लेखा	पहला दर्जा	1 वर्ष
204.	अरविंद चतुर्वेदी	पहला दर्जा	1 वर्ष

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
205.	सैयद हमीद	पहला दर्जा	1 वर्ष
206.	ए.ए. सिद्दीकी	पहला दर्जा	1 वर्ष
207.	मोहन जोशी	पहला दर्जा	3 वर्ष
208.	प्रमोद तिवारी	पहला दर्जा वाता.	3 वर्ष
209.	आशुतोष शर्मा	पहला दर्जा	1 वर्ष
210.	ए.पी.एस. सुब्बू	पहला दर्जा	1 वर्ष
211.	आर.एस. गोवै	पहला दर्जा	1 वर्ष
212.	हरिनारायणानंदा	पहला दर्जा	1 वर्ष
213.	शिवाजी राव देशमुख	पहला दर्जा वाता.	1 वर्ष
214.	पी.बी. सावंत	पहला दर्जा	1 वर्ष
215.	एम.एल. जादम	पहला दर्जा	1 वर्ष
216.	मयूरध्वज एन. सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
217.	कुंवर पाल यादव	पहला दर्जा	1 वर्ष
218.	रूपिंदर सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
219.	अरूण कुमार	पहला दर्जा	1 वर्ष
220.	वीरेन्द्र खन्ना	पहला दर्जा	1 वर्ष
221.	संजय एस. दत्त	पहला दर्जा	1 वर्ष
222.	रत्ना कुमारी	पहला दर्जा	1 वर्ष
223.	ललित गुप्ता	पहला दर्जा	1 वर्ष
224.	जसदेव सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
225.	के.बी. सिंह देव	पहला दर्जा	1 वर्ष
226.	सतीश आर. मिश्र	पहला दर्जा	1 वर्ष
227.	शमीम कुरेशी	पहला दर्जा	1 वर्ष
228.	अनंतराम चौधरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
229.	एम.एस. निजगुल्ली	पहला दर्जा	1 वर्ष
230.	राज कुमार सचेती	पहला दर्जा	1 वर्ष
231.	स्वामी निजानंदजी	पहला दर्जा	1 वर्ष
232.	राजेन्दा तिवारी	पहला दर्जा	1 वर्ष
233.	जे.एम. चिंचलकर	पहला दर्जा	1 वर्ष
234.	शरद कु. सचक	पहला दर्जा	1 वर्ष
235.	एस.एच. भूटानी	पहला दर्जा	1 वर्ष
236.	एम.ए. सुनील	पहला दर्जा	1 वर्ष
237.	एच.आर. मालू	पहला दर्जा	1 वर्ष
238.	राकेश भारद्वाज	पहला दर्जा	1 वर्ष
239.	युगराज भटौरिया	पहला दर्जा	1 वर्ष
240.	अविनाश पांडे	पहला दर्जा	1 वर्ष
241.	उदय जी. सोनी	पहला दर्जा	1 वर्ष
242.	दिनेश कुमार	पहला दर्जा	1 वर्ष
243.	प्रद्युत गुहा	पहला दर्जा	1 वर्ष
244.	एस.पी. पिल्लै	पहला दर्जा	1 वर्ष
245.	ए.के. बनर्जी	पहला दर्जा	1 वर्ष
246.	ललित के. धानौट	पहला दर्जा	1 वर्ष
247.	रमेश शर्मा	पहला दर्जा	1 वर्ष
248.	पी.के. श्रीवास्तव	पहला दर्जा	1 वर्ष
249.	एच.एस. भट्ट	पहला दर्जा	1 वर्ष
250.	कृपाल सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
251.	ए.के. सूरी	पहला दर्जा	1 वर्ष
252.	सी.के. जाफर शरीफ	पहला दर्जा वाता.	5 वर्ष
253.	महावीर प्रसाद	पहला दर्जा वाता.	1 वर्ष
254.	जगदीश वी. शेट्टी	पहला दर्जा	1 वर्ष
255.	एस. राधाकृष्णन	पहला दर्जा	1 वर्ष
256.	लल्लन कुमार मंडल	पहला दर्जा	1 वर्ष
257.	त्रिलोचन सिंह	पहला दर्जा	1 वर्ष
258.	राजेश शर्मा	पहला दर्जा	1 वर्ष
259.	डा. पी.सी. कौशिक	पहला दर्जा	1 वर्ष
260.	लल्लन प्रसाद	पहला दर्जा	1 वर्ष
261.	रमेश भाई	पहला दर्जा	1 वर्ष
262.	विजय नारायण	पहला दर्जा	1 वर्ष
263.	स्वामी अर्जुन पुरीफी	पहला दर्जा	1 वर्ष
264.	हरीश चन्द्र	पहला दर्जा	1 वर्ष
265.	डा. रन सिंह परमेर	पहला दर्जा	1 वर्ष
266.	एन.पी. भट्ट	पहला दर्जा	1 वर्ष
267.	श्रीमती रमा पी. भट्ट	पहला दर्जा	1 वर्ष
268.	बालकृष्ण एन. शेट्टी	पहला दर्जा	1 वर्ष
269.	एस.आर. बालसुब्रमण्यन	पहला दर्जा	1 वर्ष
270.	आयुर्वेदिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के दो प्रतिनिधि	पहला दर्जा	1 वर्ष
271.	सी. मोह. फैजी	पहला दर्जा	1 वर्ष
272.	अबूबकर मौलवी	पहला दर्जा	1 वर्ष
273.	साहुल हमीद	दूसरा दर्जा	1 वर्ष
274.	डा. विश्वजीत महापात्र	पहला दर्जा	1 वर्ष

सैनिकों द्वारा गोली बारी का अभ्यास

2538. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक में देवलाली के निकट चांदमारी क्षेत्र में सेना द्वारा की जाने वाली गोली बारी के अभ्यास के दौरान लक्ष्य से हटकर जाने वाली गोलियों से प्रतिवर्ष अनेक आदिवासी मारे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की गोलियों से आदिवासियों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही योजना बनाई गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) शून्य।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

2539. श्री दत्ता मेघे :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री आर. अन्बारासु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 1995 तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने आवेदन पत्रों की जांच-पड़ताल की गई अथवा कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए;

(ङ) इन आवेदन-पत्रों को अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे लाभार्थियों को भी ऋण देने के कुछ मामलों का पता चला है जिन्होंने बैंकों का पहले का पैसा नहीं लौटाया है; और

(छ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 1995 तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन निर्धारित तथा प्राप्त किए गए लक्ष्य और अनु.जा./अ.ज.जा. सहित लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	कुल लाभार्थी (बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या)	अनु.जा./अनु.ज.जा. लाभार्थियों की संख्या (बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या
1.	1993-94	40,000	31,880	2834*
2.	1994-95	2,20,000	1,94,330	22537**
3.	1995-96	2,60,000+	58,769	2045***

* 31,780 लाभार्थियों में से

** 1,92,852 लाभार्थियों में से

*** 21,437 लाभार्थियों में से

\+ 1995-96 के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य में पिछले वर्ष का शेष सम्मिलित है।

(ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र.सं.	वर्ष	(राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित निधियां)* (रु. लाख में)
1.	1993-94	419.03
2.	1994-95	2029.41
3.	1995-96 (अक्तूबर, 95 तक)	15.43

* राज्य सरकारों को निधियां प्रशिक्षण, कार्यशालाओं जिला उद्योग केन्द्रों की आकस्मिकता निधियों और समकालीन मूल्यांकन आदि के लिए जारी की जाती है।

वर्ष 1993-94 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 1.78 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक को राजसहायता देने के लिए भी निधियां जारी की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को राजसहायता के लिए जारी की गयी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्र.सं.	वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गयी निधियां (रु. करोड़ में)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन-कारी बैंकों को राजसहायता का संवितरण (रु. करोड़ में)
1.	1993–94	30.00	30.00
2.	1994–95	74.53	74.53
3.	1995–96 (अक्तूबर, 95 को समाप्त)	45.00	7.80

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूचना अनुसार 1993–94, 1994–95 और 1995–96 (अक्तूबर, 1995) के दौरान बैंकों द्वारा अस्वीकृत/प्रक्रियागत आवेदनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) अस्वीकृतियों के कारण इस प्रकार है :—

बैंक औपचारिकताओं का पूरा न होना, आवेदकों द्वारा सीमांत राशि जमा न करना, इस दौरान कुछ लाभार्थियों को अन्यत्र रोजगार मिल जाना, कार्य स्थल की व्यवस्था न होना, पावर कनेक्शन प्राप्त न होना, परियोजना जीव्यक्षम न होना आदि।

(च) और (छ). प्रायः इस प्रकार के मामले सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं। लेकिन, एक मामला संबंधित बैंक और जिला उद्योग केन्द्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

बैंकों द्वारा निपटाए गए और नामंजूर किए गए मामले–वर्षवार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993–94		1994–95		1995–96*	
		अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	एन.आर.	3418	9833	19851	2133	8307
2.	असम	एन.आर.	818	एन.आर.	6404	एन.आर.	566
3.	बिहार	318	2049	6191	11700	118	1586
4.	दिल्ली	3581	622	362	702	एन.आर.	675
5.	गोवा	170	86	117	192	एन.आर.	45
6.	गुजरात	269	527	4662	5707	2730	3325
7.	हरियाणा	एन.आर.	792	2432	4603	999	1946
8.	हिमाचल प्रदेश	एन.आर.	201	1837	2306	654	894
9.	जम्मू और कश्मीर	एन.आर.	101	एन.आर.	1888	एन.आर.	502
10.	कर्नाटक	एन.आर.	1919	7840	13759	1134	3559
11.	केरल	एन.आर.	1595	10256	11123	2900	2178
12.	मध्य प्रदेश	एन.आर.	2992	8313	21840	547	4412
13.	महाराष्ट्र	3037	4850	15100	26551	3558	8541
14.	मणिपुर	30	212	126	2004	एन.आर.	155
15.	मिजोरम	एन.आर.	32	105	146	एन.आर.	—
16.	उड़ीसा	एन.आर.	842	एन.आर.	5551	एन.आर.	1080
17.	पंजाब	एन.आर.	1030	2257	5357	एन.आर.	2230
18.	राजस्थान	एन.आर.	1257	1769	7668	429	2216
19.	तमिलनाडु	एन.आर.	2794	11159	14515	6264	3954

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	त्रिपुरा	108	146	344	796	एन.आर.	43
21.	उत्तर प्रदेश	एन.आर.	3995	14922	23060	1451	11201
22.	प. बंगाल	एन.आर.	899	19863	6936	202	1068
23.	अण्डमान तथा निकोबार	एन.आर.	33	176	65	11	25
24.	अरुणाचल प्रदेश	एन.आर.	65	120	183	एन.आर.	—
25.	चण्डीगढ़	एन.आर.	64	एन.आर.	165	एन.आर.	90
26.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.	112	एन.आर.	112	3	41
27.	दमन और द्वीव	एन.आर.	13	एन.आर.	79	एन.आर.	32
28.	नागालैंड	एन.आर.	97	एन.आर.	213	एन.आर.	—
29.	लक्षद्वीप	एन.आर.	शून्य	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	—
30.	मेघालय	एन.आर.	157	एन.आर.	311	एन.आर.	—
31.	पाण्डिचेरी	88	162	62	426	8	66
32.	सिक्किम	एन.आर.	शून्य	72	75	11	32
	योग	7601	31880	117926	194330	23152	58769

एन.आर. : सूचना नहीं दी गई।

[अनुवाद]

दिल्ली से मिर्जापुर के लिए रेलगाड़ी

2540. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मिर्जापुर अथवा शक्ति नगर के लिये एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी शुरू करने का सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां एवं संसाधनों की तंगी।

स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं

2541. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन जिलों में ब्रिटेन की सहायता से स्वास्थ्य रक्षा योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) इन जिलों में इस योजना के अन्तर्गत लागू की जा रही है तथा स्वास्थ्य रक्षा योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना राज्य के शेष जिलों में भी शुरू की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (घ). मलेरिया के नियंत्रण के लिए गुजरात राज्य के सूरत जिले में ब्रिटेन की सहायता से—"मलेरिया नियंत्रण अनुसंधान परियोजना" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना पर 4,000622 पौंड की रकम के लिए दिनांक 15 जून, 1995 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना में प्रबंध सहायता, प्रशिक्षण, वाहनों, उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं, कीटनाशकों आदि के लिए इनपुट की व्यवस्था होगी।

राज्य के कैरा जिले में त्रिभुवन दास फाउंडेशन द्वारा एकीकृत परिवार कल्याण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए ब्रिटिश सहायता 2.6 मिलियन पौंड है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तरीय सहकारी आधारभूत ढांचे पर आधारित एकीकृत परिवार कल्याण योजना के जरिए कैरा जिले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थिति में सुधार करना है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

2542. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण दस्तकारों/गरीबों के लाभ के लिए गोवा में खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कई योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लक्ष्य, कार्यान्वयन एजेंसी की कार्यविधि और राज्य के लिए वर्ष-वार आवंटन की दृष्टि से प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है और योजना-वार अलग-अलग क्या-क्या वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य हासिल किए गए और क्या उपलब्धि रहीं;

(ग) लक्ष्य समूहों को लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजनाओं के कार्यान्वयन की समुचित निगरानी/उनका आंकलन किया गया था और इसके लिए की गई ऐसी व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) वितरित ऋणों की वसूली की स्थिति क्या है और प्रकाश में आए स्वीकृत ऋणों के वितरण/दुरूपयोग के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और इस योजना के अंतर्गत गोवा के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जैविक उर्वरक का उत्पादन

2543. श्री रमेश चेन्नितला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड का नारियल जटाओं से बड़े पैमाने पर जैविक उर्वरक उत्पादित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां। कॅयर बोर्ड के केन्द्रीय कॅयर अनुसंधान संस्थान ने तमिलनाडु कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय के सहयोग से पिथप्लस नामक एक फफूंद जीवाणु समूह का इस्तेमाल कर 30 दिन में नारियल जटा के गूदे को जैविक खाद में बदलने की एक प्रौद्योगिकी का विकास किया है। पिथप्लस के उत्पादन और आपूर्ति हेतु एक आरंभिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। पिथप्लस के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से पिथप्लस का उपयोग कर नारियल जटा के गूदे को जैविक खाद में बदलने हेतु 24 नवम्बर, 1995 को क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए एक योजना की शुरूआत की गई। आरंभ में, इस योजना के अन्तर्गत नारियल जटा गूदे से जैव खाद का उत्पादन करने के लिए 50 जगहों की पहचान बनाई गई है, जिनमें 2500 मीट्रिक टन नारियल के गूदे को लगभग 1750 मीट्रिक टन जैव खाद में बदला जाएगा। कॅयर इकाइयों को कॅयर बोर्ड के तकनीकी स्टाफ द्वारा तकनीकी का प्रदर्शन कर तथा नारियल जटा गूदे से जैव खाद के उत्पादन का निशुल्क प्रशिक्षण देकर मदद दी जाएगी। एककों को प्रदर्शन के लिए आवश्यक पिथप्लस तथा यूरिया की भी कॅयर बोर्ड द्वारा मुफ्त आपूर्ति की जाएगी।

साइकिलों का उत्पादन और निर्यात

2544. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में साइकिल उत्पादन के क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है और 1990-91 से 1994-95 तक प्रमुख निर्माताओं द्वारा कितनी साइकिलों का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी साइकिलों और उनके पुर्जों का निर्यात हुआ और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या भारत में साइकिलों का निर्यात इसके उत्पादन की तुलना में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या साइकिल उद्योग में अनुसंधान एवं कार्यक्रमों में कोई प्रगति नहीं हो रही है और न ही इसमें पूंजी लगाई जा रही है और इसके लिए निर्माता पर्याप्त धन आवंटित कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो साइकिल उत्पादन और अच्छी किस्म की साइकिलों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). भारत, चीन के बाद साइकिलों का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है। 1990-91 से 1994-95 तक प्रमुख विनिर्माताओं द्वारा देश में निर्मित साइकिलों की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख में)
1990-91	70.84
1991-92	71.50
1992-93	69.63
1993-94	74.41
1994-95	78.78

भारत से पूरी साइकिलों व इनके हिस्से-पुर्जों का निर्यात इस प्रकार रहा है :

अवधि	साइकिल रिक्शा सहित पूरी साइकिलें		हिस्से-पुर्जे मूल्य (करोड़ रू. में)	योग + मूल्य (करोड़ रू. में)
	(मात्रा) (हजार में)	मूल्य (करोड़ रू. में)		
1990-91	2.34	15.27	145.98	161.25
1991-92	6.02	53.40	240.95	294.35
1992-93	9.24	97.20	343.42	440.62
1993-94	12.53	154.75	377.76	532.51
1994-95	11.03	146.50	324.31	470.81

+ (अनुमानित)

(घ) से (च). भारतीय साइकिल उद्योग के अनुसंधान एवं विकास कार्य की प्रगति में कई कारणों से बाधा आयी है। इनमें से कुछ कारण ये हैं – एक पर्याप्त अवधि तक प्रशुल्क संरक्षण, किसी विदेशी प्रतिस्पर्धा की कमी, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, सवारी किस्म की साइकिलों की स्थानीय मांग और बड़ी मात्रा में उत्पादन का लघु और आनुषंगिक एककों में होना । लेकिन 1970 के दशक के मध्य के वर्षों के बाद साइकिल डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति हुई है और अब विनिर्माताओं ने आधुनिक मशीनें तथा उपकरण लगा लिए हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के की तकनीकें अपना ली हैं। विनिर्माण से पहले और विनिर्माण के बाद की अवस्थाओं के लिए अति प्रभावशाली गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम अपनाए गए हैं। देश में अब बेहतर किस्म के साइकिल पुर्जों का भी उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन में वृद्धि के लिए विनिमय संबंधी कोई बाधा नहीं है।

साइकिलों के निर्यात की गति बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित निर्यात संवंधन परिषद विदेशी बाजारों में विकास के अध्ययन के लिए दलों को भेज रही है ताकि इस विकास को स्वदेश में अपनाया जा सके और विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने का प्रस्ताव भी कर रही है।

रेलवे की परियोजनाएं

2545. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित बंगाल की रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल, पश्चिम बंगाल में कोई भी रेल परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

समुद्र स्तर का बढ़ना

2546. श्री सुधीर सावन्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे तटीय क्षेत्रों को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जलवायु परिवर्तन पर अन्तरसरकारी पेनल (आई.पी.सी.सी.) के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भूमण्डलीय समुद्री स्तर में, 3 से 10 मिलीमीटर की सांख्यिकीय अनिश्चितता के साथ, प्रत्येक वर्ष 4.5 से 6 मिलीमीटर की औसत वृद्धि होगी। भूमण्डलीय परिवर्तन पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अुनसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय तट के साथ-साथ समुद्र स्तर में अपेक्षित वृद्धि लगभग उतनी ही होगी जितनी वृद्धि भूमण्डलीय स्तर पर दर्शाई गई है।

(ग) और (घ). जलवायु परिवर्तन के कारण औसत समुद्र स्तर भिन्नता अनुमानों में काफी अनिश्चितता है। इसको ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि तटीय क्षेत्रों को तत्काल कोई खतरा है।

(ङ) और (च). औसत समुद्र स्तर में अपेक्षित भिन्नता के प्रबोधन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

(1) महासागर विकास विभाग की, औसत समुद्रस्तर के अधिक यथार्थ मूल्याकंन के लिए दैनिक ज्वारों को मापने हेंतु महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक ज्वार प्रमापी लगाने की एक परियोजना है।

(2) महासागर विकास विभाग की परियोजना का पूर्वी तट पर नेल्लोर से मछलीपत्तनम तट क्षेत्र के आधी मीटर अन्तराल दर्शाते हुए अच्छे पैमाने के तटीय मानचित्रों को तैयार करने का विचार है। ये मानचित्र, तटीय क्षेत्रों के प्लावन के अधिक यथार्थ मूल्यांकन के लिए उपयोगी होंगे।

(3) बचे हुए तट के लिए तटीय मानचित्रों को तैयार करने का कार्य भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण उद्योगों को बंद किया जाना

2547. श्री ललित उरांव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 तक राज्य वार कितने बड़े मझोले एवं लघु उद्योगों का पंजीकरण किया गया है;

(ख) इनमें से क्रमशः कितने उद्योग कार्यरत हैं और बंद पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को यह शिकायत मिली है कि बिहार में उद्योगों के बंद होने का मुख्य कारण अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति है; और

(घ) यदि हां, तो बिहार के उद्योगों के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आधुनिक रेल भंडार गृह

2548. श्रीमति सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदौर में आधुनिक रेल भंडार गृह के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). रेलवे ने लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर में एक नए माल-गोदाम शेड का निर्माण किया है, इसके अलावा, रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकोर) ने इंदौर में एक अन्तर्देशी कंटेनर डिपो (आई सी डी) की स्थापना की है जिसमें निर्यात और आयात कार्गो के भण्डारण और निर्गम तथा उसकी जांच करने हेतु एक वेयर हाऊस की व्यवस्था की गयी है।

रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

2549. श्री हरिभाई पटेल :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने "रेग्युलर" तथा "फ्लैग" रेलवे स्टेशनों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित मानदण्डों में संशोधन किया है जिससे स्टेशन के एक किलोमीटर के अंदर राज्य विद्युत बोर्डों से विद्युत उपलब्ध होती है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में ऐसे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू तथा आगामी वर्ष में विद्युतीकृत करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान 4 स्टेशनों अर्थात्, डोसवाडा, देवग्राम, वांकाबर सिटी और लूनीचर के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है और वर्ष 1996-97 के दौरान दो स्टेशनों अर्थात, गुरिजां और ओखामडी के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

भवन निर्माताओं द्वारा शोषण

2550. श्री महेश कनोडिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भवन निर्माताओं द्वारा किये जा रहे लोगों के शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भवन निर्माताओं के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से एक सक्षम निगरानी प्राधिकारी की नियुक्ति का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां। इस बारे में जनता द्वारा जैसे ही शिकायत दर्ज करवाई जाती है वैसे ही पुलिस प्राधिकारी, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता सहित कानून के संगत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करते हैं।

(ख) से (घ). एक विधेयक लाने के लिए व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसमें प्राइवेट बिल्डरों के पंजीकरण तथा प्रमोटरों और भावी खरीददारों के बीच हुई निबन्धन और शर्तों का पालन न करने पर दण्डात्मक उपायों का प्रावधान होगा।

इलेक्ट्रॉनिकी आयोग

2551. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिकी आयोग को पुनः सक्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण त: ; वन विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अनुदानों की मांग (1995-96) पर अपनी पच्चीसवीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इलेक्ट्रॉनिकी आयोग को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है।

[हिन्दी]

नेत्र प्रत्यारोपण

2552. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमति शीला गौतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बच्चों के मूल नेत्र प्रत्यारोपण के संबंध में पंजीकृत उच्च प्राथमिकता वाले केसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे विशेषतः डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से अब तक लाभान्वित हुए बच्चों की संख्या क्या है; और

(ग) बच्चों के संबंध में सभी उच्च प्राथमिकता वाले लम्बित मामले चालू वर्ष में कब तक निपटा लिये जायेंगे तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) सरकारी और निजी क्षेत्र में चल रहे विभिन्न अस्पतालों में उच्च प्राथमिकता वर्ग में पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जनवरी, 1992 से नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में 344 बच्चों का कार्निया प्रतिरोपण उपचार किया गया।

(ग) उच्च प्राथमिकता वाले लम्बित मामलों को निपटाने के लिए कोई निश्चित समय अनुसूची नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका उपचार नये कार्निया की उपलब्धता पर आधारित है।

[अनुवाद]

रक्त का विक्रय

2553. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विशेषकर ए. बी. नेगेटिव ग्रुप के रक्त की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गणेश शंकर विद्यार्थी, स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में ए. बी. नेगेटिव ग्रुप का रक्त 100 रु. प्रति बोतल और ओ नेगेटिव 800 रु. प्रति बोतल की दर से बिका है; और

(घ) रक्त की इस अवैध बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र

2554. डा. खुशीराम दुर्गोमल चेस्वाणी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने मलेरिया अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) क्या खेड़ा जिले के पीज गांव में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का दिल्ली में एक मलेरिया अनुसंधान केन्द्र है। इस केन्द्र के तीन स्थायी फील्ड स्टेशन और समेकित रोग वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन अस्थायी रूप से स्थापित फील्ड स्टेशन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	फील्ड स्टेशन का स्थान
1. उत्तर प्रदेश	हरिद्वार हल्दवानी (स्थायी) शंकरगढ़ शाहजहां पुर
2. गुजरात	नादियाड (स्थायी)
3. दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	दिल्ली
4. तमिलनाडु	मद्रास
5. मध्य प्रदेश	मांडला (स्थायी)
6. असम	सोनापुर
7. उड़ीसा	राउरकेला
8. गोवा	पंजिम
9. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्यक्षेत्र)	कार निकोबार
10. कर्नाटक	बंगलौर

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

2555. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री मंजय लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21.10.95 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्शन प्लान टू बूस्ट मेडिसिन होमियोपैथी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में जनसंख्या और प्रशिक्षित डाक्टरों का अनुपात क्या है तथा अमरीका और फ्रांस में यह अनुपात कितना है;

(घ) अधिक संख्या में आयुर्वेदिक एवं आई. एस. एम. कालेज को सुविधा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इन कोलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य तैयार किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) से (च). सरकार ने इस समाचार को देखा है जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया गया है। सरकार द्वारा आयुर्वेदिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति के और कालेज खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, जब कभी राज्य सरकारों के माध्यम से नए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तब उनकी संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियमों और विनियमों के आधार पर जांच की जाती है।

[अनुवाद]

रैकों की कमी

2556. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के रैकों की कमी के कारण कुमार-घाट-लुमडिंग-गुवाहाटी रेल लाइन पर इमारती लकड़ी जैसे माल को ढोने का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिविल सेवा परीक्षा

2557. **श्री अमर पाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के समान और अधिक अवसर देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग). जी, नहीं। वर्ष 1995 की सिविल सेवा परीक्षा से अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 31 वर्ष कर दी गई है तथा उन्हें परीक्षा में बैठने के 7 अवसर दिए गए हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इन्हें परीक्षा में बैठने के 4 अवसर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस

2558. **श्री अमर रावप्रधान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस के कोच खराब हालत में है; और

(ख) उन कोचों को बदलने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं। तीस्ता-तोरशा एक्सप्रेस के डिब्बों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित रख-रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। डिब्बों की स्थिति पर नजर रखी जाती हैं और किसी विशिष्ट शिकायत के मामले में, दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई सहित निवारक कार्रवाई की जाती है।

(ख) डिब्बों की आयु एवं स्थिति के आधार पर नाकारा किया जाता है और जो डिब्बे सुरक्षा अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं, उन्हें उपयोग में नहीं लिया जाता है।

जनसंख्या घड़ियां

2559. श्रीमती चन्द्र प्रभा असं : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अब तक कितनी जनसंख्या घड़िया निर्मित की गई हैं;

(ख) प्रत्येक जनसंख्या घड़ी की लागत कितनी है; और

(ग) देश में राज्य-वार अब तक कितनी जनसंख्या घड़ियां लगायी गई हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने परिवार कल्याण विभाग के लिए सात जनसंख्या घड़ियां निर्मित की हैं। इन घड़ियों की राज्यवार अवस्थिति और उनकी लागत नीचे दी गयी है :—

क्र.सं.	राज्य	अवस्थिति	लागत (लाख रु. में)
(1)	दिल्ली	अंतर्राज्यीय बस अड्डा	14.19
(2)	दिल्ली	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	14.14
(3)	दिल्ली	प्रगति मैदान (प.क.मंडप)	1.16
(4)	दिल्ली	निर्माण भवन	मानार्थ
(5)	चंडीगढ़	ट्रिब्यून कार्यालय	13.21
(6)	कर्नाटक	बैंगलोर बस स्टैंड	6.30
(7)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (सिविल हॉस्पिटल)	6.30

[हिन्दी]

रामपुरा बेरी में यात्री गाड़ी का स्टापेज बनाया जाना

2560. श्री राम सिंह कस्वां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के अन्तर्गत लोहारू-सादुपुर के बीच रामपुरा में लिंक एक्सप्रेस का स्टापेज बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). लिंक एक्सप्रेस को रामपुरा बेरी में ठहराव देने के प्रस्ताव की जांच की गई परन्तु यातायात की कमी के कारण इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

पेंशन

2561. प्रो. प्रेम धूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त पेंशन में एक बार वृद्धि में व्याप्त विसंगतियों के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न श्रेणियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अभी भी कई श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिक इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उनकी समस्याओं का किस प्रकार से सामधान करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). 1-1-1986 से पूर्व के रक्षा पेशन भोगियों की पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना सरकार ने 16-3-1992 को मंजूर की थी। सरकार के पास इस योजना में कतिपय विसंगतियां होने के बारे में भूतपूर्व सैनिकों और उनकी एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इन विसंगतियों और छूट गई कुछ श्रेणियों के दावों की जांच करने के लिए सरकार ने 9-7-1992 को एक अंतर-मंत्रालयीन अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। इस अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर पेंशनभोगियों की नौ अतिरिक्त श्रेणियों को भी पेंशन में एक बार भी वृद्धि मंजूर कर दी गई है। तथापि, समिति ने पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों, रक्षा सुरक्षा कोर के पेंशनभोगियों, परिवार पेंशनभोगियों आदि जैसी कतिपय श्रेणियों के लिए एक बार की वृद्धि मंजूर किए जाने की सिफारिश नहीं की क्योंकि उनके संबंध में पेंशन में एक बार की वृद्धि मंजूर किए जाने के मानदंड पूरे नहीं हुए।

नये ग्रह की खोज

2562. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्केली (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खगोलशास्त्रियों ने "51 पेजासस" नामक तारे की कक्षा में परिक्रमा करने वाले एक उपग्रह के अस्तित्व की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो इस खोज पर भारतीय खगोल विज्ञान निकायों तथा वैज्ञानिकों द्वारा किस सीमा तक पुष्टि अथवा खंडन किया है;

(ग) क्या इस संबंध में तैयार किए गए आंकड़ों के संबंध में भारतीय खगोल विज्ञान निकायों ने अन्तर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, (संयुक्त राज्य अमेरीका) तथा हरवर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर द्वारा दी गई टिप्पणियों से 51 पिगासी के चारों ओर ग्रह के आस्तिव की पुष्टि होती है।

(ख) भारतीय खगोल-भौतिकी समुदाय इस बात से सहमत है कि नवम्बर 1995 में "नेचर" में प्रकाशित प्रेक्षण आंकड़े से यह स्पष्ट पता चलता है कि 51 पिगासी के चारों ओर वृहस्पति के समान उदयमान का एक ग्रह विद्यमान है।

(ग) और (घ). भारतीय खगोलज्ञों को अन्तर्राष्ट्रीय खगोल संघ (आई. ए. यू.) से 51 पिगासी के बारे में नियमित रूप से सूचना मिल रही है।

गांधी नगर को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ना

2563. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या प्रधान मंत्री 14 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 332 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी नगर को दिल्ली से जोड़ने संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त हो जाने की उम्मीद है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके 31.1.96 तक प्राप्त होने की संभावना है।

नमक व्यापार

2564. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री रामपाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री फूलचंद वर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक में आयोडीन मिलाये जाने की अनिवार्यता के कारण बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां देश में नमक के व्यापार पर कब्जा कर रही हैं तथा आयोडीन युक्त नमक बनाये जाने की अनिवार्यता के कारण इस उद्योग में लगे छोटे व्यापारी इस व्यवसाय को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं;

(ख) इस उद्योग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इस के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है;

(ग) इस सरकार ने छोटे व्यापारियों को वैकल्पिक व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में नमक उत्पादन में 9000 विनिर्माता और लगभग 1.75 लाख कामगार लगे है। चूंकि आयोडीन/सामान्य नमक के उत्पादन में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी संलिप्त नहीं है, अतः नमक विनिर्माताओं/कामगारों/व्यापारियों के बेरोजगार हो जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

मृत उपग्रह

2565. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवंबर, 1995 के "स्टेट्समैन" में "डेड सैटेलाइट्स पोज़ डेजर टु बिजिनेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए छोड़े जा रहे विश्व-व्यापी ज़ाल के उपग्रहों के अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबों से टकराने का खतरा है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष मलबों से संभावित खतरा मुख्य रूप में कार्यशील अन्तरिक्ष प्रणालियों और मलबे के बीच टकराहट के संभावित जोखिम के कारण होता है। अन्तरिक्ष मलबों की समस्या को हल करने के लिए जिन उपायों की जरूरत है, वे कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हैं। बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र की समिति में भारत इस विषय पर सक्रिय रूप में जोर देता रहा है।

(ग) और (घ). इस बारे में प्रकाशित समाचार एक विदेशी एजेंसी द्वारा स्थापित की जा रही उपग्रह प्रणाली से संबंध रखता है। उपग्रह प्रणाली की सुरक्षा के लिए उपचारात्मक उपाय उन्हें ही करने होंगे।

आमान परिवर्तन

2566. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नुआपद-गुनुपुर तथा रूपसा-बांगरीपोसी लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य को शुरू करने में हो रहे अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) इन लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). रूपसा-बांगरीपोसी आमान परिवर्तन परियोजना का कार्य 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है और अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। ये, स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य शुरू किया जाएगा। नौपाडा-गुनुपुर आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है और रिपोर्ट के 31.1.96 तक प्राप्त होने की आशा है। इस परियोजना के बारे में आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर संभव होगा।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में जनगणना और समान्य स्थिति

2567. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस राज्यों में जनगणना की गई है;

(घ) यदि हां, तो पिछली दो जनगणनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक करा लिए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जम्मू व कश्मीर राज्य में सीमा पार से सक्रिय रूप से सहायता प्राप्त, उकसाऊ और भड़काऊ आतंकवादी हिंसा बड़े पैमाने पर होना जारी है। कश्मीर में उग्रवाद को नियंत्रित करने तथा शांति और सामान्य स्थिति बहाली के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सतर्कता को बढ़ाना, आतंकवादियों के ऊपर सुरक्षा बलों द्वारा लगातार दबाव बनाए रखना तथा अभियान चलाना, आर्थिक और विकास की गतिविधियों को तेज करने के लिए कदम उठाना तथा युवकों के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना, स्थानीय प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाने, लोगों को इसके और करीब लाने और इसमें उनका विश्वास जगाने के लिए विशेष ध्यान देना और प्रयास करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अन्य उपाय जैसे कि निरूद्ध व्यक्तियों को रिहा करना इत्यादि, ताकि लोगों में तनाव कम हो, उनका मनोबल बढ़े, तथा राजनीतिक बलों और ताकतों को राज्य में उपनी गतिविधियां को तेज करने के लिए प्रेरित करना, शामिल हैं। इन सभी प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा सम्पूर्ण सुरक्षा स्थिति और माहौल में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, फिर भी पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी ग्रुपों द्वारा राज्य में हिंसा जारी रखने के प्रयास जारी हैं। सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रयासों को जोर-शोर से जारी रखा जाएगा तथा राज्य में यथाशीघ्र लोकतांत्रिक संस्थानों और शांति की बहाली के लिए कार्य करना जारी रखा जाएगा।

(ग) और (ङ). देश में जनगणना, 10 वर्षों में एक बार कराई जाती है। जम्मू और कश्मीर में पिछली बार जनगणना 1981 में की गई थी। वर्ष 1991 में राज्य में उस समय अशांत स्थिति होने के कारण जनगणना नहीं कराई जा सकी। तथापि, जनसंख्या प्रोजेक्शन (अक्तूबर, 1989) पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति द्वारा 1.3.1991 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर की निकाली गई जनसंख्या तथा वर्ष 1971 और 1981 में की गई जनगणना नीचे दी गई है। इसमें, पाकिस्तान और चीन द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जे में रखे हुए क्षेत्र की जनसंख्या शामिल नहीं हैं।

जम्मू व कश्मीर में कुल जनसंख्या

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
1971	4,616,632	2,458,315	2,158,317
1981	5,987,389	3,164,660	2,822,729
1991	7,718,700	4,014,100	3,704,600

[अनुवाद]

आवास विकास निगम द्वारा सहायक संस्थाओं की स्थापना

2568. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास निगम द्वारा दो सहायक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है जिनमें से एक आधारभूत संरचना के विकास तथा दूसरी विशेष रूप से भारत तथा विदेश में भवन-निर्माण के वित्तपोषण हेतु परामर्श सेवाएं उपलब्ध करने के लिए होगी;

(ख) यदि हां, तो इन दो सहायक संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) भवन निर्माण के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राज्यों को कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है; और

(घ) 1995-96 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार के अधीन "आवास विकास निगम" नामक कोई संगठन नहीं है। तथापि, "आवास और शहरी विकास निगम (हडको) नामक एक आवास वित्तीय निगम है, लेकिन इस कम्पनी को अनुषंगी कम्पनी बनाने का सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) हडको लोगों को सीधे वित्तीय सहायता नहीं देता। वित्तीय सहायता, राज्य आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सहकारी समितियों, सुधार न्यासों, गैर सरकारी संगठनों आदि को दी जाती है। हडको ने अपनी स्थापना से 31.10.1995 तक, विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के लिए 7235.65 करोड़ रुपये के ऋण सहित 10051 स्कीम स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर, 58,02,738 रिहायशी मकानों का निर्माण/सुधार और 3,42,233 भूखण्डों का विकास हो सकेगा। इसमें से 1247.49 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 1663 स्कीमें 29,44,883 मकानों के निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं।

(घ) हडको के वार्षिक ऋण नियतन के अनुसार, विभिन्न आवास परियोजनाओं हेतु 1995-96 में कर्ज मंजूरी के लिए 1185 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमान

2569. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के लड़ाकू विमान को नैवल प्रोटोटाइप की तरह विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). नौसेना की आवश्यकताओं पर विचार करने तथा हल्के युद्धक वायुयान को नौसना के अनुरूप बनाने के लिए डिजाइन रूपांतर और समुचित प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए परियोजना निश्चयन चरण का अध्ययन कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके 1996 के अंत तक पूरा होने की आशा है। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर, हल्के युद्धक वायुयान के अनुरूप नौसेना के वायुयान का विस्तृत डिजाइन और विकास किया जाएगा।

(ग) हल्के युद्धक वायुयान के नौसेना परिवर्तक के विकास पर कितना व्यय आएगा इसका अनुमान परियोजना निश्चयन चरण अध्ययन से लग सकेगा।

"एस्कान" प्रणाली

2570. श्री रामपाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में "एस्कान" प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को पहले किस क्षेत्र में शुरू करने का विचार है;

(ग) क्या यह प्रणाली पूर्णतः स्वचालित और स्वदेशी है;

(घ) इस प्रणाली को विकसित करने में कितना समय लगा; और

(ङ) इसके विकास पर कुल कितना खर्च किया गया?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ.) आर्मी स्टेटिक स्विचड कम्यूनिकेशन नेटवर्क (एस्कान) प्रणाली सेना में शुरू कर दी गई है। इसमें उत्तर और पश्चिम क्षेत्र आते हैं। यह प्रणाली पूर्णतः स्वचालित है तथा इसे अपने ही देश में विकसित किया गया है। इस प्रणाली को विकसित करने में लगभग चार वर्ष का समय लगा। इस प्रणाली पर कुल लगभग 121 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

[अनुवाद]

भूकम्पमापी वेधशालाएं

2571. डा. वसंत पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1995 को स्थिति के अनुसार देश में कितनी भूकम्पमापी वेधशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ और वेधशालाओं के स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). भारत मौसम विज्ञान विभाग 37 वेधशालाओं के देशव्यापी नेटवर्क की देखरेख कर रहा है। इन वेधशालाओं का वितरण इस प्रकार है : आसाम-1, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह-1, आंध्रप्रदेश-1, बिहार-2, दिल्ली-1, गुजरात-1, गोवा-1, हिमाचल प्रदेश-1, पंजाब-1, जम्मू और कश्मीर- 2, केरल- 1, कर्नाटक-1, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपसमूह-1, महाराष्ट्र-6, मध्य प्रदेश-2, मेघालय-2, मणिपुर-1, उड़ीसा-1, राजस्थान-1, त्रिपुरा-1, तमिलनाडु-2, उत्तर प्रदेश-5, पश्चिम बंगाल-1। इनके अलावा, भारत मौसम विज्ञान द्वारा अन्य

एजेंसियों के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत 16 वेधशालाएं चलायी जा रही है।

हिमालय भूकंपनीय परियोजना के तहत 35 भूकंपी यूनिटें कार्यशील हैं। उनका वितरण इस प्रकार है : हिमाचल प्रदेश में (9 यूनिटें), उत्तर प्रदेश में (19 यूनिटें), दिल्ली में (3 यूनिटें), आसाम में (3 यूनिटें), और मणिपुर में (1 यूनिट)। तीव्र गतिमापक संरेखों को, जिनमें 163 यूनिटें है, कांगड़ा पिथौरागढ़ और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

इनके अलावा, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नदी - घाटी परियोजना प्राधिकरणों एंव शैक्षणिक संस्थानों जैसे अन्य संगठनों द्वारा भी और वेधशालाएं पोषित है।

(ग) तथा (घ). भारत मौसम विज्ञान विभाग की चालू योजना अवधि में राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में एक वेधशाला तथा दिल्ली क्षेत्र में एक दूरमापी गुच्छ स्थापित करने की योजना है। दिल्ली क्षेत्र में भी तीव्र गति संरेख स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हिमालयी भूकंपनीय परियोजना के तहत, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) और पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में दूरमापी संरेखों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रक्रियागत हैं। विश्वबैंक से सहायता प्राप्त प्रायद्वीपीय शील्ड भूकंपनीयता परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई है :

(i) भारत मौसम विज्ञान की 20 मौजूदा वेधशालाओं का आधुनिकीकरण (ii) 10 नई अंकीय वेधशालाओं को खोलना (iii) कोयना-वारना (महाराष्ट्र) लातूर (महाराष्ट्र) और खण्डवा (मध्य प्रदेश) में थ्री मल्टी-एलीमेंट टेलीमीटर्ड कलस्टरों की स्थापना करना (iv) 20 मोबाइल भूकंपी मापी यंत्रों की वृद्धि (v) मुक्त-क्षेत्रों और सरंचनात्मक अध्ययनों के लिए तीव्र गति यंत्रों की स्थापना।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग

2572. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की कोई सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कितने औद्योगिक एककों को सरकारी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) निजी क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से उद्योग स्वीकृत किए गए?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जैवप्रौद्योगिकी उद्योगों की सूची तैयार की गई है। सरकार द्वारा प्रायोजित 5 संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं हैं जिनमें औद्योगिक भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके लिए उपयुक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) निजी क्षेत्र में बायोटेक उद्योगों की रिकार्ड की गई संख्या 91 है; इनमें पादप ऊतक संवर्धन, जैवउर्वरक, नैदानिक, टीके, जैवक्रियक अणु, प्रतिजैविकी, एंजाइम, विटामिन, खाद्य तथा चारा संरूपण उद्योग शामिल हैं।

[अनुवाद]

डाक्टरों की राष्ट्रीय निदेशिका

2573. श्री मोहन रावले :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया का विचार डाक्टरों की एक राष्ट्रीय निदेशिका प्रकाशित करने का है जिसमें उनकी फीस तथा सेवा शुल्क उल्लिखित हो ताकि मरीज ऐसे चिकित्सक चुन सकें जिनसे वे इलाज करा सकने में सक्षम हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ने सरकार को डाक्टरों द्वारा मरीजों से लिये जाने वाले परामर्श शुल्क पहले बताने तथा इलाज का रिकार्ड रखने संबंधी कुल सिफारिशें स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ङ). अधीनस्थ विधायी समिति ने इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें इस मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

रानीखेत एक्सप्रैस

2574. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाऊं क्षेत्र के लोगों द्वारा दिल्ली-काठगोदाम-रानीखेत एकसप्रैस के फेरों की बारंबारता में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ). 5013/5014 दिल्ली काठगोदाम रानीखेत पहले से ही प्रतिदिन चल रही है।

एम.आर.टी.पी.सी.

2575. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.आर.टी.पी.सी. द्वारा कुछ शैक्षिक तथा तकनीकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विरूद्ध कोई जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). उन प्रतिवादियों के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जिनके विरूद्ध वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 (31.10.1995 तक) के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अन्वेषण/जांच आरंभ की गई है, संलग्न है। प्रत्येक ऐसे मामले के बारे में अन्वेषण/जांच की प्रकृति, जो विभिन्न चरणों में है, को विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है और इससे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, भारतीय दंड संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। जांचों का निपटान करने में लगने वाला समय अभिवचनों की प्रकृति, जांच किए जाने वाले गवाहों की संख्या, दस्तावेजों को प्राप्त और प्रमाणित किए जाने आदि पर निर्भर करता है। अतः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अन्तर्गत आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगा।

विवरण

शैक्षिक/तकनीकी संस्थानों तथा माने गए विश्वविद्यालयों, जिनके विरूद्ध 1994 तथा 1995 (31.10.1995 तक) के दौरान अन्वेषण/जांचें संस्थित की गई थीं, के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	अन्वेषण/जांच की प्रकृति	प्रतिवादी का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	अवरोधक व्यापारिक प्रथा	गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल	जांच प्रगति पर है
2.	–यथोपरि–	गगन भारती स्कूल	–यथोपरि–
3.	–यथोपरि–	माउन्ट कार्मल स्कूल	–यथोपरि–
4.	–यथोपरि–	दि इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट, कलकत्ता	
5.	–यथोपरि–	कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, नई दिल्ली	रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	–यथोपरि–	सेंट फ्रांसिस जैवियर स्कूल	जांच प्रगति पर है।
7.	–यथोपरि–	दि मोर्कापोलो इन्स्टिट्यूट ऑफ मैरीन इलैक्ट्रोनिक, बंगलौर	जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला बंद कर दिया है
8.	–यथोपरि–	संजीवनी ऐजोकेशन सोसायटी, कोपरगांव	जांच प्रगति पर है
9.	–यथोपरि–	दि इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट, कलकत्ता	जांच रिपोर्ट विचाराधीन है

शैक्षिक/तकनीकी संस्थानों तथा माने गए विश्वविद्यालयों, जिनके विरूद्ध वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 (31.10.1995 तक) के दौरान अन्वेषण/जांचें संस्थित की गई थीं, के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	अन्वेषण/जांच की प्रकृति	प्रतिवादी का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	अनुचित व्यापार प्रथा	मैं. संजीवनी ऐजूकेशन सोसाइटी, कोपरगांव	जांच प्रगति पर है
2.	–यथोपरि–	दि मार्कोपोलो इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीन इलैक्ट्रोनिक, बंगलौर	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
3.	–यथोपरि–	एकैडमी ऑफ फिल्म एंड टी वी	बन्द है
4.	–यथोपरि–	मै. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलैक्ट्रो कम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर	जांच प्रगति पर है

1	2	3	4
5.	अनुचित व्यापार प्रथा	मै. इन्टरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टक्नोलोजी	जांच प्रगति पर है
6.	–यथोपरि–	संजय गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ हाइजिल एंड हैल्थ, लखनऊ	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
7.	–यथोपरि–	मै. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलैक्ट्रो कम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर.	जांच रिपोर्ट विचाराधीन है
8.	–यथोपरि–	मै. एच सी एल, गाजियाबाद	जांच प्रगति पर है
9.	–यथोपरि–	कौंसिल फार चाइल्ड वैलफेयर एंड रिसर्च, दिल्ली	–यथोपरि–
10.	–यथोपरि–	मै. सैंट मैरी स्कूल, नई दिल्ली	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
11.	–यथोपरि–	अभीनव एजुकेशन सोसायटी, न. दिल्ली	जांच प्रगति पर है
12.	–यथोपरि–	ऐपल इंडस्ट्रीज लि., बम्बई	बन्द है
13.	–यथोपरि–	मै. एन आई टी टी	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
14.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	जांच प्रगति पर है
15.	–यथोपरि–	मै. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी, नई दिल्ली	–यथोपरि–
16.	–यथोपरि–	मैथली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय दरभंगा, बिहार	जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
17.	–यथोपरि–	महिला ग्राम विद्यापीठ, वाराणसी	–यथोपरि–
18.	–यथोपरि–	वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	–यथोपरि–
19.	–यथोपरि–	इंडियन एजुकेशन कौंसिल ऑफ यू.पी., लखनऊ	–यथोपरि–
20.	–यथोपरि–	नेताजी सुभाष चन्द्र विश्वविद्यालय, अलीगढ़	–यथोपरि–
21.	–यथोपरि–	श्रीमती महादेवी वर्मा ओपन विश्वविद्यालय, मुगलसराय	–यथोपरि–
22.	–यथोपरि–	डी डी वी संस्कृत यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु	–यथोपरि–
23.	–यथोपरि–	भारतीय शिक्षा परिषद यू पी ओपन विश्वविद्यालय, लखनऊ	–यथोपरि–
24.	–यथोपरि–	आर्य विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जे एंड के)	–यथोपरि–
25.	–यथोपरि–	सैंट जोन्स यूनिवर्सिटी, केरल	–यथोपरि–
26.	–यथोपरि–	नेशनल यूनिवर्सिटी, नागपुर	–यथोपरि–
27.	–यथोपरि–	यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली	–यथोपरि–
28.	–यथोपरि–	वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली	–यथोपरि–
29.	–यथोपरि–	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय	–यथोपरि–
30.	–यथोपरि–	महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, उ.प्र.	–यथोपरि–
31.	–यथोपरि–	पाजा एरेटिक विश्वविद्यालय नागपुर	–यथोपरि–
32.	–यथोपरि–	उर्दू विश्वविद्यालय, भोपाल	–यथोपरि–
33.	–यथोपरि–	एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टी वी इंस्टिट्यूट	बन्द है
34.	–यथोपरि–	बोर्ड ऑफ इलैक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मैडिसन्स	बन्द है
35.	–यथोपरि–	प्रियदर्शिनी कालेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस	जांच प्रगति पर है,
36.	–यथोपरि–	मानवस्थली स्कूल	बन्द है
37.	–यथोपरि–	इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलोजी	बन्द है
38.	–यथोपरि–	इंटरनेशनल कोचिंग सैंटर	बन्द है
39.	–यथोपरि–	भारतीय शिक्षा परिषद	बन्द है
40.	–यथोपरि–	दि इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट	जांच रिपोर्ट विचाराधीन है
41.	–यथोपरि–	मै. इन्टरफेस, मद्रास	–यथोपरि–

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

2576. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री 30 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7903 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसी–सहरसा–फारबिसगंज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने संबंधी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक प्राप्त हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). मानसी–सहरसा–फारबिसगंज खंड के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट 31.3.96 तक प्राप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

मिरगी का इलाज

2577. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में मिरगी का इलाज करने के लिए कितने संस्थान कार्यरत हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मरीजों का इलाज किया गया; और

(ख) मिरगी के बारे में जागरूकता पैदा करने और मरीजों को परामर्श और उपचार सुविधा उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) मिरगी का सभी अस्पतालों में सामान्य चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा सकता है। मिरगी के उपचार किए गए रोगियों की संख्या के बारे में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं जिनसे ऐसे मामलों में कमी होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर स्थित अपने उन्नत सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र तथा "गंभीर मानसिक रूग्णता" संबंधी परियोजना पर राष्ट्रीय कार्य दल के जरिए मिरगी और इसके उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रोगियों को परामर्श देना और उनका उपचार करना जैसे कार्यक्रम शुरू किए थे।

लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम

2578. श्री चे. चोक्का राव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को विदेशी सहायता उपलब्ध कराने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस परियोजना में रेलवे भी भाग ले रही है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के. धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

रेल पासों का दुरुपयोग

2579. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स को इसकी सदस्यता और सम्मेलनों के लिए दी गई रेल रियायत के भारी दुरुपयोग के बारे में आल इंडिया न्यूजपेपर एम्पलायज फेडरेशन (ए आई एन ई एफ) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). रियायत उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्हें रियायत पाने वाले संगठनों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। इस मामले में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा जिस किसी को भी सदस्य के रूप में प्रमाणित किया गया है उसे रियायती किराए का भुगतान करने पर यात्रा करने की अनुमति दी गई है। रेलों के लिए रियायत पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच करना तथा उसकी सदाशयिता स्थापित करना व्यावहारिक रूप में कठिन है।

आरक्षण का लागू किया जाना

2580. श्री छेदी पासवान :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के उन सफल अभ्यर्थियों को जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त कर लेते हैं, 27 प्रतिशत आरक्षण की श्रेणी में शामिल न करने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ङ) संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए अर्हक मानकों में छूट देने संबंधी आदेशों/अनुदेशों को पूर्णतः लागू किया है। आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों, जिनकी सिफारिश आयोग द्वारा शिथिल मानकों का आश्रय लिए बिना की जाती है, का समायोजन अंतिम परिणाम की घोषणा के समय आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाता।

आमान परिवर्तन

2581. श्री पवन दीवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आमान परिवर्तन के कार्य के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कार्य को कब तक शुरू/पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). छत्तीसगढ़ क्षेत्र में केवल रायपुर-घमतारी-रजीम छोटी लाइन है। इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है और इसे 31.12.95 तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस परियोजना के बारे में आगे विचार करना संभव होगा।

सिगनल प्रणाली

2582. श्री के.मुरलीधरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में पालाकाड़ डिवीजन के वल्लीकुन्नु रेलवे स्टेशन पर सिगनल प्रणाली के न होने के कारण वल्लीकुन्नु के यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं। सिगनल व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कम्प्यूटर तथा सहायक प्रौद्योगिकी संस्थान

2583. प्रो. के.वी. थामस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल में राष्ट्रीय कम्प्यूटर तथा सहायक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में पद

2584. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत कुछ ऐसे पद शामिल हैं जिन्हें भर्ती और प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण नियमों/राष्ट्रपति के निर्देशों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस सूची की समीक्षा की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं। संरक्षा पदों को आरक्षण नियमों के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। पिछली समीक्षा 1994 में पूरी की गई थी।

[हिन्दी]

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 का उल्लंघन

2585. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के उल्लंघन के लिए दोषी पाई गई कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महान्यायवादी ने किसी शिकायत के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). 31.12.1992, 31.12.1993 तथा 31.12.94 को समाप्त वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 279 जांचों के बारे में या तो समाप्ति (सीज) और प्रतिविरत (डिजिस्ट) के आदेश पारित किये थे या प्रतिवादी पार्टियों से वचनबद्ध स्वीकार किये थे। 279 मामलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कोई भी मामला महान्यायवादी के पास नहीं भेजा है। आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है तथा उसके समक्ष पड़ी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां मानी जाती हैं। आयोग स्वयं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण

उन मामलों की सूची जिनमें 1992 से 1994 के दौरान समाप्ति (सीज) व प्रतिविरत (डिजिस्ट) का आदेश जारी किया गया

क्र. सं.	आर टी पी जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम
1	2	3
1.	28/91	राजस्थान परफ्यूमरी वर्क्स, जयपुर।
2.	225/86	मै. फोलन इंटरनेशनल, लिमिटेड कलकत्ता।
3.	225/88	इंडो आशिआ ग्लास कं. लि., कलकत्ता।
4.	80/89	एसके लि. बंगलौर।
5.	37/90	एक्सैल गैस सर्विस, बम्बई।
6.	45/86	पारले प्रोडक्ट्स लि., बम्बई।
7.	3/92	न्यू युनाईटेड आटोमोबाइल, नई दिल्ली तथा अन्य।
8.	71/90	एम ओ हसन कुथोस मार्का प्रा. लि. पांडिचेरी।
9.	72/89	रूकवुड स्कूल, नौएडा।
10.	549/87	मैसर्स इंडियन ब्लूम पाइप कं. लि., बम्बई तथा अन्य
11.	617/87	– यथोपरि –
12.	618/87	– यथोपरि –
13.	619/87	– यथोपरि –
14.	1291/87	– यथोपरि –
15.	1292/87	– यथोपरि –
16.	1293/87	– यथोपरि –
17.	1294/87	– यथोपरि –
18.	1295/87	– यथोपरि –
19.	92/90	थरमैक्स लि., पुणे।
20.	145/88	बेयर (इंडिया) लि., बम्बई।
21.	128/90	टी ओ ए भिवाडी व अन्य
22.	55/86	कैपिटल इलैक्ट्रौनिक्स, कलकत्ता व अन्य
23.	1205/87	हिन्दुस्तान वैक्युम ग्लास, लि., नई दिल्ली
24.	25/86	ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लि.
25.	269/88	इनकेन्स टी लि, कलकत्ता।
26.	36/91	अमर जीवन पब्लिक स्कूल, दिल्ली।
27.	38/90	मेगाबूट कम्प्यूटर लि., बम्बई।
28.	1659/87	लायल मशीन वर्क्स लि., कोयम्बतूर।
29.	32/85	सरायकेला ग्लास वर्क्स (प्रा.) लि., बिहार।
30.	78/90	ट्रान्स इंडिया मैडिकल प्रा. लि., बम्बई।
31.	131/85	फार्मेस्टीकल होलसेलर एसोसिएशन, बम्बई तथा अन्य
32.	24/92	फरीदाबाद काम्पलैक्स ट्रांस्पोर्टरर्स तथा ट्रक आपरेटर्स यूनियन, फरीदाबाद।
33.	37/83	दि कैमिस्ट एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, जयपूर।
34.	96/92	बाजा आटो लि., पुणे।
35.	31/91	राजस्थानी सम्मेलन, बम्बई।
36.	316/88	महाराष्ट्र स्कूटर लि., पुणे।
37.	43/92	डा. राधाकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली।
38.	6/93	उद्योग विहार इंड. एसोसिएशन, राजस्थान वर्क्स जनता ट्रक युनियन, राजस्थान।
39.	30/92	भगवानदीन गया प्रसाद, कानपुर।
40.	47/91	एस बी गैस, भोपाल।
41.	136/92	हंगासा गैस एजेंसी।
42.	2/93	अरूण गैस एजेंसी।
43.	19/92	बायफोर्ड लीजिंग लि., नई दिल्ली।
44.	2/91	मोहन इनवेस्टमेंट एंड प्रोपर्टीज लि.।

1	2	3
45.	347/88	पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि., बम्बई।
46.	78/84	प्रीमियर टायर्स लि. तथा अन्य।
47.	91/85	दि कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, बम्बई।
48.	62/92	ए पी एजेंसी, बड़ौदा।
49.	31/93	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कलकत्ता।
50.	135/89	बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट ऑफ इंडिया।
51.	5/91	सिपानी आटोमोबाइल लि., बंगलौर।
52.	40/92	कानपुर गैस एंड एलाइड एजेंसीज, कानपुर।
53.	101/92	लंगकुई गैस एजेंसी, शिलांग।
54.	103/90	ट्रक आपरेटर यूनियन, पानीपत।
55.	101/90	– यथोपरि –
56.	97/90	तराई मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट कं. तथा अन्य
57.	24/93	ममता गैस एजेंसी, कानपुर।
58.	14/93	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली।
59.	131/89	जूनियर एंड टिनी टाट्स स्कूल, नई दिल्ली।
60.	30/91	दि मद्रास ज्वैलर्स एंड डामेंड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, मद्रास।
61.	79/90	मैसर्स ऑल इंडिया साफ्ट ड्रिंक मैन्यूफैक्चिरिंग एसोसिएशन बनाम जिनियन बौटलर्स प्रा. लि., मद्रास तथा 7 अन्य
62.	144/92	माया गैस सर्विस, गुवाहाटी।
63.	38/93	मैसर्स तृप्ति गैस सर्विस, गौरे गांव।
64.	361/88	किर्लोस्कर आयल इंजिन लि., पुणे।
65.	307/88	नेफा डाटा टेक. लि., कलकत्ता।
66.	272/88	नेफा डाटा टेक. लि., कलकत्ता।
67.	61/89	मैसर्स एल एम एल, कानपुर।
68.	121/88	बेयर (इंडिया) लि., बम्बई।
69.	69/92	मैसर्स श्री गरू कृपा गैस एजेंसी, बड़ौदा।
70.	56/92	मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स, लि., बंगलौर।
71.	122/86	मैसर्स वोल्टास लि., बम्बई।
72.	202/86	– यथोपरि –
73.	121/86	– यथोपरि –
74.	200/86	– यथोपरि –
75.	125/86	– यथोपरि –
76.	126/86	– यथोपरि –
77.	130/86	– यथोपरि –
78.	131/86	– यथोपरि –
79.	134/86	– यथोपरि –
80.	197/86	– यथोपरि –
81.	198/86	– यथोपरि –
82.	199/86	– यथोपरि –
83.	483/86	– यथोपरि –
84.	554/86	– यथोपरि –
85.	637/86	– यथोपरि –
86.	459/88	मैसर्स बैंड बाक्स प्रा. लि., नई दिल्ली।
87.	458/88	स्नोवाइट ड्राइक्लीनर्स, नई दिल्ली।
88.	130/90	मैसर्स एलोरा आर्ट इंडस्ट्रीज, बम्बई।
89.	50/89	सिरमुर ट्रक आपरेटर्स, यूनियन।
90.	6/94	ब्लू स्टार लि., नई दिल्ली।
91.	1/87	भीलवाड़ा डिस्ट्रीक्ट ट्रक ट्रांसपोर्ट, यूनियन।
92.	51/92	लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस, राजस्थान।
93.	93/90	दि एसोसिएशन ऑफ डैन्टल, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ इंडिया, बम्बई।
94.	100/90	ट्रक आपरेटर यूनियन, हरियाणा।
95.	44/89	राज सुधा टावर्स प्रा. लि., नई दिल्ली।
96.	99/92	अरविन्द गैस सर्विस, रोहतक।
97.	132/84	मैसर्स ट्यूटीकोरिन अल्काली कैमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि.
98.	103/89	1. विद्या निकेतन प्राइमरी स्कूल, बंगलौर। 2. कस्तूरबा एजूकेशन ट्रस्ट, बंगलौर।
99.	57/93	1. आनन्द कन्स्ट्रक्शन (दिल्ली) प्रा. लि., नई दिल्ली। 2. दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली
100.	48/93	संदेश गैस सप्लायर्स, पुणे। (भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स)
101.	490/87	मैसर्स ओलकिलेन प्लांट्स, एंड इक्युपमेंट लि., बम्बई।
102.	45/92	मैसर्स गायत्री गैस सर्विस, हमीरपुर।
103.	65/92	मैसर्स तनुश्री गैस सर्विस, दिल्ली।
104.	22/92	कमलेश गैस एजेंसी, मध्य प्रदेश।
105.	108/92	शीला गैस एजेंसी, लखनऊ।
106.	98/92	नानक डेयरी प्लांट, दिल्ली।

1	2	3
107.	400/88	जैन प्रोपर्ट्रीज प्रा. लि.
108.	98/90	करनाल ट्रक आपरेटर यूनियन, करनाल।
109.	53/91	गंगाधरन एपलायनसिस, मद्रास।
110.	46/92	गुप्ता सलूजा एंड कं., कानपुर।
111.	16/93	मैसर्स यूनबीम इंड. लि., दिल्ली।
112.	1594/87	कालमा इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
113.	140/92	अनुभव गैस एजेंसी, दिल्ली।
114.	90/92	मैसर्स यूनाइटेड गैस एजेंसी, अहमदनगर।
115.	49/92	मैसर्स और टी कराचीवाला, महाराष्ट्र।
116.	37/93	मैसर्स मेहर कैपीटर्स प्रा. लि., बंगलौर।
117.	49/89	राजेन्द्र प्रापर्ट्रीज प्रा. लि., नई दिल्ली।
118.	51/92	लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस, सिक्किम।
119.	44/89	राज सुधा टावर प्रा. लि., नई दिल्ली।
120.	38/94	शादी राम बाल मुकुन्द सहारनपुर।
121.	48/93	मैसर्स संदेश गैस सप्लायर्स, पुणे।

उन मामलों की सूची अनुचित व्यापार प्रथाओं के मामले जिसमें 1992 से 1994 के दौरान समाप्ति (डिजिरन्ट) की आदेश जारी किया गया।

क्र. सं.	अनुचित व्यापार प्रथा जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम
.1	2	3
1.	487/87	डीनर्स क्लब इंडिया प्रा. लि., बम्बई
2.	60/89	मै. लक्ष्मी वर्षा कं. (रजि.) एन.डी.
3.	274/80	मै. म्यूरियलस्टेट्स प्रा. लि., चंडीगढ़
4.	65/90	मै. जी.एल.एच. कं. (प्रा.) लि., दिल्ली
5.	325/87	क्रेटीव इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली
6.	132/89	टी वी एस सुजुकी लि.
7.	151/90	बंगलौर कामर्सियल एसोसिएसन, बंगलौर
8.	156/89	दा इंडिया इन्सटीट्यूट आफ सचिको, रांची
9.	178/80	मै. नेशनल रेडियो इलैक्ट्रोनिक्स कं. लि., बम्बई
10.	4/91	बोवल फेशन हाउस, नई दिल्ली
11.	173/90	– यथोपरि –
12.	120/90	चौगुले इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
13.	11/92	राज ट्रेवल्स एंड टूयर लि.
14.	60/90	केटीव इलैक्ट्रोनिक्स एंड चावला इलैक्ट्रोनिक्स
15.	136/89	मै. प्रीमियर कास्टींग इन्जिनियरिंग वर्क्स
16.	84/80	मै. इन्डस्ट्रीयल एंड रिसर्च इंन्स्टीट्यूट प्रा. लि.
17.	64/91	वरयिट इल्क्ट्रोनिक्स (आई) प्रा.लि. एन. डी.
18.	13/91	थापर एग्रो मिल्स लि., नई दिल्ली
19.	379/89	द इंडियन फोटोग्राफी कं. लि., बम्बई
20.	355/88	मै. मंगलदीप, मैसूर
21.	168/91	मै. कैपिटल वील्डर्स, दिल्ली
22.	76/90	अमर जवान ब्रिलिक स्कूल, दिल्ली
23.	428/88	इंडस्ट्रीयल सेल्स, मद्रास
24.	90/90	फस्ट मारूति लिजिंग लि., नई दिल्ली
25	89/90	जी आर फोटोमेक्स प्रा. लि.
26.	16/92	अश्वमेघ फोटो लि., पुणे
27.	42/92	मै. सरवानी कारनर (रजि.), अनाकपा
28.	12/89	इमरल् मुल्टी परपोज स्कीम, नगरकोल–629003 (टी एन)
29.	155/91	त्रिभोवन्दा भीमजी, जावेरी, बम्बई
30.	382/87	कृष्णा इन्टरप्राइजेज, बड़ोदरा
31.	383/87	भाग्यलक्ष्मी सैप्टीक योजना, बड़ोदरा
32.	384/87	पद्मवाटीक गिफ्ट योजना, बड़ोदरा
33.	385/87	भाग्योदय सैप्टीक योजना, बड़ोदरा
34.	346/87	आनर्स फार्म एंड अर्बन रेहाविलीसन कं. (प्रा.) लि., त्रिवेन्द्रम
35.	89/86	सुपर कम्प्यूटर प्रा. लि., नई दिल्ली
36.	289/87	डालमिया डेरी इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
37.	43/91	1. मै. मोहनी कीन्टवार इन्डस्ट्रीज एरो, लुधियाना 2. मै. मोहीनी कीन्टवार, जनपथ, नई दिल्ली
38.	47/91	मै. नलीनी सीरीज, नई दिल्ली
39.	46/91	मै. गुप्ताजी टेक्सटाइल्स फायर, दिल्ली
40.	45/91	मै. मयूर जी–5, नई दिल्ली
41.	53/91	मै. इकोनोमी सेल्स, नई दिल्ली

1	2	3
42.	51/91	मै. गोल्डन आर्च, नई दिल्ली
43.	56/91	मै. ग्लैमर सूज, नई दिल्ली
44.	111/91	श्री जी.सी. बंसल, गुजरात
45.	61/91	मै. चाइल्ड सोपे, नई दिल्ली
46.	74/91	मै. मैसी स्टोर, नई दिल्ली
47.	27/92	कुफरी होटल्स लि., शिमला
48.	87/90	हिन्दबाच कं., नई दिल्ली
49.	88/89	साउथ दिल्ली पब्लिक कालेज, नई दिल्ली
50.	51/91	सागर इलैक्ट्रोनिक्स, रांची
51.	74/92	स्पिक इन्टर नेशनल, मद्रास
52.	101/90	मैटल फैबरिक्स (आई) (प्रा.) लि., लुधियाना
53.	167/90	शिलाल इलैक्ट्रीकल्स एंड मैकेनिकल कं., अम्बाला
54.	45/92	वैद्यनाथ आर्युवेद भवन लि.
55.	144/91	डा. वालमेन्स होमियोपैथिक लेबोट्री प्रा. लि., दिल्ली
56.	165/91	सैन्टर फोर इम्फोरमेशन टेक्नोलोजी एंड साफ्टवेयर लिजिंग, नई दिल्ली
57.	145/90	सूर्या कोकोनट आयल इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता
58.	222/86	मैं. मर्फी इंडिया लि.
59.	163/91	1. सुरेन्द्र कुमार सेठी, दिल्ली 2. कैपिटल प्रमोटर्स (पी.) लि., नई दिल्ली
60.	175/92	डूपोन्ट स्पोटर्स सेयर लि.
61.	120/90	मै. एस वी इण्डेन गैस, भोपाल
62.	160/91	मै. गंगा आटोमेबाइल्स लि., नई दिल्ली
63.	29/89	मै. सीमेंट कार्प्रेशन, गुजरात
64.	36/91	मै. न्यू यूनाइटेड आटोमोबाइल्स
65.	62/91	मै. गार्डन ब्रेली होटल, नई दिल्ली
66.	74/91	मै. मैसी स्टोर्स, नई दिल्ली
67.	78/91	मै. हार्ट ब्राव, नई दिल्ली
68.	35/91	मै. स्नोह्वाइट, नई दिल्ली
69.	106/91	क्वायर कुशंन्स प्रा. लि., गाजियाबाद
70.	23/88	मै. बोल्टाज लि., बम्बई
71.	27/91	मै. फेयर इम्पोटर्स एंड एक्सपोर्ट, कोचीन
72.	31/87	मै. हिन्दुस्तान सीवा गेगी लि.

1	2	3
73.	242/87	मर्फी इंडिया लि., नई दिल्ली मै. गोल्डन रेडियोज ऐजन्सी, जबलपुर
74.	168/90	दी टी पी एल, नई दिल्ली
75.	158/86	मै. फूड स्पेशिलिटी इंडिया लि., कलकत्ता
76.	92/88	बेलटेक इंडिया लि., नई दिल्ली
77.	78/99	मै. श्री राजट्रैवल्स एन टूर्स प्रा. लि., बम्बई
78.	154/92	मै. ट्रान्सलेक्ट्रा डोमोस्टीक प्रोडक्ट्स लि., बम्बई
79.	161/92	गंगाधरन अपलाइन्सिस लि., मद्रास
80.	105/92	मै. जे वी जी फाइन, लि., नई दिल्ली
81.	50/92	मै. कीपफीट फूड्स प्रा. लि.
82.	120/89	मै. स्वर्ण फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेन्ट, बंगलौर
83.	217/86	जी आई सी इन्डस्ट्री लि., (बंबई)
84.	135/91	जैना प्रापर्टीज, नई दिल्ली
85.	146/91	कोलर इन्टरनेशनल लि., बंबई
86.	64/92	मैनेजमेंट टक्नोलाजीकल इन्सटीट्यूट, कलकत्ता
87.	121/97	मी-जेड इन्ट्यूमेन्ट्स (प्रा.) लि., बंबई
88.	268/88	मै. हसमुखराम लि., बंबई
89.	161/90	द इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, उड़ीसा
90.	158/92	जे सी इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली
91.	143/92	संसक्रूट कम्फोर्ट सिस्ट्म्स प्रा. लि., अहमदाबाद
92.	69/91	प्रीन्स गुटका (आई) लि., नौएडा
93.	68/92	मै. सिवहसन एंड कं., मद्रास
94.	384/88	मै. नेशनल सेन्टर फार कम्प्यूटिंग टेकनीक्यू
95.	6/92	मै. ओलम्पिया सर्वीस सेन्टर्स, नई दिल्ली
96.	144/91	मै. मोनबीन इन्डस्ट्रीज लि., दिल्ली
97.	48/92	मै. सुपर केन टेलीविजन विडीयो सर्वीस
98.	7/92	मै. सीलिकोन एकादमी, दिल्ली
99.	139/92	मै. त्रिवेनी आयल इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
100.	167/91	श्रीमती अमरजीत कौर, उषा इलेक्ट्रोनिक, दिल्ली
101.	115/92	मैं. एलेक्सकोन इक्सटेन्सन लि., बम्बई
102.	398/87	मैं. एचयूडीए

1	2	3
103.	71/92	मै. के.पी. लैंड एंड फाइनेन्स कं.
104.	150/92	मैं. आईओएन इक्सचेन्ज (आई) लि., बम्बई
105.	171/92	मै. पीयोनीर, नई दिल्ली
106.	134/91	मै. निलॉन प्लास्टिक्स, बम्बई
107.	63/91	भारत वाच कम्पनी
108.	122/91	जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लि.
109.	137/91	मै. खैतान इंडिया लि., कलकत्ता
110.	95/92	मै. गान्धी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद
111.	91/92	मै. कैपीटल प्रोमोटर्स (प्रा.) लि.
112.	77/90	पेप्सी फुड प्रा. लि., चण्डीगढ़
113.	16/91	एस.के. एग्रो इन्टरप्राइसेज, नई दिल्ली
114.	151/86	मै. दिल्ली बोटलिंग कं. प्रा. लि., नई दिल्ली
115.	157/86	मै. हरियाणा ड्रिंक कं. (प्रा.) लि., रोहतक
116.	69/92	मै. पी.सी.सी.आई, बम्बई
117.	111/88	मै. मेगाबेट कम्प्यूटर्स एकेदमी, बम्बई
118.	139/91	टाटा फाइनेन्स एंड लिजिंग लि.
119.	67/91	सेन्टर फार एडवान्सड रिसर्च इन एजूकेशन, त्रिवेन्द्रम
120.	179/92	विटासे ट्रेडिंग लि., बम्बई
121.	150/90	श्री अशोक अग्रवाल, बालाजी इन्टरप्राइसेज
122.	29/92	कोरीफाम (प्रा.) लि., कलकत्ता
123.	136/92	मिल्स इंडिया लि., बरोदा
124.	8/88	श्री स्याम सिंह, नई दिल्ली
125.	60/92	मै. ग्रीनलैंड डवलपर्स (प्रा.) लि.
126.	247/86	मै. वोल्टास लि., बम्बई एंड मै. स्याम इलेक्ट्रीकल स्टोर्स, कूची
127.	148/89	मै. न्यू उद्योग फार्मेसी एंड आयुर्वेदिक मेडीसिन्स, कोचीन
128.	20/94	मै. नाथ लैबोरेट्रीज प्रा. लि., हैदराबाद
129.	58/92	मै. तपोवन हाउसिंग फाइनेन्स लि., नई दिल्ली
130.	416/88	मै. आर.एस. कन्सलटैन्सी एंड इंजी., नई दिल्ली
131.	136/91	मै. केडवरी इंडिया लि., बम्बई
132.	101/91	मै. टी पी एल, नई दिल्ली
133.	102/91	मै. टी पी एल, नई दिल्ली
134.	194/91	मै. इंडियन इन्सटीटयूट आफ मनेजमेंट, आगरा
135.	44/87	मै. सिद्धार्थ ट्रवेल्स प्रा. लि., नई दिल्ली
136.	155/92	मै. केनेटिक इन्जी, लि., चंडीगढ़
137.	2/91	एजूकेशनल कन्सलटेन्ट, राजस्थान
138.	26/91	द क्लीनिक 2000., नई दिल्ली
139.	29/93	श्री शीसगिरी राव, काकीनाडा
140.	147/92	मै. हैटसन फुडस (प्रा.) लि., मद्रास
141.	125/91	श्री महिन्दर सिंह यादव
142.	14/90	मै. देविका इन्फारमेशन टेक्नोलोजी लि., नई दिल्ली
143.	221/86	मै. स्केयर्स इलेक्ट टेलीविजन, मद्रास एंड मै. कोरल इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., मद्रास
144.	15/89	मै. बेलटेक इलेक्ट्रोनिक्स लि., नई दिल्ली
145.	6/90	मै. करूक्षेत्र कालेज, नई दिल्ली
146.	97/90	किर्ती होमो फाम लि.
147.	21/92 22/92 23/92 24/92 25/92 26/92	टेक्नोलोजी पार्क लि., नई दिल्ली
148.	22/93	मै. मेवार टेक्सटाइल मिल्स लि.
149.	20/93	मै. जैनसन्स, वेस्ट इन्ड., नई दिल्ली
150.	60/92	मै. ग्रीनलैंड डवलपर्स प्रा. लि., बम्बई
151.	82/91	मै. अम्बिका ज्वेलर्स, मदुराई
152.	115/92	एलेक्सकोन इक्सटेन्सन लि., बम्बई
153.	20/94	–यथोपरि–
154.	9/94	मै. कुमारन स्टोर्स लि.
155.	10/94	–यथोपरि–
156.	87/91	सुख सागर क्लासेस, बम्बई
157.	455/87	मै. जी एच एम प्रोड्क्ट्स लि., मद्रास
158.	57/89	फयूसन प्लायमर्स लि., बड़ोदा

[अनुवाद]

रेलवे संरक्षा विषय पर संगोष्ठी

2586. डा. सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल और दूर संचार व्यवस्था द्वारा रेलगाड़ी संरक्षा विषय पर 3 मई, 1995 को दिल्ली में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) क्या उक्त संगोष्ठी में रेल विभाग के किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो संगोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गईं;

(घ) क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है :

(i) स्वचालित चेतावनी प्रणाली, सोलिड स्टेट इण्टरलॉकिंग, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेलपथ परिपथन, स्वचालित सिगनल आदि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग।

(ii) सिगनल और दूरसंचार कार्यों की अनुरक्षण अनुसूची तैयार की जाए।

(iii) कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण तथा दक्षता प्रदान करना।

(iv) बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा पहले ही योजनाबद्ध और उत्तरोत्तर रूप से कार्रवाई की जा रही थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि और विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट

2587. श्री राजवीर सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** 14 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1902 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल.एंड.डी.ओ. द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया गया है और दिशानिर्देशों के अनुरूप आरोप निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक सभा पटल पर रखा जाएगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार विकास मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के.धवन) : (क) और (ख). इस विषय से संबंधित दिशा-निर्देशों में बाद में संशोधन किया गया है। इन संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर पार्टियों से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और इस आधार पर प्रभारों की गणना की जायेगी। इस बारे में अपेक्षित जानकारी 3 महीने के भीतर सभापटल पर रख दी जाएगी।

अंटार्कटिका अभियान

2588. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंटार्कटिका अभियान दल के सदस्यों को अपने परिवार से लम्बे समय से दूर रहने के फलस्वरूप मानसिक तनाव को देखते हुए उनके ठहरने की अवधि को पंद्रह माह से घटाकर छः माह करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंटार्कटिका में आवास के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनके शव कब तक वहां रखे गए; और

(घ) अंटार्कटिका अभियान के दौरान मृतकों के निकटतम परिवारजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नवें अभियान के चार सदस्यों की अंटार्कटिक प्रवास के दौरान 8 जनवरी, 1990 को मृत्यु हो गई थी तथा उनके शव पांच सप्ताह तक अंटार्कटिका में रखे गये थे।

(घ) अंटार्कटिक अभियान के दौरान करने वालों के सगे संबंधियों को बीमा रकम के रूप में, प्रत्येक को, पांच लाख रुपये दिए गये।

रेल संपर्क

2589. श्री सुखेन्दु खां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शान्ति निकेतन (बोलपुर) को अब तक राष्ट्रीय राजधानी से नहीं जोड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी तथा यातायात का औचित्य न होने के कारण बोलपुर को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए सीधी गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में सरकारी आवास

2590. श्री ललित उरांव : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पटना और रांची में केन्द्रीय सरकार के टाइप एक, दो, तीन और चार के कितने क्वार्टर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसका कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) पटना व रांची (बिहार) में साधारण पूल के रिहायशी क्वार्टर नहीं हैं।

(ख) इन दो नगरों में साधारण पूल रिहायशी वास बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र

2591. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः गुजरात में कार्यरत जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सभी राज्यों में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की मौजूदा व्यवस्था अनुसंधान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की अवस्थिति
1.	सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलूर।
2.	एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा।
3.	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर।
4.	ग्रामीण व औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़।
5.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़।
6.	आर्थिक वृद्धि संस्थान, दिल्ली।
7.	जे.एस.एस. आर्थिक अनुसंधान संस्थान, धारवाड़।
8.	गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य व परिवार कल्याण न्यास, बिन्दीगुल अन्ना जिला, तमिलनाडु।
9.	गुवाहटी यूनिवर्सिटी, गुवाहटी।
10.	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
11.	पटना यूनिवर्सिटी, पटना।
12.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पोलिटीक्श एंड इकनोमिक्श, पुणे।
13.	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला।
14.	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर।
15.	यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, त्रिवंनतपुरम।
16.	मोहनलाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर।
17.	आंध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापटनम।
18.	अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।

चांदमारी क्षेत्र

2592. श्री चर्मीभिक्षम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित "रच्छकोंडा" चांदमारी क्षेत्र से गांवों को बचाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस योजना की इस समय क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). रजकोंडा (रच्छकोंडा) चांदमारी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के वास्ते भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

वितरकों के लिये दरें

2593. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवंबर, 1995 के बिजनेस स्टैन्डर्ड में, "प्राइस नो बार फॉर रेल भवन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे बोर्ड स्तर पर विभिन्न रेलपथ फिटिंग्स की खरीद दो वर्ष पहले यह बोध होने पर शुरू की गई थी कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा अदा की जा रही दरों में काफी कमी-बेशी थी और केन्द्रीकृत रूप से थोक खरीद करने पर मूल्यों में प्रतिस्पर्धा होगी और दरें कम होंगी। उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि लोचदार रेल क्लिपों और ग्रूवड रबड़ सोल प्लेटों की खरीद से रेलों को हानि हुई क्योंकि इन मदों के लिए उच्चतर मूल्य अदा किए गए थे। बहरहाल, तथ्य यह है कि रेलवे बोर्ड में विभिन्न स्तरों पर गहन संवीक्षा और बाजार मूल्यों के कड़े मूल्यांकन के कारण इन मदों की खरीद से काफी बचत हुई दरों को अंतिम रूप देते समय लोचदार रेल क्लिपों के अद्यतन मूल्य और ग्रूवड़ रबड़ सोल प्लेटों की खरीद के संबंध में रबड़ के गिरते हुए मूल्यों को ध्यान में रखा गया था।

(ग) उक्त रिपोर्ट की अंतर्वस्तु तथ्यों पर आधारित नहीं थी।

[हिन्दी]

इन्टरसिटी एक्सप्रेस

2594. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल तथा इंदौर के बीच चलने वाली इन्टरसिटी एक्सप्रेस इस रूट पर शुरू किये जाने के दिन से ही गंतव्य स्थल पर प्रतिदिन कई-कई घंटे विलंब से पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त गाड़ी को यथा समय चलाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). जी, नहीं। बहरहाल, यह गाड़ी आंदोलनों, बंदों, उपस्कर की खराबी, शरारती तत्वों की गतिविधियों आदि के कारण कभी-कभी विलंब से चलती है।

(ग) इस गाड़ी के समय पालन में और सुधार लाने के लिए कड़ी नजर और दैनिक निगरानी जा रही है।

[अनुवाद]

अस्पताल

2595. श्री अन्ना जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र की सहायता से महाराष्ट्र में पूर्णतः अत्याधुनिक अस्पतालों को खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पतालों को कहां-कहां खोला जाएगा; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक द्वारा यथासंभव धन प्रदान करने के लिए 670.39 करोड़ रुपये की लागत से एक जिला स्वास्थ्य पद्धति परियोजना प्रस्तुत की है। यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग को अग्रसारित कर दी गई है।

बोल्ट योजना

2596. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनाना, चलाना, पट्टे पर देना और हस्तांतरित करना (बोल्ट) योजना की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के क्रियान्वयन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, यह योजना, निर्माण स्वामित्व पट्टा हस्तान्तरण (बोल्ट) योजना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान संस्थाओं के लिए धनराशि

2597. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान मंत्रालय द्वारा किन-किन विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को धनराशि प्रदान की गई;

(ख) संस्था-वार और परियोजना-वार कितनी सहायता अनुदान दिया गया;

(ग) ऐसे अनुदान के क्या मानदंड है;

(घ) क्या सरकार ने अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए प्रक्रिया बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या धनराशि के दुरूपयोग अथवा अंतरण का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 46 करोड़ रुपये के परिव्यय की 472 नई परियोजनाओं को सहायता दी है जो देश भर में फैले 186 संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित है। विभाग परियोजनाओं की एक निर्देशिका समय-समय पर प्रकाशित करता है जिसमें प्रस्तावित सहायता-अनुदान और ये कहां-कहां चल रही है उसकी सूचना देते हुए नई परियोजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। वर्ष 1993-94 की इस प्रकार की सूचना पहले ही से उपलब्ध है।

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के मापदण्डों में वैज्ञानिकों/अन्वेषणकर्ताओं की क्षमता, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधायें, परियोजना तकनीकी रूप से कितनी मजबूत है तथा क्षेत्र में विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें शामिल हैं।

(घ) से (छ). अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की मानीटर करने के लिए और धन के प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए कुछ स्थापित प्रक्रियायें हैं। इनमें विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय-समय पर की गई पुनरीक्षा शामिल है जिनकी सलाह को आवश्यकता पड़ने पर मध्यावधि संशोधनों के लिए, इस्तेमाल किया जाता है।

पैदल पुल

2598. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर रेलवे स्टेशन पर स्थित पैदल पुल दो वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि से बंद कर दिया गया था तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुल की शीघ्र मरम्मत करने में रेलवे के सामने क्या समस्याएं हैं तथा उन समस्याओं के हल हेतु रेलवे द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). दादर में किसी ऊपरी पैदल पुल को बंद नहीं किया गया है। बहरहाल, ऊपरी पैदल पुल, जिसे बम्बई नगर निगम के लिए निक्षेप शर्तों पर निर्मित किया गया था, की पश्चिमी ओर की ढलान असुरक्षित हो गई है और इसे बंद कर दिया गया है। निक्षेप शर्तों पर ढलान की मरम्मत करवाने के लिए निगम से अनुरोध किया गया है। चूंकि एक सीढ़ी भी उपलब्ध है अतः तब तक यात्री इसका उपयोग कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल

2599. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ नागरिकों में रोष है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सुरक्षा बलों द्वारा अनुशासनहीनता या स्वेच्छाचारिता किए जाने के कुछ आरोप हैं। इनमें से अधिकांश बेबुनियाद और अभिप्रेरित पाए गए थे। कुछके मामलों, जिनमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे, में आरोपों पर उनके तर्क सम्मत निष्कर्ष तक कार्रवाई की गयी। सरकार की नीति इन आरोपों की तत्परता से जांच करने और जहां कहीं अपेक्षित हो कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की रही है।

भारतीय उद्योग को सुविधायें

2600. श्री के.एम. मैथ्यू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योग को विदेशी कंपनियों के साथ बराबरी के आधार पर कार्य करने के लिये प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विश्व बाजार में भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने और इस आशंका को दूर करने के लिये कि विदेशी कंपनियों भारतीय कंपनियों के बाजार के हिस्से को हड़प लेंगी, क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के उपरान्त भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ बराबरी के आधार पर कार्य करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। सरकार द्वारा किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पाद शुल्क में कमी, प्रतिकार शुल्क लगाना, जहां अपेक्षित हो, निगमित कर में कमी, कंपनी अधिनियम को संशोधित करने की कार्यवाही इत्यादि शामिल हैं।

(ख) नई औद्योगिकी नीति के अन्तर्गत अधिकतर उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, प्रक्रियात्मक सुधार किए गये हैं, और विभिन्न प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं ताकि भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और आर्थिक रूप से जीव्यक्षम बनाया जा सके।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष में राज्य स्तर के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी शमिल करना

2601. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय नवीकरण कोष में राज्य-स्तर के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी शमिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से किन उद्देश्य की पूर्ति हुई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित श्रमिकों को सुरक्षा दिलाने के लिये सरकार द्वारा फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर. एफ.) की स्थापना की गई थी। प्रथम चरण में केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि, अन्य बातों के साथ-साथ युक्तियुक्त श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति राशि और उनके लिये परामर्श सेवाओं, पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती संबंधी सहायता की परिकल्पना करते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि द्वारा प्रेषित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति देय राशि का लगभग 80.729 श्रमिकों ने लाभ उठाया है। विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों ने सर्वेक्षण के दौरान अब तक 27,900 श्रमिकों को सहायता सेवाओं के लिय चुना है जिनमें से 17.236 श्रमिकों को परामर्शदायी, पुनः प्रशिक्षण और पुनःतैनाती संबंधी सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

मधुमक्खी पालन उद्योग

2602. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मधुमक्खी पालन पर खर्च की गयी धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान धन-राशि का राज्य-वार आवंटन क्या है; और

(ग) लाभार्थियों की संख्या क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान मधु-मक्खी पालन उद्योग के संबंध में जो धनराशि खर्च की है, वह नीचे दी गयी है :

(रु लाख में)

वर्ष	अनुदान	ऋण	कुल
1991-92	23.66	43.48	67.14
1992-93	31.33	42.63	73.96
1993-94	19.90	54.62	74.52

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मधु-मक्खी-पालन उद्योग में 2.46 लाख मधु-मक्खी पालक प्रत्यक्ष रूप से अंशकालीन रोजगार में लिप्त हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान मधु-मक्खी पालन उद्योग के संबंध में राज्य-वार बजटीय आवंटन/विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1991-92			1992-93			1993-94		
		अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.76	2.78	3.54	0.02	0.77	0.79	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1.10	0.44	1.54	0.94	0.99	1.93	–	–	–
4.	बिहार	3.63	1.02	4.65	0.34	1.28	1.62	0.61	–	0.61
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	0.05	0.08	0.13	–	–	–
7.	हरियाणा	0.43	0.45	0.88	0.12	0.34	0.46	0.08	0.24	0.3
8.	हिमाचल प्रदेश	3.42	6.73	10.15	3.00	3.36	6.36	0.60	4.87	5.4
9.	जम्मू और कश्मीर	0.96	4.24	5.20	0.03	1.78	1.81	1.06	8.80	9.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	0.73	2.65	3.38	2.22	6.06	8.28	0.32	0.46	0.7
11.	केरल	0.52	7.57	8.09	5.17	9.94	15.11	0.42	6.35	6.7
12.	मध्य प्रदेश	0.24	0.08	0.38	–	0.10	0.10	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	1.31	2.18	3.49	6.15	4.65	10.80	1.06	–	1.0
14.	मणिपुर	0.54	0.14	0.68	0.44	0.10	0.54	3.33	5.98	9.3
15.	मेघालय	0.98	0.25	1.23	0.76	8.02	0.78	2.42	0.49	2.9
16.	मिजोरम	0.25	0.05	0.30	0.20	0.11	0.31	1.48	1.66	3.1
17.	नागालैण्ड	2.37	5.44	7.81	4.04	1.95	5.99	1.27	1.48	2.8
18.	उड़ीसा	2.25	2.65	4.90	5.14	8.11	13.25	3.57	4.91	8.5
19.	पंजाब	0.38	0.93	1.25	0.06	0.10	0.16	0.13	0.16	0.2
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	0.57	1.08	1.65
22.	तमिलनाडु	1.90	4.15	6.05	1.09	1.02	2.11	1.07	3.09	4.16
23.	त्रिपुरा	0.52	–	0.52	–	–	–	0.47	0.37	0.84
24.	उत्तर प्रदेश	–	0.72	0.72	1.18	1.13	2.31	1.34	13.08	14.42
25.	पश्चिम बंगाल	1.43	1.01	2.44	0.38	0.74	1.12	0.16	1.60	1.76
	योग	23.66	43.48	67.14	31.33	42.63	73.96	19.90	54.62	74.52

उपग्रह सर्वेक्षण

2603. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के बाढ़ और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का कोई उपग्रह सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1993 और 1995 के दौरान महाराष्ट्र के लिए सूखे का आंकलन और मानीटरन के लिए उपग्रह आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों के लिए जिला स्तर पर मौसमी फसलों/वनस्पति की स्थितियों का ब्यौरा देते हुए मासिक रिपोर्टें जारी की गयी थी। इन मासिक रिपोर्टों में वनस्पति स्थिति को दर्शाने वाले उपग्रह चित्र भी शामिल हैं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र के 14 जिलों के भागों, जिनमें से अधिकांश सुखाग्रस्त हैं, में उपग्रह आंकड़ों पर आधारित समाकलित अध्ययन किए जा रहे हैं। इन अध्ययनों के अंतर्गत, मौसम विज्ञानीय, अन्य पारंपरिक और समाजार्थिक आंकड़ों के साथ-साथ उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए विविध थिमेटिक मानचित्रों (अर्थात् भूमि-उपयोग/भू-आवरण; भूमि-जल की संभावना, मृदा की किस्म इत्यादि) के समाकलित विश्लेषण के माध्यम से चुने हुए जल-विभाजकों/ब्लाकों के लिए ग्राम स्तर पर स्थान विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन स्थान-विशिष्ट कार्य योजनाओं में कृषि वानिकी, कृषि बागवानी, कृषि, जल-कृषि, मृदा संरक्षण, वनारोपण, चारा और ईंधन की लकड़ी के विकास इत्यादि के लिए स्थलों/उपायों को आवृत किया गया है। इन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के दीर्घकालीन आधार पर इन क्षेत्रों में सूखे को दूर करने में सहायता मिलेगी।

प्रमुख बाढ़ों के आने पर, बाढ़ के जलाक्रान्त क्षेत्रों के मानचित्र और क्षति के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है तथा क्षति से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ इन मानचित्रों को संबंधित राज्य और केन्द्र सरकार की एजेन्सियों को भेजा जाता है।

महाराष्ट्र में सुदूर संवेदन आधारित सर्वेक्षण क्रियाकलापों का समन्वय (1) नागपुर में स्थित महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (योजना विभाग, महाराष्ट्र सरकार) और (2) अन्तरिक्ष विभाग का प्रादेशिक सुदूर सवंदेन सेवा केन्द्र, नागपुर के साथ-साथ अंतरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी, हैदराबाद और इसरो/अन्तरिक्ष विभाग का अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है।

मेडिकल कालेज

2604. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न मेडिकल कालेजों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में केन्द्रीय सरकार का प्रवेश सम्बन्धी कोटा है;

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों के नाम क्या हैं तथा कालेज-वार इनमें कितनी-कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ग) इन सीटों में प्रवेश पात्रता संबंधी मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इन सीटों के भरे जाने के संबंध में कुप्रबंधन तथा अनियमिताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). वर्तमान वर्ष 1995-96 के दौरान भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में कालेजवार एम.बी.बी.एस. सीटें नीचे दी गई हैं :

क्र.सं.	कालेज का नाम	एम.बी.बी.एस. सीटों की सं.
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	के.जी.मेडिकल कालेज, लखनऊ	03
2.	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर	03
3.	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा	03
4.	एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज, मेरठ	03
5.	एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	03
6.	बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर	03
7.	एम.एल.बी. मेडिकल कालेज, झांसी	03
मध्य प्रदेश		
8.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	07
9.	जी.आर. मेडिकल कालेज, ग्वालियर	06
10.	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इंदौर	03
11.	मेडिकल कालेज, जबलपुर	08
12.	जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, रायपुर	03
13.	एस.एस. मेडिकल कालेज, रीवा	03
बिहार		
14.	पटना मेडिकल कालेज, पटना	05
15.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	05
16.	दरभंगा मेडिकल कालेज, लहरिया सराय	05
17.	जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, भागलपुर	04
18.	नालंदा मेडिकल कालेज, पटना	04
19.	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	02
20.	एस.के. मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर	04
21.	ए.एन. मगध मेडिकल कालेज, गया	04
22.	पाटिलोपुत्र मेडिकल कालेज, दौंड	02

(ग) संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध श्रेणियां इन सीटों के लिए पात्र है और इनका संलग्न विवरण-II में दिए गए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन किया जाना होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार को आरक्षित सीटों के पात्र छात्रों की श्रेणियां तथा संबंधित प्राधिकारी

श्रेणी	प्राधिकारी जिसे आवेदन पत्र भेजे जाने हैं
1	2
1. उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्र जहां कोई मेडिकल/ डेंटल कालेज नहीं है।	स्वास्थ्य सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार
2. रक्षा कार्मिकों के आश्रित	संपर्क अधिकारी, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लाक-II/, विंग न.5 आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66

1	2
3. अर्द्ध सैनिक कार्मिको के बच्चे :	गृह मंत्रालय, एफ पी.–I अनुभाग, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली–110001.
(i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल इत्यादि कार्मिकों के लिए	
(ii) एस.एम.बी./आर.एंड ए. डब्ल्यू/एस.एफ.एफ./ए पी सी कार्मिको के लिए	मंत्रिमंडल सचिवालय, ई.ए–II, अनुभाग, बीकानेर हाऊस एनेक्सी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में सेवारत/भारतीय मूल के स्टाफ के बच्चे	विदेश मंत्रालय, कल्याण सेल, अकबर भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली–21
5. राजनयिक/द्विपक्षीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए	विदेश मंत्रालय, छात्र सेल, अकबर भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली–21
6. तिब्बती शरणार्थी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग यू.टी.–II अनुभाग, ए–2/डब्ल्यू–4, कर्जन रोड बेरेक्स, नई दिल्ली–1
7. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चे	भारतीय बाल कल्याण परिषद, 4–दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–2

विवरण–II

पी.पी. चौहान
संयुक्तसचिव

सं.यू. 14014/84/86–एम.ई.(यू.जी.)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है हम आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए पात्र उम्मीदवारों के चयन और मनोनयन के लिए एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटें आबंटित करते रहे हैं। कुछ ऐसे मामले हमारे ध्यान में आए हैं कि हमारे द्वारा आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और मनोनयन करते समय ग्राही एजेंसियां भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न अनुदेशों का पालन नहीं कर रही हैं।

2. इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के बच्चे ही इसके लिए पात्र होंगे : (i) संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थाई निवासी (ii) संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कर्मचारी (iii) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कर्मचारी और (iv) संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में तथा वहां स्थित मुख्यालय में तैनात केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कर्मचारी।

3. ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों को स्थानीय निवासियों के समान माना जाएगा। भारत सरकार की सहमति से जारी किसी अन्य विशेष आदेश को छोड़कर उम्मीदवारों को शैक्षणिक मेरिट ही चयन का एकमात्र मानदंड होगा।

4. संबंधित प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित सीटों का 22.5 प्रतिशत आरक्षण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होगा। इस आरक्षण का ब्यौरा इस प्रकार होगा :

(क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत का पृथक से आरक्षण।

(ख) ऊपर उप पैरा (क) में उल्लिखित आरक्षण में परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए यदि उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उसे अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों में से भरा जा सकता है। यही बात विपरीत स्थिति में लागू होगी और

(ग) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपलब्ध संख्या सीटों के 22 प्रतिशत से कम है तो शेष सीटें गैर अनुसूचित जाति/गैर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जा सकती है।

5. भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने अर्हक परीक्षा, प्रो.–मेडिकल/तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/तीन वर्षीय बी.एस.सी. (आनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रो–डिग्री (दो वर्षीय पाठ्यक्रम/प्री यूनिवर्सिटी (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)/ 10+2+3 के नए पैटर्न के अंतर्गत10+2 परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में कुल अंकों के 50 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत) अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथा समय निर्धारित समकक्ष पीरक्षा पास की हो। प्रवेश के लिए पात्र परीक्षाओं के परिणामों को 80 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा और 20 प्रतिशत महत्व मैट्रिक अथवा स्कूल लीविंग परीक्षा को दिया जाएगा। जब किसी उम्मीदवार ने बी.एस.सी. और एम.एस.सी. परीक्षा पास की हो तो पात्र परीक्षा को 80 प्रतिशत महत्व दिया जाना है, 10

प्रतिशत मैट्रिक अथवा स्कूल लीविंग परीक्षा के परिणाम को 10 प्रतिशत बी.एस.सी. या एम.एस.सी. परीक्षाओं को दिया जाना है।

यह भी नोट किया जाए कि :

(क) जिन उम्मीदवारों ने अर्हक परीक्षा दूसरे प्रयास में पास की है, उनके मेरिट का निर्धारण करने के लिए कुल में से 2 प्रतिशत अंक कम कर दिए जाए।

(ख) जिन उम्मीदवारों ने दो से अधिक प्रयासों में अर्हक परीक्षा पास की हो उन्हें सामान्यतया मेडिकल की पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाना चाहिए।

7. अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों पर चयन और मनोनयन के लिए उपर्युक्त मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। मंत्रालय में केन्द्रीय चयन समिति भी इस प्रक्रिया का पालन करेगी।

8. इस पत्र की पावती भेजने के लिए मैं कृतज्ञ होऊंगा।

आपका
हस्ता./-
(पी.पी. चौहान)

सेवा में,

बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

1. रक्षा मंत्रालय (आई.एस.एस.ए.बोर्ड) नई दिल्ली
2. गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग), जैसल्मेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली
3. गृह मंत्रालय (श्री पी. विजयवर्धन, उप सचिव), नई दिल्ली
4. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली
5. कमाडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
6. निदेशक, एस.एस.पी., ईस्ट ब्लाक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
7. विदेश मंत्रालय (छात्र सेल) (श्री जी.पी. कपूर, अवर सचिव) नई दिल्ली
8. विदेश मंत्रालय (कल्याण कक्ष) श्री जे.आर. बाला, उप सचिव) नई दिल्ली
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, (श्री आर.के. गेंगर, उप सचिव), बीकानेर हाउस एनेक्सी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
10. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, दीवाने गालिब मार्ग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, नई दिल्ली
11. उप महानिदेशक (एम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (एम.ई. अनुभाग)।

हस्ता./-
(पी.पी. चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[अनुवाद]

"एड्स" नियंत्रण

2605. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक तमिलनाडु में कितने "एड्स" के मरीजों की पहचान की गई है;

(ख) तमिलनाडु स्थित किन-किन अस्पतालों में "एड्स" परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान एड्स के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) 30 सितम्बर, 1995 तक 372।

(ख) तमिलनाडु राज्य में एच.आई.वी/एड्स की जांच के लिए 2 निगरानी केन्द्र 12 जोनल रक्त जांच केन्द्र और 2 रेफरेन्स केन्द्र हैं।

(ग) 3.00 करोड़ रुपये।

टाडेपल्लिगुडम में ठहराव देना

2606. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के टाडेपल्लिगुडम रेलवे स्टेशन पर 'रत्नांचल एक्सप्रेस' को ठहराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत पार्किंग स्थल

2607. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने ऐसे अनधिकृत पार्किंग स्थलों की संख्या है जो डी.डी.ए. के नियंत्रण में हैं;

(ख) इन अनधिकृत पार्किंग स्थलों के स्थान पर अधिकृत पार्किंग स्थल बनाने के लिये डी.डी.ए. ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किये जाने का विचार है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) "शून्य"।

(ख) और (ग) उपयुक्त (क) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

2608. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री हरिन पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक फायरिंग ऑन इंडियन पोजीसन्स्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार से भारतीय ठिकानों पर अन्धाधुन्ध गोलाबारी की थी;

(ग) क्या भारतीय सैनिकों द्वारा मुहंतोड़ जवाब दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विज्ञान अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाएं होती ही रहती हैं। सभी घटनाओं में भारतीय सैनिकों द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तथापि जवाबी कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया जाता है कि घटना उसी स्थान तक ही रहे, स्थिति अनावश्यक रूप से न बढ़े और हमारे कम से कम सैनिक हताहत हों।

पर्यटकों के लिए रेलगाड़ियां

2609. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुमोदित चार पर्यटक सर्किटों पर पर्यटकों के लिए रेलगाड़ियों को चलाने हेतु किसी ठोस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). बोली के लिए मई, 1994 में जारी विश्वव्यापी निविदा की प्रतिक्रिया में रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित सर्किटों पर पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन तथा प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ठेके प्रदान किए हैं :

सर्किट	कम्पनी का नाम
1. दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी (खुजराहो) वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली	1. मै. स्टर्लिंग होली डे रिसोर्ट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, मद्रास
2. बम्बई-औरगांबाद (अंजता) नांदेड़-सिकंदराबाद-हैदराबाद-पुणे-बम्बई	2. मै. पाटिल ग्रुप, सिंकदराबाद
3. गोवा-मडगांव (मंगलौर-मैसूर) बेलूर/हालेबिड(हौसवेट-हाम्पी) बेंगलूरू-गोवा (मडगांव)	3. मै. ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, नयी दिल्ली
4. बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडैकनाल रोड-कन्याकुमारी-तिरूवनन्तपुरम-कोचिन-मैट्टुपालैयम (ऊटी) बेंगलूरू (2 गाड़ियां)	4. मै. स्टर्लिंग होली डे रिसोर्टस प्रा. लिमिटेड, मद्रास तथा 5. मैं. पाटिल ग्रुप सिंकदराबाद

सफल बोलीदाताओं को सहमति पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उपरोक्त सेवाओं को शुरू करने के लिए लीड टाइम भारतीय रेल तथा पर्यटक गाड़ी परिचालकों के बीच होने वाले समझौते के निष्पादन से एक वर्ष का होगा जिसे इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे

2610. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता मेट्रो रेलवे को एक निगम को सौंप देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). कलकत्ता मेट्रो जैसी रेल आधारित प्रणाली सहित शहरी परिवहन प्रणालियों के नियोजन और विकास के लिए अब, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय नोड़ल मंत्रालय है। चूंकि इस मंत्रालय के पास ऐसी शहरी रेल आधारित प्रणालियों के प्रत्यक्ष परिचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अवसरंचना नहीं है। अतः मैट्रो रेलवे, कलकत्ता का परिचालन और अनुरक्षण अपने हाथ में लेने के लिए इस मंत्रालय के अधीन एक निगम का गठन करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

2611. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भर्ती के संबंध में इस तरह के मार्गनिर्देश दिए हैं कि कतिपय पदों के लिए भर्ती स्थानीय राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों में से की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन मार्गनिर्देशों के उल्लघंन की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इन मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आदेश दिए गए हैं कि अधिकतम 2500/- रुपये प्रतिमास तक के वेतनमानों वाले पदों पर भर्ती राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसे पदों के लिए नियुक्ति के अन्य स्रोतों को केवल तभी उपयोग में लाया जाए यदि रोजगार कार्यालय इस सम्बंध में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

(ग) सरकार को सरकारी उपक्रमों द्वारा इन मार्गनिर्देशों को उल्लघंन करने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा प्रशिक्षण सुविधाएं

2612. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का अपनी रक्षा प्रशिक्षण सुविधाओं को संयुक्त अरब अमीरात को देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार का खाड़ी कितने अन्य देशों को ऐसी रक्षा प्रशिक्षण सुविधाएं देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दूसरे देशों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). भारत मित्र देशों को स्व वित्तपोषण आधार पर तथा विशेष सहायता कार्यक्रम के अधीन भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आई टी ई सी) के अंतर्गत भारत में प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। गत दो वर्षों के दौरान, अर्थात 1994-95 एवं 1995-96 में संयुक्त अरब अमीरात सहित निम्नलिखित खाड़ी के देशों ने इन प्रशिक्षण संस्थाओं मे प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त की है :

(क) ओमान

(ख) कतार

(ग) संयुक्त अरब अमीरात

(घ) ईरान

(ङ) कुवैत

जब कभी भी मित्र देशों से विशेष अनुरोध प्राप्त होता है अथवा जब विशेष प्रकार से योजनाबद्ध रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, तब उन देशों को भारतीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है ताकि भारतीय रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं का लाभ उन मित्र देशों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाया जा सके।

"डोप्लर वेदर रडार" प्रणाली

2613. श्री बलराज पासी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा मौसम विज्ञान विभाग ने "डोप्लर वेदर रडार" प्रणाली के देश में निर्मित डिजाईन तथा विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है तथा इस नई रडार प्रणाली से क्या फायदे होंगे; और

(ग) इस नई रडार प्रणाली को कब तक विकसित कर लिया जायेगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित की जाने वाली नई रडार प्रणाली चक्रवात का पता लगाने के साथ-साथ चक्रवात से सम्बद्ध वायु के वेग की पैमाइश कर सकेगी। इससे तूफान के वेग और तटवर्ती बाढ़ के बेहतर आंकलन द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग की चक्रवात चेतावनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(ग) अक्तूबर 1995 से 40 महीनों के भीतर इस प्रणाली के विकसित होने की संभावना है।

मेगा रेलवे स्टेशन

2614. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपने मेगा रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर युक्त 'पूल ब्रिजिज' व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे ने इस परियोजना के लिए विदेशी सहायता की मांग की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). उन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर एस्कलेटरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जहां बड़ी संख्या में यात्री ऊपरी पैदल पुल का प्रयोग करते हैं। तदनुसार नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एस्कलेटरों की व्यवस्था की गयी है।

(ग) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा केन्द्र

2615. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन दो जिलों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु कोई दल भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा केन्द्रों को खोलने की संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए इन जिलों में एक दल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम में आवास परियोजनाएं

2616. श्री प्रवीन डेका : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विदेशी सहायता से कुछ आवास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, नहीं। असम राज्य में शहरी आवास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने कोई विदेशी सहायता नहीं ली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल

2617. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अंतर्गत विशेष रूप में आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर या तो पेयजल उपलब्ध ही नहीं है अथवा पेयजल वाले स्थान का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों में स्थित सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ). रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशनों पर बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि उक्त स्टेशन किस क्षेत्र में पड़ता है, सदाशयी यात्रियों के उपयोग के लिए किसी न किसी रूप में पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है। ऐसे स्टशनों पर जल शीतक की व्यवस्था की जाती है जहां प्रतिदिन औसतन 1000 या अधिक यात्री यात्रा करते हैं और वहां पाइप द्वारा पानी की सप्लाई और बिजली उपलब्ध है। इस संबंध में आदिवासी और गैर-आदिवासी क्षेत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। नियमित निगरानी के आधार पर आवश्यक होने पर ऐसी सुविधाओं में वृद्धि की जाती है।

अंतरिम राहत के लाभ

2618. डा. मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 150/- प्रतिमाह अनुग्रह पेंशन पाने वाले रेलवे के "सी.पी.एफ" लाभभोगियों के विधुरों/विधवाओं को भी अंतरिम राहत का लाभ दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) अंशदायी भविष्य निधि में मृत लाभ भोगियों जो 1.1.86 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 1.1.86 से पहले सेवा में रहते हुए मरे हैं और जो 150/- रु प्रतिमाह की अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, की विधवाओं और आश्रित बच्चों को 50/- रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम राहत तथा 1 अप्रैल, 1995 से न्यूनतम 50/- रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन अनुग्रह राशि का 10 प्रतिशत

अतिरिक्त स्वीकृत करने संबंधी भारत सरकार (पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के निर्णय के अंतर्गत रेलवे बोर्ड के दिनांक 7.12.95 के पत्र सं.पी.सी.-1/95/आई आर(पी) के तहत रेलों को भी शामिल कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन

2619. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरी अपशिष्ट पदार्थों की वर्तमान सम्भावना क्या है जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन के लिए वास्तविक रूप से किस हद तक ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग हो रहा था और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/मंजूर की गई प्रमुख परियोजनाओं तथा उनसे किए जाने वाले विद्युत उत्पादन की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन के लिए निजी पार्टियों से सीधे विदेशी निवेश के लिए सरकार को प्राप्त प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) देश के प्रमुख शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले शहरी अपशिष्ट, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, की अनुमानित संभाव्यता 58681 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट और 12177 मिलियन लीटर तरल अपशिष्ट है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में विद्युत/ऊर्जा उत्पादन के लिए क्रमशः 158 और 550 मिलियन लीटर प्रतिदिन तरल अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही गंगा कार्य योजना चरण-I और यमुना कार्य योजना के अंतर्गत मलजल शोधन संयंत्रों से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में क्रमशः लगभग 37170, 7245, 15120 और 18900 किवा. घं./दिन के बराबर विद्युत का उत्पादन होगा।

(घ) और (ङ). अब तक सरकार को सीधे विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एक निजी भारतीय कम्पनी नामतः मैसर्स नेवाम पावर कम्पनी, मद्रास से मद्रास में 5 मेवा. के कूड़ा-कचरा आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

प्रमुख शहरों में ठोस और तरल अपशिष्टों की अनुमानित मात्रा-राज्य वार

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित मात्रा	
		ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन/दिन)	तरल अपशिष्ट (मिलियन लीटर/दिन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5059	781
2.	असम	375	एनए
3.	बिहार	2437	445
4.	चंडीगढ़	156*	144
5.	दिल्ली	4600	1480
6.	गुजरात	4359	815
7.	गोवा	64*	11
8.	हरियाणा	383	130
9.	हिमाचल प्रदेश	34*	19
10.	जम्मू एवं कश्मीर	412*	209
11.	कर्नाटक	4236	655
12.	केरल	1905	223
13.	मध्य प्रदेश	2385	552
14.	महाराष्ट्र	9956	2838
15.	मेघालय	50*	3
16.	मणिपुर	86*	18
17.	मिजोरम	54*	2
18.	उड़ीसा	770	207
19.	पांडिचेरी	270	38
20.	पंजाब	1819	233
21.	राजस्थान	2463	318
22.	तमिलनाडु	5759	487
23.	त्रिपुरा	64*	13
24.	उत्तर प्रदेश	6807	1449
25.	पश्चिम बंगाल	4178	1107
	कुल	58681	12177

* शहरी जनसंख्या के आधार पर अनुमानित।

नारियल आधारित औद्योगिक एकक

2620. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लघु उद्योग क्षेत्र में नारियल आधारित औद्योगिक एककों के स्थापना की अच्छी सम्भावना है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या सरकार की ऐसे एककों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) कॅयर बोर्ड केरल राज्य सहित देश में कॅयर उद्योग के विकास के लिए निरंतर उपाय कर रहा है। इस समय कॅयर बोर्ड द्वारा कॅयर उद्योग के उत्पादन, रोजगार और विपणन से संबंधित वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। कॅयर बोर्ड द्वारा नारियल जटा की रस्सी बनाने, नारियल जटा से चटाइयों और मैटिंग्स आदि के निर्माण के लिए कॅयर इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना में मशीनरी एवं भवन निर्माण की लागत की 25 प्रतिशत की दर से निजी क्षेत्रों में कॅयर एककों को वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी।

इसके अलावा, शेयर पूंजी सहायता, प्रबंधकीय सहायता, राजसहायता उपकरणों की खरीद तथा विपणन सहायता के लिए कॅयर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक सहकारीकरण योजना भी है।

कॅयर बोर्ड कालावूर, अल्लेप्पी स्थित अपने राष्ट्रीय कॅयर प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र में नारियल जटा उत्पादों/नारियल की रस्सियों के निर्माण करने में लगे कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए भी सुविधाएं मुहैया करता है।

[हिन्दी]

भारत यंत्र निगम लिमिटेड

2621. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की "ब्रिज एण्ड रूफ" कंपनी को भारत यंत्र निगम, इलाहाबाद से अलग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विभाजन का भारत यंत्र निगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी, कलकत्ता को उसकी धारक कंपनी, भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद से अलग करने का मुद्दा ब्रिज एण्ड रूफ की वित्तीय पुर्नसंरचना के प्रस्ताव पर विचार करते समय उठा था। तथापि, सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

लंबित मामले

2622. श्री रामेश्वर पाटीदार :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री के.टी. थान्डावार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने नए मामले दायर हुए और कितने निपटाए गए तथा इनके निपटान की वार्षिक दर क्या रही; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ग). उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण I से V में दी गई है।

(ख) और (घ). उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में मामले विभिन्न जटिल बातों के कारण लंबित हैं। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उनके यथासंभव शीघ्र निपटाए जाने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों की एक बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में योजना मद बनाया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं, जिनके अंतर्गत समरूप मामलों को एक साथ समूहबद्ध करना और बड़े समूहों को सूचीबद्ध करने में पूर्विकता देना, नियमित सुनवाई वाले मामलों के लिए अलग से सप्ताह में तीन दिन रखना तथा विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन, आदि भी है। उच्चतम न्यायालय के दैनिक कार्य-समय में भी आधे घंटे की वृद्धि की गई है।

विवरण–I

31 दिसंबर, 1992 को संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्र.स.	उच्च न्यायालय का नाम	संस्थित मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की सं.	लंबित मामलों की सं.	संस्थित मामलों के निपटारे का प्रतिशत
1.	इलाहाबाद	145560	84837	655583	58.3
2.	आंध्र प्रदेश	90668	79185	103385	87.3
3.	मुंबई	94298	85445	189742	90.6
4.	कलकत्ता	60062	52992	222926	88.2
5.	दिल्ली	53722	38158	149617	71.0
6.	गुवाहाटी	10397	10123	23301	97.4
7.	गुजरात	35481	34558	93632	97.4
8.	हिमाचल प्रदेश	30990	29535	16374	95.3
9.	जम्मू-कश्मीर	28963	19125	62623	66.0
10.	कर्नाटक	58078	33313	115455	67.3
11.	केरल	82543	53036	116128	64.2
12.	मध्य प्रदेश	55006	48354	77779	87.9
13.	मद्रास	125962	101224	281385	80.3
14.	उड़ीसा	33617	30051	42866	89.4
15.	पटना	46571	39573	72157	84.9
16.	पंजाब और हरियाणा	70129	65143	102743	92.9
17.	राजस्थान	51308	41454	101432	80.8
18.	सिक्किम	112	100	69	89.8
	योग	1073467	846206	2427197	78.8

विवरण–II

31 दिसंबर, 1993 को संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्र.स.	उच्च न्यायालय का नाम	संस्थित मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की सं.	लंबित मामलों की सं.	संस्थित मामलों के निपटारे का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	155448	75705	735326	48.7
2.	आंध्र प्रदेश	96484	80056	119813	83.0
3.	मुंबई	97372	96722	190392	99.3
4.	कलकत्ता	58003	45426	235503	78.3
5.	दिल्ली	55844	66979	138482	120.0
6.	गुवाहाटी	13515	12074	24742	89.3
7.	गुजरात	39928	36807	96700	92.3
8.	हिमाचल प्रदेश	34101	30431	20044	89.2
9.	जम्मू-कश्मीर	28265	16726	74162	59.2

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	66321	42502	139274	64.1
11.	केरल	85945	59852	142221	69.6
12.	मध्य प्रदेश	60374	52705	85448	87.3
13.	मद्रास	132937	100991	313531	76.0
14.	उड़ीसा	34584	35189	42261	101.7
15.	पटना	65287	51213	86231	78.4
16.	पंजाब और हरियाणा	85445	64083	124105	75.0
17.	राजस्थान	52685	43562	82404*	82.7
18.	सिक्किम	153	145	77	94.8
	योग	1162691	911221	2650516	78.4

* अस्तित्व जांच के पश्चात्, राजस्थान उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा परिवर्तित लंबित मामलों के आंकड़े।

विवरण–III

31 दिसंबर, 1994 को संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्र.स.	उच्च न्यायालय का नाम	संस्थित मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की सं.	लंबित मामलों की सं.	संस्थित मामलों के निपटारे का प्रतिशत
1.	इलाहाबाद	136732	92745	779313	67.8
2.	आंध्र प्रदेश	105002	90254	134560	85.9
3.	मुम्बई	99084	88000	201476	88.8
4.	कलकत्ता	51255	44870	241888	87.5
5.	दिल्ली	53981	45850	146613	84.9
6.	गुवाहाटी	13736	10491	27987**	76.4
7.	गुजरात	22373	19572	99501 *	87.4
8.	हिमाचल प्रदेश	14467	17940	16996	124.0
9.	जम्मू-कश्मीर	28887	12542	90507	43.4
10.	कर्नाटक	63627	51335	151566	80.6
11.	केरल	86148	58839	169530	68.2
12.	मध्य प्रदेश	32243	33060	84631 *	102.5
13.	मद्रास	124475	86702	351104	69.6
14.	उड़ीसा	31931	26972	47970	81.9
15.	पटना	69153	58398	96986	83.4
16.	पंजाब और हरियाणा	97684	76609	145180	78.4
17.	राजस्थान	43506	33818	92092**	77.7
18.	सिक्किम	41	42	76 *	102.4
	योग	1074325	847241	2877976	78.9

* 30.6.94 को

** 30.9.94 को

विवरण–IV

उच्च न्यायलयों में लंबित मामले

उच्च न्यायालय का नाम		लंबित	को यथाविद्यमान
1.	इलाहाबाद	7,79,313	31.12.94
2.	आंध्र प्रदेश	1,45,203	30.6.95
3.	मुंबई	2,12,820	30.6.95
4.	कलकत्ता	2,41,888	31.12.94
5.	दिल्ली	1,48,878	30.6.95
6.	गुवाहाटी	27,987	30.9.94
7.	गुजरात	97,418	31.12.94
8.	हिमाचल प्रदेश	16,996	31.12.94
9.	जम्मू–कश्मीर	93,069	30.6.95
10.	कर्नाटक	1,54,340	30.6.95
11.	केरल	1,85,164	30.6.95
12.	मध्य प्रदेश	84,631	30.6.94
13.	मद्रास	3,56,489	30.6.95
14.	उड़ीसा	49,916	30.6.95
15.	पटना	12,026	31.12.94
16.	पंजाब और हरियाणा	1,44,028	31.3.95
17.	राजस्थान	92,092	30.9.94
18.	सिक्किम	73	30.6.95

विवरण–V

भारत के उच्चतम न्यायालय में संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामले

निम्नलिखित तारीख को	ग्रहण किए जाने वाले मामले	लंबित मामले (फाइलों की वास्तविक संख्या) नियमित मामले
1 अगस्त, 1995	20,500	20,611
1 अगस्त, 1994	33,645	21,635
1 अगस्त, 1993	38,335	19,572

वर्ष	ग्रहण किए जाने वाले मामले (फाइलों की वास्तविक संख्या)			नियमित मामले (फाइलों की वास्तविक संख्या)		
	संस्थित	निपटारा	निपटारे की दर	संस्थित	निपटारा	निपटारे की दर
1992	20,435	20,234	99%	6,251	15,613	249%
1993	18,778	17,166	91%	2,870	3,718	131%
1994	29,271	35,853	122%	12,775	12,037	94%
1995 (1–9–1995 को)	25,622	37,672	147%	12,794	13,859	108%

रिक्त पद

2623. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में महाप्रबंधकों के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें कब तक भरे जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निजीकरण

2624. श्री राम कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में विचार विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाई पास सर्जरी

2625. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाई पास सर्जरी, गुरदा प्रतिरोपण और शल्य चिकित्सा संबंधी अन्य गम्भीर उपचारों के लिए मरीजों को विवेकाधीन धनराशि/राहत राशि का वितरण रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे रोगियों के लिए मंत्रियों के विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार उक्त मरीजों को स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन निधि से इसके प्रारम्भ होने से ही आर्थिक सहायता देना जारी रखे हुए है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान इस अनुदान की राशि एक रोगी के लिए 20,000 रुपये तक सीमित है। विशेष मामलों में वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से यह राशि ज्यादा बढ़ाई जा सकती है।

[अनुवाद]

नकली दवाईयां

2626. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि कानपुर में तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में नकली तथा ऐसी दवाईयां बेची जाती हैं जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाई गई कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहे बच्चे को पोलियो का टीका

2627. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहे तीन वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो का टीका लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). सरकार द्वारा पोलियो उन्मूलन टीकाकरण के लिए 9 दिसंबर, 1995 तथा 20 जनवरी, 1996 को विशेष अभियान चलाने के लिए किए गए निर्णय के अनुसरण में 9 दिसंबर, 1995 को रेलवे डॉक्टरों तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों के दलों ने स्टेशनों तथा लंबी दूरी की गाड़ियों में अर्हक बच्चों को टीके लगाए। ऐसी ही कार्रवाई 20 जनवरी 1996 को दोहराने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन

2628. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मैसूर शहर के रेलवे स्टेशनों की सफाई और रख-रखाव का कार्य निजी पार्टियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ग) निजी पार्टियों को यह कार्य सौंपकर कितनी राशि प्राप्त किए जाने का अनुमान है;

(घ) यह कार्य निजी पार्टियों को कब तक सौंप दिया जाएगा; और

(ङ) कर्नाटक में अन्य किन-किन स्टेशनों को सफाई और रख-रखाब हेतु निजी पार्टियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) एकमात्र विज्ञापन अधिकार देने के स्थान पर बेंगलूरू सिटी रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण एवं रख-रखाव के लिए ठेका देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ङ) एक मात्र विज्ञापन अधिकार देने के स्थान पर सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव योजना के अंतर्गत मंगलौर स्टेशन के लिए ठेका देने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

2629. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राजस्थान में किन-किन महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल किया जायेगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) चालू योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तैयार किये गये विभिन्न कार्यक्रम हैं :—(i) मौलिक अनुसंधान एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा; (ii) सामाजिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को बढ़ावा; (iii) प्रौद्योगिकी मिशनों सहित प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग कार्यक्रम; (iv) मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं, सर्वेक्षण, मानचित्रण आदि जैसी वैज्ञानिक सेवाओं का आधुनिकीकरण (v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव शक्ति विकास तथा रोजगार उत्पत्ति; (vi) अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम तथा (vii) राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग।

(ख) इन कार्यक्रमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं : (i) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (ii) एम.एस. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (iii) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; (iv) राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर; (v) एम.बी.एम. इंजीनियरी कॉलेज, जोधपुर; (vi) सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी; (vii) सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर; (viii) राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, जोधपुर तथा (ix) राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। इसके अतिरिक्त, इनमें अनेक स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया गया हैं।

[अनुवाद]

नेशनल पेपर मिल

2630. श्री जी. माडे गौडा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्यप्रदेश में मांडया स्थित नेशनल पेपर मिल को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोई पुनर्वास योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस एकक में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(च) सरकार द्वारा उपरोक्त मिल को चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (च).माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड एक रूग्ण इकाई है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित है। यथा 31.10.1995 को, इस इकाई में कर्मचारियों की संख्या, दिहाड़ी कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं सहित 872 थी।

बी.आई.एफ.आर. इस इकाई के पुनरुद्धार हेतु विभिन्न विकल्पों का पता लगा रहा है। बी.आई.एफ.आर. के निर्देशों के अनुसार गठित एक समिति ने बी.आई.एफ.आर. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रचालन एजेन्सी ने भी सुधार प्रस्ताव को अद्यतन बना लिया है और सभी संबंधित पार्टियों की एक संयुक्त बैठक 20.12.1995 को बुलाई है।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

2631. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन विशेष रूप से उड़ीसा में कितनी यात्री रेलगाड़ियां रद्द की गई;

(ख) ये रेलगाड़ियां किन-किन मार्गों पर चल रही थीं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों को पुनः शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मारुति उद्योग लिमिटेड

2632. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा मारुति कारों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किस-किस मॉडल की कितनी कारें निर्यात की गई तथा उससे कम्पनी को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) क्या कंपनी द्वारा आयातित कल-पुर्जों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने कल-पुर्जों का आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ङ) "जेन" कार के उत्पादन/निर्यात मूल्य के फलस्वरूप कंपनी को कितना घाटा हुआ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यौरे निम्नवत हैं :

(मिलियन रुपये)

वर्ष	निर्यात किए गए वाहनों की संख्या							निर्यात से अर्जित
	मारुति 800	ओमनी	जिप्सी	मारुति 1000	एस्टीम	आल्टो	योग	विदेशी मुद्रा
1993-94	14855	239	1857	197	—	39	17187	1982
1994-95	10638	561	2851	122	3	6687	20862	2745

(ग) और (घ). जी, हां। कलपुर्जों के आयात हेतु विगत दो वर्षों में खर्च की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	कलपुर्जों के आयात हेतु खर्च की गई विदेशी मुद्रा (मिलियन रुपये)
1993-94	3101
1994-95	5296

(ङ) यह जानकारी देना कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

हिन्दी का प्रयोग

2633. डा. वसंत पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में प्रगति अत्यंत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक शब्दावली संबंधी उपयुक्त अनुवाद की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है; और

(ग) तकनीकी रूप से संवेदनशील ऐसे मंत्रालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, नहीं। राजभाषा विभाग द्वारा यथानिर्धारित सरकार की राजभाषा नीति को परमाणु ऊर्जा विभाग में क्रियान्वित किया जा रहा है और हिन्दी के प्रयोग में हो रही प्रगति की जांच राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से की जाती है। इसके अलावा, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित किए गए पारिभाषिक शब्द संग्रह को सामान्यतः पर्याप्त पाया गया है, तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने भी विभिन्न विषयों पर तीन शब्द-संग्रह नामतः (I) घनवस्था विज्ञान, वर्णक्रमदर्शिकी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं रेडियो रासायनिकी, (II) नाभिकीय इंजीनियरी शब्द संग्रह-I तथा (III) स्वास्थ्य भौतिकी एवं विकिरणिकीय संरक्षण, इस प्रयोजन हेतु प्रकाशित किए हैं।

(ग) रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टिप्पण और आलेखन, श्रुतलेखन तथा टंकण/आशुलिपि जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य हिन्दी में करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक समुदाय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग और उसके युनिटों द्वारा समय-समय पर वैज्ञानिक

और तकनीकी संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं हिन्दी में आयोजित की जाती हैं। गृह पत्रिकाएं/वैज्ञानिक जर्नल भी हिन्दी में समय-समय पर निकाले जाते हैं।

रेलवे स्टेशन बंद करना

2634. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कुछ रेलवे स्टेशनों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का निर्णय लेने का क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). किफायत करने के उपाय के रूप में, क्षेत्रीय रेलों को उन अलाभप्रद हाल्ट स्टेशनों को बन्द करने के अनुदेश दिए गए हैं जिन हाल्ट स्टेशनों का उपयोग करने वाले यात्रियों की औसत संख्या प्रति दिन 10 यात्रियों से कम है। तदनुसार, पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से नवम्बर 1995 के दौरान ऐसे 21 स्टेशनों को बन्द कर दिया है। स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पश्चिम रेलवे में अप्रैल से नवम्बर, 1995 के दौरान बंद किए गए 21 अलाभप्रद हाल्ट स्टेशनों की सूची।

1. विरोचन नगर
2. नदगाम
3. महुधा
4. कथलाल
5. वेमार
6. बोरीद्रा
7. डमलाई
8. उमल्ला
9. चीतलदा
10. देसर रोड
11. मेवली
12. वसनपुरा
13. खुनवाड़
14. कुंढेला
15. पखाजन
16. संभेटी
17. वहियाल
18. वाव
19. वागरा
20. आजवा
21. रास

[हिन्दी]

स्वास्थ्य योजनाएं

2635. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालयों में दवाओं की भारी किल्लत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों हेतु दवाओं की खरीद और सप्लाई में कई अनियमिताओं की जानकारी सरकार को मिली है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं। तथापि, किसी औषधि की कमी होने पर उसे स्थानीय केमिस्ट से खरीदा जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रोगों का नियंत्रण

2636. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दशक के दौरान किन-किन रोगों के उन्मूलन में सरकार को सफलता मिली है;

(ख) इस समय मुख्य रूप से कौन-कौन से उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ग) इन कार्यक्रमों में से प्रत्येक में कितनी सफलता मिली है; और

(घ) इस वर्ष सरकार द्वारा चलाये गये विशेष कार्यक्रमों के तहत कितने शिशुओं को पोलियो प्रतिरक्षण टीके लगाए गए?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) भारत का अप्रैल 1977 में इंटरनेशनल कमीशन फॉर एसेसमेंट ऑफ स्माल-पॉक्स चेचक मुक्त घोषित किया गया था।

(ख) निम्नलिखित उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :—

(1) पोलियो माइलिरिस

(2) क्षय रोग

(3) गिनीकृमि

(4) मलेरिया

(5) कुष्ठ

(ग) (1) चूंकि भारत में पोलियो की बीमारी तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को होती है, इसलिए 9 दिसम्बर, 1995 और 20 जनवरी, 1996 को तीन वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(2) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य रोग से होने वाली मृत्यु, रूग्णता और संचरण में कमी लाना है।

(3) राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम 83-84 में आरम्भ किया गया था यह गिनीकृमि रोग को शून्य स्तर पर लाने को है।

(4) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1994 में वार्षिक रोग दर प्रति हजार जनसंख्या पर 2.88 है।

(5) राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था। वर्ष 1981 में 4 मिलियन कुष्ठ रोगी होने का अनुमान लगाया गया था और अक्तूबर, 1995 के अन्त तक अभी 0.65 मिलियन कुष्ठ रोगी दर्ज हैं।

सभी प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत कवर किए गए हैं और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत पैटर्न के अनुसार राज्यों को अनुदान दिया जाता है।

(घ) 12 दिसम्बर, 1995 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 210 जिलों के लगभग 95 प्रतिशत 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पल्स पोलियों कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

2637. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशों के अनुसार आयोग के अंतर्गत लाए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है, उनकी ऋण पात्रता सम्बन्धी स्थिति क्या है, और ऐसे ऋणों पर ब्याज की सम्भावित दर क्या होगी;

(ख) क्या महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर में कोई रियायत दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो कितनी रियायत दी जाएगी;

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और राज्य-वार ब्यौरे राजसहायता देने का क्या मानदंड है;

(ङ) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग और राज्य खादी बोर्ड को प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रशासनिक व्ययों में वर्षवार कितनी कटौती की गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को अपना ध्यान कुछ चुने हुए उद्योगों पर केन्द्रित करना चाहिए, जिनके लिए उन्होंने आवश्यक विशेषज्ञता तथा ढांचागत सुविधाएं विकसित कर ली हैं। इस सिफारिश के परिणाम के तौर पर खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग ने चमड़ा, हाथ से बने कागज, तथा मधु-मक्खी पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरूआत की है तथा अन्य जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं तैयार कर रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न जीव्यक्षम खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को या तो सीधे अथवा संस्थाओं/राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से बैंकों के संघ द्वारा इसे उपलब्ध कराये गये 1,000 करोड़ रु. के फंड से ऋण उपलब्ध करा रहा है। इस पर लागू ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित मूल ऋण दर के बराबर है।

(ख) तथा (ग). यद्यपि महिलाओं को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर पर कोई रियायत नहीं है, महिला लाभभोगियों का परियोजना लागत में योगदान सामान्य लाभभोगियों के 10 प्रतिशत तुलना में 5 प्रतिशत होगा।

(घ) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के लिए 1995-96 में 130 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली 10 लाख रु. तक की परियोजनाएं 25 प्रतिशत दर से सीमांत राशि के लिए पात्र होंगी। 10 लाख रु. से अधिक किंतु 25 लाख रु. से कम की परियोजनाएं, 10 लाख रु. से अधिक वाले भाग के लिए 10 प्रतिशत की दर से सीमांत राशि के लिए पात्र होंगी।

(ङ) तथा (च). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले भारत सरकार के प्रशासनिक खर्चों में किफायत संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। तथापि कीमतों में आम वृद्धि, मंहगाई भत्ते में वृद्धि आदि के कारण प्रशासनिक खर्चों में कोई शुद्ध कमी नहीं आयी है। राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय को स्थानांतरित किया जाना

2638. श्री महेश फनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय मुख्यालय को मुम्बई से गांधी नगर अथवा अहमदाबाद में स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). जोनो एवं मंडलों के पुनर्गठन से संबंधित मामलों का अध्ययन हाल ही में इस मंत्रालय द्वारा पूरा किया गया है। प्रस्ताव तैयार करने और अन्य सम्बद्ध मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

मानव अंग बैंक

2639. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानव अंग बैंकों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव/उपाय तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो बैंकों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इन बैंकों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इससे मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (घ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अर्गिन रिट्रीवल तथा बैंकिंग आर्गेनाइजेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में आर्गेन बैंक के निर्माण उपकरण, कार्मिक शक्ति तथा अन्य अवसंरचना की परिकल्पना की गई है। बैंक की स्थापना करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यमान तथा स्वीकृत वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार निकाले गए अंग का अनुरक्षण किया जाए और प्रतिरोपण के उद्देश्य से व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाय। बैंक की स्थापना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी। जब बैंक कार्य करना शुरू कर देगा तो यह अंग उपलब्ध कराएगा और इस प्रकार मानव अंगों के गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाने में सहायता करेगा।

खाली पड़े सरकारी क्वार्टरों का किराए पर दिया जाना

2640. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री रामकृपाल यादव :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने खाली पड़े सरकारी आवास, गैर-सरकारी लोगों को किराए पर दिलाने वाले गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एक महीने से अधिक अवधि तक अनावंटित रहने वाले सरकारी आवासों की स्थान-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी धनराशि का वित्तीय घाटा हुआ है?

. शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस ने 16.5.95 को सूचना दी कि आर.के.पुरम के सैक्टर-2 के फ्लैट संख्या-616, बाबत आवंटन पत्र, स्वीकृति फार्म और कब्जा स्लिप की दो व्यक्तियों से प्रतियां बरामद हुई थीं। जांच से पता चला कि वे कागजात जाली थे। दिल्ली पुलिस को असली आवंटी का विवरण बता दिया गया था और उसके बाद उनसे फिर कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) कुल आवास स्टाक के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि रिक्त क्वार्टर की स्थिति की सामयिक समीक्षा में सुविधा हो सके। इससे ऐसी जालसाजी पुनः न होने से रोकने में मदद मिलेगी।

(घ) गत तीन वर्षों (मई, 95 तक) के दौरान, एक माह से अधिक अवधि के लिए खाली रहे मकानों की सूची संलग्न विवरण में है। जबरन कब्जाए गए एक क्वार्टर को छोड़कर, सभी क्वार्टरों को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत विशिष्ट आवंटन हेतु ब्लाक कर दिया गया था।

(ङ) ऐसी रिक्तियों की वजह से, राजकोष को करीब 3,13,657.00 रुपये की राजस्व हानि हुई।

विवरण

उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	अवस्थिति	1992	1993	1994	1995
1	2	3	4	5	6
1.	अल्बर्ट स्क्वायर		01	03	02
2.	अलीगंज	01	04	04	
3.	एन्ड्रुजगंज	01	05	07	07

1	2	3	4	5	6
4.	आरामबाग	01	12	04	01
5.	बी.के.एस. मार्ग		07	02	01
6.	देवनगर	—	—	—	03
7.	डी.आई.जैड. एरिया	05	36	13	23
8.	हुमायूं रोड		01		
9.	के.बी. मार्ग	01	08		
10.	किदवई नगर	01	08	11	07
11.	कस्तूरबा नगर		02	03	03
12.	एल.बी. नगर		06	07	12
13.	लोधी कालोनी		23	09	09
14.	एल.आर. कम्पलैक्स	01	17	05	09
15.	मन्दिर मार्ग	01	02	01	02
16.	मोहम्मदपुर	02	03	03	01
17.	मिन्टो रोड		04	08	09
18.	मोतीबाग		14	05	07
19.	एम.बी. रोड	05	18	41	19
20.	नेताजी नगर	01	11	08	03
21.	नानक पुरा		06	07	05
22.	एन. डब्ल्यू. मोतीबाग	01	01	04	03
23.	नारौजी नगर		02	04	
24.	पी.के. रोड		02	03	02
25.	प्रैस ब्लाक				01
26.	पेशवा रोड			01	01
27.	पंडारा रोड			01	01
28.	प्रेम नगर	02			
29.	आर.के.पुरम	02	29	65	60
30.	राऊज एवेन्यू	01			
31.	सादिक नगर	01	01	12	19
32.	सरोजनी नगर	01	23	121	77
33.	सेवानगर			01	
34.	एस.एन.पुरी		03	03	
35.	शांहजहां रोड		01		
36.	तिमारपुर/लांसर रोड	01	05	06	01
37.	तानसैन मार्ग			01	01
38.	वसन्त विहार			06	09
39.	विनय मार्ग				01
	योग	28	265	369	299

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम

2641. श्री विजय एन. पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा परिषद को चिकित्सा संबंधी कदाचार मामलों की जांच एवं इन मामलों को निपटाने के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक 26 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में पेश किया गया जिसे दिसम्बर, 1987 में संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सकों द्वारा व्यावसयिक आचरण, जिनमें चिकित्सीय कदाचार शामिल हैं, शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानकों से संबंधित सभी मामले निपटाने के लिए आचार-सह अनुशासनिक समिति नियुक्त करने की व्यवस्था है। संशोधित अधिनियम के लागू होने बाद भारतीय चिकित्सा परिषद को ऐसे मामलों से उपयुक्त रूप से निपटने के लिए शक्तियां प्राप्त हो जाएगी।

पुश-पुल ट्रेन

2642. श्री के. मुरलीधरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट और एर्नाकुलम के बीच "पुश-पुल ट्रेन" चलाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ). कालीकट-एर्नाकुलम के बीच पुश-पुल गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच की गई है परन्तु उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

एन.एस.आई.सी. प्रशिक्षण केन्द्र

2643. प्रो. के.वी. थामस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एस.आई.सी. केरल के त्रिचूर जिले में एहियारम में एक उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने इलैक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्यूटर संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा केरल के त्रिचूर जिले में चिय्यरम में एक उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और लाल बहादुर शास्त्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के बीच हुई व्यवस्था के अनुसार, एन.एस.आई.सी. द्वारा तीन वर्ष की आरंभिक अवधि तक केन्द्र का संचालन कर लिए जाने के बाद यह लाल बहादुर शास्त्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र को सौंप दिया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि में एन.एस.आई.सी. के लिए परियोजना पर 88.50 लाख रुपये की लागत आयेगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

2644. श्री अन्नादि चरण दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, यूनानी औषधालय, एलोपैथिक औषधालयों की तुलना में काफी कम हैं और वे भी दूर-दूर स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थी केवल उन्हीं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधालयों में जा सकते हैं जो उन्हें आवंटित किए गए हैं;

(घ) क्या इन होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों के मामले में क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार को संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). 13 होमियोपैथिक, 13 आयुर्वेदिक और चार यूनानी औषधालय हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (दिल्ली) के अंतर्गत कार्य कर रहे 87 एलोपैथिक औषधालयों से सम्बद्ध के.स. स्वा.यो. के सभी लाभार्थियों को कवर करते हैं। उपर्युक्त औषधालय दिल्ली के के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं। आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक यूनानी औषधालयों/एककों के स्थान संलग्न विवरण में दर्शाए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

के.स.स्वा.यो. दिल्ली/नई दिल्ली के अन्तर्गत कार्य कर रहे के.स.स्वा. योजना के होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों/एककों की सूची

होमियोपैथिक

1. होमियोपैथिक औषधालय, देव नगर
2. होमियोपैथिक औषधालय, गोल मार्किट
3. होमियोपैथिक औषधालय, आर के पुरम
4. होमियोपैथिक एकक, दरिया गंज
5. होमियोपैथिक एकक, राजोरी गार्डन
6. होमियोपैथिक एकक, शाहदरा
7. होमियोपैथिक एकक, कस्तूरबा नगर
8. होमियोपैथिक एकक, हरि नगर
9. होमियोपैथिक एकक, कालकाजी
10. होमियोपैथिक एकक, तिमारपुर
11. होमियोपैथिक एकक, साऊथ एवेन्यू
12. होमियोपैथिक एकक, आर.के. पुरम-/1
13. होमियोपैथिक एकक, पुष्प विहार

आयुर्वेदिक

1. आयुर्वेदिक औषधालय, गोल मार्किट
2. आयुवेर्दिक औषधालय, किदवई नगर
3. आयुर्वेदिक औषधालय, आर.के. पुरम
4. आयुर्वेदिक औषधालय, नार्थ एवेन्यू
5. आयुर्वेदिक औषधालय, देव नगर
6. आयुर्वेदिक एकक, हरि नगर
7. आयुर्वेदिक एकक, जंगपुरा
8. आयुर्वेदिक एकक, दिल्ली कैन्ट
9. आयुर्वेदिक एकक, किंग्जवे कैम्प
10. आयुर्वेदिक एकक, गुड़गांव
11. आयुर्वेदिक एकक, लक्ष्मी नगर
12. आयुर्वेदिक एकक, एम.बी. रोड
13. आयुर्वेदिक एकक, पश्चिम विहार

यूनानी

1. यूनानी औषधालय, सरोजनी नगर
2. यूनानी एकक, दरिया गंज
3. यूनानी एकक, नारायणा
4. यूनानी एकक, साउथ एवेन्यू

प्रौद्योगिकी संबंधी प्राथमिकताएं

2645. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी सूचना अनुमान एवं आंकलन परिषद द्वारा तैयार की गई भारत की प्रौद्योगिकी संबंधी रिपोर्ट का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) द्वारा प्रौद्योगिकी प्राथमिकताएं तय करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी के साथ-साथ प्रणाली विज्ञानों पर अनेक अध्ययन किये जाते हैं। एक ऐसा ही अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, बंगलौर द्वारा किया गया था जो घरेलू बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जैसे पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए एक दृष्टिकोण से संबंधित थी। इस अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य वानिकी और पर्यावरण की कोटि तय करते समय अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

प्रौद्योगिकी प्राथमिकताओं से जुड़े मुद्दे जटिल हैं तथा इसके अंतर्गत कई पहलू होते हैं जैसे अर्थव्यवस्था में अवदान जैसा कि अध्ययन किया गया, जनकल्याण तथा जनता के हित के लिए अन्य कार्य जिसमें कार्यनीति से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पवन चक्की

2646. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में पवन चक्कियों की स्थापना के लिए कितने उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) मध्य प्रदेश में कितनी पवन चक्कियां स्थापित हैं और यह कहां-कहां स्थित हैं एवं 1995-2000 के दौरान नई पवन चक्कियों की स्थापना के लिए योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान पवन चक्कियों का कितना उपयोग किया जा रहा है और इनसे कितना विद्युत उत्पादित हुआ और 1995-2000 के दौरान स्थापित किए जाने वाली पवन चक्कियों से अनुमानतः कितना विद्युत उत्पादन होगा;

(ङ) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित पवन चक्कियां चालू हैं अथवा बंद पड़ी हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसी कितनी पवन चक्कियां हैं जो चालू हैं अथवा बंद पड़ी हैं; और

(छ) इन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में पवन विद्युत उत्पादन के लिए राष्ट्रीय पवन संसाधन आंकलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक दो संभाव्यता वाले स्थलों, नामतः जमगोदरानी और खेड़ा, का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ). निजी क्षेत्र द्वारा खेड़ा में एक पवन फार्म प्रदर्शन परियोजना के अंतर्गत 0.59 मेवा. की समग्र क्षमता के छः पवन विद्युत जनरेटर लगाए गए हैं और देवास के निकट जमगोदरानी में 2.7 मेवा. समग्र क्षमता की बारह मशीनें लगाई गई हैं। राज्य में इन परियोनाओं द्वारा 2.6 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत पैदा की जा चुकी है। निजी क्षेत्र द्वारा पवन विद्युत उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने एक आकर्षक नीति की घोषणा की है। राज्य में पवन ऊर्जा परिसम्पत्तियों (इस्टेट्स) के विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी भी स्थापित की गई है। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिए जाने पर आगे और क्षमता संवर्द्धन निर्भर करेगा।

(ङ) से (छ). जी, हां। एक पवन टरबाइन कार्य नहीं कर रही है और इसमें गियर बॉक्स को बदलने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के रिक्त पद

2647. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **उद्योग मंत्री** 29 नवम्बर, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के पद किस तारीख को रिक्त हुए;

(ख) वास्तविक अथवा भविष्य में होने वाली रिक्ति को भरने का कार्य किस तारीख को शुरू किया गया;

(ग) अभी प्रत्येक मामला वास्तव में किस चरण में है;

(घ) विभिन्न श्रेणियों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के पद की सेवा शर्तें क्या हैं; और

(ङ) प्रत्येक मामले में की गई तदर्थ व्यवस्था का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक अपराध

2648. श्री अन्ना जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कम्पनियों द्वारा आर्थिक अपराधों" से निपटने के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना की गई है;

(ख) क्या कम्पनी मामलों के विभाग ने हैदराबाद की श्री हनुमत काली वाराप्रसाद बाबू केमिकल्स नामक एक निजी रासायनिक कम्पनी पर आर्थिक अपराध के लिए कोई मुकदमा दर्ज किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुकदमे की कार्यवाही अभी भी चल रही है या समाप्त कर दी गई है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम्पनी द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, हैदराबाद कम्पनियों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा जिसके अन्तर्गत अभियोजन दायर किया गया है	उल्लंघन का ब्यौरा	अभियोजन के परिणाम
1	2	3	4
1.	293 क	राजनीतिक दलों को दिया गया।	आर्थिक अपराधों के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। तथापि, उन्होंने अपील दायर की है, जो लम्बित है।

1	2	3	4
2.	292(1)(ग)	कम्पनी ने 1985-86 से 1991-92 के दौरान निदेशक मंडल से अनुमोदन लिए बिना इसके निदेशकों व शेयरधारकों से निधियां उधार लीं।	सम्माननीय आर्थिक अपराध न्यायालय ने 10.7.95 को अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है।
3.	162, 168 व 220(3)	1986 से 1992 की अवधि के लिए समय पर वार्षिक विवरणियां दायर न करने, वार्षिक साधारण बैठकें आयोजित न करने तथा तुलन पत्रों को दायर न करने के लिए।	मामले लम्बित है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग पुनर्वास केन्द्र

2649. श्री दत्ता मेघे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में क्षयरोग अस्पतालों और कुष्ठ रोग पुनर्वास केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे प्रत्येक केन्द्र को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धन राशि दी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों को कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) महाराष्ट्र में 14 क्षय रोग अस्पताल/सेनेटोरियम हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में 30 जिला क्षयरोग केन्द्रों और 19 क्षय रोग क्लीनिकों सहित 58 अन्य केन्द्रों में अन्तरंग रोगी उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्य में 13 कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र हैं।

(ख) संघ सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। तथापि, जिला क्षयरोग केन्द्रों को वस्तुगत सहायता प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के मानदंड के अनुसार व्यय के आधार पर कुष्ठ पुनर्वास केन्द्रों को दी जाने वाली सहायता महाराष्ट्र को दी जाने वाली समग्र केन्द्रीय सहायता में शामिल है।

(ग) इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

तमिलनाडु में अस्पताल

2650. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में अस्पतालों के सुधार हेतु विदेशों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए तमिलनाडु को कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार ने राज्य में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता मांगी है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टरों का आवंटन

2651. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** 21 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में क्वार्टरों के अनियमित आवंटन के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) कितने दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने कर्मचारियों/अफसरों को क्वार्टर खाली करने का नोटिस दिया गया है; और

(घ) उन क्वार्टरों में अभी भी रह रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा उनसे कितनी क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) आठ

(ख) पांच

(ग) पांच

(घ) चार कर्मचारी अभी भी उन क्वार्टरों में रह रहे हैं और उनसे 16,706.25 रुपए की राशि वसूल की गई है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में सफाई

2652. श्री एस.एम. लालचान वाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौतमी एक्सप्रेस, नरसानपुर एक्सप्रेस और गोदावरी एक्सप्रेस जैसी आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में उनके टर्मिनलों पर समुचित सर्विसिंग नहीं होती ओर उनकी सफाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) गौतमी एक्सप्रेस, नरसापुर एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों पर प्रत्येक फेरे के आरंभ से पहले समुचित ध्यान दिया जाता है तथा उनकी सर्विस की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी डिब्बे साफ एवं सुरक्षित है और उनमें सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरंभिक स्टेशनों पर गाड़ियों की सफाई करने के अलावा, दक्षिण मध्य रेलवे पर मध्यवर्ती स्टेशनों यथा विजयवाडा पर गाड़ियों की सफाई व्यवस्था शुरू की गई है जहां दिन के समय विजयवाडा से होकर गुजरने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों की सफाई की जाती है।

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन

2653. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी आम चुनाव में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि उसने आगामी साधारण निर्वाचनों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करने की संभावना का पता लगाने का विनिश्चय किया है और इस विषय पर अंतिम विनिश्चय करने से पहले सभी राष्ट्रीय और मान्यताप्राप्त राज्य राजनैतिक दलों के विचार अभिनिश्चित करने का विनिश्चय किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता

2654. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हथियार प्रणाली की विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का वर्तमान प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या यह निर्भरता 1980-90 के दशक से कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आगामी दशक 1990-2000 ई. के दौरान इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लागत के हिसाब से सेनाओं के लिए वर्ष में लगभग 70 प्रतिशत शस्त्र प्रणालियों का अर्जन विदेशी स्रोतों से किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) लागत के हिसाब से विदेशी स्रोतों पर निर्भरता में 1980-90 के दशक में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।

(घ) और (ङ). विदेशी स्रोतों पर वर्तमान लगभग 70 प्रतिशत निर्भरता को 2005 तक घटाकर लगभग 30 प्रतिशत किए जाने के उद्देश्य से रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक 10 वर्षीय योजना बनाई गई है। इस योजना में अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित त्रिआयामी परिकल्पना की गई है :—

(1) अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण के माध्यम से वर्तमान रक्षा प्रणालियों को बनाए रखना,

(2) वर्तमान महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों का दर्जा बढ़ाना व उनकी उपयोगिता अवधि तथा क्षमता में वृद्धि करना, और

(3) अधिक संख्या में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को उत्तरोत्तर शामिल करना और प्रमुख प्रणालियों का आयात न्यूनतम करना।

भारत ओप्थॉल्मिक ग्लास लिमिटेड

2655. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत ओप्थॉल्मिक ग्लास लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया गैर-योजना ऋण उसे 1994-95 के दौरान और अप्रैल से अक्तूबर, 1995 तक हुए वास्तविक नकद घाटे से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बी.ओ.जी.एल. को उपलब्ध कराई गई गैर-योजना सहायता की तुलना में वास्तविक नकद घाटा कितना है; और

(ग) अपनी अत्यावश्यक देनदारियों को पूरा करने के लिए 1995-96 के संशोधित अनुमान में बी.ओ.जी.एल. की शेष राशि प्रदान करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क)और (ख). भारत आप्थॉल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.) को वर्ष 1994-95 के दौरान 122.91 लाख रुपये का नकद घाटा हुआ जिसके प्रति सरकार ने 100 लाख रुपये की गैर-योजना बजटीय सहायता प्रदान की। वर्ष 1993-94 के दौरान, बी.ओ.जी.एल. को 76.29 लाख रुपये का नकद घाटा हुआ जिसके प्रति सरकार ने 90 लाख रुपये की उच्च गैर-योजना बजटीय सहायता प्रदान की। इस प्रकार, वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल 199.20 लाख रुपये के नकद घाटे के प्रति सरकार ने 190 लाख रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की।

कंपनी को 1.4.95 से 31.10.95 तक 151.26 लाख रुपये का अनुमानित नकद घाटा हुआ है। सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान 50 लाख रुपये के बजटीय प्रावधान में से नवम्बर, 1995 तक 40 लाख रुपये की गैर-योजना बजटीय सहायता जारी की है।

(ग) सरकार, निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, नकद घाटे को अंशतः पूरा करती रही है।

रेल लाइन

2656. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में वाडी और गदग के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी निवेश

2657. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1995 तक विदेशी निवेश पर गठित शक्ति प्राप्त समिति ने इस सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों में सीधे कुल कितना विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) तो क्या इन प्रस्तावों से निर्यात पर 28000 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों के संबंध में कौन-कौन सी विदेशी एजेंसियां शामिल हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों के कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, हां। विदेशी निवेश पर अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी 4 सितम्बर, 1995 को आयोजित बैठक में 55 प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया है, जिनमें 418.70 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निहित है।

(ग) ये प्रस्ताव 5 वर्षों की अवधि में 2800 करोड़ रुपये की निर्यात द्वारा प्राप्त आय दिखाते हैं।

(घ) स्वीकृत किए गए इन प्रस्तावों का विस्तृत विवरण अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा जिस देश से वह संबंधित है, विनिर्माण की मद, प्रत्येक प्रस्ताव में विदेशी इक्विटी का प्रतिशत तथा राशि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूज लेटर के परिशिष्ठ के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाती है।

(ङ) प्रस्तावों का क्रियान्वयन फलारंभ अवधिपर निर्भर करता है, जो विभिन्न परियोजनाओं के मामले में अलग-अलग होती है। इन प्रस्तावों को हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य स्तर में ह्रास

2658. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषकर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के स्वास्थ्य स्तर में ह्रास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उक्त सर्वेक्षण कराया गया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग). जी, नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा गुजरात सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

[अनुवाद]

असम में जलापूर्ति परियोजनाएं

2659. श्री प्रबीन डेका : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान असम में मंजूर की गई जलापूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) फिलहाल केन्द्र सरकार के पास लंबित अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत, नामरूप कस्बे के लिए 135.31 लाख रुपये लागत की स्कीम 1994-95 में मंजूर की गयी थी और राज्य सरकार को 26.06 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(ख) और (ग). आसाम सरकार से पलासवाड़ी, बिलासी पाड़ा, सरथेकड़ी, लाखीपुर, सोनारी, नजीरा, गोसाईगांव कस्बों के लिए सात परियोजना रिपोर्ट मिली थी। राज्य सरकार से तकनीकी मुद्दों पर कतिपय अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे थे, जो अभी नहीं मिले हैं।

स्कीम के दिशानिर्देशों और इस कार्यक्रम के तहत आठवीं योजना में नामरूप कस्बे को मिलाकर आसाम राज्य के लिए 218 लाख रुपये लागत तक की स्कीमें अनुमोदित की जा सकती हैं।

फिरोजाबाद दुर्घटना

2660. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के मुआवजों का भुगतान कर दिया गया है जो अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करते हुए 20 अगस्त, 1995 को फिरोजाबाद रेल दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अंतिम निर्णय के लिए विचाराधीन दावों की संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्रियों द्वारा/की ओर से मुआवजे के लिए अभी तक 193 दावें दायर किए गए हैं। रेल दावा अधिकरण द्वारा डिगरी किए जाने के तुरंत बाद मुआवजे का भुगतान किया जएगा। अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों सहित 291 मारे गए यात्रियों के आश्रितों तथा 212 घायल यात्रियों को 31,83,000/-रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

रेलवे स्टेशन

2661. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे में आसनसोल मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). सुविधाओं में वृद्धि/सुधार करके रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे जहां अपेक्षित होता है, यात्री यातायात की मात्रा में वृद्धि के अनुसार किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। तदनुसार, आसनसोल मंडल में पानागढ़, सत्संगनगर हाल्ट, गलसी, सीमारामपुर, मधुपुर, अंडाल और कुलटी में प्लेटफार्मों की सतह ऊंची करने/विस्तार करने; जसीडीह, विद्यासागर, रानीगंज, पानागढ़, राजबंध, मधुपुर, जमतारा, मानकर, दुर्गापुर और रानीगंज में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार; आसनसोल, दुर्गापुर, मधुपुर, मुगमा, कुलटी और कुमारदुबी में प्लेटफार्म शेडों की व्यवस्था/विस्तार; कालीपहाड़, पराज, कुसुंबा, शंकरपुर और बड़ाचक में विद्युतीकरण/बेहतर रोशनी; आसनसोल में विश्रामगृह के निर्माण तथा दुर्गापुर प्रतीक्षालय के निर्माण से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

चिकित्सा पद्धति

2662. श्री राम कापसे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक योजना की मुख्य विशेषताये क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा तथा कब तक इनका कार्यान्वयन आरंभ हो जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग). जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए 30 जून, 1995 तक देश भर में 1,31,900 उपकेन्द्रों, 21,693 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2385 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों का विस्तृत तंत्र स्थापित किया गया है। द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल रेफरल अस्पताल हैं और वे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करते हैं। मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ दृष्टिहीनता, एड्स और कैंसर जैसे संचारी और असंभारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के

अन्तर्गत शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। देश की जरूरतों के अनुसार चिकित्सा और स्वास्थ्य जनशक्ति तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लोगों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के तंत्र को व्यापक बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए कुछ नई पहलों का प्रस्ताव किया गया है, जैसे विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए वाह्य सहायता जुटाना, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे, अस्पताल/संस्थान सहित जिला स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना, औषध नियंत्रण तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए क्षमता तैयार करना। इसके अलावा, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की सम्भावना का भी पता लगाया जा रहा है।

एस.टी.डी. बूथ

2663. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों को पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ स्वीकृत करने के लिए रेलवे अधिकारियों को जोन-वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और कितने निरस्त किए गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक जोन में प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने बूथ स्वीकृत किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कानपुर में प्रदूषण

2664. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों से प्रदूषण के कारण दमा, श्वासनली-शोथ (ब्रानकाइटिस), एग्जिमा रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कानपुर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने तथा इन रोगों पर नियंत्रण करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) इन रोगों की घटनाओं का आंकलन करने के लिए कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं और न ही ऐसे आंकड़े अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) सरकार ने रोगों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा और उपचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) प्रदूषण पैदा करने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के लिए उत्सर्जन और निस्सारी मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) उद्योगों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(3) उद्योगों के स्थान और प्रचालन के लिए पर्यावरिणक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित करने और प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को तंग जगह से हटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(5) प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरिंग उपस्करों के लिए उत्पाद एवं सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

(6) लघु उद्योग इकाइयों वाले क्षेत्रों में साझे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट स्थापित करने की एक योजना आरंभ की गई है।

(7) प्रदूषण के प्रभावों पर लोगों में जागरुकता प्रदान करने के लिए अभियान।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यक्रम

2665. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से उत्तर प्रदेश/राजस्थान में स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सहायता देने के लिए सम्पर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक की सहायता से राज्य में द्वितीयक स्तर से अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है।

राजस्थान सरकार के दो स्वास्थ्य प्रस्तावों, नामतः (I) 65.24 करोड़ रुपये की कुल लागत से दृष्टिविहीनता की दर 2.24 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक कम करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और (II) विश्व बैंक की सहायता से 108.56 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के विकास के लिए भारत जनसंख्या परियोजना-9, को 94-95 के दौरान मंजूरी दी गई है।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संबंधी नीति

2666. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संबंधी व्यापक नीति बनाकर अपारंपरिक ऊर्जा के विकास पर नए सिरे से बल दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के विकास को नया बल देने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक व्यापक रिन्यूएबल एनर्जी पालिसी तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ की है। तैयार की जा रही इस पॉलिसी में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और अनुप्रयोग के लिए प्रोत्साहन, कुछ अनुप्रयोगों आदि के लिए इसके उपयोग को अनिवार्य करना शामिल है।

प्रसव के दौरान मृत्यु

2667. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु की दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या केन्द्रों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलें इस प्रकार हैं : दाईयों का प्रशिक्षण, गर्भवती महिलाओं का शुरू में ही पंजीकरण, टेटनस टाक्सायड से कवरेज करना, लौह व फालिक अम्ल की गोलियां देना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ जटिलताओं की रोकथाम और आपाती प्रसव परिचर्या।

दूरसंचार प्रणाली

2668. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार प्रणाली के निजीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) रेलवे में इस प्रकार के कार्यों में गहरी रूचि दिखाने वाले दूरसंचार प्रणाली के निजी क्षेत्रों के उद्यमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ठेकों को देने के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) सरकार के पास रेलों की दूर संचार व्यवस्था के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। तथापि, तीन रेलों की दूरसंचार परियोजनाओं की 'बनाइए-मालिक बनिए-पट्टे पर दीजिए-हस्तांतरित कीजिए (बोल्ट)' योजना के अंतर्गत हाथ में लेने के लिए पहचान की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस योजना के नियम और शर्तें अंतिम रूप दिए जाने के अंतिम चरण में हैं जिसके बाद खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

विवरण

(ख) निम्नलिखित फर्मों ने पत्राचार के माध्यम से रूचि दिखाई है :

1. इण्डियन ओवरसीज कार्पोरेशन,
2. स्टर्लिंग ट्रांसटेल लिमिटेड,
3. एडीनो टेलीकॉम लिमिटेड,
4. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड,
5. टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड,
6. हगेस एस्काट्र्स कम्यूनिकेशंस लिमिटेड,
7. कुसुम सर्वो कंपोनेण्ट,
8. वन्दना इण्टरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड,
9. इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
10. सिमेंस कंपोनेंट्स एंड कम्यूनिकेशंस,
11. पंजाब कम्यूनिकेशंस लिमिटेड,
12. दि नेशनल रेडियो एंड इलैक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड,
13. वरुण शिपिंग कंपनी लिमिटेड,
14. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
15. रोहड एंड स्क्वर्ज,
16. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
17. एड्वांस्ड रेडियो मास्टर लिमिटेड,
18. एल्काटेल साउथ एशिया पैसिफिक लिमिटेड,
19. एल्डाइन इलैक्ट्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड,
20. सांघी फिलामेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

2669. श्री अनादि चरण दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में केवल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए यह अस्पताल स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी जो अपनी चिकित्सा के लिए अंशदान देते हैं उन्हें आम जनता के साथ न रख कर विशेष चिकित्सा/अलग चिकित्सा सुविधा मिल सके, क्या कदम उठाए हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए अलग से एक अस्पताल नहीं खोलने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सेवानिवृत्त और कार्यरत लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा उनसे प्रतिमाह कुल कितनी धनराशि एकत्र की जाती है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभानुभोगियों को पृथक उपचार प्रदान किया जाता है :—

1. के.स.स्वा. योजना, खंड सफदरजंग अस्पताल
2. के.स.स्वा. योजना, खंड, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल
3. प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, रा.कृ.पुरम प्रसूति तथा स्त्री रोगों के लिए (30 पंलग)
4. राजपुर रोड पर अस्पताल सभी उद्देश्यों के लिए (25 पंलग)
5. किंग्जवे कैम्प में अस्पताल सभी उद्देश्यों के लिए (12 पंलग)
6. आयुर्वेद अस्पताल अलीगंज आयुर्वेदिक उपचार के लिए (25 पंलग)

(ग) वित्तीय बाधाओं के कारण केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभानुभोगियों के लिए अलग से अस्पताल की स्थापना करना संभव नहीं है।

(घ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभान्वितों की कुल संख्या 1406662 है जिसमें सेवारत, अवकाश प्राप्त, स्वतंत्रता सेनानी आदि सभी शामिल हैं। एकत्र किए अंशदानों के विवरण नीचे दिए गए हैं :—

(1) केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों, भूत पूर्व सांसदों आदि से एकत्र किया गया अशंदान	रु. 9,53,699/- प्रतिमाह
(2) शुल्क दायी विभागों तथा स्वायत्त संगठनों से एकत्र किया गया अंशदान	रु. 31,16,703/- प्रतिमाह

(3) सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का अंशदान संबंधित कार्यालयों/विभागों द्वारा काट लिया जाता है और के.स.स्वा. योजना के संबंधित शीर्ष में उनके ह्रास सीधे ही जमा किया जाता है।

धूमकेतु

2670. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खागोलविदों ने दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य भागों में आगामी मार्च के दौरान पहली बार सौर मंडल के अंदर "द हेल बॉप कॉमेट" के स्पष्ट दृष्टिगत होने की दूसरी आकाशीय घटना पर नजर रखने के लिए अपने टेलिस्कोप को उस दिशा में केन्द्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किये जा रहे प्रारंभिक अध्ययन क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने कावालूर स्थित वेणु बापू वेधशाला में 2.34 मी. दूरबीन का प्रयोग करके धूमकेतु हेल-बॉप के चित्र प्राप्त कर लिए हैं। चित्रों को पहले ही संसाधित कर लिया गया है। तारों के संबंध में धूमकेतु की स्थिति की पैमाइश की जा रही है। धूमकेतु की गति का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए विश्व भर में कम्प्यूटरों के द्वारा भी इन स्थितयों को प्रयोग में लाया जाएगा। कॉमेटरी न्यूक्लियस के चारों ओर धूमकेतु की जांच पड़ताल करने के लिए धूमकेतु के चित्रों का विश्लेषण करने की भी तैयारी की जा रही है।

लघु और कुटीर उद्योग

2671. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार लघु और कुटीर उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या कितनी थी;

(ख) वर्तमान मूल्यों पर इनमें कितने मूल्य का उत्पादन किया गया, इनमें कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और राज्य-वार इनमें कितना निवेश किया गया है; और

(ग) 1991-92 के पश्चात निवेश, रोजगार और उत्पादन-मूल्य के संदर्भ में इनकी अन्तःवार्षिक उत्पादन सम्बन्धी मूल्य विकास दर क्या रही है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निधारित किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 31.12.94 की अवधि तक राज्य/संघ शासित क्षेत्र उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या से संबंधित राज्य वार सूचना इस उत्तर के साथ संलग्न विवरण-I में दी गई है।

कुटीर उद्योग एककों की राज्य-वार संख्या से संबंधित इसी प्रकार के ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन का अनुमानित मूल्य और वर्ष 1994-95 के लिए लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। अनुमानित निवेश की राज्य-वार ब्यौरों सहित सूचना रखी नहीं जाती है। भारत सरकार ने वर्ष 87-88 में पंजीकृत लघु एककों की एक गणनाा की थी जिसमें निवेश संबंधी सूचना दी गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की रिपोर्ट (नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट) के अनुसार वर्ष 1993-94 के संबंध में कुटीर उद्योगों की राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-IV में दी गई है। कुटीर उद्योगों में निवेश संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना निजी उद्यमियों द्वारा स्वयं की जाती है।

(ग) लघु उद्योगों के संबंध में 1991-92 से उत्पादन के मूल्य और रोजगार के रूप में अन्तर-वार्षिक अनुमानित विकास दर नीचे दी गई है :—

(प्रतिशत में)

वर्ष	रोजगार	उत्पादन
1991-92	3.6	3.1
1992-93	3.3	5.6
1993-94	4.0	7.1
1994-95	5.2	10.1

चालू वर्ष (1995-96) के लिए रोजगार और उत्पादन के मूल्य की विकास दर के लक्ष्य क्रमशः 4.2 प्रतिशत एवं 9.1 प्रतिशत हैं।

1991-92 से कुटीर उद्योगों (खादी ग्रामोद्योग) में इसी प्रकार की अन्तर वार्षिक विकास दर नीचे दी गई है :

(प्रतिशत में)

वर्ष	रोजगार	उत्पादन
x x-		
1991-92	3.3	13.7
1992-93	4.6	11.0
1993-94	1.6	12.4
1994-95 (अनंतिम)	3.4	13.3
1995-96 (लक्ष्य)	6.4	21.0

विवरण-I

31 दिसम्बर, 1994 तक पंजीकृत लघु उद्योग एककों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत लघु उद्योग एककों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	138477
2.	अरुणाचल प्रदेश	1121
3.	असम	17103
4.	बिहार	92695
5.	गोवा	5770
6.	गुजरात	113583
7.	हरियाणा	91796
8.	हिमाचल प्रदेश	13255
9.	जम्मू और कश्मीर	24928
10.	कर्नाटक	105674
11.	केरल	116890
12.	मध्य प्रदेश	240556
13.	महाराष्ट्र	75580
14.	मणिपुर	4797
15.	मेघालय	1765
16.	मिजोरम	2693
17.	नागालैंड	704
18.	उड़ीसा	17774
19.	पंजाब	134956
20.	राजस्थान	68873
21.	सिक्किम	261
22.	तमिलनाडु	183838
23.	त्रिपुरा	7224
24.	उत्तर प्रदेश	300345
25.	पश्चिम बंगाल	144943
26.	अंडमान और निकोबार	961
27.	चंडीगढ़	3357
28.	दादरा और नगर हवेली	389
29.	दमन और दीव	562
30.	दिल्ली	38353
31.	लक्षद्वीप	264
32.	पांडिचेरी	4023
	योग	1943519

विवरण–II

वर्ष 1994–95 के लिए पंजीकृत लघु उद्योग एककों में राज्यवार अनुमानित उत्पादन और रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (करोड़ रुपये में)	रोजगार (हजारों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	25283	1104
2.	अरुणाचल प्रदेश	176	12
3.	असम	2058	138
4.	बिहार	5997	727
5.	गोवा	1352	79
6.	गुजरात	24548	1108
7.	हरियाणा	12054	422
8.	हिमाचल प्रदेश	1676	103
9.	जम्मू और कश्मीर	2087	163
10.	कर्नाटक	17287	976
11.	केरल	7797	677
12.	मध्य प्रदेश	13465	635
13.	महाराष्ट्र	51389	1423
14.	मणिपुर	206	41
15.	मेघालय	176	15
16.	मिजोरम	88	18
17.	नागालैंड	764	12
18.	उड़ीसा	4490	277
19.	पंजाब	18992	825
20.	राजस्थान	9926	490
21.	सिक्किम	88	4
22.	तमिलनाडु	30869	2144
23.	त्रिपुरा	206	40
24.	उत्तर प्रदेश	25489	1395
25.	पश्चिम बंगाल	17316	1247
26.	अंडमान और निकोबार	59	7
27.	चंडीगढ़	911	43
28.	दादरा और नगर हवेली	412	9
29.	दमन और दीव	206	4
30.	दिल्ली	17316	488
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	1235	35
	योग	293990	14656

* आधार वर्ष 1987–88 के लिए पंजीकृत लघु उद्योग, एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के आधार पर निकाला गया अनुपात।

विवरण–III

लघु उद्योगों की दूसरी गणना के अनुसार वर्ष 1987–88 के लिए पंजीकृत लघु एककों में अस्थाई परिसंपत्तियों में राज्यवार निवेश

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश (रुपये लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	62580
2.	अरुणाचल प्रदेश	703
3.	असम	9369
4.	बिहार	33334
5.	गोवा	7417
6.	गुजरात	88740
7.	हरियाणा	35590
8.	हिमाचल प्रदेश	8067
9.	जम्मू और कश्मीर	11331
10.	कर्नाटक	66085
11.	केरल	38751
12.	मध्य प्रदेश	26013
13.	महाराष्ट्र	126025
14.	मणिपुर	2078
15.	मेघालय	888
16.	मिजोरम	1388
17.	नागालैंड	729
18.	उड़ीसा	15646
19.	पंजाब	56734
20.	राजस्थान	36438
21.	सिक्किम	784
22.	तमिलनाडु	108584
23.	त्रिपुरा	1473
24.	उत्तर प्रदेश	98096
25.	पश्चिम बंगाल	42925
26.	अंडमान और निकोबार	421
27.	चंडीगढ़	3650
28.	दादरा और नगर हवेली	1226
29.	दमन और दीव	794
30.	दिल्ली	40122
31.	लक्षद्वीप	3620
32.	पांडिचेरी	322
	योग	929603

विवरण–IV

वर्ष 1993–94 के लिए कुटीर औद्योगिक एककों (खादी ग्रामोद्योग) में राज्य–वार अनुमानित उत्पादन और रोजगार

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उत्पादन (लाख रु.)	रोजगार (सं. लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16048.58	3.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.29	*
3.	असम	2424.85	1.02
4.	बिहार	13850.23	3.45
5.	गोवा	502.48	0.06
6.	गुजरात	12157.36	1.01
7.	हरियाणा	7394.27	0.83
8.	हिमाचल प्रदेश	5037.32	0.61
9.	जम्मू और कश्मीर	6284.43	0.92
10.	कर्नाटक	16060.19	1.72
11.	केरल	11065.68	1.88
12.	मध्य प्रदेश	8755.32	0.92
13.	महाराष्ट्र	53796.81	4.81
14.	मणिपुर	2216.53	0.39
15.	मेघालय	876.56	0.12
16.	मिजोरम	754.59	0.05
17.	नागालैंड	382.64	0.05
18.	उड़ीसा	4227.17	1.31
19.	पंजाब	12405.71	1.49
20.	राजस्थान	29724.98	4.83
21.	सिक्किम	263.39	0.06
22.	तमिलनाडु	45467.13	10.34
23.	त्रिपुरा	2070.17	0.44
24.	उत्तर प्रदेश	55579.25	10.28
25.	पश्चिम बंगाल	13148.01	3.02
26.	अंडमान और निकोबार	91.46	*
27.	चंडीगढ़	467.89	0.01
28.	दादरा और नगर हवेली	1.17	—
29.	दमन और दीव	—	—
30.	दिल्ली	1931.38	0.2
31.	लक्षद्वीप	42.5	*
32.	पांडिचेरी	421.19	0.04
	योग	323385.53	53.28

नोट : पांच सौ से कम रोजगार दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

2672. श्री ललित उरांव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में चल रही अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों और श्रम संगठनों से कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अनियमितताओं के बारे में संसद सदस्यों और श्रमिक संगठनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एवं कामगार परिसंघ का एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसे एक संसद सदस्य ने अग्रसरित किया है। इसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना में कमियों पर चिन्ता प्रकट की गई है और उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया है। सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सिकंदराबाद के निकट दुर्घटना

2673. श्री एस.एम. लालजान बाशा :
श्री जे. चोक्का राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेलवे में 18 नवबंर, 1995 को सिकंदराबाद के पास घाटकेसर में हुई रेल दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है;

(ख) दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए; और

(घ) प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भुगतान की गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां। रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य सर्किल ने दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के चारलापल्ली और घाटकेसर स्टेशनों के बीच 18.11.95 को 7048 डाउन गौतमी एक्सप्रेस गाड़ी की हुई दुर्घटना की जांच की है।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेलपथ के साथ अनधिकृत रूप से छेड़–छाड़ करने के कारण हुई थी।

(ग) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान गई तथा 19 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं और 49 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(घ) निम्नलिखित अनुसार 74,500/-रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है :—

(1) मृत्यु के एक मामले में 10,000/-रु.

(2) गंभीर चोटों के 18 मामलों में प्रत्येक को 2000/-रु.

(3) गंभीर चोट के एक मामले में 4000/-रु.

(4) मामूली चोटों के 49 मामलों में प्रत्येक को 500/-रु. रेल दावा अधिकरण द्वारा इन मामलों के संबंध में डिगरियां देने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार

2674. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और आणविक विद्युत निगम का विचार परमाणु विद्युत संयंत्रों के विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का परमाणु विद्युत संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रम हेतु विदेशों से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की गई परमाणु विद्युत कार्यक्रम की रूपरेखा के अन्तर्गत नाभिकीय विद्युत की स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए 220 मेगावाट और 500 मेगावाट क्षमता वाले कई परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, इन परियोजनाओं को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने का काम धन की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। रूस की सहायता से कुडानकुलम में 2x1000 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

नसबन्दी

2675. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षित, पुनः संतानोत्पत्ति के योग्य बनाने एवं समस्या रहित नसबंदी आपरेशन के बावजूद नलबंदी की तुलना में नसबंदी स्वीकार करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत ही कम है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बंध्याकरण स्वीकार करने वाले उन पुरुषों और महिलाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं जिनका आपरेशन किया जा चुका है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान किए गए पुरुष तथा महिला नसबन्दी आपरेशन

नसबन्दी आपरेशन

वर्ष	पुरुष	महिला
1992-93	1,50,719	41,35,587
1993-94	1,49,741	43,45,912
1994-95 (अनन्तिम)	1,35,363	43,70,589

मन्द बुद्धि उपचार अस्पताल

2676. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर, कर्नाटक में एक मन्द बुद्धि उपचार अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ तेल उत्पादक देशों द्वारा सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग). रायचूर में एक अस्पताल परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है। 6.6.1991 को 9 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर ओपेक फंड के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। तथापि, ऋण राशि में से अभी कोई धनराशि नहीं ली गई है।

फालतू पुर्जों का आयात

2677. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के सशस्त्र बलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किये गये कल पुर्जों मे आयात का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पिछले 3 वर्षों के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के आयात पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	मूल्य (लाख रुपए में)
1992-93	27,937.82
1993-94	36,689.16
1994-95	67,266.95

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयुध प्रदर्शनी

2678. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रामपाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयुध प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में दुबई में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की किसी आयुध कम्पनी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख). दुबई में नवम्बर 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय वायुयान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ). प्रत्येक वर्ष दो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में हमारी सभी उत्पादन यूनिटें भाग लेती हैं। इन यूनिटों ने अन्यों के साथ-साथ, मार्च, 1995 में आबू धाबी में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए अलग-अलग उत्पादन यूनिटें अनेक अन्य प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं। इनमें से किसी ने भी दुबई वायुयान प्रदर्शनी में प्रतिनिधित्व करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। तथापि, आयोजकों के निमंत्रण पर एक सरकारी शिष्टमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

[अनुवाद]

असम में पेय जल

2679. श्री प्रवीन डेका : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के कई जिलों में पेय जल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो असम में पर्याप्त मात्रा में पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख). जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के नाते शहरी जल आपूर्ति स्कीमों का नियोजन, डिजायन कार्यान्वयन, देखरेख, प्रचालन और अनुरक्षण राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों/जल बोर्डों द्वारा किया जाता है। आसाम के विभिन्न जिलों में पानी की भारी कमी बाबत आसाम सरकार से इस मंत्रालय में कोई सूचना नहीं मिली है।

तथापि, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 1994-95 के दौरान नामरूप कस्बे के लिए 135.31 लाख रुपये लागत की एक स्कीम स्वीकृत की गयी थी। आसाम सरकार से पलासवाड़ी, बिलसीपाड़ा, सारथेबाड़ी, लसीपुर, सोनारी, नजीरा, गोसाईगांव कस्बों के लिए सात अन्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिली हैं। तकनीकी मुद्दों पर राज्य सरकार से कुछ सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं जो अभी नहीं मिले हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के तहत स्कीम के दिशानिर्देशों और सुलभ धन के आधार पर नामरूप कस्बे सहित आसाम राज्य के लिए 218 लाख रुपये लागत तक की स्कीमें मंजूर की जा सकती हैं।

ग्रुप "डी" को रेल पास

2680. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन ग्रुप "डी" रेल कर्मचारियों को रेल पासों के 2 सेट देने के लिए कोई आदेश जारी किया है जो 1994 के दौरान और इसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1994 से पहले के सेवानिवृत्त ग्रुप "डी" रेल कर्मचारियों को रेल पासों के दो सेट नहीं दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों को पासों के दो सेट देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ). ग्रुप "घ" के वे रेल कर्मचारी, जिनकी न्यूनतम रेल सेवा 25 वर्ष है तथा जो 1.7.1993 से पहले सेवा निवृत्त हो गए हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1 सैट सेवा निवृत्त पश्चात मानार्थ पास के और जो 01.7.1993 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं वे प्रतिवर्ष 1 सेट सेवानिवृत्त पश्चात् मानार्थ पास के लिए अर्हक हैं।

[हिन्दी]

हिंदी का प्रयोग

2681. श्री राम सिंह कस्वां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में उच्च न्यायालयों की कार्यवाही तथा निर्णयों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा प्राधिकृत है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाही तथा निर्णयों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक विधेयक लाने का है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) चार राज्यों, अर्थात्, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए कार्यवाहियों और निर्णयों डिक्रियों, आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया है।

(ख) और (ग). संसदीय राजभाषा समिति ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों (जिसके अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय भी है) में हिंदी के प्रयोग की बाबत अपनी रिपोर्ट की पांचवीं जिल्द में यथाअंतर्विष्ट कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के संबंध में प्रक्रिया करने के उद्देश्य से, सभी मंत्रालयों विभागों राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्रों और उच्च न्यायालय के विचार टिप्पणियां मांगे गए/मांगी गई हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेलगाड़ियों का ठहराव

2682. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) इनकी जांच की गई थी और 1995 के दौरान निम्नलिखित ठहरावों की व्यवस्था की गई है :—

1. उमरी-7569/7570 सिकन्दराबाद-मुदखेड़ एक्सप्रेस-21.2.95।
2. नासिक रोड-1147/1148 दादर-मुजफ्फरपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस-1.3.95।
3. सेवाग्राम-7489/90 वाराणसी-कोचीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और 7491/7492 वाराणसी-तिरूपति एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)-1.4.95।
4. दादर-14 अप बलसाड फास्ट पैसेंजर-1.5.95।
5. थाणे-1 के.आर./2 के. आर. खेड़-दादर पैसेंजर-15.11.95।
6. चांदूर-1005/1006 विदर्भ एक्सप्रेस-25.11.95।
7. नरखेड़-2615/2615 जी.टी. एक्सप्रेस-25.11.95।
8. दुधनी-1013/1014 बेंगलूरू-कुर्ला एक्सप्रेस-2.12.95।

इसके अलावा लगभग 30 अन्य मार्गों की भी जांच की गई थी परन्तु उन्हें, औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

विमानों के ऊपर स्टैल्थ कोटिंग

2683. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इंडिया डेवेलप्स स्टैल्थ कोटिंग फार प्लेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समाचार की जांच की है और उसे सत्यापित किया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी भनक अमरीका को कैसे मिली;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विज्ञान अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रेडार अवशोषक सामग्रियों के संबंध में कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ). इस समाचार में कुछ गलत सूचना दी गई है। इस प्रकार की सामग्रियां अभी भी विकास-चरण में हैं तथा इन्हें सेना के उपयोग के लिए शामिल नहीं किया गया है। संवेदनशील सूचना/प्रौद्योगिकी कहीं भी लीक नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गंदी बस्तियों में जन सुविधाएं

2684. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली में केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी गंदी बस्तियों को जन-सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

2685. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों को विशेष रूप से केवल पुरूषों अथवा महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महिला रोगियों की जांच केवल महिला चिकित्सकों द्वारा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) विशेष रूप से केवल पुरूष अथवा महिला डाक्टरों द्वारा संचालित किए जा रहे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय/एकक इस प्रकार हैं :—

होम्योपैथिक (केवल महिला डाक्टरों द्वारा संचालित)

(i) देव नगर औषधालय
(ii) राजौरी गार्डन एकक
(iii) तिमारपुर एकक
(iv) दरियागंज एकक

आयुर्वेदिक (केवल पुरुष डाक्टरों द्वारा संचालित)

(i) देव नगर औषधालय
(ii) नांगल राय एकक

यूनानी चिकित्सा पद्धति में केवल पुरूष अथवा महिला डाक्टरों द्वारा संचालित कोई औषधालय नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की होमियोपैथिक पद्धति में महिला डाक्टरों की संख्या अधिक है जबकि आयुर्वेदिक पद्धति में पुरुष डाक्टरों की संख्या अधिक है।

(ग) महिला डाक्टर की अनुपलब्धता की स्थिति में महिला रोगियों को अन्य एककों, जहां महिला डाक्टर उपलब्ध होती है, को भेजा जा सकता है।

यात्रा टिकटों का विस्तार

2686. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों द्वारा रेलगाड़ियों में यात्रा विस्तार हेतु किराए का भुगतान किए जाने के बावजूद भी उन्हें यात्रा के विस्तार की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे विभाग का विचार यात्रियों को यात्रा-टिकटों के विस्तार को किस प्रकार से सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी यात्रा में परिवर्तन करने हेतु अन्य क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख). रेलें, यात्रा के बढ़ाए गए हिस्से के लिए पूरे किराए के भुगतान करने पर यात्रियों को गाड़ियों में यात्रा बढ़ाने की अनुमति दे रही है।

(ग) यात्री अपनी टिकट पर यात्रा बढ़वाने के लिए गाड़ी के सवारी डिब्बों में तैनात चल टिकट परीक्षक/संवाहक से संपर्क कर सकते हैं।

(घ) अन्य मौजूदा सुविधाओं में टिकट पर पृष्ठांकन करवाकर रास्ते में यात्रा भंग करना तथा एकहरी टिकट पर ग्रुप में यात्रा करने वाले लोगों में से कुछ लोगों की यात्रा बढ़ाना शामिल है इस संबंध में और सुविधाओं की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा

2687. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उपयोग करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) और (ख). राज्य में संभाव्यता वाले स्थलों का पता लगाने के लिए पवन संसाधन आंकलन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर

प्रदेश में 9 पवन मानीटरिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभी इन स्टेशनों की स्थापना की जानी है। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा पहले आरंभ किए गए दो स्टेशनों से इन दो स्थानों पर पर्याप्त संभाव्यता सामने नहीं आई है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन

2688. श्री प्रबीन डेका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान असम में किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण संबंधी कार्य चल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए राज्य में इस प्रयोजनार्थ कुछ और रेलवे स्टेशनों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ). सुविधाओं में वृद्धि/सुधार के जरिए रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा तब किया जाता है। जब जहां कहीं यातायात आवश्यकताओं के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित हो बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो और इसके लिए सापेक्ष प्राथमिकताएं हो। विभिन्न स्टेशनों पर आधुनिकीकरण के अपेक्षाकृत छोटे कार्यों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों के दौरान न्यू बोंगईगांव और गुवाहाटी रेलवे स्टेशनों को "आदर्श स्टेशन" योजना के अंतर्गत विशिष्ट रूप से आधुनिकीकृत किया गया है। 1995-96 में, डिब्रूगढ़ लेडी, बदरपुर, लोअर हाफलांग, लमडिंग तथा सिलचर स्टेशनों पर स्टेशन इमारतों में सुधार; जोरहाट टाउन, मरियानी, शिवसागर टाउन तथा सिमलगुड़ी पर यात्री सुविधाओं में सुधार; बड़पेटा रोड, बसुगांव, फकीराग्राम, गोसाईंगांव हाट, कोकराझार, नॉर्थ लखीमपुर, रंगिया, तिहु, अलीपुरद्वार जंक्शन, धूपगुड़ी, घोकसाडंगा, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार तथा किशनगंज स्टेशनों पर प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था/विस्तार और धुबई, गोगामुख, गोहपुर, हरमुटी, मुरकोंग सेलक, शिलापत्थर, सोरभोग, विश्वनाथ चरियाली तथा दलखोला स्टेशनों पर, जल आपूर्ति में सुधार, से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। इनमें से, लीडो, कोकराझार नॉर्थ लखीमपुर, रंगिया, विश्वनाथ चरियाली और किशनगंज स्टेशनों से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, तथा शिलापत्थर से संबंधित कार्यों को 1996-97 में पूरा करने का लक्ष्य है और शेष कार्यों को चालू वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

मद्रास में कम लागत की सफाई योजना

2689. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मद्रास में कम लागत की सफाई योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख). भारत सरकार की नीति देशभर में कमखर्च की सफाई-व्यवस्था कार्यक्रम चलाने की है। आवास एवं नगर विकास निगम (हडको), राज्य सरकारों/संघ राज्यों से परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई करने, इमदाद (सब्सिडी) और कर्ज जारी करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास शहर के लिए कम खर्च की सफाई की कोई स्कीम नहीं भेजी है। जैसे ही ऐसा कोई प्रस्ताव मिलेगा तो उस की, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, जांच की जायेगी।

(ग) इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के लिए केन्द्रीय सरकार की सब्सिडी राज्य और लाभार्थी के अंशदान का प्रावधान इस प्रकार है :—

	केन्द्रीय सरकार की सब्सिडी	राज्य अंशदान	लाभार्थी अंशदान
ई.डब्ल्यू.एस.	45%	50%	5%
एल.आई.जी.	25%	60%	15%
एम.आई.जी./ एच.आई.जी.	शून्य	75%	25%

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड

2690. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सेवा के कार्यरत/अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के बेरोजगार तथा आश्रित लड़के तथा लड़कियां तथा रिश्तेदार जो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ 25 वर्ष की उम्र के बाद लेने का अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ कार्यरत/अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को उनके रोजगार मिलने तक जारी रखने संबंधी अपने वर्तमान निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा का अर्थ है पति अथवा पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, सौतेले बच्चे और माता पिता, बहनें, विधवा बहनें, विधवा पुत्रियां, छोटे भाई और बच्चे जो मुख्य रूप से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर हैं और सामान्यतः उनके साथ रह रहे हैं।

तथापि, पुत्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जब तक कि वे जीविका उपार्जन करने लगें अथवा उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाए, जो भी पहले हो। किसी भी प्रकार की किसी स्थायी विकलांगता (शारीरिक अथवा मानसिक) से पीड़ित पुत्र आयु-सीमा की शर्त के बिना केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का पात्र है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

डी.डी.ए.फ्लैटों का आवंटन

2691. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन व्यक्तियों को, जिन्होंने डी.डी.ए.फ्लैटों के लिए आवेदन किया था परन्तु फ्लैट की कीमत में वृद्धि/आवंटन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण अपना पैसा वापस ले लिया, परेशान किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पैसे की वापसी के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने व्यक्तियों का पैसा वापस कर दिया गया है;

(ग) आवेदकों के पैसा की वापसी में अधिक से अधिक और कम से कम कितना समय लगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस कार्य में देरी न होने देने के लिए कोई सरल प्रक्रिया तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के.धवन) : (क) कुछ डी.डी.ए.आवेदको से फ्लैट मूल्य वृद्धि, विलम्ब आदि बावत अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ख). डी.डी.ए. ने बताया है कि 1.1.1994 से 30.11.95 तक धनवापसी के 21,266 आवेदन मिले थे। उनमें से 18,801 आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

(ग) प्रचलित निर्देशों के अनुसार धनवापसी 45 दिन के भीतर की जाती है। लेकिन कुछ मामलों में विलम्ब हो जाता है जो अपेक्षित मूल दस्तावेज आवेदकों द्वारा जमा न कराने और पुराने मामलों बावत रिकार्ड को तलाशने में लगे समय के कारण होता है।

(घ) और (ङ). धन वापसी मामलों पर शीघ्र कार्रवाई में मदद हेतु एक नया तरीका अपनाया गया है जिसके तहत आवेदक को एक फार्म भराकर अपेक्षित दस्तावेज शुरू में ही जमा करा लिया जाता है। धन वापसी कार्रवाई प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। वर्ष 1994-95 में घोषित आवास स्कीमें इस प्रकार तैयार की गयी हैं, ताकि स्कीम विशेष में आवेदन करने पर उसकी पावती सहित सादा आवेदन पर धनवापसी करना आसान हो जाता है।

लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलना

2692. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने के बारे में 21 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में संशोधित आदेश अब तक जारी किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) संशोधित आदेश को कब तक जारी किया जायेगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). इस स्कीम को और अधिक युक्तिसंगत और सरल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना

2693. डा. साक्षीजी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नेहरू रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ख) तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार को नेहरू रोजगार योजना के तहत गत दो वर्षों अर्थात् 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान 3261.08 लाख रु. की केन्द्रीय राशि दी गई है। केन्द्रीय धन जिला प्रशासनों को सीधे न देकर राज्य सरकार को दिया जाता है। जिला-वार इन आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों के आस-पास के क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे

2694. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों के आस-पास के सुरक्षित क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जों के कारण पक्षियों के विमान से टकराने से होने वाली विमान दुर्घटनाओं से प्रति वर्ष भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1980 के वायुयान अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). हवाई अड्डों के आस-पास अधिक्रमणों के कारण वायुयान से पक्षियों के टकराने से संबंधित किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ). वायुयान अधिनियम 1934 में वर्ष 1988 में संशोधन किया गया था। इस समय वायुयान अधिनियम 1934 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वायुसेना का आधुनिकीकरण

2695. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना को अधिक कारगर बनाने के लिए इसके विमान बेड़े का अधुनिकीकरण करने और इसे अद्यतन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसके पीछे योजना यह है कि इसे कम संख्या वाला परन्तु अधिक प्रभावशाली सैन्य बल बनाया जाए। तदनुसार, पुरानी परिसम्पतियों को बदलने के उद्देश्य से बेहतर प्रौद्योगिकी वाले युद्धक वायुयान व शास्त्र प्रणालियां शामिल करके और मौजूदा परिसम्पतियों की मिशन कारगरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त मिडलाइफ अपग्रेड का कार्य शुरू करके भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

डी.डी.ए. फ्लैटों की कीमतें

2696. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों में प्रत्येक श्रेणी के डी.डी.ए. फ्लैटों की वर्तमान कीमतें कितनी है;

(ख) क्या कीमतों में मनमानी वृद्धि कमजोर वर्ग/मध्य आय समूह को आवास प्रदान करने की सरकार की नीति के प्रतिकूल है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने अनबंटियों ने अपना आवंटन स्वीकार नहीं किया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उनके विभिन्न श्रेणी फ्लैटों का वर्तमान सांकेतिक लागत मूल्य इस प्रकार है :

जनता	= 1.49 से 1.53 लाख रुपये
एल आई जी	= 3.00 से 3.50 लाख रुपये
एम आई जी	= 5.50 से 6.00 लाख रुपये
विस्तार मुंचाइश के मकान	
टाइप ए	= 1.90 से 3.76 लाख रुपये
टाइप बी	= 4.32 से 5.21 लाख रुपये
एस एफ एस श्रेणी-II	= 6.07 से 8.90 लाख रुपये
एस एफ एस श्रेणी-III	= 8.37 से 11.50 लाख रुपये

(ख) ऐसा कोई अध्ययन /सर्वे नहीं किया गया है। तथापि, डी डी ए फ्लैटों का मूल्य निर्धारण "बिना लाभ-हानि" आधार पर किया जाता है। फ्लैटों को और सस्ता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

(i) जनता फ्लैट तथा एल आई जी फ्लैटों का भूमि घटक के कारण देनदारी को दोहरी रियायत (क्रास सब्सिडाइजेशन) के जरिए कम किया गया है।

(ii) जनता फ्लेटों के लिए ऊपरी प्रभारों की गणना घटी दरों पर की जाती है।

(ग) इस अवधि में आवंटन स्वीकार न करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

ई डब्लू एस	= 3021
एल आई जी	= 3073
एम आई जी	= 5294

यूरेनियम का उत्पादन

2697. डा. वसंत पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में उत्पादित यूरेनियम की कुल मात्रा क्या है;

(ख) क्या उत्पादित यूरेनियम पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो संवर्द्धित यूरेनियम की मांग का क्या प्रतिशत है;

(घ) क्या मांग की पूर्ति घरेलू स्त्रोतों से की जाती है; और

(ङ) उन देशों के क्या नाम हैं जो परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए संवर्द्धित यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). देश में उत्पादित यूरेनियम की मात्रा के बारे में जानकारी देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। तारापुर को छोड़कर हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों में काम में लाए जाने वाले प्राकृतिक यूरेनियम का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में देश में ही किया जाता है। आयात किए जाने वाले कम समृद्ध यूरेनियम, जिसका उत्पादन देश में नहीं किया जाता है, को तारापुर में उसके परिचालन के लिए काम में लाया जाता है।

(ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1969 से 1980 तक और फ्रांस ने वर्ष 1983 से 1993 तक तारापुर के लिए कम समृद्ध यूरेनियम सप्लाई किया। तारापुर में काम में लाए जाने के लिए कम समृद्ध यूरेनियम का आयात चीन से किया गया है।

रेल और सड़क परिवहन योजना

2698. श्री विजय एन. पाटील : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्वीकृत रेल और सड़क परिवहन योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेल और सड़क परिवहन नेटवर्क के समन्वित विकास का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है और सरकार का इस परियोजना हेतु किस प्रकार धनराशि जुटाने का विचार है;

(घ) कब तक इसे क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) परिवहन सेक्टर की कार्यात्मक योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) योजना बोर्ड ने अपनी 17.11.95 की बैठक में मंजूर कर दी है।

(ख) कार्यात्मक योजना के सड़क और रेल नेटवर्क इस प्रकार हैं :

I. सड़क नेटवर्क

1. दिल्ली में पैरीमीटर एक्सप्रेस वे।
2. दिल्ली में रिंग रोड पर उठी हुई एक्सप्रेस वे।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना।
4. निम्नलिखित एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण :
   - फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद
   - दिल्ली - गाजियाबाद- मेरठ
   - पानीपत - कॉडली - गाजियाबाद
   - दिल्ली - खुर्जा
5. क्षेत्रीय सड़कों (बाहरी और आन्तरिक ग्रिड सड़कें) का विकास।

II. रेल नेटवर्क

1. दिल्ली में रिंग रेल का विस्तार
2. दिल्ली में 4 दिशाई टर्मिनलों को जोड़ने वाला पैरीमीटर रेल कॉरीडोर।
3. पूरक सेवा के रूप में दिल्ली में तेजगति ट्रामवे प्रणाली।
4. दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय से केन्द्रीय सचिवालय तक उत्तर से दक्षिण को भूमिगत रेल कॉरीडोर।
5. यात्रियों के आवागमन हेतु एन सी आर कस्बों (गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ कोंडली, पानीपत, मेरठ, खुर्जा, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी और अलवर) के लिए दिल्ली से रेडियल लाइनों के साथ-साथ अतिरिक्त रेल पथों का निर्माण।
6. एन सी आर कस्बों (मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी-धारूहेड़ा-भिवंडी, गुड़गांव, अलवर, बुलंदशहर-खुर्जा, बरेली, कोटा और ग्वालियर) में तेज गति ट्रामवे प्रणाली।

(ग) समग्र योजना दो चरणों की है। पहले चरण के लिए 13,900 करोड़ रुपये और समग्र योजना के लिए 26,350 करोड़ रुपये के निवेश करने का विचार है।

प्रस्तावित धन के स्रोत साझे तौर पर केन्द्र और राज्य सरकारों की बजट सहायता से बनाओ, चलाओं, छोड़ दो (बोट) तथा बनाओ, चलाओ-पट्टे पर सौंपे (बोल्ट) की नई तकनीक के जरिये निजी क्षेत्र की वित्तीय भागीदारी से जुटाने का कार्यक्रम है।

(घ) योजना की रूपरेखा अगले 10 वर्षों के लिए तथा समग्र योजना 15 वर्षों के लिए बनाई गई है। तथापि, इसके आरंभ होने की सही तारीख बाबत अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत परियोजना

2699. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर परमाणु विद्युत परियोजनायें आरम्भ की गई हैं और उनके आरम्भ होने की तारीखें क्या-क्या हैं;

(ख) इन परमाणु विद्युत परियोजनाओं से कितना विद्युत उत्पादन होता है;

(ग) उसमें लगातार कुप्रबन्ध और विद्युत उत्पादन में व्यवधान के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेषज्ञों से इस संबंध में जांच करवायी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(च) इन परियोजनाओं और विद्युत उत्पादन को पुनः चालू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(छ) इन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ज) राजस्थान को विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है क्योंकि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के बन्द हो जाने के कारण राज्य को विद्युत का घाटा हुआ है;

(झ) क्या केन्द्रीय सरकार को उस राज्य से विभिन्न अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उपलब्ध करवाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का यूनिट I तथा II राजस्थान में रावतभाटा नामक स्थान पर अवस्थित हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-I का निर्माण-कार्य वर्ष 1964 में शुरू किया गया था और यूनिट-II का वर्ष 1968 में। इन यूनिटों ने क्रमशः दिसम्बर, 1973 में और अप्रैल, 1981 में वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरू कर दिया था।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1 और 2 से अब तक उत्पादित बिजली की कुल मात्रा लगभग 23700 मिलियन किलोवाट घंटा है जिसमें, वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू करने से पहले हुआ उत्पादन और निकटवर्ती भारी पानी संयंत्र को सप्लाई की गई भाप के बराबर की बिजली शामिल है।

(ग) से (च). इन बिजलीघरों की प्रबन्ध व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-I जोकि भारत का पहला दाबित भारी पानी रिएक्टर है, कनाडा के सहयोग से निर्मित एक प्रोटोटाइप रिएक्टर था और उसने वर्ष 1973 में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया था। इस यूनिट के कार्य-निष्पादन पर उपस्करों से संबंधित समस्याओं की वजह से प्रभाव पड़ा है और इस यूनिट को पिछले कई वर्षों के दौरान लम्बी अवधियों के लिए बंद रखा गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तकनीकी और आर्थिक अध्ययनों के आधार पर, इस रिएक्टर के निरंतर परिचालन के बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 ने वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन करना अप्रैल, 1981 में शुरू किया था और इस यूनिट का कार्य-निष्पादन काफी अच्छा रहा है और इसने 60 प्रतिशत समग्र क्षमता गुणक हासिल किया है। इस यूनिट को इसकी शीतलक ट्यूबों के विस्तृत निरीक्षण और इन्हें एक साथ बदलने के लिए अगस्त, 1994 में बंद किया गया था। इस काम में लगभग तीन वर्ष लगने की संभावना है।

(छ) शीतलक ट्यूबों को एक साथ बदलने, और राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 को अपग्रेड करने पर आने वाली अनुमानित लागत 253 करोड़ रुपए है। इस कार्य पर अक्तूबर, 1995 तक किया गया व्यय लगभग 8 करोड़ रुपए है।

(ज) से (ञ). भारत सरकार को राजस्थान में विद्युत सप्लाई की मौजूदा स्थिति की जानकारी है और वह राजस्थान को अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उत्तरी क्षेत्र के सभी स्रोतों का पता लगा रही है। राज्य सरकार ने भी विद्युत की अधिक मात्रा के आबंटन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ताकि वे अपनी मौजूदा कठिन स्थिति से उबर सकें। राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र ग्रिड में विभिन्न केन्द्रीय बिजलीघरों से बिजली के सामान्यत : मिलने वाले हिस्से के अलावा, बिजली की अतिरिक्त सप्लाई नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार दी जानी है :

क्र. सं.	अतिरिक्त आबंटनों का ब्यौरा	अतिरिक्त आबंटन का स्थापित क्षमता तुल्य
1.	आटां जी पी एस का एक तिहाई उत्पादन	110 मेगावाट
2.	उत्तरी क्षेत्र में औरय्या जी पी एस को छोड़कर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बिजलीघरों के अनार्बाटित हिस्से में से 50 प्रतिशत भाग, जिसका तमाम अनार्बाटित उत्पादन मध्य प्रदेश को दिया गया है	325 मेगावाट
3.	दादरी जीपीएस में उत्तर प्रदेश के 33.1 प्रतिशत हिस्से में से 50 प्रतिशत भाग इन्हें देना	135 मेगावाट
4.	चमेरा हाइडल परियोजना का 25 प्रतिशत	130 मेगावाट

[हिन्दी]

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

2700. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र में विद्युत का उत्पादन फिर से शुरू करने का है;

(ख) क्या इस विद्युत केन्द्र से रेडियोधर्मी जल निकलने के कारण समीपवर्ती गांवों को हमेशा खतरा बना रहता है;

(ग) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का छोड़ा जाना और इसके कारण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य को उत्पन्न हुए खतरों के संबंध में विस्तृत जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तारापुर का पहला यूनिट 7.12.95 से काम कर रहा है और दूसरा यूनिट वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद किए जाने से संबंधित कार्यों को पूरा हो जाने के बाद चालू कर दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). तारापुर परमाणु बिजलीघर से किसी रेडियो सक्रिय जल का रिसाव नहीं हुआ था। अप्रैल, 1995 में, तारापुर स्थित अपशिष्ट पदार्थ अचलीकरण संयंत्र से मामूली-सा रिसाव हुआ था, तारापुर परमाणु बिजलीघर से नहीं। इस बारे में पूरी तरह से जांच की गई थीं। जांच संबंधी रिपोर्टों से निम्नलिखित के बारे में पता चला :

(i) रिसाव मामूली किस्म का था।

(ii) रिसाव से उन्मुक्त हुई रेडियोसक्रियता की मामूली-सी मात्रा को भी अपशिष्ट पदार्थ अचलीकरण संयंत्र परिसर में ही परिरूद्ध रखा गया।

(iii) इस संयंत्र परिसर से बाहर आबादी वाले क्षेत्र में किसी प्रकार का रेडियोसक्रिय संदूषण नहीं फैला था। पर्यावरण, जिसमें समीप के गांव के जल के स्रोत भी शामिल थे, संदूषित नहीं हुआ था।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय घटना पैमाने के अनुसार, यह घटना पहले स्तर, जोकि न्यूनतम स्तर है, में वर्गीकृत की गई है और इसे केवल एक अनियमितता समझा गया था।

[अनुवाद]

सफाई की व्यवस्था

2701. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले इलाकों में सफाई की समुचित व्यवस्था करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर परिषद (एन डी एम सी) द्वारा सूचित योजना ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

योजना ब्यौरे

नई दिल्ली नगर परिषद (एन डी एम सी) ने बताया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कूड़े-कचरे शीघ्र निपटान और स्वच्छता-प्रबंध के कारगर रख-रखाव के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

1. सफाई-कर्मचारी कार्यदल का सुदृढ़ीकरण :

कूड़े-कचरे की शीघ्र हटाने के लिए सफाई कर्मचारी कार्यदल रात्रि में कार्य करेगा। नई दिल्ली नगर परिषद में कार्यदल में लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं है और उनके लिए रात्रि के समय काम करना कठिन होगा। इस स्थिति से निपटने के लिए, मौजूदा रिक्तियों को प्राथमिकता आधार पर भरने के अलावा, नियमित हाजिरी रजिस्टर आधार पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जायें। तत्काल उपाय के रूप में मौजूदा बरसाती पानी की निकासी से संबंधित लगभग 200 बेलदारों को सफाई-कार्यों में लगाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कूड़ा-कचरा हटाने के लिए कार्यदल की उपलब्धता बाधा न हो तथा समस्त उपलब्ध मानव-शक्ति को सफाई-कार्यों के लिए प्रभावी ढंग से लगाया जाएगा।

2. कूड़ा-कचरा उठाना और उसकी ढुलाई :

कूड़े-कचरे को शीघ्र हटाने, इसे नियमित रूप से उठाने और ढोने के लिए वाहनों की संख्या तत्काल बढ़ाई जाएगी।

प्रभावी सफाई-प्रबंध तथा कूड़े-कचरे को हटाने का काम करेगी। कूड़ा-कचरा उठाने के लिए अतिरिक्त 350 ट्रालियां तथा 400 ठेले खरीदे जा रहे हैं और समुचित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए संसद, सैन्ट्रल विस्टा इत्यादि के आस-पास के क्षेत्रों को मिलाकर एक नया सेनिटेशन सर्किल बनाया जा रहा है और इसके अलावा, चार सहायक सफाई निरीक्षक तथा एक सफाई निरीक्षक के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा रहा है।

3. नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण :

कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 14 सर्किलों के लिए नोडल अधिकारी, जो अपने संबंधित क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे, घोषित करते हुए मौजूदा पर्यवेक्षण पद्धति को सुदृढ़ किया गया है।

4. डलावों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति :

नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में डलाव हैं। आरंभ में मुख्य सड़कों पर स्थित 100 महत्वपूर्ण डलावों का पता लगाया गया है जिनमें से प्रत्येक के लिए एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी कि कूड़ा-कचरा डलाव के आस-पास बिखरा न हों। इस प्रयोजनार्थ, आरंभ में बरसाती पानी की निकासी में लगे 100 बेलदारों की सेवाएं ली जाएंगी। उद्यानकृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निदेश जारी किए जा रहे हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उद्यानकृषि अपशिष्ट सड़कों के किनारे अव्यवस्थित रूप से इकठ्ठा न हो और इसे कूड़ा-कचरा इकठ्ठा करने के स्थानों अथवा अन्य निर्धारित स्थानों पर ही फेंका जाये ताकि ये अपशिष्ट सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से हटाए जा सकें।

5. हर घर से कूड़ा-कचरा एकत्र करना तथा गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी :

परिषद द्वारा आरंभ की गई घर-घर जा कर कचरा इकठ्ठा करने की योजना कुछ कोलोनियों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है जिसके परिणाम उत्साहजनक है। यह योजना अन्य कालोनियों में चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा रेजीडेन्टस् एसोसिएशनों के सहयोग और भागीदारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों और रेजीडेन्ट एसोसिएशनों को घर-घर जा कर कूड़ा-कचरा इकठ्ठा करने तथा इसकी छटाई के लिए सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाएगा तथा निजी अभिकरणों को संपूर्ण नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय ब्लाकों के रख रखाव के लिए सम्बद्ध किया जाएगा।

6. आटो वर्कशॉप का सुदृढ़ीकरण :

फिलहाल कूड़ा-कचरा इकठ्ठा करने और निपटाने के लिए लगभग 60 वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं इसके अलावा, 10 और वाहन प्राथमिकता आधार पर खरीदे जा रहे हैं। सभी वाहनों की पुनरीक्षा की गई है तथा सभी पुराने और बेकार वाहनों को निकाला जा रहा है तथा इन्हें समयबद्ध रूप से बदला जाएगा। इन वाहनों को चालू हालत में रखने के लिए परिषद की आटो वर्कशॉप का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें उपकरण जुटाए जा सकें और इस कार्य में लगे सभी वाहनों की शीघ्र मरम्मत और रख रखाव सुनिश्चित किया जा सके।

7. जन प्रतिक्रिया सूचना प्रणाली में सुधार :

विभिन्न स्थानों से सूचना प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण स्तर पर सफाई कर्मचारियों को इलेक्ट्रानिक पेजर देकर सूचना प्रणाली में सुधार किया जा रहा है ताकि कूड़ा-कचरा हटाने में कोई कठिनाई या इस संबंध में कोई शिकायत होन पर इसे तत्काल दूर किया जा सके। सूचना प्रणाली में सुधार और आने-जाने में आसानी के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्टाफ को वाहन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(II) नई दिल्ली नगर परिषद के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि गन्दगी की जरूरी शिकायतों को दूर करने के लिए हर समय कर्मचारी तथा उपकरण उपलब्ध हों।

8. इन्सीनेटरों की सहायता :

परिषद द्वारा अनुरक्षित दो अस्पतालों में अपशिष्ट निपटान के लिए दो इन्सीनेटर लगाए जा रहे हैं।

9. स्वास्थ्य शिक्षा :

स्कूलों के बच्चों, प्रौढ़ शिक्षार्थियों तथा झुग्गी झोंपड़ी समूहों के लोगों को लोक स्वास्थ्य तथा सफाई की शिक्षा भी दी जा रही है।

निःशक्तता विधेयक

2702. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निःशक्तता विधेयक की जानकारी है जो कानून बनाए जाने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सरकारी भवनों का नक्शा तैयार कर रही है जिसमें विकलांग व्यक्ति आसानी से आ जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां। कल्याण मंत्रालय ने "द पर्सन्स विद डिसएविलिटीज) इक्वल अपोरचूनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एण्ड फुल पार्टी सिपेशन) बिल, 1995 शीर्षक से एक विधेयक तैयार किया है।

(ख) और (ग). "नान-डिसिक्रम्नीनेशन इन द बिल्ट एनवायरनमेंट" नामक विधेयक की धारा-46 में, अपंग व्यक्तियों के लिये संगत सरकारी/निगम प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित सुगम सुविधाओं का प्रावधान है :

(क) सार्वजनिक भवनों में ढ़लानदार रास्ता

(ख) शौचालयों को व्हीलचेंर प्रयोक्ताओं योग्य बनाना

(ग) एलीवेटरों/लिफ्टों में ब्रेल सकेंत और श्रवण संकेत

(घ) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य चिकित्सा देखभाल व पुनर्वास संस्थाओं में ढ़लानदार रास्ता।

सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ प्रायवेट एजेंसियों के भवनों में अपंग व्यक्तियों के लिए सुगम आवागमन सुलभ कराने में केन्द्र और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु मानक भवन उप-नियम बनाने की कार्रवाई शुरू की दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को पेंशन

2703. श्री तारा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाही किए जाने का विचार है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राज्य पेंशनें राज्य सरकारों का विषय है। अतः यथावांछित सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

रूपांतरित पेंशन

2704. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के 12 वर्ष पश्चात् रूपांतरित पेंशन के भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों के समान ही इस अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्षों तक करने के संबंध में अपने निर्णय में संशोधन करेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन के सरांशीकृत भाग को संराशिकरण की तारीख से 15 वर्ष बाद पुनः आरंभ कर दिया जाता है। इस प्रावधान को सरकार द्वारा 1985 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपनाया गया था। इस अवधि में कटौती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों के मामले संबंधित राज्य सरकारों के विषय हैं। पेंशन के संराशिकृत भाग को पुनः आरंभ करने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई नीति से संबंधित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। यह उनसे एकत्र की जा रही है और केन्द्र सरकार को प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय

2705. श्री सुधीर सावंत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सहायता से पूरे देश में विशेषकर गुजरात के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों से संबंधित इसी प्रकार की योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के चिकित्सालय किन स्थानों में खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ङ). चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से सज्जित अस्पताल खोलना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

गुजरात में आवास योजनाएं

2706. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विशेषतः गुजरात के जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र से संबंधित आवास योजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन तथा आर्थिक सहायता हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषतः गुजरात में स्वीकृत की गई आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना हेतु राज्यवार प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं में से देश में विशेषतः गुजरात में, पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित आवास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जहां तक शहरी आवास की बात है आवास निर्माण हेतु राज्यों को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता दिये जाने की कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है। तथापि, आवास परियोजनाओं के लिए विभिन्न आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सुधार न्यासों, सहाकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों आदि को आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) ऋण सहायता देता है।

जूनागढ़ जिले के लिए 9.00 लाख रुपये ऋण राशि की केवल एक आश्रय उन्नयन स्कीम हडको के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). हडको द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 (31.10.95 तक) के दौरान मंजूर स्कीमो, कर्ज वायदों व जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में है।

(घ) हडको सहायता के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लाभार्थ औसतन 12 प्रतिशत रिहायशी एककों का निर्माण किया गया।

विवरण-I

1993-94 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत/जारी आवास ऋणों का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की सं.	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्वीकृत रिहायशी मकान
1.	आंध्र प्रदेश	130	75.57	107.10	101456
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.82	0.57	228
3.	असम	9	8.31	8.78	3966
4.	बिहार	37	40.70	15.31	39258
5.	गुजरात	43	48.40	33.08	17992
6.	हिमाचल प्रदेश	2	3.14	6.05	186
7.	हरियाणा	17	21.74	21.58	5752
8.	जम्मू और कश्मीर	9	7.34	0.50	1796
9.	केरल	37	53.52	59.10	39190
10.	कर्नाटक	60	50.27	72.18	15184
11.	मेघालय	1	5.09	8.53	2179
12.	महाराष्ट्र	30	51.19	55.35	13750
13.	मणिपुर	3	5.72	5.73	1071
14.	मध्य प्रदेश	45	51.48	38.50	5344
15.	मिजोरम	5	6.39	0.25	2618
16.	नागालैंड	1	5.79	6.20	1321
17.	उड़ीसा	19	29.53	32.77	9192
18.	पंजाब	18	20.98	25.83	2981
19.	राजस्थान	58	46.81	37.48	9141
20.	सिक्किम	3	7.44	10.68	780
21.	तमिलनाडु	154	128.45	116.18	59790
22.	त्रिपुरा	3	1.78	0.39	785
23.	उत्तर प्रदेश	39	79.61	59.05	53788
24.	पश्चिम बंगाल	6	44.75	27.47	12495
25.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	0.16	0.20	500
26.	चंडीगढ़	4	4.79	7.85	1968
27.	पांडिचेरी	–	–	0.01	–
	योग	734	800.68	756.72	402711

विवरण–II

1994–95 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत/जारी आवास ऋणों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की सं.	स्वीकृत ऋण	(रु. करोड़ में) जारी ऋण	रिहायशी मकान
1.	आंध्र प्रदेश	126	63.72	76.48	82544
2.	असम	13	18.03	14.88	8024
3.	बिहार	18	11.79	3.31	6415
4.	गोवा	6	9.00	–	1757
5.	गुजरात	73	50.65	37.18	15057
6.	हरियाणा	19	19.37	20.99	5171
7.	हिमाचल प्रदेश	5	5.74	4.31	288
8.	जम्मू और कश्मीर	4	1.30	6.60	48
9.	कर्नाटक	88	62.47	65.37	62808
10.	केरल	45	66.93	74.04	19108
11.	मध्य प्रदेश	38	60.04	33.25	5945
12.	महाराष्ट्र	46	73.91	41.04	23439
13.	मणिपुर	3	6.06	3.74	1080
14.	मेघालय	3	13.49	0.63	4934
15.	मिजोरम	–	–	2.18	–
16.	नागालैंड	1	5.77	7.22	1320
17.	उड़ीसा	26	37.83	32.79	15622
18.	पंजाब	27	23.57	48.19	2016
19.	राजस्थान	46	47.12	36.49	14151
20.	सिक्किम	6	9.49	4.45	4000
21.	तमिलनाडु	199	94.70	137.26	56834
22.	त्रिपुरा	2	0.27	1.19	975
23.	उत्तर प्रदेश	40	66.77	45.48	26012
24.	पश्चिम बंगाल	34	36.04	28.48	18391
25.	दिल्ली	2	0.70	0.26	45
26.	चंडीगढ़	1	–	4.21	274
	योग	871	784.76	730.02	376258

विवरण–III

1995–96 के दौरान (31.10.95 तक) हडको द्वारा स्वीकृत/जारी आवास ऋण के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	(रु. करोड़ में) स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	रिहायशी मकान
1.	आंध्र प्रदेश	7	12.49	17.48	24250
2.	असम	5	16.00	5.49	9752
3.	बिहार	9	14.64	0.71	8334
4.	गुजरात	20	13.07	11.59	2448
5.	हरियाणा	19	36.07	0.35	10685
6.	हिमाचल प्रदेश	3	0.97	1.52	191
7.	जम्मू व कश्मीर	9	9.60	2.01	322
8.	कर्नाटक	19	11.16	8.69	8160
9.	केरल	30	79.46	33.52	19530
10.	मध्य प्रदेश	36	15.28	7.74	2745
11.	महाराष्ट्र	3	5.78	10.19	1460
12.	मणिपुर	1	1.77	1.40	211
13.	मेघालय	3	0.94	0.68	78
14.	उड़ीसा	4	5.46	2.13	2801
15.	पंजाब	3	6.49	3.66	279
16.	राजस्थान	25	17.35	3.25	11800
17.	सिक्किम	3	6.50	4.17	585
18.	तमिलनाडु	74	43.39	42.96	27792
19.	उत्तर प्रदेश	4	14.41	8.52	21423
20.	पश्चिम बंगाल	7	9.56	3.14	7527
21.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.74	–	42
22.	दिल्ली	–	–	5.15	–
	योग	285	321.13	176.18	160385

11.02 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

2.00 म.प.

लोक सभा 2 बजे म.प. पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महादेय पीठासीन हुए।)

(व्यवधान)

2.01 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिये जाएंगे।

2.02 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती निगम, 1994 तथा अन्दमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-95 आदि के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महादेय, मैं श्री रोजश पायलट की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 जो 31 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 3561 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8475/95]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :

(एक) अन्दमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अन्दमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8476/95]

सोफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. (एक) सोफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8477/95]

2. (एक) सेटकोम सर्विसिज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेटकोम सर्विसिज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8478/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीएमसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8479/95]

कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1994-95 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, मैं, श्री एम. अरुणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1 (एक) कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8480/95]

2. (एक) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मजरिंग इस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8481/95]

3. (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8482/95]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं, श्रीमती मारग्रेट आल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8483/95]

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 आदि का वार्षिक प्रतिवदेन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8484/95]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8485/95]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8486/95]

(ग) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8487/95]

(घ) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8488/95]

(ङ) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8489/95]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 831(अ) जो 6 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद तथा इसके नई मुम्बई, कल्याणी और मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ उर्वरक निरीक्षकों तथा उर्वरक निरीक्षकों को उर्वरक का निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1995 जो 12 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 835(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8490/95]

(5) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8491/95]

इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 आदि के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8492/95]

(2) (एक) नेशनल फेसिलिटी फार एनिमल टिश्यू एण्ड सेल कल्चर, पुणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेसिलिटी फार एनिमल टिश्यू एण्ड सेल कल्चर, पुणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8493/95]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8494/95]

(4) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8495/95]

(5) (एक) अघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8496/95]

(6) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8497/95]

(7) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8498/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 797(अ) जो 20 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिम्पलेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेड, तहसील गोदिया, महाराष्ट्र को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 798(अ) जो 20 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 911(अ) जो 10 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गौरव पेपर मिल्स, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8499/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8500/95]

(ख) (एक) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8501/95]

(ग) (एक) नेपा लिमिटेड, के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8502/95]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8503/95]

(3)(एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिटयूट, पालघाट के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिटयूट, पालघाट के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8504/95]

(4)(एक) नेशनल इंस्टिटयूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिटयूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8505/95]

(5)(एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8506/95]

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8507/95]

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8508/95]

नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्यापैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8509/95]

(दो) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2)(एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेचरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एण्ड नेचरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 8510/95)

(3)(एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8511/95)

दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं कुमारी शैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8512/95)

(3)(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8513/95]

(5) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 8514/95]

(6) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8515/95]

(8)(एक) मौलाना आजाद प्रौद्यागिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8516/95]

(10)(एक) मोती लाल नहेरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोती लाल नहेरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8517/95]

आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8518/95]

इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8519/95]

(2) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8520/95]

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी गृह निर्माण संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक लेखाएं तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी गृह निर्माण संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी गृह निर्माण संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी गृह निर्माण संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल.टी. 8521/95]

[अनुवाद]

रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1995 तथा कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर टिप्पणियां आदि।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं, श्री सुरेश कलमाडी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1995 जो 1 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.164 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8522/95]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8523/95]

(3) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8524/95]

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 आदि के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8525/95]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8526/95]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 8527/95]

(घ) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8528/95]

(ङ) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8529/95]

(च) (एक) मझगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 8530/95]

(2) भारत इलेक्ट्रानिक्स और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8531/95]

उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 1995

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं श्री विनोद शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 1995, जो 21 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 759 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8532/95]

2.04 म.प.

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.04 ½ म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2.04 $^{3}/_{4}$ म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.05 म.प.

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग से संबंधित "इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड" तथा "कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड"

पर पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.05 1/2 म.प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री राम रमन्ना राय (कासरगोड़) : मैं नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.05 3/4 म.प.

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

डा. वसन्त पवार (नासिक) : मैं महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 14 दिसम्बर, 1995 के 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.06 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 दिसम्बर, 1995/23 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।